



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052023-245748
CG-DL-E-06052023-245748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]
No. 115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2023/वैशाख 15, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2023/VAISAKHA 15, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 5 मई, 2023

मामला सं. ए.डी. (ओआई)-01/2022

विषय: चीन, इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर" (एसएमओएफ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/1/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली, 1995" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- मैसर्स बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन. गण., इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से "डिस्पर्सन अन-शिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "सीटीए, 1975" कहा गया है) और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीटीए, 1975 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 6 मई 2022 की अधिसूचना संख्या 6/1/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 6 मई, 2022 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध आयातों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 6 मई, 2022 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दें और जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोध दें।
- घ. अपने ईमेल दिनांक 30 मई, 2022 के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदक द्वारा दायर किए गए आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें। संबद्ध देशों के दूतावासों को उनके संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।
- छ. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए हैं:

संबद्ध देश	उत्पादक/निर्यातक
चीन जन. गण.	हांगझोऊ फुटोंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
	फास्टन ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
	जियांगसू फास्टन फोटोनिक्स कंपनी लिमिटेड
	जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल केबल कंपनी लिमिटेड
	पोटेवियो फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड
	जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
इंडोनेशिया	कोई नहीं
कोरिया गणराज्य	कोई नहीं

तालिका ख 1

- ज. संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जांच में सहयोग नहीं किया है, को जांच में असहयोगी माना गया है।

- झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजीं।
- ञ. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए:

क्रम सं.	प्रयोक्ता/आयातकों के ब्यौरे
1.	एचएफसीएल लि.

तालिका ख 2

- ट. इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. की एक एसोसिएशन, अर्थात् चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ने जांच में भाग लिया।
- ठ. निर्यातकों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
- ड. प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया था कि पिछली क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं। वे प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे और जांच की शुरुआत के स्तर पर उन पर विचार किया गया था। बाद में, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से भी अनुरोध किया गया था कि क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं। वे प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं और इस अंतिम जांच परिणाम में इन पर विचार किया गया है।
- ढ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 10 अक्तूबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद, यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं तो उन्हें दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया था।
- ण. क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे 'एनआईपी' कहा गया है) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की स्थल-सत्यापन के दौरान आवश्यक मानी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए इस पर विश्वास किया गया है। क्षति मापदंडों के संबंध में समर्थक, कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की गई और आवश्यक समझी गई सीमा तक डेस्क सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया गया तथा वर्तमान अंतिम जांच परिणामों पर विश्वास किया गया है।
- थ. संबद्ध देशों¹ के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उन पर विश्वास किया गया है।
- द. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2021 - 31 दिसंबर 2021 है। वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 है - 31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि है।

¹ संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों सूची के लिए तालिका निर्यातकों की/ख 1 देखें।

- ध. प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके में पारस्परिक आधार पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना/अनुरोधों की जांच उन गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर किए गए गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों की अस्वीकृति के मामले में, हितबद्ध पक्षकारों को इसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।
- न. प्राधिकारी ने 21 अप्रैल, 2023 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण परिचालित किया। हितबद्ध पक्षकारों को 28 अप्रैल, 2023 तक प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
- प. प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोध की पुनरावृत्ति थे और जिसे प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांचा गया है, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- फ. प्राधिकारी ने उस सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है, जिस सीमा तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।
- ब. इन अंतिम जांच परिणामों में "****" हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाते हैं और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- भ. जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (जनवरी, 2021 – दिसंबर, 2021) के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 74.78 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद (जिसे यहां आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) निम्नानुसार था:

"3. विचाराधीन उत्पाद चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर" ("एसएमओएफ") है। एसएमओएफ एक वाहक के रूप में प्रकाश के एकल स्थानिक मोड के संचरण की सुविधा प्रदान करता है और इसका उपयोग कुछ बैंडों के भीतर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। उत्पाद के क्षेत्र में डिस्पर्सन अनशिफ्टेड फाइबर (जी.652) के साथ-साथ बेंड असंवेदनशील सिंगल मोड फाइबर (जी.657) शामिल हैं - जैसा कि अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू-टी) द्वारा परिभाषित किया गया है, जो दूरसंचार प्रणालियों और विक्रेताओं के लिए एक वैश्विक मानकीकरण निकाय है। डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी.653), कट-ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (जी.654), और नॉन-जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी.655 और जी.656) को विशेष रूप से उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसमें यूनी-ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब स्ट्रैंडेड केबल, टाइट बफर केबल, आर्मर्ड और अनआर्मर्ड केबल, एडीएसएस और फिग-8 केबल, रिबन केबल, वेट कोर और ड्राई कोर केबल तथा अन्य शामिल हैं। सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से उच्च-आंकड़ा दर, लंबी दूरी और एक्सेस नेटवर्क परिवहन में लागू होता है, अतः, मुख्य रूप से लांग हॉल, मेट्रो एरिया नेटवर्क, सीएटीवी, ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क (उदाहरण के लिए एफटीटीएच) और यहां तक कि, जैसा लागू हो, छोटी दूरी के नेटवर्क में भी उपयोग किया जाता है। प्रमुख खपत टेल्को द्वारा 3जी/4जी/5जी रोलआउट, ग्राम पंचायत और रक्षा की कनेक्टिविटी (एनएफएस परियोजना) द्वारा संचालित है।

5. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमा प्रशुल्क शीर्ष 90011000 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध सामानों को अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी आयात किया जाए और इसलिए, सीमा प्रशुल्क शीर्ष केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. जी.657 फाइबर का आयात नगण्य है और जी.657 फाइबर की मांग भी नगण्य है। अतः, जी.657 फाइबर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।²
- ख. जी.652 फाइबर का आयात भारत में संबद्ध सामानों के आयात का अधिकतम हिस्सा है और अन्य सभी प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर भारत में आयात का एक नगण्य प्रतिशत है।³
- ग. जी.652 फाइबर और जी.657 फाइबर कीमत के मामले में तुलनीय नहीं हैं और इसलिए, जी.657 फाइबर को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।⁴
- घ. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादन, बिक्री, निर्यात, क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन, कीमत कटौती आदि के व्यौरे अथवा द्विभाजन (ग्रेड वार) प्रदान नहीं किये हैं जिसकी प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी अपेक्षित है।⁵
- ङ. उप-शीर्ष 9001 1000 के अंतर्गत उत्पादों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और विशिष्ट नहीं है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स और फाइबर ऑप्टिक केबल की सभी श्रेणियां शामिल हैं।⁶

ग.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमा प्रशुल्क शीर्ष 9001 1000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।⁷
- ख. विचाराधीन उत्पाद "डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर" है और इसमें केवल नॉन-डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (जी.652) और बेंड-इनसेंसिटिव सिंगल-मोड फाइबर (जी.657) ऑप्टिकल फाइबर की श्रेणियां शामिल हैं।⁸
- ग. आवेदक द्वारा निर्मित सामान (जी.652 फाइबर और जी.657 फाइबर) संबद्ध आयातों की समान वस्तु हैं। आवेदक के सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय है, और संबद्ध सामानों के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा नियोजित प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।⁹
- घ. कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मुख्य रूप से जी.652, जी.657 और सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर की जी.655 श्रेणी की एक छोटी मात्रा बनाती है।¹⁰
- ङ. डिस्पर्सन - शिफ्टेड फाइबर (जी.653), कट-ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (जी.654), और नॉन-जीरो डिस्पर्सन - शिफ्टेड फाइबर (जी.655 और जी.656) को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है।¹¹

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

² एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 5।

³ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 7।

⁴ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 9।

⁵ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 11।

⁶ इंडोनेशिया सरकार के उत्तर का पृष्ठ 2।

⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 6।

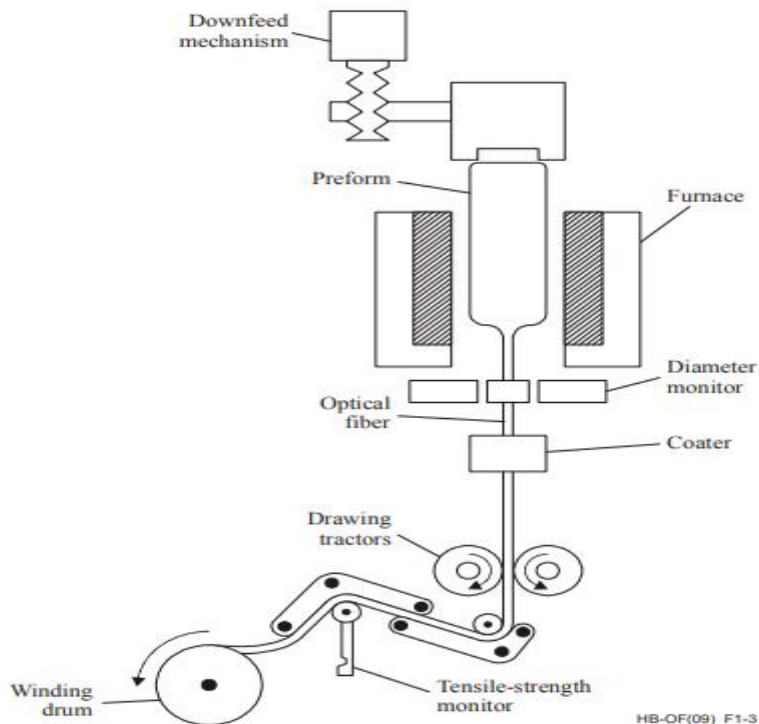
⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 6।

⁹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 9।

¹⁰ कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 6।

¹¹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 8।

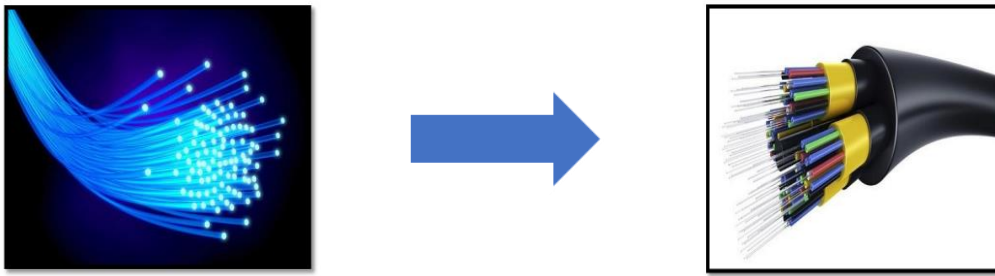
7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और इन्हें यहां हल किया गया है:
8. ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग आंकड़ों को प्रकाश तरंगों के रूप में पारेषण करने के लिए किया जाता है। सभी ऑप्टिकल फाइबर आसपास के प्रकाश रिसाव से बचने के लिए कम अपवर्तक अनुक्रमित क्लैडिंग के साथ कवर किए गए बालों की तरह पारदर्शी सिलिकॉन के एक कोर का उपयोग करते हैं। प्रीफॉर्म से ऑप्टिकल फाइबर निकालने की मानक प्रक्रिया नीचे दी गई है:¹²



चित्र 1 ऑप्टिकल फाइबर उत्पादन प्रक्रिया

9. ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में उपयोग होने वाली प्राथमिक कच्ची सामग्री प्रीफॉर्म है जो सिलिका से बने ऑप्टिकल ग्लास का एक बेलनाकार रूप है, जिससे फाइबर ड्राइंग टॉवर में ऑप्टिकल फाइबर खींचा जाता है। ड्राइंग टॉवर में प्रीफॉर्म को नियंत्रित तरीके से भट्टी में डाला जाता है, जहां इसे लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म किया जाता है। पिघला हुआ प्रीफॉर्म एक सटीक-फीड तंत्र का उपयोग करके फाइबर में खींचा जाता है। समर्पित माप उपकरणों द्वारा ऑप्टिकल रूप से फाइबर व्यास की निगरानी की जाती है। फाइबर व्यास को 0.1% के भीतर स्थिर रखा जा सकता है। ड्राइंग चरण के दौरान फाइबर पर एक पॉलीमर कोटिंग की जाती है। कोटिंग यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही फाइबर के पारेषण गुणों को संरक्षित करती है। कोटेड फाइबर का व्यास विशिष्ट रूप से 245 माइक्रोन होता है, यद्यपि यह 900 माइक्रोन जितना बड़ा हो सकता है जब कई कोटिंग्स की जाती हैं।
10. ऑप्टिकल फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए एक साथ बांधा जाता है, जिसका उपयोग विद्युत संचार केबलों के माध्यम से प्राप्त होने की अपेक्षा उच्च श्रृंखला दर के साथ सैकड़ों मील की दूरी तक प्रकाश के रूप में डिजिटल आंकड़े सिग्नल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित रेखाचित्र ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल दर्शाता है:

¹² https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/T-HDB-OUT.10-2009-1-PDF-E.pdf



चित्र 2 ऑप्टिकल और ऑप्टिकल फाइबर केबल

11. ऑप्टिकल फाइबर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर ("एसएमओएफ") अथवा मल्टी-मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर एकल ट्रांसमिशन मोड का उपयोग करते हैं और लाइट सिग्नल फैलाव के बिना स्ट्रैस्ड मीडियम के साथ प्रसारित किए जाते हैं। जीरो डिस्पर्सन विशेषताओं के कारण, इनका उपयोग लंबी दूरी पर संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। मल्टी-मोड ऑप्टिकल फाइबर को साथ-साथ कई प्रकाश संकेतों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे मुख्य रूप से कम दूरी पर संचार स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
12. सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर कई प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू-टी) जिसने ऑप्टिकल फाइबर के लिए मानक स्थापित किए हैं, ने सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है:
 - क. जी.652: सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर।
 - ख. जी.653: डिस्पर्सन-शिफ्टेड एसएमओएफ।
 - ग. जी.654: कट-ऑफ शिफ्टेड एसएमओएफ।
 - घ. जी.655: नॉन-जीरो डिस्पर्सन-शिफ्टेड एसएमओएफ।
 - ङ. जी.656: नॉन-जीरो डिस्पर्सन एसएमओएफ।
 - च. जी.657: बेंडिंग लॉस इंसेंसिटिव एसएमओएफ।
13. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "डिस्पर्सन अन-शिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर" है, जिसमें एसएमओएफ (जी.652) के साथ-साथ बेंडिंग लॉस इंसेंसिटिव एसएमओएफ (जी.657) शामिल हैं। डिस्पर्सन-शिफ्टेड एसएमओएफ (जी.653), कट-ऑफ शिफ्टेड एसएमओएफ (जी.654), और नॉन-जीरो डिस्पर्सन एसएमओएफ (जी.655 और जी.656) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:
 - क. कम मांग और कीमत की अतुलनीयता के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से ऑप्टिकल फाइबर जी. 657 ग्रेड को बाहर करना।
15. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निम्नलिखित बिंदुओं की जांच की है:
 - क. क्या घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सामान संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु हैं?
 - ख. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र क्या है?
- (i) **जी. 657 ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करना**
16. एचएफसीएल ने भारत में इसकी नगण्य मांग और कम आयात मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के जी. 657 ग्रेड को बाहर करने की मांग की है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक और समर्थक विचाराधीन उत्पाद के जी.657 ग्रेड का उत्पादन कर रहे हैं। यद्यपि आयात मात्रा और जी.657 फाइबर की मांग, जी.652 फाइबर की तुलना में कम है, तथापि यह जी.657 ग्रेड को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। आवेदक ने जांच की अवधि में जी.657 फाइबर को व्यावसायिक मात्रा में अर्थात् लगभग *** केएफकेएम बेचा है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जी.657 फाइबर की मांग भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग का लगभग *** % है जो कि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग को देखते हुए लगभग

*** केएफकेएम है। आवेदक द्वारा की गई बिक्री के आधार पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की वाणिज्यिक मात्रा की बिक्री की है। यद्यपि जी. 652 फाइबर का उपयोग सामान्यतः दो शहरों के बीच लंबी दूरी पर आंकड़ों का पारेषण करने के लिए किया जाता है, तथापि जी.657 फाइबर का उपयोग झुकी हुई स्थिति में भी पारेषण बनाए रखने की उनकी क्षमता के कारण अंतिम छोर कनेक्टिविटी¹³ अर्थात् भवनों के अंदर तक प्रदान करने के लिए किया जाता है। सारभूत रूप से, सूचना प्रसारित करने के लिए जी.652 ग्रेड फाइबर के साथ जी.657 ग्रेड का उपयोग किया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए कि जी.657 फाइबर का उपयोग अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है, यह समझा जाता है कि जी.652 फाइबर की तुलना में इसकी खपत कम होगी।

17. एचएफसीएल ने विचाराधीन उत्पाद के जी.652 ग्रेड के साथ इसकी अतुलनीय कीमतों के आधार पर जी.657 ग्रेड को बाहर करने की भी मांग की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक के साथ-साथ समर्थक विचाराधीन उत्पाद के जी.657 ग्रेड का निर्माण करते हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर करने के लिए मात्र कीमत अंतर आधार नहीं हो सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि न तो एचएफसीएल और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के जी.657 और जी.652 ग्रेड की अलग-अलग जांच के लिए पीसीएन का प्रस्ताव दिया था।

(ii) विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

18. आवेदक और समर्थक ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकारों और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया है और कर रहे हैं। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सामानों के संबद्ध सामानों के लिए 'समान वस्तु' नहीं होने के संबंध में आपत्तियां नहीं उठाई हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' हैं।

(iii) विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र

19. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें सभी प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल दो प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं अर्थात् जी.652 और जी. 657। ऑप्टिकल फाइबर की अन्य श्रेणियों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करते हैं।

ग.4 प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

20. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विवादित अनुरोध नहीं किया गया और इसीलिए प्राधिकारी ने उसकी जांच नहीं की।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

21. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह आवेदन पत्र जांच की शुरुआत के स्तर पर अन्य गैर-आयातक घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित नहीं था और इसलिए, आवेदन पत्र का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का प्रतिशत पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत अपेक्षित 50% से कम था।¹⁴

ख. आवेदक के संबद्ध पक्षकारों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।¹⁵ प्राधिकारी को सत्यापित करना चाहिए और रिकॉर्ड पर साक्ष्य लेना चाहिए कि क्या आवेदक के संबद्ध पक्षकार बिरला केबल्स लिमिटेड

¹³ अंतिम मील अथवा अंतिम किलोमीटर दूरसंचार नेटवर्क के अंतिम चरण को संदर्भित करने के लिए दूरसंचार, केबल टेलीविजन और इंटरनेट उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक वाक्यांश है जो खुदरा अंतिम प्रयोक्ताओं (ग्राहकों) को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। विशेष रूप से, अंतिम मील दूरसंचार नेटवर्क श्रृंखला के उस भाग का वर्णन करता है जो भौतिक रूप से अंतिम प्रयोक्ता के परिसर तक पहुंचता है।

¹⁴ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 13।

¹⁵ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 14।

ने जांच की अवधि के दौरान अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का मामूली आयात किया है।¹⁶ इसके अतिरिक्त, आवेदक ने बिरला केबल्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयात की मात्रा को गोपनीय होने का दावा किया है जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे दावों को सत्यापित करने से रोक रहा है।

- ग. आवेदक का यह दावा कि वह बिरला केबल लिमिटेड से संबद्ध नहीं है, प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाना चाहिए।¹⁷ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "नियंत्रण"¹⁸ और "संबद्ध पक्षकार"¹⁹ की परिभाषा के अनुसार, न केवल शेयरधारिता के आधार पर नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है, बल्कि यह उस किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है जो प्रबंधन अधिकारों के कारण अथवा किसी अन्य तरीके में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण करता हो।²⁰
- घ. आवेदक सामान्य निर्देशकों के माध्यम से बिरला केबल लिमिटेड से संबद्ध है और इसलिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।²¹
- ङ. विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड और यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड आवेदक²² के संबद्ध पक्षकार हैं और हो सकता है कि उन्होंने संबद्ध देशों²³ से संबद्ध सामानों का आयात किया हो।
- च. प्राधिकारी ने पिछली कई जांचों²⁴ में घरेलू उत्पादकों को उनके संबद्ध पक्षकारों²⁵ द्वारा किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा है।
- छ. आवेदक और समर्थक अर्थात् स्टरलाइट इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बड़ी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और इसलिए, घरेलू उत्पादक को हुई क्षति स्व-प्रेरित है।²⁶

¹⁶ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 16; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 124

¹⁷ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 120

¹⁸ कंपनी अधिनियम, की धारा 2 2013(27) नियंत्रण को इस प्रकार परिभाषित करती है "नियंत्रण में अधिक" :तर निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल होगा अथवा शेयरधारक करारों अथवा मतदान करारों अथवा किसी अन्य तरीके से उनकी शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकारों के कारण सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण करना शामिल होगा।

¹⁹ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) संबद्ध पक्षकार को इस प्रकार परिभाषित करती है: "(76) किसी कंपनी के संदर्भ में "संबद्ध पक्षकार", का अर्थ है- (i) एक निदेशक अथवा उसके संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उसके संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक अथवा उसके संबंधी भागीदार हैं; (iv) एक निजी कंपनी जिसमें एक निदेशक अथवा प्रबंधक एक सदस्य अथवा निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक अथवा प्रबंधक, एक निदेशक है अथवा अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखता है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक किसी निदेशक अथवा प्रबंधक की सलाह, निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी है; (vii) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश अथवा अनुदेश पर कोई निदेशक अथवा प्रबंधक कार्य करने का आदी है: बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देश अथवा अनुदेशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो- (क) ऐसी कंपनी की धारक, सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी है; अथवा (ख) एक धारक कंपनी की एक सहायक कंपनी जिसके लिए यह एक सहायक कंपनी भी है; (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाए।"

²⁰ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 23।

²¹ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 22; एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 23।

²² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 17।

²³ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 24 - 28।

²⁴ बेलारूस, यूरोपीय संघ, पेरू और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनेलिक फाइबर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम, दिनांक 1 सितंबर, 2020 का अंतिम जांच परिणाम, मामला संख्या (ओआई) 18/2019; चीन जन. गण. के अथवा वहां से निर्यातित "एल्यूमिनियम फॉयल" के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जांच में अंतिम जांच परिणाम, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 मार्च, 2017, मामला संख्या 14/06/2015-डीजीएडी; चीन जन. गण. और स्वीडन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटारिथ्रोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच मामला संख्या 14/16/2004-डीजीएडी, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 2 फरवरी, 2006;

²⁵ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 19।

²⁶ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 15।

- ज. स्टरलाईट इंडिया टेक्नोलॉजीज लि. को वर्तमान जांच में समर्थक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसने एक आयातक²⁷ के रूप में कार्य किया है। स्टरलाईट लिमिटेड इंडिया ने क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का 26-86% और जांच की अवधि के दौरान 30%²⁸ आयात किया है।²⁹
- झ. स्टरलाईट इंडिया टेक्नोलॉजीज लि. को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि आवेदक ने स्वयं इसे घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर करने का तर्क दिया है।³⁰
- ञ. आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि स्टरलाईट इंडिया टेक्नोलॉजीज लि. ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयात किए हैं।³¹

घ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और इसके आधार के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स लिमिटेड (आवेदक) द्वारा दायर किया गया है और इसका स्टरलाईट इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड³² द्वारा समर्थन किया गया है। तीन उत्पादकों का संचयी रूप से विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में नब्बे प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है।³³
- ख. विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादकों से संबंधित सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। भारतीय उत्पादन आंकड़ों के संबंध में सीआरयू इंटरनेशनल लिमिटेड³⁴ (जिसे यहां आगे सीआरयू कहा गया है) की रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करते हैं।

जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादक	स्तर	क्या जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात किया गया है	क्या घरेलू उत्पादक के रूप में पात्र हैं ³⁵
बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स लिमिटेड	आवेदक	नहीं	हां
कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	समर्थक	नहीं	हां
स्टरलाईट इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	समर्थक	हां	नहीं
जेडटीटी	तटस्थ	हां	नहीं
अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड	तटस्थ	नहीं	हां
फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज	तटस्थ	नहीं	हां

तालिका घ 1

- ग. भारत में समान वस्तु के कुल पात्र घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा (***) आवेदक का है।³⁶ आवेदक और कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कुल भारतीय पात्र घरेलू उत्पादन का 90 - 95% हिस्सा है।³⁷

²⁷ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 22; फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 4; फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 1। (यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस जांच में फुटोंग का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाता भी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फुटोंग की तरह मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसी तरह के अनुरोध किए हैं। इसलिए, संक्षिप्तता के लिए, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स का नाम फुटनोट्स में दोहराया नहीं गया है।)

²⁸ एनसीवी आवेदन पत्र के पृष्ठ 25 के अनुसार।

²⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 6, 14, 20, 21 और 22; फास्टेंस ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 16।

³⁰ फास्टेंस ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 14।

³¹ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 41।

³² कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 10।

³³ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 11।

³⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 12।

³⁵ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 12।

- घ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) में निर्धारित "कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत" शर्त को पूरा न करने के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कानून की गलत व्याख्या की है। वर्तमान जांच में समान वस्तु के किसी भी अन्य उत्पादक ने आवेदन पत्र का विरोध नहीं किया है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 100% घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने "या तो समर्थन या विरोध" व्यक्त किया है, ने आवेदन पत्र का समर्थन किया है।³⁸
- ड. जांच की शुरुआत के समय घरेलू उत्पादकों के समर्थन के 50% की आवश्यकता के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने कई पिछली जांचों³⁹ में निरंतर समर्थक उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया है, भले ही इस तरह के समर्थन को जांच की शुरुआत⁴⁰ के बाद दायर किया गया हो।
- च. आवेदक ने कभी भी संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। तथापि, इसकी एक समूह कंपनी अर्थात् बिरला केबल लिमिटेड⁴¹ ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत जांच की अवधि के दौरान दो संबद्ध देशों⁴² से कुल *** केएफकेएम संबद्ध सामानों का आयात किया है। बिरला केबल लिमिटेड द्वारा किया गया आयात संबद्ध देशों से कुल आयात का ***% है और कुल भारतीय मांग के ***% से कम दर्शाता है।⁴³
- छ. आवेदक ने प्रविष्टि के सभी बिलों की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं जिसके अनुसार उक्त आयात बिरला केबल लिमिटेड द्वारा किये गये थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह अग्रिम प्राधिकार के विरुद्ध किया गया है।
- ज. आवेदक कंपनी बिरला समूह और फुरुकावा इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, जापान के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसमें फुरुकावा के पास आवेदक की *** % इक्विटी शेयरधारिता है।⁴⁴ आवेदक के पास 6 निदेशक हैं, बिरला समूह और फुरुकावा इलेक्ट्रिक कंपनी प्रत्येक से 3।⁴⁵
- झ. बिरला केबल्स लिमिटेड और आवेदक अलग-अलग कानूनी कंपनियां हैं और एक-दूसरे पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखते हैं तथा कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार नहीं हैं। आवेदक कंपनी की बिरला केबल्स लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी नहीं है और न ही बिरला केबल्स लिमिटेड की बीएफएल में कोई इक्विटी हिस्सेदारी है।⁴⁶
- ञ. बिरला केबल्स लिमिटेड और आवेदक के सामान्य शेयरधारक हैं जो आवेदक की शेयरधारिता का ***% और बिरला केबल्स लिमिटेड की शेयरधारिता का ***% है। तथापि, आवेदक की अधिकतर शेयरधारिता अर्थात् ***% शेयरधारिता स्वतंत्र पक्षकारों के पास है, जिनमें से अधिकतर हिस्सा फुरुकावा इलेक्ट्रिक कंपनी, जापान के पास है।⁴⁷

³⁶ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 13।

³⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 13; कॉर्निंग इंडिया के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 9।

³⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 23।

³⁹ कॉर्निंग इंडिया के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 7

⁴⁰ चीन जन. गण. और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच। अंतिम जांच परिणाम सं. 14/23/2004-डीजीएडी। यूरोपीय संघ (ईयू) और मैक्सिको से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम - संख्या 14/1012/2012-डीजीएडी - चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 37% से कम जल अवशोषण वाले पॉलिशड अथवा अनपॉलिशड फिनिश में "ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलीन/विट्रिफाइड टाइल्स" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा 8. सं. 7/39/2020-डीजीटीआर

⁴¹ बिरला केबल लिमिटेड

⁴² वीसीएल ने चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयात किया है।

⁴³ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 15।

⁴⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 17।

⁴⁵ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 18।

⁴⁶ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 18।

⁴⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 18।

- ट. बिरला केबल्स लिमिटेड ने अग्रिम प्राधिकार पत्र के विरुद्ध विशिष्ट निर्यात अनुबंधों के अंतर्गत आयात किया है। गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी⁴⁸ के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा से "आयातक" शब्द को बाहर करने का अर्थ है किसी व्यक्ति जो विशेष रूप से व्यापारिक प्रयोजन के लिए आयात का कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने '2 मिथाइल (5) नाइट्रो इमिडाजोल'⁴⁹ की निर्णायक समीक्षा जांच में यह माना है कि शुल्क छूट योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयात किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग माने जाने से अयोग्य नहीं ठहराएंगे।⁵⁰
- ठ. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एक प्रतिबद्ध उत्पादक है और शुल्क छूट योजनाओं के अंतर्गत बिरला केबल्स लिमिटेड द्वारा किए गए मामूली आयात से आवेदक की संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक से आयातक की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए।⁵¹
- ड. कॉर्निंग इंडिया टैकनोलॉजीज लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।⁵²
- ढ. स्टर्लाइट इंडिया टैकनोलॉजीज लि. ने चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का आयात किया है और इसलिए इसे अपात्र उत्पादक माना जा सकता है।⁵³ प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में इसे स्पष्ट किया था।⁵⁴
- ण. स्टर्लाइट इंडिया टैकनोलॉजीज लि. ने संबद्ध सामानों के आयात के लिए जांच की अवधि के दौरान दायर किए गए सभी बिल ऑफ एंट्री को भी प्रस्तुत किया है, ताकि अपने दावे की पुष्टि की जा सके कि उक्त आयात अग्रिम प्राधिकार के विरुद्ध किए गए हैं।
- त. जांच के समर्थक के रूप में स्टर्लाइट इंडिया टैकनोलॉजीज लिमिटेड की अस्वीकृति से संबंधित तर्कों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि नियम 2(ख) घरेलू उद्योग की परिभाषा निर्धारित करता है और इसे समर्थक की पात्रता निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए।⁵⁵
- थ. स्टर्लाइट इंडिया टैकनोलॉजीज लि. के आंकड़ों पर स्थायी अथवा क्षति मूल्यांकन का दावा करने के लिए विश्वास नहीं किया गया है और इसलिए, स्टर्लाइट इंडिया टैकनोलॉजीज लि. के आंकड़ों को दायर करना वर्तमान आवेदन पत्र के लिए असंगत है।⁵⁶

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें यहां हल किया गया है:
24. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:

⁴⁸ 2012 (286) ई.एल.टी. 348 (कैल.।)

⁴⁹ पैरा 11, पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा) में अंतिम जांच परिणाम जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2 मिथाइल (5) नाइट्रो इमिडाजोल का आयात शामिल है - दिनांक 29 जून, 2007 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_2MNI_ssr_0.pdf पर उपलब्ध है।

"11. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड, मुंबई ने शुल्क छूट योजना के तहत संबद्ध सामानों का आयात किया था जो भारत के कुल आयात का लगभग 32% है। शुल्क छूट योजना के तहत आयातित सामान को अंतिम उत्पाद में आयातित इनपुट के उपयोग के बाद अनिवार्य रूप से निर्यात करने की आवश्यकता होती है और इसका कीमत प्रभाव व्यापारिक बाजार में नगण्य हो सकता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि शुल्क छूट योजना के तहत किए गए आयातों से उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।"

⁵⁰ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 20।

⁵¹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 19।

⁵² कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 14।

⁵³ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 14।

⁵⁴ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 26।

⁵⁵ कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध के पैरा 12 और 13।

⁵⁶ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 14।

- क. क्या आवेदक के संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए आयातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है?
- ख. क्या स्टर्लाइट इंडिया टेक्नोलॉजीज लि. (जिसे यहां आगे "स्टर्लाइट इंडिया" कहा गया है) को वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए समर्थक माना जा सकता है?
- ग. क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत अपेक्षाओं को आवेदक द्वारा पूरा किया गया है?

(i) क्या आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है?

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के नियतकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

26. फास्टन ग्रुप और एचएफसीएल ने तर्क दिया है कि आवेदक घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि इसकी संबंधित कंपनियों में से एक, बिरला केबल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "बीसीएल" कहा गया है), ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों में से एक चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों का आयात किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि बीसीएल आवेदक की एक संबद्ध कंपनी है क्योंकि उनके सामान्य निदेशक हैं। घरेलू उद्योग के क्षेत्र से आवेदक को बाहर करने के लिए फास्टन ग्रुप ने *एक्रेलिक फाइबर*⁵⁷, *एल्युमिनियम फॉयल*⁵⁸ और *पेंटाएरीथ्रिटोल*⁵⁹ में इस प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों पर विश्वास किया है। इसने आवेदक के दावे को खारिज करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रण और संबद्ध पक्षकार की परिभाषा पर विश्वास किया है कि बीसीएल उसकी संबंधित कंपनी नहीं है।
27. उसी के संबंध में, आवेदक ने तर्क दिया है कि आवेदक और बीसीएल अलग-अलग कानूनी कंपनियां हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार नहीं हैं। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि दोनों कंपनियों के पास सामान्य शेयरधारक हैं जिनका आवेदक की शेयरधारिता का 38% है। तथापि, अधिकतर शेयरधारिता फुरुकावा इलेक्ट्रिक कंपनी, जापान, एक स्वतंत्र पक्षकार के पास है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बीसीएल ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयात किया है, जो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के कुल आयात का ***% है और संबद्ध सामानों की भारतीय मांग के ***% से कम है। आवेदक ने *गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी*⁶⁰ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत आवेदक को पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में मानने के लिए *2 मिथाइल (5) नाइट्रो इमिडाज़ोल*⁶¹ में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास किया है।
28. पाटनरोधी नियमावली, 1995 का नियम 2(ख) निर्धारित करता है कि ऐसी स्थितियों में जहां किसी घरेलू उत्पादक अथवा उसके संबद्ध पक्षकार ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है, प्राधिकारी ऐसे उत्पादक को पात्र घरेलू उत्पादक नहीं मान सकते हैं।
29. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही बीसीएल के पास आवेदक कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से कोई शेयरधारिता नहीं है, तथापि उनके पास सामान्य शेयरधारक हैं। अतः, प्राधिकारी, बिरला केबल्स लिमिटेड को आवेदक के संबद्ध पक्षकार के रूप में मानते हैं।

⁵⁷ नोट का उप-पैरा 24 देखें।

⁵⁸ वही।

⁵⁹ वही।

⁶⁰ 2012 (286) ई.एल.टी. 348 (केल.)।

⁶¹ उपर्युक्त नोट 49 देखें।

30. तथापि, किसी घरेलू उत्पादक अथवा उसकी संबद्ध कंपनी द्वारा संबद्ध सामानों के आयात के प्रत्येक कृत्य से ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने *सेंचुरी प्लायवोर्ड्स बनाम भारत संघ*⁶² के निर्णय में यह भी पाया है कि प्राधिकारी को ऐसे आयातक घरेलू उत्पादकों⁶³ को शामिल करने/बहिष्कृत करने के संबंध में कुछ विवेकाधिकार है। इस संबंध में, *गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी*⁶⁴ के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय महत्व रखता है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया था कि आयात करने वाले घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर करने/उसके अंतर्गत शामिल करने का अंतिम परीक्षण ऐसे उत्पादक की प्रकृति का पता लगाना था।
31. बीसीएल द्वारा किया गया आयात संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के कुल आयात का ***% है और जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों की मांग के ***% से कम है। यह भी नोट किया जाता है कि बीसीएल ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण में लगी हुई है जबकि आवेदक समान वस्तु के उत्पादन में लगा हुआ है। अतः, बीसीएल द्वारा किए गए आयात की मात्रा का पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में आवेदक की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
32. विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड और यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड भी आवेदक के संबद्ध पक्षकार हैं। तथापि, वे जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में शामिल नहीं हुए हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने आवेदक को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उत्पादक माना है।

(ii) क्या स्टरलाइट इंडिया को वर्तमान जांच में समर्थक माना जा सकता है?

33. फास्टर्न ग्रुप, फुटोंग और एचएफसीएल ने तर्क दिया है कि स्टरलाइट इंडिया को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र के समर्थक के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसने संबद्ध देशों में से एक चीन जन. गण. में अपनी संबद्ध कंपनी से संबद्ध सामानों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है। कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "कॉर्निंग इंडिया" कहा गया है) ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को यह निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है कि आयातक को समर्थक के रूप में माना जा सकता है अथवा नहीं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि स्टरलाइट इंडिया द्वारा बड़ी मात्रा में किए गए आयातों को देखते हुए उसे वर्तमान जांच का समर्थक नहीं माना जा सकता है।
34. यद्यपि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में समर्थक के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित नहीं है, तथापि यह नोट किया जाता है कि यह समर्थक की प्रकृति का निर्धारण करने में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। प्राधिकारी पाटनरोधी आवेदन पत्रों के समर्थन में प्रत्येक आयातक घरेलू उत्पादक की बेलगाम भागीदारी की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि यह पाटनरोधी नियमावली, 1995 के सिद्धांतों के विपरीत होगा। अतः समर्थक की पात्रता मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जानी होती है क्योंकि यह घरेलू उत्पादकों के लिए निर्धारित की जाती है। वर्तमान जांच के तथ्यों के अनुसार, स्टरलाइट इंडिया ने जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों में से एक से संबद्ध सामानों की काफी मात्रा का आयात किया है। ये आयात भारत में संबद्ध सामानों की मांग का काफी हिस्सा हैं। अतः, प्राधिकारी ने स्टरलाइट इंडिया को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र का समर्थक नहीं माना है।
35. स्टरलाइट इंडिया ने संबद्ध सामानों का आयात न केवल चीन जन. गण. में अपने संबद्ध पक्षकार से किया है बल्कि चीन जन. गण. से अन्य निर्यातकों से भी किया है। उसने चीन जन. गण. *** एफकेएम संबद्ध सामानों का आयात किया है। संबद्ध सामानों के भारी मात्रा में आयात के कारण प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के चरण में ही स्टरलाइट इंडिया को एक अपात्र घरेलू उत्पादक माना था। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने पात्र घरेलू उत्पादकों के क्षेत्र से स्टरलाइट इंडिया को बाहर करने का भी तर्क दिया है। अतः, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसार, स्टरलाइट इंडिया को एक अपात्र घरेलू उत्पादक के रूप में नहीं माना है। तदनुसार, प्राधिकारी ने स्टरलाइट इंडिया को पाटनरोधी आवेदन पत्र के समर्थक के रूप में नहीं माना है।

(iii) पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत अपेक्षाओं की पूर्ति

⁶² 2022 एससीसी ऑनलाइन गौ 643।

⁶³ "54. उपर्युक्त के मद्देनजर, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में दिनांक 01.12.2011 की अधिसूचना द्वारा 'घरेलू उद्योग' की परिभाषा में लाया गया संशोधन 'घरेलू उद्योग' की संकल्पना में पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध उत्पादकों अथवा स्वयं आयातकों को शामिल करने के लिए प्राधिकारियों के विवेकाधिकार में आता है। लेकिन फिर से क्रमिक संशोधनों की प्रकृति और निहितार्थों के कारण, हमें यह समझना होगा कि इस तरह का विवेक एक पूर्ण विवेक नहीं हो सकता है, लेकिन मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित होने वाला एक परिस्थितिजन्य विवेक होगा।

⁶⁴ उपर्युक्त नोट 60 देखें।

36. फास्टन ग्रुप ने आरोप लगाया है कि यह आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) में परिकल्पित 50% आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा है क्योंकि समान वस्तु के गैर-आयातित घरेलू उत्पादकों ने जांच की शुरुआत के स्तर पर आवेदन पत्र का समर्थन नहीं किया। इसके संबंध में, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि किसी भी घरेलू उत्पादक ने इसके आवेदन पत्र का विरोध नहीं किया है और इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 100% घरेलू उत्पादकों ने इसके आवेदन पत्र का समर्थन किया है।

37. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3)(क) में निम्नलिखित निर्धारित है:

"(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन पत्र के अनुसार जांच तब तक शुरू नहीं करेंगे, जब तक कि -

(क) यह निर्धारित न हो कि समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए आवेदन पत्र के लिए समर्थन, अथवा विरोध की मात्रा की जांच के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से आवेदन किया गया है:

बशर्ते कि कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि घरेलू उत्पादक स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से कम आवेदन पत्र का समर्थन करते हैं, और

व्याख्या - इस नियम के प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा, यदि यह उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका सामूहिक उत्पादन आवेदन पत्र में समर्थन अथवा विरोध, जैसी भी स्थिति हो, व्यक्त करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक हो।"

38. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, व्याख्या के साथ पठित नियम 5(3)(क) दोहरी आवश्यकता दर्शाता है:

क. आवेदक (आवेदकों) को भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए; और

ख. आवेदन पत्र को कम से कम 50% ऐसे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित होना चाहिए जिन्होंने या तो आवेदन पत्र के लिए अपना समर्थन अथवा विरोध व्यक्त किया हो।

39. निम्नलिखित तालिका में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के आंकड़ों की गणना की गई है जैसा कि जांच की शुरुआत के स्तर पर माना गया था:

घरेलू उत्पादक	जांच की अवधि के दौरान उत्पादन (केएफकेएम)	पात्र भारतीय उत्पादकों का उत्पादन	पात्र घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा
बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्रा. लिमिटेड*	***	***	
कॉर्निंग इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	***	***	
स्टरलाइट इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	***	आयातक	
जेडटीटी	***	आयातक	
अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड	***	***	
फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज	***	***	
कुल	***	***	34%

तालिका घ 2

40. यह देखा जाता है कि कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा पात्र घरेलू उत्पादन के 25% से अधिक था। इस प्रकार, नियम 5(3)(क) में निर्धारित आवश्यकता का पहला अंग पूरा हो गया है।

41. दूसरी शर्त के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि केवल ऐसे घरेलू उत्पादकों की मात्रा को ध्यान में रखा जाना है जिन्होंने या तो आवेदन पत्र का समर्थन अथवा विरोध व्यक्त किया है। चूंकि अन्य पात्र उत्पादकों में से किसी ने भी जांच की शुरुआत के स्तर पर आवेदन पत्र का विरोध व्यक्त नहीं किया है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदन पत्र का 100% घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया था, जिन्होंने आवेदन पत्र के लिए या तो "समर्थन अथवा विरोध व्यक्त किया" है। इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के दूसरे अंग की अपेक्षा भी पूरी हो गई थी। यह भी नोट किया जाता है कि बाद में, आवेदन पत्र का कॉर्निंग इंडिया द्वारा भी समर्थन किया गया है।
42. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी अन्य घरेलू विनिर्माताओं के उत्पादन आंकड़ों तक पहुंच नहीं है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि स्टर्लाइट इंडिया के अलावा किसी भी अन्य भारतीय उत्पादक के पास भारत में प्रीफॉर्म (प्राथमिक कच्ची सामग्री जिसका प्रयोग संबद्ध सामानों के उत्पादन में होता है) विनिर्माण सुविधा नहीं है और इसलिए स्टर्लाइट इंडिया को छोड़कर सभी घरेलू विनिर्माता आयातित प्रीफॉर्म (जिसका उपयोग किसी अन्य ज्ञात प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है) से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते। तदनुसार, उनके द्वारा मानक उद्योग मानदंड अपनाकर कुल उद्योग उत्पादन का अनुमान लगाया गया है कि 1 किलो प्रीफॉर्म से लगभग 33.3 एफकेएम ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन होगा। तदनुसार, अक्ष ऑप्टिफाइबर और फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज के वास्तविक उत्पादन आंकड़ों के अभाव में, कुल भारतीय उत्पादन की एसएमओएफ के भारतीय उत्पादकों के प्रीफॉर्म आयात के आधार पर व्युत्पन्न उत्पादन से मिलाया गया है:

भारतीय विनिर्माता	जांच की अवधि		पात्र उत्पादन
	प्रीफॉर्म (000 कि. ग्रा.)	व्युत्पन्न एसएमओएफ (केएफकेएम)	प्रीफॉर्म आयात (केएफकेएम)
अक्ष ऑप्टिफाइबर	***	***	***
बिरला फुरुकावा लिमिटेड	***	***	***#
कॉर्निंग इंडिया	***	***	***#
फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज	***	***	***
एचएफसीएल लिमिटेड	***	***	##
स्टर्लाइट इंडिया	-	-	##
जेडटीटी	***	***	##
कुल जोड़	***	***	***
आवेदक का हिस्सा			27%

तालिका घ 3

#वास्तविक

##आयातक- अपात्र उत्पादक

43. यह देखा जाता है कि आवेदक का कुल पात्र घरेलू उत्पादन का 25% से अधिक हिस्सा है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि कॉर्निंग इंडिया ने आवेदक द्वारा पाटनरोधी आवेदन पत्र का समर्थन किया है और उस पर विचार करने के बाद आवेदन पत्र को भारत में ***% पात्र घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि यह आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी इस तर्क का समाधान करने में विफल रहे हैं कि घरेलू उत्पादकों, जिनके संबद्ध उत्पादक आयातक हैं, को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का सटीक आकलन करने और यह सुनिश्चित करने

के लिए कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध उत्पादक को कोई अनुचित लाभ नहीं होगा, ऐसा बहिष्करण आवश्यक है।⁶⁵

ख. घरेलू उद्योग के आधार के निर्धारण से संबंधित सूचना की गोपनीयता के कारण हितबद्ध पक्षकार उस पर अपनी टिप्पणियां नहीं दे सकते हैं।⁶⁶

घ.5 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

45. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. स्टर्लाइट इंडिया को एक "समर्थक" के रूप में एक कंपनी की मान्यता के लिए प्रदान किए जा रहे किसी न्यायिक विधान के अभाव में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के आधार पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। स्टर्लाइट इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का 2,692 एफकेएम आयात किया है जो कुल भारतीय मांग का लगभग 8-9% है।⁶⁷

ख. स्टर्लाइट इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान 'समान वस्तु' का 35,220 एफकेएम उत्पादन किया है और इस प्रकार भारत में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा विनिर्माता है। तदनुसार, स्टर्लाइट इंडिया को वर्तमान जांच में एक समर्थक के रूप में माना जाना चाहिए था।⁶⁸

ग. बीसीएल का आवेदक पर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है और न ही आवेदक इस तरह का नियंत्रण करता है। मात्र सामान्य शेयरधारिता को इस तथ्य के संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता है कि दोनों कंपनियां संबद्ध पक्षकार हैं।⁶⁹

घ.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. फास्टन ग्रुप ने आरोप लगाया है कि ऐसे घरेलू उत्पादकों, जिनके संबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है, को बाहर न करने से क्षति विश्लेषण की गलत तस्वीर सामने आएगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक के संबद्ध पक्षकारों में से एक बीसीएल ने भारत में कुल मांग के *** % के बराबर आयात किया है। इस तरह के आयात भारतीय मांग का एक नगण्य हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर पैरा 30 में उल्लेख किया गया है, गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी⁷⁰ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एक आयातक घरेलू उत्पादक को आयात करने वाले घरेलू उत्पादक के क्षेत्र से बाहर/शामिल करने के लिए अंतिम परीक्षण घरेलू उद्योग को ऐसे उत्पादक की प्रकृति का पता लगाना था। वर्तमान मामले के तथ्यपरक मैट्रिक्स में, भले ही आवेदक के एक संबद्ध पक्षकार ने संबद्ध सामानों का आयात किया हो, फिर भी आवेदक एक विनिर्माता बना हुआ है। अतः, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत आवेदक को पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में पुष्ट करते हैं।

47. फास्टन ग्रुप ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस सूचना के आधार पर घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित की गई है, उसके बारे में गोपनीयता के कारण इच्छुक पक्ष अपनी टिप्पणी नहीं दे पा रहे हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति किस आधार पर निर्धारित की गई है। हालांकि, प्रीफॉर्म आयात की सटीक मात्रा के प्रकटीकरण से व्यक्तिगत निर्माताओं के उत्पादन की मात्रा का खुलासा होगा क्योंकि प्रीफॉर्म से ऑप्टिकल फाइबर के रूपांतरण कारक ज्ञात हैं। व्यक्तिगत निर्माताओं के उत्पादन के आंकड़े, चाहे घरेलू या विदेशी, गोपनीय डेटा माना जाता है। इसलिए, ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है

⁶⁵ फास्टन ग्रुप की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के पैरा 11 - 13।

⁶⁶ फास्टन ग्रुप की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 15

⁶⁷ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के पैरा 2 - 3।

⁶⁸ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 4

⁶⁹ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 6

⁷⁰ उपर्युक्त नोट का पैरा 60 देखें।

48. आवेदक ने तर्क दिया है कि स्टरलाइट इंडिया को जांच के समर्थक के रूप में माना जाना चाहिए था और प्राधिकारी को इस पर ध्यान न देने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अंतर्गत प्रदान की गई परिभाषा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि स्टरलाइट इंडिया ने भारत में कुल मांग का केवल ***% बनाया है और इसने जांच की अवधि में *** एफकेएम का उत्पादन किया है जो स्टरलाइट इंडिया को भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि स्टरलाइट इंडिया ने पूरी क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की काफी मात्रा का आयात किया है। संबद्ध देशों से आयातों में इसका हिस्सा आधार वर्ष में लगभग ***%, 2019-20 में ***%, 2020-2021 में ***% और जांच की अवधि में ***% था। इसके अतिरिक्त, इस तरह के आयात भारत में मांग आपूर्ति अंतराल के कारण आवश्यक नहीं हैं, बल्कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के कैप्टिव खपत और निर्माण के लिए संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों से आयात किए गए हैं। अतः, फिर भी स्टरलाइट इंडिया ने संबद्ध सामानों का निर्माण किया है।
49. आवेदक ने बिड़ला केबल लिमिटेड को आवेदक के संबंधित पक्ष के रूप में प्राधिकरण के निर्धारण का विरोध किया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि एमपी बिड़ला समूह के पास बिड़ला केबल लिमिटेड में ***% हिस्सेदारी और आवेदक में ***% हिस्सेदारी है। इस प्रकार, इन दोनों संस्थाओं यानी बिड़ला केबल लिमिटेड और आवेदक को "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तीसरी इकाई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है" यानी, एमपी बिड़ला समूह। इसके अलावा, इन दोनों संस्थाओं का एक सामान्य अध्यक्ष है जो एमपी बिड़ला समूह के बोर्ड में भी है, दोनों संस्थाओं के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए निर्णायक स्थिति में है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि दोनों संस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तदनुसार, आवेदक के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

50. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी⁷¹ स्वतः पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता ग्रहण नहीं ले सकते हैं।⁷²
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई अगोपनीय सूचना में भारी कमी है क्योंकि स्टरलाइट इंडिया द्वारा दी गई सूचना व्यापार सूचना संख्या 13/2018 के अनुरूप नहीं है। इस मामले में किसी विशेष छूट अथवा रियायत की स्थिति में, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ऐसा करने के कारणों को स्पष्ट करें।⁷³
- ग. आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में मैसर्स टीएलसी लीगल के पक्ष में आवेदक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र शामिल नहीं है। इस आवेदन पत्र में व्यापार सूचना 05/2021 के अनुसार प्रपत्र X (कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक/भागीदार अथवा फर्म के स्वामी द्वारा प्रमाण पत्र) और प्रपत्र Y (प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा) भी शामिल नहीं है।⁷⁴
- घ. आवेदक ने बिना कोई न्यायोचित कारण बताए धारा-VI (लागत संबंधी सूचना) के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और यह आवेदन पत्र व्यापार सूचना संख्या 01/2013 के अनुरूप नहीं है।⁷⁵
- ड. आवेदक ने आवेदक के वार्षिक खातों और तुलना पत्र से संबंधित सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। व्यापार सूचना संख्या 01/2013 के पैरा (viii)⁷⁶ के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में कोई पक्षकार वार्षिक खातों और तुलन पत्रों के संबंध में गोपनीयता का दावा नहीं कर सकता है, यदि ऐसी सूचना या तो पहले से ही सार्वजनिक पटल पर

⁷¹(2006) 10 एससीसी 386।

⁷² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 25।

⁷³ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 4; फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 1।

⁷⁴ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 3।

⁷⁵ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 5।

⁷⁶ (viii) यदि संबद्ध देश के संगत कानून/नियमों के अनुसार प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार के वार्षिक खाते और तुलन पत्र सार्वजनिक पटल पर हैं अथवा निर्धारित प्राधिकारियों से जनता द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं, तो प्राधिकारी द्वारा उन्हें किसी भी परिस्थिति में गोपनीय नहीं माना जाएगा।

हो अथवा शुल्क के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती हो। चूंकि सार्वजनिक खाता और तुलन पत्र सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध होते हैं, अतः उनके किसी भी परिस्थिति में गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता है।⁷⁷

च. व्यापार सूचना 01/2013 के पैरा 4(iv)⁷⁸ के अनुसार, आवेदक साइबेक्स/सीआरयू आंकड़ों का दावा नहीं कर सकता है, जिनका उपयोग मांग को निर्धारित करने के लिए किया गया है, इस तथ्य को देखते हुए कि यह सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, गोपनीय है। पर्याप्त औचित्य के बिना सीआरयू रिपोर्ट को गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता।⁷⁹

छ. यूरोपीय संघ में डब्ल्यूटीओ पैनल - फुटवियर (चीन) ने माना था कि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 6.5.1 का उल्लंघन किया है क्योंकि वह सुनिश्चित करने में विफल रहा था कि उसके उत्पादकों ने दावों का एक पर्याप्त अगोपनीय सार प्रदान किया था अथवा एक कारण विवरण प्रदान किया था जिसमें यह बताया गया था कि संक्षेपण क्यों संभव नहीं था।⁸⁰

ज. आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में अपने उत्पादन प्रतिशत, कुल भारतीय उत्पादन, बाजार हिस्से और संबद्ध पक्षकारों द्वारा आयात की मात्रा के व्यौरे का प्रकटन नहीं किया है।⁸¹

झ. आवेदक ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार निम्नलिखित सूचना नहीं दी है:

क) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम।

ख) क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंड।

ग) अनुसंधान एवं विकास व्यय

घ) जुटाई गई निधियां: (क) इक्विटी (ख) ऋण और अग्रिम (ग) कार्यशील पूंजी (घ) अन्य, यदि कोई हो।

ड) क्षति रहित कीमत गणना।⁸²

ञ. आवेदक ने शुल्क प्रभाव की गणना का प्रकटन नहीं किया है।⁸³

ट. एक्सोटिक डेकोर प्रा. लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेसटेट ने पाया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी⁸⁴ को हितबद्ध पक्षकारों को आंकड़े उस रूप और तरीके से प्रदान करना चाहिए जो रिकॉर्ड में प्राप्त हुए थे।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. गोपनीयता के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध देशों के प्रतिभागी उत्पादकों और आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार उनके द्वारा निम्नलिखित सूचना नहीं दी गई है:

क) संबद्ध सामानों के उत्पादन, बिक्री और खरीद में शामिल संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना।

ख) यह सूचना निर्यात मात्रा, संबद्ध सामानों के मूल्य, उत्पादन प्रक्रिया और घरेलू बिक्री से संबंधित है।

⁷⁷ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 5।

⁷⁸ "(iv) वाणिज्यिक प्रतिबंधों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, उदाहरण के लिए, यदि सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है और शुल्क आदि का भुगतान करके किसी पक्षकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो आईबीआईएस जैसे निजी स्रोत से प्राप्त सूचना/आंकड़े गोपनीय नहीं माने जाएंगे और उन्हें प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को उसे देने वाले पक्षकार से उसके प्रकटन के लिए स्वीकार किए जाने से पूर्व अनुमति का पत्र प्रस्तुत करना होगा"

⁷⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 15, फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 13।

⁸⁰ पैरा 7.708, पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय संघ - चीन के कुछ फुटवियर संबंधी पाटनरोधी उपाय डब्ल्यूटीटी/डीएस405/आर (फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा ___; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 56)।

⁸¹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 13, 24, फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 53।

⁸² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 26, फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 54।

⁸³ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 24।

⁸⁴ 2020 एससीसी ऑनलाइन सेसटेट 119।

- ख. प्रतिभागी उत्पादकों ने उन संबद्ध पक्षकारों का भी प्रकटन नहीं किया है जिनके माध्यम से प्रतिभागी उत्पादकों ने भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।⁸⁵
- ग. इस दावे के संबंध में कि आवेदक ने प्रपत्र X और Y के साथ अपने कानूनी परामर्शदाताओं के पक्ष में प्राधिकार प्रस्तुत नहीं किया है, यह अनुरोध किया जाता है कि यही अनुरोध आवेदन पत्र की प्रारंभिक जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा किया गया है और निर्धारित प्रारूप के अनुसार पाया गया था।⁸⁶
- घ. आवेदक द्वारा किए गए अत्यधिक गोपनीयता संबंधी दावों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संगत सूचना को अगोपनीय रूपान्तर में प्रकट किया गया है। उत्पादन लागत, लाभप्रदता आदि से संबंधित सूचना गोपनीय होने का दावा किया गया है क्योंकि ऐसी सूचना व्यवसाय के प्रति संवेदनशील है।⁸⁷
- ङ. निर्यातक लागू शुल्क के भुगतान पर कंपनी रजिस्ट्रार से आवेदक कंपनी की वित्तीय सूचना प्राप्त कर सकते हैं।⁸⁸
- च. जहां तक सीआरयू इंटरनेशनल लिमिटेड और साइबेक्स से प्राप्त आंकड़ों के प्रकटन का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक ने शुल्क के भुगतान पर इसे प्राप्त किया है तथा सीआरयू और साइबेक्स के साथ क्रय करार के अनुसार, आवेदक को इस तरह के आंकड़ों को सार्वजनिक पटल पर साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।⁸⁹
- छ. आवेदक ने अपने अगोपनीय आवेदन पत्र के भाग के रूप में भारत के आयात आंकड़े, मांग और उत्पादन आंकड़ों का देश-वार सार प्रदान किया है।⁹⁰
- ज. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर दावों का विरोध करने वाली कोई तथ्यात्मक सूचना रिकॉर्ड में नहीं लाई है।⁹¹

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का हल नीचे दिया गया है।
53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोधों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:
- क) व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार पाटनरोधी आवेदन पत्र/प्रश्नावली के उत्तरों में सूचना का प्रकटन न करना।
- ख) आवेदक द्वारा साइबेक्स और सीआरयू से प्राप्त सूचना का प्रकटन न करना।
54. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:
- "गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

⁸⁵ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 64।

⁸⁶ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 13।

⁸⁷ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 18।

⁸⁸ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 18।

⁸⁹ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 19।

⁹⁰ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 19।

⁹¹ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 19।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।"

(i) व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार पाटनरोधी आवेदन पत्र/प्रश्नावली के उत्तर में सूचना का प्रकटन न करना।

55. फुटोंग ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने अपने प्रतिनिधियों के पक्ष में जारी किए गए प्राधिकार पत्र को आवेदक के अगोपनीय रूपांतर में प्रकट नहीं किया है। फुटोंग ने यह भी आरोप लगाया है कि आवेदक ने वार्षिक खातों और वित्तीय विवरणों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जबकि ऐसी सूचना सार्वजनिक पटल पर है। आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 से संबंधित अपने वित्तीय विवरणों का अगोपनीय रूपांतर भी साझा किया है।
56. फास्टन ने यह भी आरोप लगाया है कि आवेदक ने इसके उत्पादन प्रतिशत, भारतीय उत्पादन और आवेदक के संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए आयात की मात्रा के विवरण का प्रकटन नहीं किया है। इसके संबंध में, आवेदक ने दावा किया है कि उसने आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में सभी संगत सूचना का प्रकटन किया है।
57. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने खंड-VI में निहित निवेश, लागत और निवेश पर आय से संबंधित सूचना का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना प्रकृति में गोपनीय है और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने प्रपत्र X और Y तथा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम भी साझा किए हैं।
58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षमता उपयोग, आरएंडडी व्यय, जुटाई गई धनराशि आदि के लिए औसत उद्योग मानदंडों के संबंध में किए गए अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ऐसी सूचना अब आवेदन पत्र के प्रपत्र IV-बी का हिस्सा नहीं है। अतः, इसका अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
59. आवेदक के संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आयात के व्यौरे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी कंपनी द्वारा किए गए आयात की मात्रा वाणिज्यिक और व्यापार-संबंधित सूचना है। ऐसी सूचना के प्रकटन से कंपनी की कार्यनीति उसके प्रतिस्पर्धियों से प्रकट हो सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातकों द्वारा भारत में भेजे गए आयातों की अलग-अलग मात्रा को भी उसी स्तर पर गोपनीयता प्रदान की जाती है। अतः प्राधिकारी गोपनीय सूचना के रूप में इसकी पुष्टि करते हैं।
60. आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि फास्टन ग्रुप ने निर्यात के बिक्री चैनल और उसके द्वारा किए गए घरेलू लेन-देन का प्रकटन नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण जारी करने से पूर्व, फास्टन ग्रुप ने अपने बिक्री चैनल का विवरण परिचालित किया है।
61. आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि फुटोंग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि फुटोंग ने अपने संबद्ध पक्षकारों की सूची अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की है।

(ii) आवेदक द्वारा साइबेक्स और सीआरयू से प्राप्त सूचना का प्रकटन न करना।

62. फुटोंग और फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के भाग के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात आंकड़ों और उत्पादन के आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया है। इस संबंध में आवेदक से ऐसे आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न किया गया था। आवेदक ने क्रय करार की शर्तें प्रस्तुत की हैं। यह नोट किया जाता है कि सीआरयू खरीददारों को गोपनीय आधार पर आंकड़े देता है। करार की शर्तें विशेष रूप से निर्धारित करती हैं कि इस तरह के आंकड़ों की सामग्री को किसी अन्य पक्षकार के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि इस तरह के आंकड़ों का एक अगोपनीय रूपांतर आवेदक द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों में पहले ही परिचालित किया जा चुका है। इस प्रकार, इस संदर्भ में फास्टन ग्रुप और फुटोंग द्वारा किए गए अनुरोध औचित्यपूर्ण नहीं पाए गए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकार इसी तरह के अलग-अलग करार करके उक्त आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
63. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए साइबेक्स आंकड़ों के संबंध में फुटोंग और फास्टन ग्रुप ने भी इसी तरह के अनुरोध किए हैं। साइबेक्स के साथ आवेदक के क्रय करार में भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस तरह के आंकड़ों को गोपनीय आधार पर आवेदक को प्रदान किया गया है और इसलिए, आवेदक इसे सार्वजनिक पटल पर साझा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, इस संदर्भ में फास्टन ग्रुप और फुटोंग द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य हितबद्ध पक्षकार इसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

64. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई अन्य सूचना/आंकड़ों के संबंध में, ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में उसकी जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर साझा करने के लिए ऐसे पक्षकारों को निर्देश देकर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

ड.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

65. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अगोपनीय सार और सूचीकरण प्रदान नहीं किया है जो व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन है।⁹²

ड.5 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

66. घरेलू उद्योग ने सूचना की गोपनीयता के संबंध में कोई प्रकटन पश्चात टिप्पणी नहीं की है।

ड.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

67. फास्टन ग्रुप ने आरोप लगाया है कि आवेदक ने सूचीकरण प्रदान नहीं किया है और आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों के पैरा 54 - 63 में सुनवाई के बाद लिखित और प्रत्युत्तर अनुरोधों के माध्यम से फास्टन ग्रुप और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की विशिष्ट जांच की है। किसी विशेष सूचना की गोपनीयता के संबंध में किसी विशेष मुद्दे को दर्शाए बिना फास्टन ग्रुप द्वारा की गई टिप्पणी सामान्य प्रकृति की है। उसी के मद्देनजर, प्राधिकारी व्यापार सूचना 10/2018 के साथ असंगति के दावों की जांच करने में सक्षम नहीं हैं। जहाँ तक संबंधित सूचना के सूचीकरण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यह आवेदक द्वारा प्रदान की गई थी।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

68. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।⁹³

ख. डब्ल्यूटीओ में चीन जन. गण. के अभिगम नयाचार का पैरा 15 (घ) चीन के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के 15 वर्ष बाद अर्थात् 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने के लिए निर्धारित किया गया था और उसके बाद, डब्ल्यूटीओ के सदस्य स्टेट्स चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने के लिए बाध्य हैं। उपर्युक्त तिथि के बाद, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों को उनके घरेलू कानूनों के अंतर्गत स्तर का ध्यान न रखते हुए, उनकी कीमतों और लागतों के आधार पर चीन जन. गण. से उत्पादकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करना होता है। इस व्याख्या को ईसी - फास्टनरों^{94 95} में अपीलीय निकाय द्वारा भी सही ठहराया गया है।

ग. आवेदक ने उत्पादन की अपनी लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने से पूर्व पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध पद्धतियों की अवहेलना करने के लिए औचित्य प्रदान नहीं किया है।⁹⁶

⁹² फास्टन ग्रुप की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 16

⁹³ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 31।

⁹⁴ पैरा 289, अपीलीय निकाय रिपोर्ट, यूरोपीय समुदाय - चीन से कुछ आयरन अथवा स्टील फास्टनरों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय डब्ल्यूटी/डीएस/एबी/आर (12 फरवरी, 2016 को अपनाया गया)।

⁹⁵ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 13।

⁹⁶ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 31।

- घ. प्राधिकारी को अन्य संबद्ध बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. से निर्यातकों के सामान्य मूल्य की गणना करनी चाहिए। ऐसा करते समय, प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उचित तुलना करने के लिए कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखना चाहिए।⁹⁷
- ड. निर्यात कीमत की गणना में आवेदक द्वारा दावा किया गया समायोजन अनुचित है और प्राधिकारी से इसे सत्यापित करने का अनुरोध किया जाता है।⁹⁸
- च. फास्टन ग्रुप की निर्यात कीमत और पहुंच कीमत की गणना कीमतों और रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए।⁹⁹
- छ. आवेदक ने ग्राहकों को आयात-पश्चात् छूट अथवा लंबी क्रेडिट अवधि के अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। आवेदक ने संबद्ध सामानों के अधिक मूल्यांकन से संबंधित अपने आरोप के लिए साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया है।¹⁰⁰

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

69. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह अनुरोध किया जाता है कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण चीन जन. गण. में काफी कीमत वृद्धि है। चीन से किसी भी प्रतिभागी उत्पादक ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं।¹⁰¹
- ख. ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो विचाराधीन उत्पाद का एक निचले स्तर का उत्पाद है, के संबंध में हाल ही में संपन्न जांच में यूरोपीय आयोग ने उल्लेख किया है कि चीन जन. गण. में ऑप्टिकल फाइबर केबल का बाजार पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित है।¹⁰²
- ग. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों¹⁰³ से संबद्ध सामानों का अत्यधिक पाटन हुआ है जिसके कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है और परिणामस्वरूप यह लाभदायक बिक्री करने में सक्षम नहीं हो पाया है।¹⁰⁴
- घ. यह अनुरोध है कि मौखिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने दावा किया था कि स्टर्लाइट इंडिया द्वारा अपने संयुक्त उद्यम स्टर्लाइट चाइना के माध्यम से किए गए आयात की क्षति रहित कीमत पर थे। यह नहीं दर्शाता कि अन्य निर्यातकों के माध्यम से स्टर्लाइट द्वारा किए गए आयात उचित कीमतों पर थे और यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते कि स्टर्लाइट चाइना ने भी भारत में निर्यात पाटित किए हैं, तो उन्हें समुचित कार्रवाई करनी चाहिए थी।¹⁰⁵
- ड. यह अनुरोध है कि प्रत्येक संबद्ध देश से निर्यात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है।¹⁰⁶
- च. फुटोंग के संबद्ध पक्षकारों¹⁰⁷ ने अपनी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की गई है।¹⁰⁸ प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या ऐसी कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है।¹⁰⁹

⁹⁷ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 32।

⁹⁸ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 7।

⁹⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोधों के पैरा 4, 33।

¹⁰⁰ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 41।

¹⁰¹ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 20।

¹⁰² बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध के पैरा 20 - 21।

¹⁰³ कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 16।

¹⁰⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 33।

¹⁰⁵ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 3।

¹⁰⁶ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 5।

¹⁰⁷ कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं-

क. फूटोंग सुमितोमो (जियाशान) जियाक्सिंग

ख. शिनमाओ तियानजिन

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

70. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच यहां नीचे की गई है।
71. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोधों के भाग के रूप में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:
- क. चीन का बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार
- ख. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन।
- ग. फुटोंग, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण।
- घ. फास्टन ग्रुप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण।
- ङ. स्टर्लाइट चाइना, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण।
- च. उत्पादकों की अवशिष्ट श्रेणी, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण
- छ. उत्पादकों की अवशिष्ट श्रेणी, कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण।
- ज. इंडोनेशिया के उत्पादकों की अवशिष्ट श्रेणी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण।

(i) चीन का बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

72. यह नोट किया जाता है कि फुटोंग और फास्टन ग्रुप दोनों ने चीन जन. गण. को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने का तर्क दिया है। यह तर्क इस आधार पर आधारित है कि 11 दिसंबर, 2016 को चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (ii) की समाप्ति के साथ, भारत सहित, डब्ल्यूटीओ सदस्य, चीन जन. गण. को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने के लिए बाध्य हैं। फुटोंग ने डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय रिपोर्ट में ईसी - फास्टनरो¹¹⁰ पर विश्वास किया है ताकि इसे प्रमाणित किया जा सके।
73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईसी - फास्टनर में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर फुटोंग की निर्भरता गलत है। उस विवाद में अपीलीय निकाय के समक्ष प्रश्न सामान्य मूल्य के परिकलन से संबंधित नहीं था बल्कि निर्यात कीमत के परिकलन से संबंधित था।¹¹¹
74. चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:
- "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:*
- (क) *जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के अंतर्गत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:*

- ग. सुमितोमो-फुटोंग एसएफएफ (हांगजो)
- घ. फुटोंग शिनमाओ (चेंगदू)
- ङ. शिनमाओ जिनान
- च. फुटोंग-चेंगदू

¹⁰⁸ कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 25; कॉर्निंग इंडिया के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 14।

¹⁰⁹ कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 26।

¹¹⁰ उपर्युक्त नोट 90 देखें।

¹¹¹ "288. हम यह नहीं मानते हैं कि पैरा 15(क)(i) और (ii) में संदर्भ उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कि "बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रचलित है ... किसी उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में" का अर्थ है कि पैरा 15(क) निर्यात कीमतों के निर्धारण के संबंध में किसी भी अवमानना की भी अनुमति देता है। हम इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचते हैं, क्योंकि जब उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं होते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं (उत्पाद की बिक्री के संबंध में), तो पैरा 15(क) यह स्पष्ट करता है कि सभी आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को उस सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए "एक परिणाम रूप में अनुमति है जो चीन में घरेलू कीमतों और लागतों की सख्त तुलना के आधार पर है"। (जोर दिया गया)।

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सव्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

75. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन जन. गण. का व्यवहार केवल अनुच्छेद 15 (क) (ii) से उत्पन्न नहीं होता है, जिसे फुटोंग ने 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने का दावा किया है, बल्कि अनुच्छेद 15 के शेष पाठ, अर्थात्, उप-पैरा (क), साथ ही गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 में निर्धारित व्यापक नियम से भी निकलता है। इन प्रावधानों के लागू होने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रस्तुत करके अतिरिक्त सूचना/आंकड़े देने होते हैं। इसके अभाव में, प्राधिकारी चीन जन. गण. से उत्पादकों के सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों का सहारा लेंगे।

76. वर्तमान जांच में, चीन जन. गण. के तीन उत्पादकों - फुटोंग, फास्टन ग्रुप और स्टरलाइट चाइना ने जांच में भाग लिया है। किसी भी विनिर्माता ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।¹¹² तदनुसार, चीन जन. गण. के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

(ii) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन।

77. आवेदक ने चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का परिकलन इसकी उत्पादन लागत और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के आधार पर किया है। फास्टन ग्रुप ने तर्क दिया है कि आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध अन्य पद्धतियों की अवहेलना के लिए औचित्य प्रदान नहीं किया है। सत्यापन के दौरान, आवेदक के समक्ष प्रश्न रखा गया था। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि निर्मित सामान्य मूल्य का उपयोग किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था में संबद्ध सामानों की कीमत के संबंध में सूचना के रूप में किया गया है जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से संबद्ध आयातों की कम मात्रा के कारण, अन्य देशों से भारत को निर्यात कीमतों को भी प्रतिनिधिकारक नहीं माना जा सकता है।

¹¹² फुटोंग और फास्टन ग्रुप की प्रश्नावली के उत्तर का भाग III खंड I प्रश्न 1 देखें।

78. फास्टन ग्रुप ने सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए अन्य संबद्ध देशों के उत्पादकों की उत्पादन लागत का उपयोग करने का तर्क दिया है। यह नोट किया जाता है कि अन्य संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी के पास बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमतों से संबंधित आंकड़े नहीं हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन पर विचार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को देखते हुए कि विचाराधीन उत्पाद में तीसरे देश से समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण निर्यात कीमत नहीं है, सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, गैर-संबद्ध देशों से आयात की मात्रा भी न्यूनतम स्तर से कम है। अतः, तीसरे देशों से ऐसी निर्यात कीमत को भारत में कीमत के लिए भी सामान्य मूल्य की गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- (iii) **फुटोंग, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**
79. घरेलू उद्योग के साथ-साथ समर्थक ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे फुटोंग के संबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
80. अपनी प्रारंभिक प्रश्नावली के उत्तर में, फुटोंग ने केवल 18 संबद्ध पक्षकारों के नाम प्रदान किए थे। जांच दल ने 27 जनवरी, 2023 को एक ईमेल के माध्यम से फुटोंग के संबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई गतिविधियों की सूची मांगी। इसके उत्तर में, फुटोंग ने अपने संबद्ध पक्षकारों की एक संशोधित सूची प्रदान की जो संख्या में बढ़कर 51 हो गई। यह नोट किया जाता है कि कुछ कंपनियों के नाम, यथा चेन्दू फुटोंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, फुटोंग ग्रुप (जियाशान) कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, हांगजो एसईआई-फुटोंग ऑप्टिकल फाइबर कं, लिमिटेड, टियांजिन एसईआई- फुटोंग ऑप्टिकल फाइबर कं, लिमिटेड, ट्रांसटेक ऑप्टिकल संचार कंपनी लिमिटेड, फुटोंग ऑप्टिकल फाइबर और केबल (चेंगदू) कं, लिमिटेड, फुटोंग सुमितोमो (जियाशान) जियाक्सिंग कं, लिमिटेड और जियाक्सिंग फुटोंग समूह कं, लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में शामिल थे, मूल प्रश्नावली के उत्तर के भाग नहीं थे।
81. इस सूची के संशोधन के संबंध में सत्यापन के दौरान फुटोंग द्वारा प्रदान किया गया औचित्य यह था कि फुटोंग द्वारा सूची में जोड़े गए बाद के पक्षकार अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध थे और इसलिए, उनके नाम प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के स्तर पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
82. फुटोंग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में अपने संयुक्त उद्यमों अथवा अपने संबद्ध पक्षकारों से कच्ची सामग्री की खरीद के बारे में भी स्पष्ट नहीं किया था।
83. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उजागर किए गए उपर्युक्त मुद्दे केवल फुटोंग के सामान्य मूल्य को प्रभावित करते हैं। फुटोंग चीन जन. गण. से बाहर स्थित एक उत्पादक है और चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों के लिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्मित करते हैं, जब तक कि विशिष्ट निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रदान नहीं करते हैं कि वह बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर प्रचालन कर रहा है। वर्तमान जांच में यह नोट किया जाता है कि फुटोंग ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए अनुरोध नहीं किया है। अतः, प्राधिकारी ने फुटोंग द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य को नहीं अपनाया है और इसके बजाय पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

सामान्य मूल्य का परिकलन

84. सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा VII में निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत" के अनुसार किया गया है। सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत का परिकलन

85. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि फुटोंग चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है। फुटोंग ने जांच की अवधि के दौरान भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामानों का *** एफकेएम निर्यात किया है। फुटोंग ने आवश्यक प्रपत्र और तरीके में संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक प्रभार, बंदरगाह और अन्य खर्चों तथा क्रेडिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने फुटोंग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया है और फुटोंग के दावों की जांच की है और तदनुसार, दावों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, फुटोंग के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजन की अनुमति देने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

(iv) फास्टन ग्रुप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**सामान्य मूल्य का परिकलन**

86. सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा VII में निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत" के अनुसार किया गया है। सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत का परिकलन

87. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फास्टन ग्रुप में पांच कंपनियां शामिल हैं जिनमें एक उत्पादक जियांगसू फास्टन फोटोनिक्स कंपनी लिमिटेड और एक निर्यातक फास्टन ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपो. कं. लि. शामिल हैं। शेष कंपनियां, नामतः जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल केबल कंपनी लिमिटेड, पोटेवियो फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड और जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड संबद्ध सामानों की घरेलू तथा निर्यात बिक्री में शामिल व्यापारी हैं। फास्टन ग्रुप ने दो अलग-अलग बिक्री प्रक्रियाओं - सामान्य व्यापार और प्रसंस्करण व्यापार के अंतर्गत भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
88. प्रसंस्करण व्यापार के अंतर्गत जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड केवल जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड से खरीदी गई कच्ची सामग्री (प्रीफॉर्म) को जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड के लिए विचाराधीन उत्पाद में प्रसंस्कृत करता है। जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद को आगे फास्टन ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपो. कं. लि. को बेचती है जो तब भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों का निर्यात करती है।
89. सामान्य व्यापार के अंतर्गत जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड संबद्ध सामानों का निर्माण करती है और आगे उन्हें पोटेवियो फास्टन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड और जियांगसू फास्टन ऑप्टिकल केबल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से फास्टन ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. को बेचती है, जो फिर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों का निर्यात करती है।
90. फास्टन ग्रुप ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** एफकेएम निर्यात किया है। फास्टन ग्रुप ने आवश्यक स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दी है, और समुद्री भाड़ा, हवाई भाड़ा (कुछ लेनदेन में), समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक प्रभार, पैकिंग लागत और क्रेडिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने फास्टन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया और फास्टन ग्रुप के दावों की जांच की तथा तदनुसार दावों की अनुमति दी गई। तदनुसार, फास्टन ग्रुप के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजन की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

(v) स्टर्लाइट चाइना, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**सामान्य मूल्य का परिकलन**

91. सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा VII में निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत" के अनुसार किया गया है। सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत का परिकलन

92. निर्यातक प्रश्नावली के जवाब में दी गई जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण ने नोट किया कि स्टर्लाइट चीन ने भारत में अपनी संबंधित इकाई, स्टर्लाइट इंडिया को *** एफकेएम का निर्यात किया है। उन्होंने आवश्यक रूप और तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है, और महासागर माल ढुलाई (बंदरगाह और अन्य खर्च शामिल), बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने स्टर्लाइट चीन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के डेस्क सत्यापन के दौरान किए गए दावों का सत्यापन किया है और तदनुसार उन्हें अनुमति दी है। स्टर्लाइट चीन के लिए डंपिंग मार्जिन को पोस्ट-डिस्कलोजर स्टेज पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद फिर से निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे पैराग्राफ 104 - 108 में समझाया गया है। तदनुसार, स्टर्लाइट चीन के लिए पूर्व-कारखाने के स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य उचित समायोजन की अनुमति देने के बाद निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

(vi) चीन जन. गण. से अन्य सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

93. चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

(vii) कोरिया गणराज्य के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। कोरिया गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी कोरिया गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए विवश हैं।

95. अतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर कोरिया गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ उचित लाभ के साथ समायोजित किया गया है। कोरिया गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

96. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित की गई निर्यात कीमत नीचे उल्लिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

(viii) इंडोनेशिया के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए विवश हैं।

98. अतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ उचित लाभ के साथ समायोजित किया गया है। इंडोनेशिया के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

99. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित की गई निर्यात कीमत नीचे उल्लिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

च.3.2 पाटन मार्जिन

100. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका						
क्रम सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य (₹/एफकेएम)	निवल निर्यात कीमत (₹/एफकेएम)	पाटन मार्जिन (₹/एफकेएम)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.						
1.	हांगजो फुटोंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10 – 20
2.	जियांगसू फास्टन फोटोनिक्स कं.,	***	***	***	***	20 – 30

	लिमिटेड					
3.	जियांगसू स्टरलाइट टोंगगुआंग फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20 – 30
कोरिया गणराज्य						
1.	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	20 -30
इंडोनेशिया						
2.	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	20 -30

तालिका च1

च.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

101. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- क. स्टरलाइट चाइना, स्टरलाइट इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है और तदनुसार इसका नाम जियांगसू स्टरलाइट टोंगगुआंग फाइबर कं. लि. से बदलकर जियांगसू स्टरलाइट फाइबर टेक्नोलॉजी कं. लि. कर दिया गया है। कंपनी अब चीन जन. गण. में पंजीकृत एक सीमित देयता कंपनी है।¹¹³ इस परिवर्तन का प्राधिकारी द्वारा पाटन के निर्धारण और मार्जिन के परिकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच में सभी उद्देश्यों के लिए उस पर विचार करें।¹¹⁴
- ख. स्टरलाइट चाइना¹¹⁵ को निम्नलिखित कारणों से शुल्क की अलग दर नहीं दी जानी चाहिए:
- स्टरलाइट चाइना, स्टरलाइट इंडिया की संबद्ध कंपनी है और इसका पूर्ण स्वामित्व स्टरलाइट इंडिया के पास है। स्टरलाइट इंडिया ने प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। स्टरलाइट इंडिया एक प्रयोक्ता है और उसे प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर करना चाहिए था।¹¹⁶ तथापि, स्टरलाइट इंडिया ने केवल समर्थक पत्र दायर किया है और स्टरलाइट इंडिया द्वारा कोई विस्तृत सूचना दायर नहीं की गई है, जैसा कि प्रकटन विवरण की तालिका बी2 में उल्लिखित सूचना से स्पष्ट है।¹¹⁷
 - स्टरलाइट इंडिया ने भारत में कुल आयात का 30% से अधिक आयात किया है और इसीलिए, इसे आयात से संबंधित सूचना प्रदान करनी चाहिए ताकि प्राधिकारी निर्यात मूल्य, पहुंच मूल्य आदि से संबंधित सूचना का आकलन कर सकें।¹¹⁸
 - मूल्य श्रृंखला के बारे में पूरी सूचना का विश्लेषण करना डीजीटीआर की सतत् परिपाटी रही है¹¹⁹ और उन्होंने इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील¹²⁰ के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में भी ऐसा ही किया था। उस मामले में,

¹¹³ स्टरलाइट चाइना की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 2

¹¹⁴ स्टरलाइट चाइना की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 2

¹¹⁵ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 6

¹¹⁶ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 1-2

¹¹⁷ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 3

¹¹⁸ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 4

¹¹⁹ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 4

¹²⁰ मामला संख्या एडी (ओआई) - 07/21: कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से "इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

प्राधिकारी ने अंतिम प्रयोक्ता का सत्यापन किया था और यह निर्धारित किया था कि तैयार उत्पाद हानि पर बेचे गए थे और निर्यातक की निर्यात कीमत का परिकलन ऐसी हानियों को ध्यान में रखने के बाद किया गया था।¹²¹

- iv. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने ऐसा सत्यापन नहीं किया है।¹²² इसके अतिरिक्त, स्टरलाइट इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि स्टरलाइट इंडिया को जांच की अवधि में हानियां हुई हैं जो स्टरलाइट इंडिया से संबंधित सूचना की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करता है।
- v. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क (ख) में यह अपेक्षित है कि प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के कारण संबद्ध पक्षकार लेनदेन के कारण अविश्वसनीय निर्यात कीमत के मामले में, प्राधिकारी को उस कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्माण करना चाहिए, जिस पर स्वतंत्र खरीदार के लिए आयातित सामानों को पहली बार दोबारा बेचा जाता है।¹²³ वर्तमान मामले में, अन्य निर्यातकों की तुलना में स्टरलाइट चाइना की स्टरलाइट इंडिया के लिए निर्यात कीमत बहुत अधिक कीमत पर है, जो दर्शाता है कि स्टरलाइट इंडिया और स्टरलाइट चाइना के बीच एक प्रतिपूर्ति व्यवस्था है।¹²⁴
- vi. प्राधिकारी को स्टरलाइट इंडिया की ओर से स्टरलाइट चाइना द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टरलाइट चाइना ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। परिशिष्ट - ए / बी / सी के अंतर्गत अपेक्षित कोई प्रमाण पत्र व्यापार सूचना के अंतर्गत आवश्यक के रूप में अंतिम प्रयोक्ता द्वारा दायर नहीं किया गया है।¹²⁵
- vii. प्राधिकारी को केवल घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत लेने के बजाय अन्य संबद्ध बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार करना चाहिए, न कि आवेदक द्वारा प्रदान किए गए परिकलनों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।¹²⁶

च.5 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

102. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- क. प्रकटन विवरण में यह नोट किया जाता है कि फुटोंग ने उन 51 संबद्ध कंपनियों के नामों का प्रकटन नहीं किया था जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थीं। इसे असावधानीवश हुई गलती नहीं माना जा सकता और इसे जानबूझकर फुटोंग द्वारा दबा दिया गया था और अगर प्राधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया होता तो इसका प्रकटन नहीं किया जाता।¹²⁷
- ख. प्रकटन विवरण के अनुसार, फुटोंग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी कंपनियों के नामों का प्रकटन नहीं किया गया था क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध थीं। इस संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 "प्रत्यक्ष" अथवा "अप्रत्यक्ष रूप से" संबद्ध कंपनियों के संबंध में ऐसा कोई भेद नहीं करती है। यदि संबद्ध कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/निर्यात में लगी हैं, तो ऐसी कंपनियों के नामों का प्रकटन किया ही जाना चाहिए। अतः आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे फुटोंग के प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करें और वर्तमान जांच में इसे असहयोगी घोषित करें।¹²⁸

¹²¹ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 5

¹²² फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 4

¹²³ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 2

¹²⁴ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 5

¹²⁵ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 6

¹²⁶ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों के पैरा 19-20

¹²⁷ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 7

¹²⁸ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 8

ग. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में स्पष्ट रूप से उन सभी संबद्ध कंपनियों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है जो संबद्ध सामानों के उत्पादन अथवा संबद्ध सामानों की बिक्री में शामिल हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा कर रहा है अथवा नहीं। अतः, फुटोंग द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तर में सभी तथ्यों का प्रकटन न करने से उत्तर त्रुटिपूर्ण हो जाता है और तदनुसार, प्राधिकारी को उक्त उत्तर को अस्वीकार कर देना चाहिए।¹²⁹

च.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

103. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

- I. स्टरलाइट चीन की प्रश्नावली प्रतिक्रिया की अस्वीकृति।
- II. फुटोंग की प्रश्नावली प्रतिक्रिया की अस्वीकृति।
- III. अन्य बाजार अर्थव्यवस्था संबद्ध देशों से उत्पादन सूचना की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण।

104. फुटोंग ने स्टरलाइट चाइना को व्यक्तिगत शुल्क देने के प्राधिकारी के प्रस्तावित निर्धारण का इस आधार पर विरोध किया है कि भारत में स्टरलाइट चाइना की संबद्ध पक्षकार, स्टरलाइट इंडिया, ने प्रश्नावली के उत्तर के भाग IV के अंतर्गत अपेक्षित उपयुक्त सूचना दायर नहीं की है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि स्टरलाइट इंडिया की संबद्ध पक्षकार स्टरलाइट चाइना ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर के एक भाग के रूप में, स्टरलाइट इंडिया के भाग IV के अंतर्गत अपेक्षित सूचना प्रदान की है। स्टरलाइट चाइना द्वारा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर के भाग IV में प्रदान की गई सूचना को जांचकर्ता दल द्वारा सत्यापित किया गया है और स्टरलाइट इंडिया ने स्टरलाइट चाइना के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के भाग IV में प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
105. यह नोट किया जाता है कि जब तक प्राधिकारी को संगत सूचना प्राप्त होती है और ऐसी सूचना को बाद में संगत कंपनी के उपयुक्त दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित किया जा सके, प्रश्नावली के उत्तर की अस्वीकृति पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत निहित सिद्धांत के विपरीत होगी। स्टरलाइट चाइना द्वारा प्रदान की गई भाग IV की सूचना जिसे बाद में स्टरलाइट इंडिया द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि के बिलों के माध्यम से सत्यापित किया गया था, निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त थी। अतः, वह स्टरलाइट चाइना के प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।
106. फुटोंग ने स्टरलाइट चाइना को व्यक्तिगत शुल्क देने के संबंध में प्राधिकारी के निर्धारण का इस आधार पर विरोध किया है कि स्टरलाइट इंडिया को प्रश्नावली के उत्तर के भाग IV (जो स्टरलाइट इंडिया की ओर से स्टरलाइट चाइना द्वारा दायर की गई थी) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना के बजाय प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर करना चाहिए था। फुटोंग ने यह भी उल्लेख किया है कि स्टरलाइट चाइना और स्टरलाइट इंडिया के बीच संबद्ध पक्षकार आयातों की उच्च निर्यात कीमत इस तथ्य का संकेत है कि दोनों कंपनियों के बीच कुछ प्रतिपूरक व्यवस्था है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टरलाइट चाइना और स्टरलाइट इंडिया को अंतिम उत्पाद अर्थात् ऑप्टिकल फाइबर केबल में विचाराधीन उत्पाद के उपयोग से संबंधित लाभप्रदता विवरण और सूचना दायर करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि स्टरलाइट इंडिया विचाराधीन उत्पाद का पुनर्विक्रय नहीं करती है। यह प्राधिकारी को प्रदान किया गया है और इसीलिए, स्टरलाइट इंडिया के प्रश्नावली के उत्तर को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
107. फुटोंग ने यह भी तर्क दिया है कि स्टरलाइट इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, स्टरलाइट इंडिया घाटे में प्रचालन कर रही है। तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी हानियों को दर्शाने के लिए उचित समायोजन किया जाना चाहिए था जैसा कि पिछली जांचों में किया गया था।¹³⁰ इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जांचकर्ता दल ने अंतिम उत्पाद की लाभप्रदता का सत्यापन किया है और यह पाया है कि स्टरलाइट इंडिया ने ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षेत्र में जांच की अवधि में *** प्रतिशत समग्र लाभप्रदता हासिल की है।

¹²⁹ कॉर्निंग इंडिया की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 17

¹³⁰ उपर्युक्त नोट 120 देखें।

108. फुटोंग ने स्टर्लाइट चीन के निर्यात मूल्य की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है और तर्क दिया है कि स्टर्लाइट चीन और स्टर्लाइट इंडिया के बीच एक प्रतिपूरक व्यवस्था मौजूद है। प्राधिकरण ने स्टर्लाइट इंडिया द्वारा किए गए आयात के सीआईएफ मूल्य की तुलना की है और यह पाया गया कि संबंधित पार्टी आयात और अन्य असंबंधित पक्षों के माध्यम से बेचे जाने वाले पीयूसी के सीआईएफ मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है, जो संबंधित पार्टी लेनदेन की सीआईएफ कीमत को संदिग्ध बनाता है। इसलिए, प्राधिकरण ने निवल निर्यात मूल्य की गणना के लिए इस पर विचार नहीं किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने स्टर्लाइट इंडिया द्वारा असंबंधित पक्षों के माध्यम से चीन से किए गए आयातों के भारित औसत सीआईएफ मूल्य के आधार पर निवल निर्यात मूल्य के साथ-साथ लैंडेड मूल्य का निर्माण किया है। स्टर्लाइट चीन द्वारा किए गए दावे के अनुसार सभी समायोजन तदनुसार समायोजित किए गए हैं। तदनुसार, स्टर्लाइट चीन के डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन को संशोधित किया गया है।
109. आवेदक तथा समर्थक ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (8) के अनुसार अपने संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना के गैर-प्रकटन के आधार पर फुटोंग के प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है। यह नोट किया जाता है कि न तो पाटनरोधी डब्ल्यूटीओ करार और न ही पाटनरोधी नियमावली, 1995 से यह मानते हैं कि गैर-प्रकटन के प्रत्येक कार्य से हितबद्ध पक्षकार के संपूर्ण प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। वास्तव में, प्रत्येक स्थिति में यह मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह के गैर-प्रकटन का शेष सूचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे प्रश्न के अंतर्गत सूचना से संबंधित प्रस्तुत न करने अथवा सहयोग न करने से हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर शेष सूचना बेकार हो जाएगी। जहां वह सूचना जिसकी सत्यता सवालों के घेरे में है, गलत साबित होती है अथवा ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जाता है और ऐसी सूचना उत्तर के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि बाकी अनुरोध अर्थहीन हो जाएगा, तो ऐसे परिदृश्य में, प्रश्नावली का उत्तर पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में, असहयोग अथवा सूचना के गैर-प्रकटन को आनुपातिक रूप से निपटाया जाना होता है।
110. जैसा कि पीयूसी के उत्पादन में शामिल कुछ संबंधित पक्षों से संबंधित जानकारी के प्रारंभिक गैर-प्रकटीकरण के बारे में प्रकटीकरण बयान में उल्लेख किया गया है, यह ध्यान दिया जाता है कि संबंधित कंपनियों में से कोई भी पीयूसी के उत्पादन में शामिल नहीं थी जिसे भारत को निर्यात किया गया था। इसलिए, केवल इस आधार पर पूरी प्रश्नावली को अस्वीकार करना असंगत होगा। तदनुसार, आवेदक और समर्थक द्वारा उठाए गए विवाद को स्वीकार नहीं किया जाता है।
111. फास्टन ग्रुप ने यह निवेदन किया है कि प्राधिकारी को अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले संबद्ध देशों के संबंध में सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि ऊपर पैरा 78 में कहा गया है, ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी ऐसी पद्धति का सहारा लेकर सामान्य मूल्य की गणना नहीं कर सके।
- छ. क्षति के मूल्यांकन की पद्धति और कारणात्मक संपर्क की जांच**
112. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
113. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैरा में घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।
- छ.। संचयी मूल्यांकन**
- छ.।.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**
114. संबद्ध देशों से आयातों के संचयी मूल्यांकन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. इस तथ्य को देखते हुए कि चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य की तुलना में अधिक है, चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।¹³¹
- ख. चीन जन. गण. से आयात कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से आयात के साथ संचयी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां उपयुक्त नहीं हैं।¹³² चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में 16% तक वृद्धि हुई जबकि इंडोनेशिया से आयातों में 86488% और कोरिया गणराज्य से 75% तक वृद्धि हुई।¹³³
- ग. 1 जुलाई, 2019 से, चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है जबकि इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य के मामले में, उनके संबंधित मुक्त व्यापार करारों के कारण मूल सीमा शुल्क शून्य है।¹³⁴
- घ. आवेदन पत्र के अनुसार चीन जन. गण. से कीमत कटौती नकारात्मक है और चीन जन. गण. का पहुंच मूल्य कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से अधिक है।¹³⁵
- ङ. अन्य संबद्ध देशों से आयातों की वृद्धि दर चीन जन. गण. की तुलना में बहुत अधिक है।¹³⁶

छ.1.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. संबद्ध देशों से आयातों के संचयी विश्लेषण के संबंध में आवेदक और समर्थक द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात एक दूसरे और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के समान हैं। उक्त आयात परस्पर तथा आवेदक द्वारा उत्पादित सामानों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः, प्राधिकारी को ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना चाहिए ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सही तस्वीर मिल सके।¹³⁷
- ख. पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राधिकारी को एक संचयी मूल्यांकन करने से पूर्व एक देश-विशिष्ट आयात मात्रा अथवा कीमत विश्लेषण करने के लिए बाध्य करता है।¹³⁸ अपीलीय निकाय द्वारा ईसी - ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स में अपनी रिपोर्ट में इसे स्पष्ट किया गया है।¹³⁹
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि चीन जन. गण. से आयातों को केवल चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों की ऊंची कीमतों के आधार पर अन्य वस्तु देशों से आयातों के साथ संचयी नहीं किया जाना चाहिए, कानून में निराधार है।¹⁴⁰

¹³¹ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 11; फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 16

¹³² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 39, फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 33

¹³³ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 139

¹³⁴ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 40; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 133

¹³⁵ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 133

¹³⁶ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 134

¹³⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 30; बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 11; कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 119

¹³⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 30; बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 112

¹³⁹ अपीलीय निकाय रिपोर्ट, यूरोपीय समुदाय - ब्राजील से मैलेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग संबंधी पाटन रोधी शुल्क, डब्ल्यूटीटी/डीएस219/एबी/आर (18 अगस्त, 2003 को अपनाया गया)।

पैरा 109 - 110: "हमें ब्राजील के दावे के लिए अनुच्छेद 3.3 के पाठ में कोई आधार नहीं मिलता है कि पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों के संभावित नकारात्मक प्रभावों का एक देश-विशिष्ट विश्लेषण सभी पाटित आयातों के प्रभावों के संचयी मूल्यांकन के लिए एक पूर्व शर्त है। अनुच्छेद 3.3 स्पष्ट रूप से उन शर्तों को निर्धारित करता है जिन्हें जांच अधिकारियों द्वारा एक से अधिक देशों से पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन करने से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। देश-दर-देश मात्रा और कीमत विश्लेषण का कोई संदर्भ नहीं है कि ब्राजील का तर्क है कि संचयन के लिए पूर्व-शर्तें हैं। वास्तव में, अनुच्छेद 3.3 स्पष्ट रूप से देश-विशिष्ट मात्राओं की जांच करने के लिए एक जांच प्राधिकारी की आवश्यकता है, ब्राजील द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं, बल्कि यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए कि 'प्रत्येक देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है'। (अनुरोध में दिए गए अनुसार जोर)।

¹⁴⁰ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 111

घ. इसके अतिरिक्त, कीमत प्रभाव जांच अर्थात् क्षति मार्जिन, कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री का विश्लेषण प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग किया जाता है।¹⁴¹

छ.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

116. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) में उल्लेख है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद का आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन किया जा रहा है, प्राधिकारी संचयी रूप से ऐसे आयात के प्रभाव का आकलन करेंगे, यदि वह निर्धारित करे कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों से आयात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

117. यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है, निम्नलिखित मापदंडों की जांच की जानी होती है:

क. क्या विभिन्न पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद समान वस्तुएं हैं और गुणधर्मों में तुलनीय हैं?

ख. क्या घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध सामान और आयातित उत्पाद परस्पर परिवर्तनीय हैं?

ग. क्या घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है और आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है?

घ. क्या उपभोक्ता घरेलू सामग्री और आयातित सामग्री का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग कर रहे हैं तथा निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद को समान ग्राहकों को बेचा है?

ङ. क्या संबद्ध देशों से आयात कीमत एक साथ चलती है ?

118. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संचयी मूल्यांकन के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

क. क्या संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य में अंतर को देखते हुए संचयी मूल्यांकन उचित है?

ख. क्या संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में अंतर को देखते हुए संचयी मूल्यांकन उचित है?

(i) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य में अंतर

119. फुटोंग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य में अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी को इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य से पाटित आयातों के साथ-साथ चीन जन. गण. से पाटित आयातों के प्रभाव की संचयी रूप से जांच नहीं करनी चाहिए। फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों पर 15% का मूल सीमा शुल्क लागू है जबकि अन्य संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के लिए यह शून्य है। यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदन पत्र के अनुसार चीन जन. गण. से कीमत कटौती नकारात्मक है और इसलिए संचयी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

120. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में से किसी एक से संबद्ध सामानों की ऊंची कीमतें समग्र रूप से संबद्ध देशों से आयातों के संचयी मूल्यांकन को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि न तो पाटनरोधी डब्ल्यूटीओ करार, 1994 का अनुच्छेद 3.3 और न ही पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II का पैरा (iii) देश-विशिष्ट मात्रा अथवा कीमत विश्लेषण करने के लिए बाध्यता निर्धारित करता है।

¹⁴¹ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 11।

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II का पैरा (iii) और न ही पाटनरोधी डब्ल्यूटीओ करार, 1994 का अनुच्छेद 3.3 संबद्ध आयातों के संचयी विश्लेषण को खारिज करने के लिए एक कारक के रूप में संबद्ध आयातों की कीमत में अंतर को निर्धारित करता है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्दिष्ट संचयी विश्लेषण आवश्यकता का पहला अंग संतुष्ट है।
- (ii) संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में अंतर**
122. फास्टन ग्रुप ने तर्क दिया है कि चूंकि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में असमान दर से वृद्धि हुई है, चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों और अन्य संबद्ध देशों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भिन्न हैं।
123. इसके संबंध में, प्राधिकारी ने पैरा 115 में बताए गए मापदंडों की जांच की है और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:
- क. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान एक दूसरे की 'समान वस्तु' हैं क्योंकि ऐसे सभी सामान एक ही आईटीयू-टी वर्गीकरण का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता उद्योग ने एक अथवा अधिक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।
- ख. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान पैरा 18 में उल्लिखित कारणों से एक दूसरे की समान वस्तु हैं और इसलिए परस्पर परिवर्तनीय हैं।
- ग. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान वस्तु के साथ-साथ संबद्ध सामानों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग किया है। यह भी नोट किया जाता है कि दो या दो से अधिक संबद्ध देशों के प्रयोक्ताओं द्वारा विचाराधीन उत्पाद के समान ग्रेड का आयात किया गया है। इस प्रकार, न केवल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के बीच बल्कि संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बीच भी प्रतिस्पर्धा मौजूद है।
- घ. यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के संबंध में सभी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की कीमत में काफी गिरावट आई है और सभी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमत और उत्पादन लागत से कम हैं।
- ड. भारतीय बाजार में सभी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की समग्र रूप से और साथ ही जांच की अवधि के दौरान सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण बाजार मौजूदगी है।
124. उपर्युक्त के मद्देनजर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्दिष्ट संचयी विश्लेषण आवश्यकता का दूसरा अंग संतुष्ट है। अतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आर्थिक और वित्तीय मापदंडों के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन किया है।
- छ.1.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**
125. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. आयातों के संचयी आकलन का प्राधिकारी का प्रस्ताव गलत है। संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि का बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य से रहा है। आवेदन पत्र के अनुसार चीन जन. गण. से आयातों की कीमत कटौती नकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. और अन्य संबद्ध देशों से आयातों पर लागू मूल सीमा शुल्क में भी अंतर है।¹⁴²
- छ.1.5 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**
126. इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवादित दावा अथवा अनुरोध नहीं किया गया है।
- छ.1.6 प्राधिकारी द्वारा जांच**
127. फास्टन ग्रुप ने यह तर्क देते हुए संचयी विश्लेषण पर विवाद किया है कि अन्य संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि की मात्रा चीन जन. गण. से अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, आयातों की मात्रा में वृद्धि की दर में अंतर चीन जन. गण. को छोड़कर अन्य संबद्ध देशों से आयातों के कम आधार वर्ष मात्रा के कारण है। यह भी नोट किया जाता है कि फास्टन ग्रुप के दावों के विपरीत प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की कीमत कटौती सकारात्मक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संचयी मूल्यांकन की अपेक्षाओं की पहले ही उपर्युक्त पैरा 117 -

¹⁴² फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 22-23

122 में विस्तार से जांच की जा चुकी है। इसे देखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के अपसंचय के लिए फास्टन ग्रुप के दावे को स्वीकार नहीं करते हैं।

छ.11 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

छ.11.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

128. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों के लिए आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है और जांच की अवधि के लिए साइबेक्स के आंकड़ों पर विश्वास किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि उचित और पर्याप्त क्षति जांच के लिए आंकड़ों को एकल स्रोत से एकत्र किया जाना चाहिए।¹⁴³
- ख. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की एक बड़ी मात्रा उचित मूल्य पर हुई है।¹⁴⁴ इसलिए, चीन जन. गण. को एक संबद्ध देश के रूप में बाहर रखा जाना चाहिए।¹⁴⁵
- ग. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने गैर-पाटित कीमतों पर चीन जन. गण. से आयात किया है, अतः ऐसे आयातों को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए।¹⁴⁶
- घ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में केवल 16 सूचकांकों की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यदि कोई क्षति हुई है तो केवल इंडोनेशिया से संबद्ध आयातों के कारण हुई है।¹⁴⁷
- ङ. जांच की अवधि में संबद्ध आयातों का हिस्सा केवल 36% है।¹⁴⁸
- च. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि संबद्ध सामानों की मांग में अचानक वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में बड़ी संख्या में फाइबर विस्तार परियोजनाओं को अमल में नहीं लाया जा सका और संबद्ध सामानों की मांग में भारी वृद्धि हुई है।¹⁴⁹ वैश्विक स्तर पर संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई थी और आवेदक ने इसे अपने वित्तीय विवरण में स्वीकार किया है।¹⁵⁰
- छ. आवेदक की क्षति स्व-प्रभावित¹⁵¹ है क्योंकि इसके संबद्ध पक्षकार, बिरला केबल्स लिमिटेड¹⁵², साथ ही समर्थक, स्टरलाइट इंडिया ने बहुत बड़ी मात्रा में संबद्ध सामानों का आयात किया है।¹⁵³

छ.11.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

129. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में आवेदक और समर्थक द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा 3% से अधिक है और प्रत्येक संबद्ध देश से आकलित पाटन मार्जिन 2% से अधिक है।¹⁵⁴

¹⁴³ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 2।

¹⁴⁴ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 15।

¹⁴⁵ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 25।

¹⁴⁶ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 4।

¹⁴⁷ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 3।

¹⁴⁸ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 49।

¹⁴⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 43।

¹⁵⁰ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 34।

¹⁵¹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 44।

¹⁵² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 44।

¹⁵³ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 46, 47।

¹⁵⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 30।

- ख. संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में न केवल पूर्ण रूप से बल्कि आवेदक¹⁵⁵ के उत्पादन के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों की खपत¹⁵⁶ के संबंध में भी काफी वृद्धि हुई है।¹⁵⁷
- ग. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।¹⁵⁸ जांच की अवधि में आयात की मात्रा आधार वर्ष से अधिक और उच्च स्तर पर है जो कि रक्षोपाय जांच में 'हाल की वृद्धि' की अवधि भी थी।¹⁵⁹
- घ. मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 की दूसरी छमाही में संबद्ध सामानों की मात्रा में गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में मांग में सुधार हुआ है और यह लगभग 2018-19 के स्तर पर है। इसी समय, आधार वर्ष की तुलना में आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।¹⁶⁰
- ङ. संबद्ध सामानों की मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, मांग में इस तरह की वृद्धि को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों द्वारा ही पूरा किया गया है।¹⁶¹
- च. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के दावों का संबंध है कि चीन जन. गण. से कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि चीन जन. गण. से आयातों में वर्ष 2020-21 की तुलना में 6,777 एफकेएम तक वृद्धि हुई है और दूसरी ओर, कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से आयातों में 971 एफकेएम और 5 एफकेएम तक वृद्धि हुई है।¹⁶²

छ. II.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

130. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति मूल्यांकन के प्रयोजन से डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है।
131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्ट्रलाइट चाइना द्वारा भारत में अपनी संबद्ध कंपनी को किए गए निर्यात गैर-पाटित कीमतों पर किए गए हैं। अतः, ऐसे आयातों की मात्रा को पाटित आयातों की मात्रा से हटा दिया गया है। ऐसे आयातों के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के अन्य सभी आयात पाटित कीमतों पर हैं। तदनुसार, शेष संबद्ध आयातों को क्षति आकलन में शामिल किया गया है।
132. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:
- क. क्या संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है ?
- ख. क्या घरेलू उद्योग को स्व-प्रभावित क्षति हो रही है?
133. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयात मात्रा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि	जांच की अवधि (पाटित आयात)
1.	विक्रियां – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	41	58	99	99

¹⁵⁵ बीएफएल के लिखित अनुरोध में ग्राफ 2 देखें।

¹⁵⁶ बीएफएल के लिखित अनुरोध में ग्राफ 3 देखें।

¹⁵⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 38, 39।

¹⁵⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 36; कॉर्निंग इंडिया के लिखित अनुरोध का पैरा 10।

¹⁵⁹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 36।

¹⁶⁰ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 37।

¹⁶¹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 39।

¹⁶² बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 4।

2.	विक्रियां – समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	114	38	38
3.	विक्रियां - आवेदक + समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	59	88	66	66
3.	विक्रियां - अन्य उत्पादक	केएफकेएम	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	142	81	102	102
4.	संबद्ध देश' आयात	केएफकेएम	8,294	3,307	3,583	10,214	9,856
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	40	43	123	119
5.	अन्य देश' आयात	केएफकेएम	1,761	672	644	661	661
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	38	37	38	38
6.	कुल आयात	केएफकेएम	10,055	3,980	4,227	10,875	10,875
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	40	42	108	108
7.	कुल मांग	केएफकेएम	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	72	90	90

तालिका छ 1

134. उपर्युक्त से, यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात वर्ष 2018-19 में 8,294 एफकेएम से बढ़कर जांच की अवधि में 10,214 एफकेएम हो गया है, अर्थात् मांग में गिरावट के बावजूद 1,920 एफकेएम तक वृद्धि हुई है। यहां तक कि यदि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से केवल पाटित आयातों पर विचार किया जाए, तो संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा बढ़कर 9,856 एफकेएम हो गई है अर्थात् आधार वर्ष की तुलना में 1,562 एफकेएम तक वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में ऐसे आयातों की मात्रा वर्ष 2018-19 के स्तर को भी पार कर गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में, संबद्ध आयात में 6,631 एफकेएम तक वृद्धि हुई है, जबकि मांग में *** एफकेएम तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने न केवल संपूर्ण वृद्धिशील मांग पर कब्जा कर लिया है बल्कि भारतीय उत्पादकों के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। संबद्ध आयातों में सापेक्षिक वृद्धि के संबंध में इसे निम्नानुसार नोट किया जाता है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि	जांच की अवधि (पाटित आयात)
आयात मात्रा							
1.	चीन जन. गण.	केएफकेएम	7,794	3,064	2,242	8,253	7,895
2.	इंडोनेशिया	केएफकेएम	2	52	937	1,601	1,601
3.	कोरिया गणराज्य	केएफकेएम	498	192	404	360	360
4.	संबद्ध देश - पाटित आयात	केएफकेएम	8,294	3,307	3,583	10,214	9,856
5.	संबद्ध देश – गैर – पाटित आयात	केएफकेएम					358
6.	अन्य देश	केएफकेएम	1,761	672	644	661	661

7.	कुल आयात	केएफकेएम	10,055	3,980	4,227	10,875	10,875
8.	कुल मांग	केएफकेएम	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	72	90	90
के संबंध में संबद्ध आयात							
9.	भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	***
	रेंज	%	30 – 40	20 – 30	10 – 20	40 – 50	40 – 50
10.	कुल मांग	%	***	***	***	***	***
	रेंज	%	20 – 30	10 – 20	10 – 20	30 – 40	30 – 40
11.	कुल आयात	%	***	***	***	***	***
	रेंज	%	80 – 90	80 – 90	80 – 90	90 – 100	90 – 100

तालिका छ 2

135. उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में भारतीय उत्पादन के संबंध में लगभग ***% और भारतीय मांग के संबंध में ***% तक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों में भारतीय उत्पादन के संबंध में लगभग ***% और भारतीय मांग के संबंध में ***% तक वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के बीच के वर्षों में, भारतीय खपत और उत्पादन के संबंध में आयातों के सापेक्ष हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई थी। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों ने पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के कुल आयातों के संबंध में एक मजबूत सापेक्षिक हिस्सा बनाए रखा है और जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर के सापेक्षिक हिस्से पर हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध सामानों के आयातों में उत्पादन और खपत के साथ-साथ पूर्ण रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

(i) घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में संबद्ध सामानों का प्रभाव

136. फुटोंग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को केवल इंडोनेशिया से आयातों के कारण क्षति हो रही है जिसका आयात हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में तेजी से बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में मामूली वृद्धि हुई है। फास्टन ग्रुप ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि मांग में अचानक वृद्धि के कारण हुई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में संबद्ध सामानों की मांग में वैश्विक गिरावट आई थी। फास्टन ग्रुप ने यह भी अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में संबद्ध आयातों का हिस्सा केवल 36% है। इसके संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में न केवल समग्र रूप से बल्कि संबद्ध सामानों के उत्पादन और मांग के संबंध में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण मांग में कमी आई है। तथापि, मांग में सुधार हुआ है और अब यह लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है। फिर भी, मांग में वृद्धि को विशेष रूप से संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है।
137. यह नोट किया जाता है कि:
- क. आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच संबद्ध सामानों की कुल मांग में गिरावट आई थी, जिसे आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने महामारी के साथ-साथ संबद्ध सामानों की मांग में वैश्विक गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में मांग स्तर लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है।
- ख. यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कुल भारतीय उत्पादन, मांग और कुल आयात के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित संबद्ध सामानों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई है।

- ग. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक की बिक्री में मामूली गिरावट आई है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि उसने अपनी लागत से कम पर बिक्री करके अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने का प्रयास किया है। आवेदक ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से क्षमता विस्तार भी किया। फिर भी अपनी लागत से कम कीमत पर बेचने और अपनी क्षमता बढ़ाने के बावजूद वह अपनी बिक्री नहीं बढ़ा पाया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक का मुख्य रूप से भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित है, ऐतिहासिक रूप से, इसकी बिक्री का ***% से अधिक भारतीय ग्राहकों के लिए है। आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि यह कई निर्यात संविदाएं नहीं करता है क्योंकि इसके पास पहले से ही मुख्य निर्यात बाजारों की पूर्ति करने वाली संबद्ध कंपनियां हैं। तथापि, अर्थक्षम बने रहने के लिए जांच की अवधि में पाटन के कारण इसने अपनी निर्यात बिक्री में कुछ हद तक वृद्धि की है।
- घ. समर्थक की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। समर्थक ने दावा किया है कि बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इसकी घरेलू बिक्री गैर-अर्थक्षम हो गई थी और इसलिए इसने पाटित आयातों के कारण कीमत विकृति के कारण संबद्ध सामानों का निर्यात करने का विकल्प चुना है।
- ङ. यह भी नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में जब कोविड-19 महामारी के कारण विचाराधीन उत्पाद के आयात में काफी गिरावट आई थी, आवेदक की बिक्री में काफी सुधार हुआ था। तथापि, सामान्य स्थितियों की बहाली के तुरंत बाद संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई। जबकि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की मात्रा में वृद्धि को मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि मांग में यह वृद्धि पूरी तरह से संबद्ध देशों से आयातों द्वारा समाहित की गई थी, जिसके कारण आवेदक को मात्रात्मक क्षति हुई।
- च. फुटोंग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को भारी मात्रात्मक क्षति मुख्य रूप से इंडोनेशिया से आयातों के कारण हुई है। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष में इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा काफी कम थी और पूरी क्षति अवधि के दौरान उसमें काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि इंडोनेशिया से पाटित आयातों में वृद्धि की दर चीन जन. गण. की तुलना में तेज है, तथापि चीन जन. गण. से पाटित आयात इंडोनेशिया की तुलना में काफी उच्च स्तर पर बने हुए हैं। इसी समय, चीन जन. गण. से पाटित संबद्ध आयातों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई है, भले ही आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई हो। आधार वर्ष के निम्न स्तर के कारण वृद्धि की दर तेज है। इस प्रकार, आवेदक को न केवल इंडोनेशिया से पाटित आयातों के कारण बल्कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से पाटित आयातों के कारण भी क्षति हुई है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने तीन संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करने के लिए पैरा 104 में पहले ही मान लिया है।

(ii) बीसीएल और स्टरलाइट इंडिया द्वारा किए गए आयात

138. फास्टन ग्रुप ने यह भी अनुरोध किया है कि आवेदक के संबद्ध पक्षकार बीसीएल और स्टरलाइट इंडिया द्वारा बड़ी मात्रा में किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को स्व-प्रभावित क्षति हो रही है। एचएफसीएल ने यह भी अनुरोध किया है कि स्टरलाइट इंडिया के चीन जन. गण. से उचित मूल्य के आयात के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह सिद्ध किया गया है कि चीन जन. गण. से आयात घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र से स्टरलाइट इंडिया को बाहर करने का तर्क दिया है।
139. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पहले ही स्टरलाइट इंडिया को एक अपात्र घरेलू उत्पादक के साथ-साथ एक अपात्र समर्थक के रूप में माना है। स्टरलाइट इंडिया घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं है और इसलिए, स्टरलाइट इंडिया द्वारा किया गया आयात यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्व-प्रभावित है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया है। बीसीएल ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण में लगी हुई है, जो एक निचले स्तर का व्यवसाय है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। यह नोट किया जाता है कि बीसीएल ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की थोड़ी मात्रा का आयात किया है। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि बीसीएल एक स्वतंत्र कानूनी कंपनी है, जिसका कच्ची सामग्री अर्थात् विचाराधीन उत्पाद की खरीद के संबंध में निर्णय, बाजार के कारकों के अपने मूल्यांकन और इसकी लाभप्रदता पर प्रभाव पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पैरा 30 में उल्लिखित ऐसे आयात संबद्ध देशों से आयातों का लगभग ***% और भारत में कुल मांग का

लगभग **% है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक के संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आयातों के परिणामस्वरूप कोई स्व-प्रभावित क्षति नहीं हुई है।

छ.II.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

140. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध दायर किए गए हैं:

- क. जांच की अवधि की दूसरी छमाही से संबद्ध सामानों की नए सिरे से मांग हुई है। आवेदक को हुई कोई भी क्षति पाटन के कारण नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग में कमी के कारण हुई है।¹⁶³
- ख. संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि का कारण देश में अत्यधिक मांग और आपूर्ति का अंतर है। जांच की अवधि से पहले उद्योग की समग्र मंदी की स्थिति के कारण मांग में कमी आई थी।¹⁶⁴
- ग. मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा केवल 36% है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग मांग के बड़े हिस्से को पूरा कर रहा है। आवेदक लगभग 70% पर प्रचालन कर रहा है जो यह दर्शाता है कि यह इष्टतम स्तरों पर निष्पादन कर रहा है।
- घ. भारत में फास्टन ग्रुप का निर्यात भारत में कुल आयात का 2% से भी कम है और इसके अतिरिक्त, मात्रा इसके कुल उत्पादन के 5% से कम है। भारत को बिक्री का इतना नगण्य हिस्सा घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकता।¹⁶⁵

छ.II.5 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

141. आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवादित दावा अथवा अनुरोध दायर नहीं किया गया है।

छ.II.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

142. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में, फास्टन ग्रुप ने टिप्पणी की है कि आयातों की मात्रा में वृद्धि घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण है। प्राधिकारी को फास्टन ग्रुप के दावे में कोई दम नजर नहीं आता। भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है। यह नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की नब्बे प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा करने के लिए आवेदक और समर्थक की क्षमता अपने आप में पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के कई अन्य घरेलू उत्पादक हैं जो घरेलू बाजार की पूर्ति करते हैं।
143. फास्टन ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि आवेदक को वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की समग्र न्यूनीकृत मांग से क्षति हुई है। फास्टन ग्रुप द्वारा किया गया दावा रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना द्वारा समर्थित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में काफी वृद्धि हुई है और यह लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है। अतः, यह नहीं माना जा सकता है कि बाजार की मंदी की स्थिति घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार थी।
144. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि आवेदक की घरेलू और निर्यात बिक्री में जांच की अवधि में सुधार हुआ है। इसने यह भी दावा किया है कि आवेदक अपने उत्पादन का निर्यात करने के लिए अधिक इच्छुक है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक की बिक्री जांच की अवधि में बढ़ी है और लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है। तथापि, घरेलू बिक्री में यह वृद्धि कीमत क्षति की लागत पर प्राप्त की गई है। जहां तक निर्यात बिक्री में वृद्धि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि कम कीमत वाले आयातों के कारण केवल जांच की अवधि में ही आवेदक की निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है और निर्यात बिक्री में वृद्धि के बावजूद आवेदक ने घरेलू बाजार में इसकी कुल बिक्री के लगभग ***% बिक्री की है।
145. फास्टन ग्रुप ने दावा किया है कि कुल आयातों की मात्रा में उसका हिस्सा भारत में कुल आयातों का लगभग ***% है और संबद्ध सामानों की निर्यात मात्रा इसके उत्पादन के ***% से कम है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि फास्टन ग्रुप से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी। फास्टन ग्रुप का आयात संबद्ध देशों से कुल संबद्ध आयातों का लगभग ***% है और चीन जन. गण. से कुल आयात न्यूनतम स्तर से अधिक है। इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अनुसार न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह के आयातों को भारत में पाटित कीमतों पर

¹⁶³ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 24-25 और 28

¹⁶⁴ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 27

¹⁶⁵ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 42

प्रवेश करते पाया गया है और फास्टन ग्रुप के लिए पाटन मार्जिन भी न्यूनतम स्तर से अधिक है। अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि फास्टन ग्रुप के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

छ.III घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

छ.III.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

146. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध सामानों की मांग में वैश्विक गिरावट के प्रभाव से वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में आवेदक का उत्पादन, बिक्री के साथ-साथ निर्यात बिक्री भी प्रभावित हुई है।¹⁶⁶

ख. वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में आवेदक की बिक्री में सुधार हुआ है।¹⁶⁷

ग. आवेदक का अपने उत्पादन के निर्यात की ओर अत्यधिक झुकाव है। आवेदक की निर्यात बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।¹⁶⁸ इससे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि होगी।¹⁶⁹

छ.III.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

147. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध सामानों की मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है और यह लगभग वर्ष 2018-19 के स्तर पर है।¹⁷⁰

ख. अपनी उत्पादन लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के बावजूद, आवेदक अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है, वृद्धिशील मांग को विशेष रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है।¹⁷¹

छ.III.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

148. निम्नलिखित तालिका कुल भारतीय मांग में घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से को दर्शाती है:

बाजार हिस्सा						
विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि	जांच की अवधि (पाटित आयात)
आवेदक की बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
रेंज		15 – 25	5 – 15	5 – 15	15 – 25	15 – 25
समर्थक	%	***	***	***	***	***
रेंज		15 – 25	15 – 25	25 – 35	5 – 15	5 – 15
आवेदक + समर्थक	%	***	***	***	***	***
रेंज		35 – 45	25 – 35	45 – 55	25 – 35	25 – 35

¹⁶⁶ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 35।

¹⁶⁷ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 50

¹⁶⁸ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8 (ख) (ग)।

¹⁶⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 50; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 44।

¹⁷⁰ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 39।

¹⁷¹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 49।

अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	***
रेंज		25 – 35	55 – 65	35 – 45	35 – 45	35 – 45
संबद्ध देश – पाटित आयात	%	24%	12%	14%	33%	31%
रेंज		15 – 25	5 – 15	5 – 15	25 – 35	25 – 35
संबद्ध देश गैर – पाटित आयात	%					1%
रेंज						0-10
अन्य देश	%	5%	2%	3%	2%	2%
रेंज		0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%	100%

तालिका छ-3

149. फास्टन ग्रुप ने तर्क दिया है कि मांग में वैश्विक गिरावट घरेलू और साथ ही आवेदक की निर्यात बिक्री में कमी के लिए जिम्मेदार है। महामारी के बाद की अवधि में सामान्य स्थिति की बहाली के साथ, आवेदक की बिक्री में वृद्धि हुई है। फास्टन ग्रुप और फुटोंग ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का जोर घरेलू बाजार के बजाय निर्यात बाजार पर अधिक है। इसके संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि के बाद भी, वह अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया है। वास्तव में वृद्धिकारक मांग को संबद्ध देशों से आयातों द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है।
150. यह नोट किया जाता है कि:
- क. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि अर्थात् ***% तक हुई है, जबकि समर्थक के बाजार हिस्से में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह अपनी बिक्री लागत से कम कीमत पर बिक्री करके ही अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रहा है।
- ख. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है।
- ग. वर्ष 2020-21 के दौरान संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा 14 प्रतिशत था। घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि महामारी के कारण ऑप्टिकल फाइबर बाजार के सामने बाधाएं आ रही थीं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में सामान्य स्थितियों की बहाली के साथ संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में लगभग 17% तक वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, आवेदक के बाजार हिस्से में वृद्धि केवल ***% थी, और समर्थक के बाजार हिस्से में काफी गिरावट आई थी। समर्थक के बाजार हिस्से में गिरावट का कारण उपर्युक्त पैरा 114 में बताया गया है। यहां यह भी नोट किया जाना चाहिए कि अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में उसी स्तर पर बना रहा जैसा कि पिछले वर्ष में था। इस प्रकार, मांग में वृद्धि के कारण बाजार हिस्से में वृद्धि पूरी तरह से संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा समाहित हो गई थी। न तो आवेदक और न ही भारतीय उद्योग मांग में इस वृद्धि का पूरा लाभ उठा पाए।

छ.IV कीमत प्रभाव

छ.IV.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

151. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- क. कीमत कटौती एक कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है।¹⁷² आवेदक के सामान की कीमत पर चीन जन. गण.¹⁷³ से आयात सहित संबद्ध आयातों का कोई कीमत कटौती प्रभाव नहीं है।¹⁷⁴

¹⁷² फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 3।

¹⁷³ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 25।

- ख. संबद्ध सामानों की मात्रा में वृद्धि से, इंडोनेशिया से संबद्ध आयातों की आयात कीमत में गिरावट आई है।¹⁷⁵
- ग. इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य से संबद्ध आयातों की आयात कीमत चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों की आयात कीमत से काफी कम है जो स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती है कि इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।¹⁷⁶
- घ. आवेदन पत्र में चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की कीमत कटौती का प्रकटन नहीं किया गया था जो नकारात्मक था।
- ङ. फास्टन ग्रुप द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य स्टर्लाइट इंडिया द्वारा आयातित संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य से अधिक है।¹⁷⁷
- च. स्टर्लाइट इंडिया द्वारा किए गए आयातों की तुलना में अधिक कीमत पर पहुँचने वाले आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।¹⁷⁸
- छ. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई कीमत से अधिक है। अतः आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई कीमत ह्रासमान प्रभाव नहीं है।¹⁷⁹
- ज. प्राधिकारी को कीमत कटौती का उचित निर्धारण सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन की आवधिक लागत में परिवर्तनों की जांच करनी चाहिए।¹⁸⁰

छ. IV.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

152. घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों की कीमत कटौती सकारात्मक है जबकि चीन जन. गण. के लिए संबद्ध सामानों के उच्च पहुंच मूल्य के कारण नकारात्मक है।¹⁸¹
- ख. संबद्ध सामानों का उच्च पहुंच मूल्य अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत चीन जन. गण. में संयुक्त उद्यम कंपनी से स्टर्लाइट इंडिया द्वारा किए गए आयातों के कारण है जिस पर कोई शुल्क नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे आयात चीन जन. गण. से अन्य उत्पादकों के निर्यातों की तुलना में अधिक कीमतों पर किए गए हैं।¹⁸²
- ग. आवेदक का अनुरोध है कि पहुंच मूल्य निर्धारण के लिए, शुल्क तत्व को केवल ऐसे आयातों में जोड़ा जाना चाहिए जिन पर शुल्क का भुगतान किया गया है। अर्थात्, सीमा शुल्क के भुगतान के बिना किए जा रहे आयात को दर्शाने वाले संबद्ध आयातक द्वारा जिस सीमा तक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है (अर्थात्, शुल्क छूट के अंतर्गत), एक अनुमानित सीमा शुल्क को जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि यह कृत्रिम रूप से उस कीमत को बढ़ाता है जिस पर सामान वास्तव में भारत में पहुँचा है।¹⁸³
- घ. आवेदक का अनुरोध है कि चीन जन. गण. के उत्पादक ग्राहकों को महत्वपूर्ण आयात-पश्चात छूट अथवा दीर्घ ऋण अवधि की पेशकश करते रहे हैं। अतः, चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों की आयात कीमतों का अधिक मूल्यांकन किया गया है और इसलिए सटीक नहीं हैं। प्राधिकारी से इसका सत्यापन करने का अनुरोध है।¹⁸⁴

¹⁷⁴ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 9 (ख); फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 54।

¹⁷⁵ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8।

¹⁷⁶ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8(ख)।

¹⁷⁷ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 4; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध के पैरा 7, 40;

¹⁷⁸ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8।

¹⁷⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 66; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 50।

¹⁸⁰ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 60।

¹⁸¹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 44।

¹⁸² बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 45।

¹⁸³ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 45।

¹⁸⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 46।

ड. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग पर नकारात्मक कीमत प्रभाव पड़ा है और आवेदक द्वारा अपनी उत्पादन लागत को कम करने के प्रयासों के बावजूद कीमतों में काफी न्यूनीकरण और ह्रास हुआ है।¹⁸⁵

छ. IV.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

153. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

क. उपयुक्त पहुँच मूल्य का परिकलन

ख. क्या संबद्ध देशों से कीमत कटौती का प्रभाव मौजूद है?

I. पहुँच मूल्य का परिकलन

154. आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार लेनदेनों में शामिल कल्पित शुल्क तत्व को हटाने के लिए तर्क दिया है। यह आरोप लगाया गया है कि अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयात के सीआईएफ मूल्य में मूल सीमा शुल्क और अन्य तत्वों को जोड़ने से ऐसे आयातों का कृत्रिम रूप से पहुँच मूल्य बढ़ जाता है। आवेदक ने स्टर्लाइट इंडिया और मैसर्स बिरला केबल्स लिमिटेड द्वारा अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए सभी आयातों के लिए प्रविष्टियों का बिल भी दायर किया है।
155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत, आयातक को सीमा शुल्क अथवा अन्य करों और प्रभारों के भुगतान के बिना सामान आयात करने की अनुमति है। यह नोट किया जाता है कि मूल सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार और लेनदेन में अन्य लागू तत्वों को जोड़ने से जहां ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, कृत्रिम रूप से आयात का पहुँच मूल्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी ने केवल ऐसे आयात लेनदेनों में शुल्क तत्व जोड़कर पहुँच मूल्य का परिकलन किया है जहां ऐसा शुल्क लगाया गया है। इस प्रकार परिकलित पहुँच मूल्य का उल्लेख नीचे 'कीमत कटौती' तालिका में किया गया है।

II. कीमत कटौती का प्रभाव

156. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध आयातों के प्रभाव का विश्लेषण कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया है।
157. आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. के उत्पादक ग्राहकों को आयात पश्चात छूट और लंबी क्रेडिट अवधि की पेशकश करते हैं। तथापि, इस संबंध में कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी साक्ष्य के अभाव में आवेदक द्वारा अग्रेषित तथाकथित आयात-पश्चात छूट अथवा दीर्घकालीन ऋण अवधि के तर्कों के प्रभाव की जांच करने में सक्षम नहीं रहे हैं।
158. फास्टन ग्रुप और फुटोंग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात घरेलू उद्योग की कीमत कटौती नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से, चीन जन. गण. से कीमत कटौती नकारात्मक है। फुटोंग ने यह भी अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया और कोरिया से संबद्ध सामान की आयात कीमत चीन जन. गण. की कीमत से काफी कम है और इसलिए, चीन जन. गण. को छोड़कर अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि स्टर्लाइट इंडिया द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत किए गए आयातों के परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों के उच्च पहुँच मूल्य के कारण चीन जन. गण. से कीमत कटौती नकारात्मक है।
159. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत का न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती। नीचे दी गई तालिका में इसकी जांच की गई है:

कीमत कटौती (पीयू) (जांच की अवधि – पाटित आयात)							
संबद्ध देश	मात्रा एफकेएम	सीआईएफ ₹/एफकेएम	एलवी ₹/एफकेएम	एनएसआर ₹/एफकेएम	कीमत कटौती ₹/एफकेएम	कीमत कटौती (%)	कीमत कटौती रेंज
चीन जन. गण.	7,895	255	280	***	***	***	0 – 10

¹⁸⁵ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 62।

इंडोनेशिया	1,601	235	235	***	***	***	20 – 30
कोरिया गणराज्य	360	251	251	***	***	***	10 – 20
संबद्ध देश	9,856	251	272	***	***	***	0 – 10

तालिका छ 4

160. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और इसीलिए घरेलू उद्योग की कीमत कटौती कर रहा है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तीनों संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों से कीमत कटौती सकारात्मक है।

कीमत न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव

कीमत न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव						
क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020 - 21	जांच की अवधि (पाटित आयात)
1	बिक्रियों की लागत	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	105	68	60
2	बिक्री कीमत (एनएसआर)	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	65	56	54
3	पहुँच कीमत	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	51	56	40

तालिका छ 5

161. फास्टन ग्रुप ने तर्क दिया है कि चीन जन. गण. से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इसी के संबंध में, आवेदक ने तर्क दिया है कि इसकी उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास के बाद भी, संबद्ध देशों से आयातों का काफी कीमत न्यूनीकरण और ह्रासमान प्रभाव है। यह नोट किया जाता है कि गैर पाटित आयातों को छोड़कर चीन जन. गण. से निर्यातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और इसकी बिक्री कीमत से कम है।
162. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली तथा संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बिक्री की लागत में गिरावट मुख्य रूप से कच्ची सामग्री अर्थात् प्रीफॉर्म की वैश्विक स्तर पर कीमत में गिरावट के कारण है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि बिक्री लागत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट के अनुरूप नहीं रही है, जबकि जांच की अवधि में बिक्री लागत में *** रुपये/एफकेएम (वर्ष 2018-19 की तुलना में) तक गिरावट आई है, बिक्री कीमत में *** रुपये/एफकेएम तक गिरावट आई है। इसके साथ ही, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में *** रुपये/एफकेएम तक गिरावट आई है। अतः, यह नोट किया जाता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास कर रहे हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट की दर इसकी बिक्री लागत में गिरावट की दर से काफी अधिक है।

छ.IV.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

163. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयातों पर 'शून्य' शुल्क लगाकर प्राधिकारी द्वारा पहुंच मूल्य का परिकलन गलत है। प्राधिकारी ने अपनी पिछली जांचों¹⁸⁶ में पहुंच मूल्य के परिकलन के लिए कभी भी अग्रिम और गैर-अग्रिम प्राधिकार आयातों को अलग नहीं किया है।¹⁸⁷
- ख. प्राधिकारी को आयातों के पहुंच मूल्य का परिकलन उन्हें सामान्य आयातों के समतुल्य मानकर करना चाहिए जिसमें सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए बुनियादी सीमा शुल्क जोड़ा जाता है।¹⁸⁸
- ग. अग्रिम प्राधिकार योजना निर्यात उत्पादों के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयातित सामान घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले सामान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले सामान की कीमत में मूल सीमा शुल्क और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। इस प्रकार, अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध सामानों के भारित औसत पहुंच मूल्य के परिकलन को बाहर रखा जाना चाहिए।¹⁸⁹

छ.IV.5 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

164. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्राधिकारी ने पाया है कि कल्पित सीमा शुल्क को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुनियादी सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार और लेनदेन में अन्य लागू तत्व जहां ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, कृत्रिम रूप से आयात के पहुंच कीमत को बढ़ा देगा। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुष्टि करें।¹⁹⁰

¹⁸⁶ चीन जन. गण., बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रिलिक फाइबर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीनी तैपई और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डाइऑक्टाइल थैलेट (डीओपी)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच; चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित पेरसिटामोल के आयातों से संबंधित तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर); कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोन" के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच; दक्षिण अफ्रीका के मूल अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा; चीन जन. गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से 'फथैलिक एनहाइड्राइड' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच; चीन जन. गण. से एरिलाइड्स के नाम से जाने जाने वाले ऐरोमेटिक अथवा हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसीटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन" (पीटीएफई) के आयातों से संबंधित चौथी निर्णायक समीक्षा जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेल्ट्रीएक्सोना सोडियम स्टर्लाइट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; यूरोपीय संघ, जापान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से मेलामाइन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, था और संयुक्त अरब अमीरात तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से .. कम घनत्व वाले पॉलीथीन (एलडीपीई) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोसोप्रोपिलामिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा जांच; चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "उसोडॉक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाई टेनसिटी पॉलिएस्टर यार्न" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा।

¹⁸⁷ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 8-9

¹⁸⁸ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 10

¹⁸⁹ फुटोंग की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 10

¹⁹⁰ कॉर्निंग इंडिया की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पृष्ठ 13

ख. कल्पित सीमा शुल्क को जोड़ने से संपूर्ण क्षति विश्लेषण विकृत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि 100 यूनिट सामग्री वास्तव में भारतीय बाजार में XX रुपये में उतरा है, तो XX रुपये + 15% रुपये को मानते हुए, कृत्रिम रूप से पहुँच कीमत में वृद्धि होगी और इस प्रकार, क्षति जांच विकृत होगी।¹⁹¹

ग. यह दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें विभिन्न शुल्क छूट योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयातों को ऐसे मूल्यों के रूप में माना जाता है न कि बड़े हुए कल्पित मूल्य पर।¹⁹²

छ. IV.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

165. फुटोंग ने पहुँच कीमत परिकलन पर विवाद किया है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयातों पर 'शून्य' मूल सीमा शुल्क लगाकर पहुँच मूल्य का परिकलन गलत है। फुटोंग ने यह भी तर्क दिया है कि अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयात घरेलू बाजार में बेचे गए सामानों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे सामानों में मूल सीमा शुल्क और अन्य शुल्क शामिल हैं। इसी के संबंध में, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत होने वाले लेनदेन के लिए कल्पित सीमा शुल्क को जोड़ने से संपूर्ण क्षति विश्लेषण विकृत हो जाएगा। यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा अन्य शुल्क छूट योजनाओं के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।
166. मात्रा और चोट विश्लेषण के लिए अग्रिम प्राधिकरण के तहत किए गए आयात को शामिल करने के पीछे का कारण निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। भारतीय घरेलू बाजार में आयात या तो अग्रिम प्राधिकरण के तहत या सामान्य मार्ग के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। अग्रिम प्राधिकरण के मामले में, योजना के तहत ऐसे शुल्कों की छूट के कारण मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम उत्पाद 'वाई' का घरेलू निर्माता, जिसका कच्चा माल 'एक्स' है, के पास अग्रिम प्राधिकरण के तहत कच्चे माल 'एक्स' का आयात करने या कच्चे माल 'एक्स' के घरेलू उत्पादकों से इसे प्राप्त करने का विकल्प है। इन दोनों परिदृश्यों में कोई अतिरिक्त टैरिफ तत्व नहीं है जैसे कि मूल सीमा शुल्क और अन्य सीमा-आधारित सीमा शुल्क। इस प्रकार, यदि अग्रिम प्राधिकरण के तहत कच्चे माल 'एक्स' का आयात डंप किए गए मूल्यों पर घरेलू बाजार में प्रवेश करता है, तो अंतिम उत्पाद 'वाई' का निर्माता घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे माल 'एक्स' की खरीद करना पसंद नहीं करेगा जब तक कि ऐसे घरेलू आपूर्तिकर्ता डंप किए गए उत्पाद 'एक्स' की कीमत से कम या बराबर कीमत पर अपने उत्पाद की आपूर्ति नहीं करते हैं। अतिरिक्त टैरिफ तत्वों की अनुपस्थिति को देखते हुए, अग्रिम प्राधिकरण के तहत किए गए आयात और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा मौजूद है। इस प्रकार कच्चे माल 'X' के आयात की कम कीमत कच्चे माल 'X' के घरेलू उत्पादक की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित करती है और साथ ही घरेलू उत्पादक की कीमत पर एक बेंचमार्क प्रभाव पैदा करती है और इस प्रकार, यदि कच्चे माल का घरेलू उत्पादक 'X' अंतिम उत्पाद 'Y' के उत्पादक को अपना माल बेचने का निर्णय लेता है, तो कीमत में चोट लगती है। इस प्रकार बनाया गया बेंचमार्क प्रभाव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस कीमत पर होता है जिस पर ऐसे आयात भारत में भूमि (सीआईएफ या निर्यात मूल्य) पर होते हैं, न कि अनुमानित मूल्य (लैंडेड वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्क) पर। इसलिए, अग्रिम प्राधिकरण खंडों को शामिल न करने से चोट विश्लेषण विकृत हो जाएगा।
167. यहां एक चिंता यह पैदा हो सकती है कि इस तरह के आयात को घरेलू बाजार में फिर से बेचा जा सकता है और इसलिए, इस तरह के पुनर्विक्रय पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान बाद में करना होगा। तथापि, यहां यह नोट किया जाता है कि वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति, बैंक गारंटी, माल जब्त करने, दंड का भुगतान आदि जैसी कठोर शर्तों के कारण ऐसे आयातों को घरेलू बाजार में पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकता है। अग्रिम प्राधिकरण के तहत किए गए आयातों की पुनर्विक्रय को नियंत्रित करना। इसके अलावा, ऐसे आयातों के उपयोग की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र है। इसलिए, घरेलू बाजार में पुनर्विक्रय की आशंका पर ऐसे आयातों के सीआईएफ मूल्य में अनुमानित मूल सीमा शुल्क को जोड़ने का पर्याप्त औचित्य नहीं है। तदनुसार, ऐसे आयातों के लैंडेड मूल्य की गणना सीआईएफ मूल्य पर की जानी चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लैंडेड मूल्य की गणना में त्रुटि के संबंध में फुटोंग के दावों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

¹⁹¹ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 9

¹⁹² बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 10

छ.V. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड**छ.V.क उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री****छ.V.क.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

168. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक के आर्थिक कारक जैसे इसकी क्षमता, उत्पादन और क्षमता अच्छी स्थिति में हैं।¹⁹³
- ख. घरेलू उद्योग क्षमताओं के विस्तार से काफी पहले प्रचालन कर रहा था। तथापि, क्षमता के विस्तार से, आर्थिक मापदंडों ने गिरावट का रुख दर्शाया है। अतः प्राधिकारी को वर्ष 2019-2020 को आधार वर्ष मानना चाहिए।¹⁹⁴
- ग. इसकी संस्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में अचानक गिरावट आई है।¹⁹⁵ यदि आवेदक ने क्षमता विस्तार नहीं किया होता तो उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई होती।¹⁹⁶
- घ. आवेदक पहले से ही 70% क्षमता पर प्रचालन कर रहा है और उसके पास विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है।¹⁹⁷
- ङ. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात आवेदक के कम क्षमता उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि पूरे ऑप्टिकल फाइबर उद्योग में निराशाजनक विपणन स्थितियां देखी जा रही हैं।¹⁹⁸
- च. वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में आवेदक के उत्पादन में सुधार हुआ है।¹⁹⁹
- छ. क्षमता उपयोग में वृद्धि करने में असमर्थता के संबंध में आवेदक का दावा रिकॉर्ड में मौजूद तथ्य के विपरीत है क्योंकि इसने वित्तीय वर्ष 2020-21 से जांच की अवधि में अपने क्षमता उपयोग में 36 सूचकांक तक काफी सुधार किया है।²⁰⁰
- ज. महामारी प्रतिबंधों के दौरान आयातित संबद्ध सामानों की अनुपलब्धता ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री बढ़ाने का अवसर दिया।²⁰¹
- झ. आवेदक ने अपनी घरेलू बिक्री से अधिक निर्यात बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया है। आवेदक की निर्यात बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।²⁰²
- ञ. जी.652 फाइबर को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करके विनिर्मित निचले स्तर के उत्पादों की भारत में नगण्य मांग है और मुख्य रूप से भारत से बाहर निर्यात किया जाता है।²⁰³
- ट. जी.652 फाइबर की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में जी.657 फाइबर का हिस्सा नगण्य है।²⁰⁴
- ठ. लगभग 80% पाटनरोधी आवेदन पत्र क्षति अवधि अथवा जांच की अवधि में उद्योग के क्षमता विस्तार करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए जाते हैं जो यह दर्शाता है कि तथाकथित क्षति प्रमुख रूप से क्षमताओं में समायोजित न की

¹⁹³ पृष्ठ 3 इंडोनेशिया सरकार का उत्तर।

¹⁹⁴ फुटोंग के लिखित सबमिशन का (बी) (ए) का पैरा 8 (क); फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 3।

¹⁹⁵ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 22।

¹⁹⁶ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8 (ग) (क)।

¹⁹⁷ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 49।

¹⁹⁸ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 51; एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 16।

¹⁹⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 50।

²⁰⁰ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 52; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 43; एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 12।

²⁰¹ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 10।

²⁰² फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8 (ख) (ग)।

²⁰³ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 6

²⁰⁴ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 8।

गई वृद्धि के कारण है। क्षति जांच क्षति मानदंडों को दो श्रेणियों में - क्षमता के विस्तार से पूर्व और क्षमता के विस्तार के बाद किया जाना चाहिए।²⁰⁵

छ.V.क.॥ घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

169. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में केवल 33% टावर फाइबरयुक्त हैं और 0.09 एफकेएम की प्रति व्यक्ति फाइबर खपत कम है, आवेदक ने वर्ष 2017-2018 में क्षमता विस्तार की योजना बनाई थी जिसे वर्ष 2019-2021 के आरंभ में ***एफकेएम से *** एफकेएम तक पूंजीकृत किया गया था।²⁰⁶
- ख. तथापि, कोविड-19 महामारी की शुरुआत, भारत-नेट के धीमे रोल आउट और वोडाफोन और एयरटेल जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों की वित्तीय परेशानियों के कारण मध्यवर्ती वर्षों में मांग में संकुचन था। इन वजहों से केबल बिछाने के कई प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़े रहे।²⁰⁷
- ग. उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप, आवेदक को वर्ष 2019-2020 और 2020-21 में रुक-रुक कर अपना उत्पादन बंद करना पड़ा, जिसके कारण इसके क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई।²⁰⁸
- घ. तथापि, जांच की अवधि में, डिजिटल कनेक्टिविटी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से, मांग में काफी वृद्धि हुई है, जिसके बावजूद आवेदक अपनी क्षमता का उपयोग बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है, जो आधार वर्ष में जांच की अवधि में 85% से गिरकर 59% हो गया है।²⁰⁹
- ङ. उपर्युक्त कारणों से आधार वर्ष के बाद के वर्षों में आवेदक के उत्पादन में गिरावट आई है लेकिन जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।²¹⁰
- च. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में कि क्षमता वृद्धि के कारण आवेदक को क्षति हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि कॉर्निंग इंडिया के क्षति मानदंड भी नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं।²¹¹
- छ. यह तर्क कि क्षमता वृद्धि के कारण उत्पादन में गिरावट आई है, किसी तर्क से परे है। इसके अतिरिक्त, क्षति मार्जिन विश्लेषण के लिए, उत्पादन लागत में बढ़ी हुई क्षमता के प्रभाव को मानदंडों के माध्यम से निष्प्रभावी किया जाएगा।²¹²

छ.V.क.॥ प्राधिकारी द्वारा जांच

170. निम्नलिखित तालिका आवेदक तथा समर्थक की क्षमता, उत्पादन और विक्री मानदंडों को दर्शाती है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
क	क्षमता					
1	क्षमता – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***

²⁰⁵ फुटोंग के लिखित अनुरोधों का पैरा 8(ख)(क); फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 3

²⁰⁶ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 47।

²⁰⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 47।

²⁰⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 47।

²⁰⁹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 47।

²¹⁰ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 47।

²¹¹ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 6।

²¹² बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 8।

	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	156	156	156
2	क्षमता – समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
3	क्षमता – आवेदक + समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	117	100	100
ख	उत्पादन					
4	उत्पादन – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	36	53	109
5.	उत्पादन - समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	82	115	113
6	उत्पादन घरेलू उद्योग + समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	68	120	131
ग	क्षमता उपयोग					
7	क्षमता उपयोग – आवेदक	%	***	***	***	***
	रेंज		80 – 90	20 – 30	20 – 30	50 – 60
8	क्षमता उपयोग – समर्थक	%	***	***	***	***
	रेंज		80 – 90	70 – 80	80 – 90	90 - 100
9	क्षमता उपयोग – आवेदक + समर्थक	%	***	***	***	***
	रेंज		80 – 90	50 – 60	60 – 70	80 - 90
घ	बिक्रियां					
10	घरेलू बिक्रियां – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	41	58	99
11	घरेलू बिक्रियां – समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	154	34
12	घरेलू बिक्रियां - आवेदक + समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	68	120	131
13	निर्यात बिक्रियां – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	11	6	204
14	निर्यात बिक्रियां – बिक्री कीमत – आवेदक	रु./केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	75	71	113

15	निर्यात बिक्रियां – समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	94	90	181
16	निर्यात बिक्रियां – समर्थक	रु./केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	68	120	131
17	निर्यात बिक्रियां – बिक्री कीमत – आवेदक + समर्थक	रु./केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	80	103

तालिका छ 6

171. यह नोट किया जाता है कि:

- क. एचएफसीएल ने अनुरोध किया है कि जी.657 फाइबर को क्षति विश्लेषण के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका बिक्री का हिस्सा नगण्य है और जी.657 फाइबर का उपयोग करके निर्मित उच्च स्तर के उत्पाद अधिकतर भारत से बाहर निर्यात किए जाते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जी.657 फाइबर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं और इसीलिए, क्षति विश्लेषण में जी.657 फाइबर की बिक्री पर विचार किया गया है।
- ख. आवेदक ने आधार वर्ष के बाद के वर्ष में इसकी क्षमता में वृद्धि की और उसके बाद यह स्थिर रहा। पूरी क्षति अवधि के दौरान कॉर्निंग इंडिया की क्षमता स्थिर रही है।
- ग. क्षमता विस्तार के बाद आवेदक के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। फुटोंग ने तर्क दिया है कि आवेदक की क्षति केवल उसके द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षमता विस्तार के बाद ही आवेदक के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। फुटोंग ने आधार वर्ष को वर्ष 2019-2020 तक संशोधित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने विस्तार पूर्व और विस्तार के बाद अलग-अलग क्षति मापदंडों की जांच करने का अनुरोध किया है। फास्टन ग्रुप ने यह अनुरोध किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक के क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उसने मौजूदा मांग और मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता में वृद्धि की थी, जिसमें तथापि भारतनेट कार्यक्रम के धीमे रोलआउट और वोडाफोन तथा एयरटेल जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों की वित्तीय कठिनाईयों तथा चल रही महामारी जैसे कई कारकों के कारण विलंब हुआ था।
- घ. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक के उत्पादन में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है और इसीलिए, जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट की उस संदर्भ में जांच की जानी चाहिए। यदि आवेदक के क्षमता उपयोग का परिकलन आधार वर्ष में इसकी क्षमता के संदर्भ में जांच की अवधि में इसके उत्पादन के आधार पर किया जाता है, तो इसका क्षमता उपयोग लगभग *** % होगा। तथापि, आवेदक ने वर्ष 2019-2020 में मांग में भावी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता में वृद्धि की थी, जिसमें तथापि ऊपर उल्लिखित कारकों के कारण विलंब हुआ था। क्षमता में इस वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ड. तथापि, यह नोट किया जाता है कि क्षमता में वृद्धि के बाद भी, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता *** केएफकेएम से अधिक भारतीय मांग की तुलना में *** केएफकेएम है। रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़ों पर विचार करते हुए, यह देखा जाता है कि आवेदक द्वारा स्थापित क्षमता का उपयोग अन्य दो मुख्य कंपनियों अर्थात् स्टरलाइट इंडिया और कॉर्निंग इंडिया की क्षमताओं के मुकाबले भारतीय मांग (अर्थात्, उत्पादन के ***% से अधिक) को पूरा करने के लिए किया गया है जो कि मुख्य रूप से (लगभग ***%) कैप्टिव और निर्यात बाजारों की पूर्ति कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्षति रहित कीमत के परिकलन के लिए, आवेदक की सभी निर्धारित लागतों को सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर सामान्य किया जाता है। इस प्रकार, क्षति रहित कीमत पर कम क्षमता उपयोग का प्रभाव आवेदक की कुल निर्धारित लागत को मानकित उत्पादन अर्थात् सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर प्राप्त उत्पादन से विभाजित करके बनाया जाता है। अतः यह नोट किया जाता है कि

आवेदक द्वारा की गई क्षमता वृद्धि को भारतीय मांग के अनुपात में नहीं कहा जा सकता है और इसीलिए यह तर्क कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति इसकी संस्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण हुई है, में सार नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, फुटोंग का अलग-अलग विस्तार पूर्व और विस्तार-पश्चात क्षति विश्लेषण का अनुरोध आवश्यक नहीं है।

- च. यह भी नोट किया जाता है कि पिछले वर्ष (2020-2021) की तुलना में जांच की अवधि में मांग में काफी वृद्धि हुई थी। तथापि, मांग में इस वृद्धि का मुख्य रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा खपत की गई थी। आवेदक के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई थी। तथापि, समर्थक के बाजार हिस्से में काफी गिरावट आई।
- छ. फास्टन ग्रुप के इस तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-2021 के साथ जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग की तुलना अनुचित होगी क्योंकि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-2021 में संबद्ध सामानों की मांग में वैश्विक गिरावट आई थी जिसके कारण आवेदक की महत्वपूर्ण क्षमताओं का कम उपयोग हुआ। वास्तव में, फास्टन ग्रुप ने स्वयं यह अनुरोध किया है कि ऑप्टिकल फाइबर बाजार आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच की अवधि में निराशाजनक स्थितियों से प्रभावित था।
- ज. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की उत्पादन संख्या के विश्लेषण पर यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2020-2021 में वैश्विक मांग में गिरावट और बाद में, कोविड-19 महामारी के कारण गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें सुधार हुआ है। क्षति अवधि के दौरान कॉर्निंग इंडिया के क्षमता उपयोग में भी उतार-चढ़ाव आया है और यह जांच की अवधि के दौरान उच्च स्तर पर रहा है। यह नोट किया जाता है कि कॉर्निंग इंडिया अपने संबद्ध पक्षकारों को की गई महत्वपूर्ण निर्यात बिक्री के कारण इसे बनाए रखने में सक्षम रहा है।
- झ. तथापि, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उक्त कंपनियों की घरेलू बिक्री में कोई तदनुरूपी वृद्धि नहीं हुई है, जो आधार वर्ष के स्तर से नीचे बनी हुई है। आवेदक और कॉर्निंग इंडिया की संयुक्त क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1.	संयुक्त घरेलू बिक्रियां	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	59	88	66
2.	घरेलू बिक्रियों के निमित्त क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	50	75	56

तालिका छ 7

- ज. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि घरेलू बिक्री के लिए उपयोग की गई क्षमता में आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि ये निरंतर संयंत्र हैं, इस उद्योग के लिए इष्टतम क्षमता उपयोग लगभग *** % है, क्योंकि उत्पादन को कम करने अथवा संयंत्र को फिर से शुरू करने से जुड़ी लागत बहुत अधिक है और इसीलिए, यह एक अर्थक्षम विकल्प नहीं है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि इसीलिए उसने लागत से कम कीमत पर बिक्री करने का फैसला लिया है ताकि इसकी क्षमता का यथासंभव इष्टतम उपयोग किया जा सके और बाजार में बना रहे। इसी तरह, भारतीय बाजार में कीमत के अत्यधिक दबाव के कारण, कॉर्निंग इंडिया ने अपने उत्पादन को अधिक लाभकारी निर्यात बिक्री की ओर मोड़ दिया है (अर्थात्, *** रुपये/एफकेएम की औसत घरेलू बिक्री कीमत के मुकाबले *** रुपये/एफकेएम की औसत निर्यात कीमत), जिसके परिणामस्वरूप इसकी घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस तरह की बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉर्निंग इंडिया के संबद्ध

पक्षकारों को किया गया था। अतः, जांच की अवधि में आवेदक अथवा समर्थक के उत्पादन में गिरावट के न होने मात्र को पाटित आयातों के कारण क्षति की कमी का संकेत नहीं माना जा सकता है।

- ट. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि आवेदक के उत्पादन में वर्ष 2020-2021 की दूसरी छमाही में सुधार हुआ है। फुटोंग ने तर्क दिया है कि आवेदक घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बिक्री पर अधिक केंद्रित है। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष सहित पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि ऐसा संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि के कारण हुआ है। कॉर्निंग इंडिया के आंकड़े भी इसी तरह की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। आवेदक की घरेलू बिक्री आधार वर्ष के आंकड़ों से मामूली रूप से कम है और पिछले वर्षों तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कॉर्निंग इंडिया की घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध आयातों के कीमतों न्यूनीकरण और हासमान प्रभावों से आवेदक और समर्थक को उन निर्यात बाजारों की ओर अपनी बिक्री करने के लिए प्रेरित किया है जहां प्राप्त की गई कीमतें अधिक लाभकारी हैं और जो संबद्ध सामानों की निर्यात बिक्री में वृद्धि की व्याख्या करती हैं।
- ठ. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि आवेदक के पास भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक और समर्थक के पास भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा करने की काफी क्षमता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मांग को अन्य भारतीय उत्पादकों तथा संबद्ध सामानों के उचित आयातों के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। वास्तव में, तीन भारतीय उत्पादकों अर्थात् आवेदक, कॉर्निंग इंडिया और स्टर्लाइट इंडिया की संस्थापित क्षमता भारतीय मांग से अधिक है। फिर भी, यह नोट किया जाता है कि भारतीय मांग को पूरा करने में घरेलू उत्पादक की असमर्थता भारतीय बाजार में क्षतिकारक आयातों के अविचलित प्रवेश की अनुमति देने का कारण नहीं हो सकती है।

छ.V.क.IV अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

172. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक के उत्पादन तथा घरेलू और निर्यात बिक्री में जांच की अवधि में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से यह सिद्ध है कि आवेदक घरेलू बाजार की पूर्ति करने के बजाय अपने उत्पादन का निर्यात करने के लिए अधिक इच्छुक है। शुल्क लगाए जाने से घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी होगी।²¹³
- ख. जांच की अवधि में आवेदक का कम क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए बाजार की कमजोर स्थितियों के कारण है। इस प्रकार, आवेदक के कम क्षमता उपयोग के लिए केवल संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।²¹⁴

छ.V.क.V. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

173. घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवादित दावा अथवा अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.V.क.VI प्राधिकारी द्वारा जांच

174. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि आवेदक की घरेलू और निर्यात बिक्री में जांच की अवधि में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आवेदक अपने उत्पादन का निर्यात करने के लिए अधिक इच्छुक है। यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में आवेदक की बिक्री में वृद्धि हुई है और यह लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है। तथापि, घरेलू बिक्री में यह वृद्धि कीमत क्षति करने वाली लागत पर प्राप्त की गई है। जहां तक निर्यात बिक्री में वृद्धि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि कम कीमत वाले आयातों के कारण केवल जांच की अवधि में ही आवेदक की निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है।
175. फिर भी, ऐसी निर्यात बिक्री आवेदक के उत्पादन के दस प्रतिशत से भी कम है और उत्पादन का बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार में बेचा गया है। इसके अतिरिक्त, नीचे पैरा 178 में उल्लिखित कारणों से, यह संभावना नहीं है कि आवेदक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अपनी निर्यात बिक्री में वृद्धि करेगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों में वृद्धि के संबंध में फास्टन समूह के अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि भारत में 'समान वस्तु'

²¹³ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 30-31

²¹⁴ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 32-33

के अनेक उत्पादक हैं। ऐसे उत्पादकों के बीच आगामी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कीमतों में उचित मूल्य से अधिक वृद्धि होगी।

176. फास्टन ग्रुप ने यह टिप्पणी की है कि आवेदक का कम क्षमता का उपयोग जांच की अवधि में वैश्विक स्तर पर बाजार की स्थिति में गिरावट के कारण है। यह नोट किया जाता है कि यह तथ्य फास्टन ग्रुप द्वारा अपने लिखित और प्रत्युत्तर अनुरोधों में किए गए दावों के विपरीत है, जिसमें फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि वित्तीय वर्ष 2019 - 2020 बाजार की मंदी के कारण प्रभावित हुआ था। यह भी नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध मांग से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि मांग आधार वर्ष स्तर के करीब है।

छ.V.ख बाजार हिस्सा

छ.V.ख.I अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

177. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से वर्ष 2019-20 तथा जांच की अवधि में ऊपर की ओर बढ़ा है और इसीलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।²¹⁵ मांग के सापेक्ष घरेलू बिक्री से पता चलता है कि आवेदक का भारत में बाजार की मांग का 64% हिस्सा है।²¹⁶

छ.V.ख.II घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

178. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 24% से जांच की अवधि में 36% तक तेजी से बढ़ा है और उच्चतम स्तर पर है, जबकि आवेदक द्वारा उत्पादित सामान का हिस्सा अभी भी 19% है।²¹⁷

ख. आवेदक अपने द्वारा उत्पादित सामान को लागत से कम कीमत पर बेचने का सचेत निर्णय लेकर ही अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रहा है।²¹⁸

छ.V.ख.III प्राधिकारी द्वारा जांच

179. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों और संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से को दर्शाती है:

बाजार हिस्सा					
विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
आवेदक की बिक्रियां	%	***	***	***	***
रेंज		15 – 25	5 – 15	5 – 15	15 – 25
समर्थक	%	***	***	***	***
रेंज		15 – 25	15 – 25	25 – 35	5 – 15
आवेदक + समर्थक	%	***	***	***	***
रेंज		35 – 45	25 – 35	45 – 55	25 – 35
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
रेंज		25 – 35	55 – 65	35 – 45	35 – 45

²¹⁵ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 11।

²¹⁶ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 13।

²¹⁷ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 14।

²¹⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोधों का पैरा 41।

संबद्ध देश	%	24	12	14	33
रेंज		15 – 25	5 – 15	5 – 15	25 – 35
अन्य देश	%	5	2	3	2
रेंज		0-5	0-5	0-5	0-5
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

तालिका छ 8

180. एचएफसीएल ने तर्क दिया है कि आवेदक का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में वर्ष 2019-2020 की तुलना में ऊपर की ओर बढ़ा है और इसीलिए, आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि कॉर्निंग इंडिया की घरेलू बिक्री में काफी गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है, तथापि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई है। इस प्रकार, आवेदक भारतीय खपत में वृद्धि का पूरा लाभ उठाने में सक्षम नहीं था।
181. यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों ने आवेदक और समर्थक से अलग-अलग उत्तर मांगे हैं। यद्यपि आवेदक ने अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए अपनी बिक्री कीमत कम की, तथापि समर्थक की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है और इसकी निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में समर्थक के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है। आवेदक को अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए कीमत क्षति हुई है। इसके साथ ही, समर्थक कॉर्निंग इंडिया को मात्रात्मक हानियां हुई थीं क्योंकि वह कीमत दबाव को समायोजित करने में सक्षम नहीं था। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि कॉर्निंग इंडिया की ***% से अधिक निर्यात बिक्री इसके संबद्ध पक्षकारों को हुई है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल विनिर्माता हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि इसका संयंत्र विशेष रूप से भारतीय मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। कॉर्निंग इंडिया के विपरीत, इसके पास अपने उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात करने का विकल्प नहीं था क्योंकि उन बाजारों में इसके संबद्ध पक्षकार फुरुकावा की कई संयुक्त उद्यम इकाइयां हैं जो पहले से ही ऐसे बाजारों में मांग को पूरा कर रही थीं।

छ.V.ख.IV अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

182. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विवादित अनुरोध अथवा मुद्दे नहीं उठाए गए हैं।

छ.V.ग. लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ

छ.V.ग.I. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

183. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. प्राधिकारी को आवेदक के दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि वे संगठन की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं।²¹⁹
- ख. आवेदक के कमीशन, छूट रियायत और माल दुलाई से संबंधित आंकड़ों में 794% तक वृद्धि हुई है।²²⁰ प्राधिकारी को इसका सत्यापन करना चाहिए। आंकड़ों में इस तरह की उच्च वृद्धि खराब व्यावसायिक निर्णयों को दर्शाती है और इसीलिए क्षति स्व-प्रभावित होती है।²²¹
- ग. नकारात्मक नकद लाभ के पीछे का कारण आवेदक द्वारा अपने वित्तीय विवरण में बताया गया है।²²²

²¹⁹ एचएफसीएल के लिखित अनुरोधों का पैरा 15।

²²⁰ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 54।

²²¹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 55।

²²² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 56।

""समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का प्रचालन से राजस्व पिछले वर्ष 925.33 मिलियन रुपये के प्रचालनों से राजस्व की तुलना में 1162.47 मिलियन रुपये था। यह पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 26% तक अनुमानित वृद्धि को दर्शाता है। आपकी कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान

- घ. निवेश पर कम आय के लिए आयात को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। बाजार की मंदी की स्थिति के कारण, आवेदक अपने निवेश पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं था। जांच की अवधि के दौरान, आवेदक की निवेश पर आय में सुधार हुआ है।
- ड. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए देश-वार आयात आंकड़े यह भी सिद्ध करते हैं कि आधार वर्ष के बाद के वर्षों में संबद्ध सामानों की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई थी और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।²²³
- च. ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी²²⁴ में सेसटेट के निर्णय के आलोक में नियोजित पूंजी पर 22% आय उचित नहीं है।²²⁵
- छ. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को उस अवधि से आवेदक की पिछली आय पर विचार करना चाहिए जब कोई पाटन नहीं था और उसे क्षति रहित कीमत निकालने के लिए उचित आय के रूप में अपनाना चाहिए।²²⁶
- ज. प्राधिकारी को क्षतिरहित कीमत के परिकलन में उचित आय की अनुमति देने के लिए यूरोपीय उर्वरक निर्माता संघ (ईएफएमए) बनाम काउंसिल²²⁷ में यूरोपीय संघ की परिपाटी और यूरोपीय न्यायालय के निर्णय का पालन करना चाहिए।²²⁸
- झ. प्राधिकारी को आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह 100% ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है।²²⁹ आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह वर्ष 2019-20 से पहले उचित लाभ अर्जित कर रहा था और अज्ञात कारणों से, वर्ष 2019-2020 में आवेदक के लाभ में गिरावट आई। आवेदक के निष्पादन में वर्ष 2020-21 में सुधार हुआ।²³⁰

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 302.मिलियन रुपये 62 की हानि की तुलना में 104 .मिलियन रुपये क 65 की निबल हानि हुई हुई है, जो चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक स्थितियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष से काफी सुधार दर्शाता है। कंपनी द्वारा देखे गए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हुई हानि को वैश्विक स्तर पर कमजोर बाजार स्थितियों और कंपनी के उत्पाद की कमजोर मांग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके कारण कंपनी की लाभप्रदता पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ा है, इसके अतिरिक्त समग्र रूप से अर्थव्यवस्था बाजारों पर/ कोविड-19 के भारी प्रभाव पड़े हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 को एक अभूतपूर्व वर्ष कहा जा सकता है क्योंकि मार्च, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किए गए कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड-19) का पता चलने से व्यक्तियों और व्यवसायों को समान रूप से परेशानी हुई है क्योंकि इसका वैश्विक रूप से उसका प्रभाव पड़ता रहा है। अधिकतर देशों ने पूर्ण अथवा आंशिक लॉकडाउन लगाया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी आई है, भारत भी इससे अलग नहीं है। इस स्थिति के कारण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के उत्पादों की मांग बेहद कम रही। वर्ष की दूसरी छमाही में स्थितियों में मामूली सुधार देखा गया जिसमें अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे खुली-, जिसके परिणामस्वरूप मांग में सुधार हुआ। तथापि, भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन के मजबूत पुनरुत्थान और वर्ष 2021 की शुरुआत से दूसरी तीसरी लहर ने एक बार फिर समग्र आर्थिक / भावना और गति को कम कर दिया है, जिसने वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। अतः, कई भौगोलिक क्षेत्रों में नए सिरे से प्रतिबंधों और लॉकडाउन के कारण, बाजार अनिश्चित रूप से प्रचालन, योजना, वित्तपोषण, ऑप्टिकल फाइबर की आपूर्ति श्रृंखला और ऑप्टिकल फाइबर केबल विनिर्माताओं को बाधित कर रहा है।

²²³ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 19।

²²⁴ 2011 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 3694 (पैरा 28)।

²²⁵ वर्ष 2007 की पाटनरोधी अपील संख्या 06 (पैरा 2 और 3)।

²²⁶ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 12।

²²⁷ [1999] ईसीआर II – 3291. न्यायालय ने माना कि: "यह इस प्रकार है कि परिषद द्वारा उपयोग किया जाने वाला लाभ मार्जिन लक्ष्य मूल्य का परिकलन करते समय उपयोग किया जाता है जो प्रश्रुत क्षति को दूर करेगा, जो लाभ मार्जिन तक सीमित होना चाहिए, जो पाटित आयातों के अभाव में, प्रतिस्पर्धा की सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत सामुदायिक उद्योग उपयुक्त रूप से मान सकता है। यह सामुदायिक उद्योग को लाभ मार्जिन की अनुमति देने के लिए मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और 13(3) के अनुरूप नहीं होगा, जो यदि कोई पाटन नहीं होता, तो इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी।"

²²⁸ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 12।

²²⁹ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8 (ग) (ग)।

²³⁰ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8 (ग) (ग)।

ज. प्राधिकारी को वर्ष 2019-2020 में आवेदक की ब्याज लागत में अत्यधिक वृद्धि (100 से 305) की जांच करनी चाहिए। यद्यपि ब्याज लागत में बाद में गिरावट आई है, तथापि वह आधार वर्ष स्तर से ऊपर है।²³¹

ट. संस्थापित क्षमता में वृद्धि से नियोजित औसत पूंजी में गिरावट आई है जो उचित नहीं है।²³²

छ.V.ग.II घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

184. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. अपनी उत्पादन लागत को कम करने के कई प्रयास करने के बावजूद आवेदक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में लाभदायक बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है।²³³

ख. आवेदक अपने निवेश पर आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है।²³⁴

ग. इस दावे के संबंध में कि ऋण पर ब्याज की कम दर के कारण 22% आरओसीई अनुपयुक्त है, यह अनुरोध किया जाता है कि लागत दोनों ऋणों के साथ-साथ इक्विटी पर खर्च की जाती है, और इक्विटी तत्व पर लागत बहुत अधिक है। इस पर विचार करते हुए, आरओसीई पर 22% आय क्षति रहित कीमत के परिकलन के लिए उपयुक्त नहीं है।

घ. माननीय अधिकरण ने अपने कई निर्णयों²³⁵ में नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करने की परिपाटी मानी है।²³⁶

ड. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया है जो प्राधिकारी की निरंतर परिपाटी से विचलन के औचित्य को प्रमाणित करता हो।²³⁷

छ.V.ग.III प्राधिकारी द्वारा जांच

185. निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग और समर्थक के वित्तीय मानदंडों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
क	बिक्रियों की लागत					
1	बिक्रियों की लागत – आवेदक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	105	68	60
2	बिक्रियों की लागत – समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	65	65
3	बिक्रियों की लागत - आवेदक + समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	87	65	63
ख	बिक्री कीमत					
1	बिक्री कीमत – आवेदक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	65	56	54

²³¹ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8(ग) (घ)।

²³² फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 8(ग) (च)।

²³³ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 50।

²³⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 53।

²³⁵ किंगदाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (2018 (364) ई.एल.टी. 852 (त्रि.-डेल.); पर्सटॉप केमिकल्स जीएमबीएच और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2017 (357) ई.एल.टी. 397 (त्रि.-डेल.); गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2017 (345) ईएलटी 144 (त्रि.-डेल.); तांगशान संयौ गुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ।

²³⁶ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 16।

²³⁷ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 17।

2	बिक्री कीमत- समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	72	56	55
3	बिक्री कीमत - आवेदक + समर्थक	रु./एफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	69	55	56
ग	लाभ/(हानि)					
1	लाभ/(हानि) – आवेदक	रु./एफकेएम	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(25)	(69)	(67)
2	लाभ/(हानि) – समर्थक	रु./एफकेएम	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(25)	(69)	(85)
3	लाभ/(हानि) - आवेदक + समर्थक	रु./एफकेएम	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(25)	(69)	(73)
4	लाभ/(हानि) – आवेदक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(167)	(50)	(13)
5	लाभ/(हानि) – समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(19)	(79)	(32)
6	लाभ/(हानि) - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(95)	(64)	(22)
घ	पीबीआईटी					
1	पीबीआईटी – आवेदक	लाख रु.	***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(118)	(26)	16
2	पीबीआईटी – समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(782)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(18)	(77)	(32)
3	पीबीआईटी - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(289)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(73)	(49)	(5)
ङ	नकद लाभ					
1	नकद लाभ – आवेदक	लाख रु.	***	(***)	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(63)	0	29
2	नकद लाभ – समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	0	(42)	(11)
3	नकद लाभ - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(40)	(15)	10
च	आरओसीई					
1	आरओसीई – आवेदक	%	***	(***)	(***)	***

	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(134)	(32)	4
2	आरओसीई - समर्थक	%	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(20)	(68)	(60)
3	आरओसीई - आवेदक + समर्थक	%	***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(83)	(49)	(8)

तालिका छ 9

186. यह देखा जाता है कि आवेदक की बिक्री की यूनिट लागत तथा यूनिट बिक्री कीमत में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह जांच की अवधि में अपने न्यूनतम मूल्यों पर है। बिक्री लागत में गिरावट मुख्य रूप से कच्ची सामग्री अर्थात् प्रीफॉर्म की कीमतों में गिरावट के कारण है। कॉर्निंग इंडिया के आंकड़ों में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।
187. आवेदक का यूनिट बिक्री मूल्य वर्ष 2019-2020 में बिक्री यूनिट लागत से कम हो गया था लेकिन वर्ष 2020-2021 में उसमें उस समय मामूली सुधार हुआ, जब संबद्ध देशों से आयात मात्रा में काफी गिरावट आई थी। तथापि, संबद्ध देशों से कम कीमत वाले पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ आवेदक की यूनिट बिक्री कीमत जांच की अवधि में बिक्री यूनिट लागत से कम हो गई है। कॉर्निंग इंडिया के आंकड़ों में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की यूनिट बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री यूनिट लागत में गिरावट के अनुरूप नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों का पहुंच मूल्य भी जांच की अवधि में न्यूनतम स्तर पर था। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग ने समान वस्तु को बिक्री लागत से कम कीमत पर बेचा है जिससे उसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि यूनिट बिक्री कीमत उत्पादन की यूनिट लागत से कम रही है।
188. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फुटोंग ने तर्क दिया है कि आवेदक को अपनी संस्थापित क्षमता बढ़ाने के निर्णय के कारण क्षति का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि समर्थक, कॉर्निंग इंडिया ने अपनी संस्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की है और फिर भी, इसने जांच की अवधि में हानि दर्ज की है।
189. यह नोट किया जाता है कि आवेदक के नकद लाभ, पीबीआईटी, साथ ही आरओसीई में आधार वर्ष के बाद से काफी गिरावट आई है। यहां तक कि जांच की अवधि में मांग की बहाली के बाद भी आवेदक लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है।
190. नकारात्मक नकद लाभ के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ, यद्यपि काफी अपर्याप्त था, तथापि नकारात्मक नहीं था। वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय विवरण में कमजोर मांग के कारण नकारात्मक नकद लाभ का दिया गया संदर्भ वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बाजार की स्थिति से संबंधित है न कि जांच की अवधि से।
191. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि छूट, माल दुलाई और कमीशन से संबंधित आवेदक के आंकड़े अधिक हैं। प्राधिकारी ने छूट/रियायत और माल दुलाई खर्च सत्यापित किया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसे संबद्ध देशों से कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के बराबर छूट/रियायत देकर अपनी बिक्री कीमत कम करनी पड़ी है। संबद्ध आयातों से कीमत दबाव इस तथ्य से सिद्ध है कि जांच की अवधि के दौरान आयात कीमत (अर्थात् *** रुपये/एफकेएम) घरेलू उद्योग की रियायती बिक्री कीमत (अर्थात् *** रुपये/एफकेएम) से काफी कम थी। अतः, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई छूट/रियायत कम कीमत वाले आयातों के कारण हैं न कि घरेलू उद्योग द्वारा किसी खराब वित्तीय निर्णय के कारण।
192. वर्ष 2019-2020 में आवेदक की ब्याज लागत में अचानक वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा किए जा रहे ब्याज की जांच की है, और केवल ऐसी ब्याज लागत, जो उचित पाई गई है, क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी का निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के प्रावधान और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है।
193. फास्टन ग्रुप ने तर्क दिया है कि आवेदक बाजार की मंदी की स्थिति के कारण अपने निवेश पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है न कि आयातों के कारण। इसने यह भी दावा किया है कि जांच की अवधि में आवेदक की आय में सुधार हुआ है।

च	आरओसीई					
1	आरओसीई – आवेदक	%	***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(134)	(32)	4

तालिका छ 10

194. यह नोट किया जाता है कि नियोजित पूंजी पर आवेदक की आय में कुछ वर्षों में गिरावट आई है और वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में नकारात्मक आय दर्ज की गई है। आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्वीकार किया है कि पूर्वोक्त अवधि बाजार की मंदी की स्थिति और कोविड-19 के प्रभाव के कारण प्रभावित हुई थी। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदक का आरओसीई काफी कम है। मांग में वैश्विक गिरावट से जांच की अवधि प्रभावित नहीं हुई थी। यहां तक कि भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की मांग लगभग आधार वर्ष के स्तर पर पहुंच गई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच की अवधि में आवेदक का आरओसीई बाजार की मंदी की स्थितियों से प्रभावित हुआ है।
195. फुटोंग ने अनुरोध किया है कि संस्थापित क्षमता में वृद्धि के बाद भी नियोजित औसत पूंजी में गिरावट अनुचित है। यह नोट किया जाता है कि संस्थापित क्षमता में वृद्धि के बाद भी नियोजित पूंजी में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा अपनी बहियों में रखी गई परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण है।
196. जहां तक लघु और दीर्घकालिक ऋणों के प्रभाव के संबंध में एचएफसीएल के अनुरोधों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सभी ऋणों और अग्रिमों की जांच की गई है और उचित सीमा तक अनुमति दी गई है।

छ.V.ग.IV अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

197. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी ने आवेदक के कमीशन, छूट, माल ढुलाई और छूट में उच्च वृद्धि के लिए अस्पष्ट कारण प्रदान किए हैं जो आवेदक की ओर से खराब वाणिज्यिक निर्णयों का संकेत देते हैं और इसीलिए, क्षति, यदि कोई हो, तो वह स्व-प्रभावित है।²³⁸

ख. निवेश पर आवेदक की कम आय बाजार की मंदी की स्थिति के कारण है और इसके लिए आयात जिम्मेदार नहीं हैं।²³⁹

छ.V.ग.V घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

198. घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवादित मुद्दा अथवा अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.V.ग.VI प्राधिकारी द्वारा जांच

199. फास्टन ने यह तर्क दिया है कि प्रकटन विवरण आवेदक की छूट, माल ढुलाई और छूट में उच्च वृद्धि के पीछे के कारण को स्पष्ट नहीं करता है। फास्टन ग्रुप के अनुसार, छूट, माल ढुलाई और छूट में इस तरह की उच्च वृद्धि घरेलू उद्योग के खराब वाणिज्यिक निर्णय को दर्शाती है और इसीलिए, क्षति, यदि कोई हो, तो वह स्व-प्रभावित है। जैसा कि ऊपर पैरा 188 में उल्लेख किया गया है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने यह स्पष्ट किया है कि उसे अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए विचाराधीन उत्पाद के कम कीमत वाले पाटित आयातों के बराबर रखने के लिए अपने ग्राहकों को छूट की पेशकश करनी पड़ी।
200. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक की निवेश पर कम आय बाजार की मंदी की स्थिति के कारण है, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई थी और लगभग आधार वर्ष के स्तर पर थी और इसीलिए, बाजार की मंदी स्थितियों को आवेदक की निवेश पर कम आय के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

छ.V.घ. मालसूची**छ.V.घ.I. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

²³⁸ फास्टन ग्रुप के प्रकटन पश्चात अनुरोधों का पैरा 34

²³⁹ फास्टन ग्रुप की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 38

201. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. मालसूची का जमा होना अपने आप में क्षति और खराब आर्थिक निष्पादन²⁴⁰ का संकेतक नहीं है जैसा कि ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी²⁴¹ में सेसटेट द्वारा माना गया है।

छ.V.घ.II घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

202. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जांच की अवधि के दौरान आवेदक की मालसूची में काफी वृद्धि हुई है।²⁴²

छ.V.घ.III प्राधिकारी द्वारा जांच

203. निम्नलिखित तालिका आवेदक और समर्थक की मालसूची के आंकड़े दर्शाती है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	औसत स्टॉक – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	133	228
2	औसत स्टॉक – समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	141	149	78
3	औसत स्टॉक - आवेदक + समर्थक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	141	146	104

तालिका छ 11

204. यह नोट किया जाता है कि आवेदक के औसत स्टॉक में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है, यद्यपि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की पर्याप्त मांग थी। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के कम कीमत वाले आयातों की भारी मात्रा के कारण वह अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर उनकी पेशकश करने के बाद भी 'समान वस्तु' की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के लिए भारतीय मांग में वृद्धि को पूरी तरह से संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा समाहित कर लिया गया जिसके कारण मालसूची में वृद्धि हुई है। कॉर्निंग इंडिया की मालसूची लगातार बढ़ी है लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि कॉर्निंग इंडिया ने जांच की अवधि में काफी निर्यात बिक्री की है जिसके कारण इसकी मालसूची काफी कम हो गई है।

205. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि केवल मालसूची का जमा होना क्षति का संकेतक नहीं हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच और घरेलू उद्योग को क्षति प्रत्येक जांच के तथ्यों के लिए विशिष्ट है। किसी एक मानदंड अथवा कई मानदंडों पर न तो अनुपस्थिति और न ही क्षति की मौजूदगी को घरेलू उद्योग को क्षति का स्वाभाविक अथवा निर्धारक माना जा सकता है।

छ.V.घ.IV प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

206. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विवादित मुद्दा अथवा अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.V.ङ. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

छ.V.ङ.I. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

207. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

²⁴⁰ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 51; फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 45।

²⁴¹ 2011 एससीसी ऑनलाइन सेसटेट 3694 (पैरा 28)।

²⁴² वीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 51।

क. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान आवेदक की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई है। उत्पादकता की प्रवृत्ति आवेदन पत्र में दिए गए औसत उद्योग के मानदंड से भी बेहतर है।²⁴³

ख. प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सुधार हुआ है। रोजगार में गिरावट के बावजूद उत्पादकता में सुधार दर्शाता है कि रोजगार में कमी क्षति का संकेतक नहीं है।²⁴⁴

छ.V.ड.II. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

208. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. रोजगार के स्तरों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई है क्योंकि अल्पावधि में कार्यबल में बदलाव करना उचित नहीं होता है। तथापि, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हो रही क्षति को देखते हुए अंततः इससे हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली उत्पादन सुविधाएं बंद हो जाएंगी।²⁴⁵

छ.V.ड.III. प्राधिकारी द्वारा जांच

209. निम्नलिखित तालिका आवेदक के मजदूरी, रोजगार और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े दर्शाती है:

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता						
क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
क	मजदूरी					
1	मजदूरी – आवेदक	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	83	94
2	मजदूरी - समर्थक	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	110	116
3	मजदूरी - आवेदक + समर्थक	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	104	111
ख	रोजगार					
1	रोजगार – आवेदक	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	80	79
2	रोजगार – समर्थक	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	99	98
3	रोजगार - आवेदक + समर्थक	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	93	92
ग	उत्पादकता					
1	उत्पादकता प्रति दिन – आवेदक	केएफकेएम/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	36	53	109

²⁴³ फुटोंग के लिखित अनुरोधों का 8 (ग) (ड)।

²⁴⁴ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोधों का पैरा 61।

²⁴⁵ वीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 52।

2	उत्पादकता प्रति दिन – समर्थक	केएफकेएम/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	83	95	108
3	उत्पादकता प्रति दिन - आवेदक + समर्थक	केएफकेएम/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	68	82	108
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता – आवेदक	केएफकेएम/ कर्मचारियों की सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	83	96	110
5	प्रति कर्मचारी उत्पादकता – समर्थक	केएफकेएम/ कर्मचारियों की सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	83	96	110
6	प्रति कर्मचारी उत्पादकता - आवेदक + समर्थक	केएफकेएम/कर्मचा रियों की सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	70	88	117

तालिका छ 12

210. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में रोजगार में लगातार गिरावट आई है और यह जांच की अवधि में सबसे निचले स्तर पर है। घरेलू उद्योग में संबद्ध सामानों के उत्पादन में शामिल कर्मचारियों की संख्या में *** प्रतिशत तक गिरावट आई है। भारतीय उद्योग के लिए रोजगार का स्तर भी कम हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी की राशि में भी जांच की अवधि में गिरावट आई है जो कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण हो सकती है। कॉर्निंग इंडिया द्वारा भुगतान की गई मजदूरी की राशि उसके द्वारा की गई लाभकारी निर्यात बिक्री के कारण जांच की अवधि में बढ़ गई है।
211. संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट के परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों के उत्पादन में गिरावट के कारण आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-2020 के दौरान आवेदक की प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट आई है। तथापि, बाद में मांग में वृद्धि के साथ, वर्ष 2020-2021 से उत्पादकता में सुधार हुआ है और यह जांच की अवधि में आधार वर्ष के स्तर से ऊपर है।

छ.V.ड.IV अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

212. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. इस तथ्य को देखते हुए कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सकारात्मक सुधार हुआ है, रोजगार में मामूली कमी क्षति का सूचक नहीं है।²⁴⁶ उत्पादकता में सुधार यह सिद्ध करता है कि आवेदक कम संसाधनों के साथ अधिक प्राप्त करने में सक्षम रहा है।²⁴⁷

छ.V.ड.V घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

213. घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवादित अनुरोध अथवा मुद्दे नहीं उठाए गए हैं।

छ.V.ड.VI प्राधिकारी द्वारा जांच

214. फास्टन ने यह तर्क दिया है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद आवेदक की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार को सिद्ध करता है। यह नोट किया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर उद्योग एक पूंजी गहन उद्योग है और इसीलिए, रोजगार में मामूली कमी उद्योग की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करेगी। फिर भी, यह नोट किया जाता है कि आवेदक के उत्पादकता मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। तथापि, यह वृद्धि आवेदक द्वारा 'समान वस्तु' के उत्पादन में वृद्धि के कारण है। इसके अतिरिक्त, इसे आवेदक की मालसूची में वृद्धि के साथ सहसंबंध में देखा जाना चाहिए।

²⁴⁶ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 36

²⁴⁷ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 37

इस प्रकार, यद्यपि आवेदक ने अपना उत्पादन बढ़ाया जिसके कारण इसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई, आवेदक संबद्ध सामानों के कम कीमत वाले पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी 'समान वस्तु' को बेचने में सक्षम नहीं था।

छ.V.च. वृद्धि

215. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संदर्भ में वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	जांच की अवधि	आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि
क	उत्पादन					
1	उत्पादन- आवेदक	%	(***)	***	***	***
2	उत्पादन- समर्थक	%	(***)	***	***	***
3	उत्पादन- संयुक्त	%	(***)	***	***	***
ख	घरेलू बिक्रियां					
1	घरेलू बिक्रियां- आवेदक	%	(***)	***	***	(***)
2	घरेलू बिक्रियां – समर्थक	%	(***)	***	(***)	(***)
3	घरेलू बिक्रियां – संयुक्त	%	(***)	***	(***)	(***)
ग	लाभ/हानि (लाख रु.)					
1	लाभ/हानि- आवेदक	%	(***)	(***)	(***)	(***)
2	लाभ/हानि-समर्थक	%	(***)	(***)	(***)	(***)
3	लाभ/(हानि)-संयुक्त	%	(***)	(***)	(***)	(***)
घ	आरओसीई					
1	आरओसीई- आवेदक	%	(***)	***	***	(***)
2	आरओसीई –समर्थक	%	(***)	***	***	(***)
3	आरओसीई -संयुक्त	%	(***)	***	***	(***)
घ	मालसूची					
1	मालसूची- आवेदक	%	***	(***)	***	***
2	मालसूची- समर्थक	%	***	***	(***)	(***)
3	मालसूची- संयुक्त	%	***	***	(***)	***
ङ	बाजार हिस्सा					
1	बाजार हिस्सा- आवेदक	%	(***)	***	***	***
2	बाजार हिस्सा- समर्थक	%	(***)	***	(***)	(***)
3	बाजार हिस्सा- संयुक्त	%	(***)	***	(***)	(***)

तालिका छ 13

216. उपर्युक्त से, यह देखा जाता है कि अधिकांश मानदंडों ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि दर्शाई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछले वर्ष बाजार कोविड-19 महामारी के कारण विकृत था। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जहां संबद्ध सामानों की मांग जांच की अवधि के स्तर की तरह थी, लगभग सभी मानदंडों ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में बाजार में सुधार की पूरी क्षमता वसूल नहीं कर पाया है क्योंकि मांग में वृद्धिशील वृद्धि पूरी तरह से संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा समाहित कर ली गई है।

छ.V.छ पाटन की मात्रा

217. जैसा कि तालिका च 1 में ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी है। यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों का पाटन मार्जिन भी न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है।

छ.V.ज पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

218. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि स्ट्रलाइट इंडिया को छोड़कर सभी भारतीय उत्पादक ऑप्टिकल फाइबर के उत्पादन के लिए प्रीफॉर्म का आयात कर रहे हैं। ये उत्पादक प्रीफॉर्म विनिर्माण संयंत्र और सहायक संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं। तथापि, ऐसी योजनाओं का प्रचालन तेजी से कठिन और बल्कि अव्यावहारिक हो गया है क्योंकि परिणामी उत्पाद (ऑप्टिकल फाइबर) का उत्पादन स्वयं संबद्ध देशों से पाटित संबद्ध सामानों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण गैर-अर्थक्षम हो गया है। भारतीय उद्योग पर्याप्त कीमतें प्राप्त करने में सक्षम नहीं है जिसके कारण पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।²⁴⁸
219. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को लगातार हो रही हानि से पूंजी जुटाने की इसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए आवेदक ने वर्ष 2019-20 में संयंत्र और मशीनरी में काफी निवेश किया था। तथापि, जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि के बावजूद, आवेदक का निष्पादन काफी खराब हो गया है, और इस प्रकार भावी पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता समाप्त हो गई है।

छ.V.झ क्षति संबंधी विविध अनुरोध

छ.V.झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

220. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. प्राधिकारी को भारत में समान वस्तु के सभी घरेलू उत्पादकों के क्षति मानदंडों का विश्लेषण करना चाहिए।²⁴⁹नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (i) में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे समान वस्तुओं के सभी घरेलू उत्पादकों पर संबद्ध आयातों के प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच के आधार पर क्षति का निर्धारण करें।²⁵⁰
- ख. अक्ष ऑप्टिकल फाइबर और फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज अच्छा निष्पादन कर रहे हैं और इसीलिए, उन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।²⁵¹ अक्ष और फिनोलेक्स को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि वे घरेलू बाजार में मौजूदा घरेलू उद्योग की तुलना में उंची कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम नहीं हैं।²⁵²
- ग. पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने चीन जन. गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर की पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने की सिफारिश की थी क्योंकि उन्होंने पाया था कि अन्य घरेलू उत्पादकों के आयात और आपूर्तियां बाजार में कीमत संरचना²⁵³ को आकार दे रहे थे।²⁵⁴

²⁴⁸ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 13

²⁴⁹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 6; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 17।

²⁵⁰ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 7।

²⁵¹ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 6; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 17।

²⁵² फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 6; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 17

²⁵³ चीन जन. गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच का पैरा 99 फा.सं. 14/49/2016-डीजीएडी।

ज. घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक"

- घ. सितंबर, 2022 की सीआरयू रिपोर्ट यह दर्शाती है कि ऑप्टिकल फाइबर की कीमतें पहले से ही ऊंचे स्तर पर हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। घरेलू कीमतें आयात कीमतों के बराबर हैं।²⁵⁵
- ङ. प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए जो यह सिद्ध करेगा कि घरेलू उद्योग के मानदंडों में काफी सुधार हुआ है।²⁵⁶
- च. प्राधिकारी को वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में आवेदक के अनुरोधों को अस्वीकार कर देना चाहिए।²⁵⁷ वास्तविक क्षति का खतरा जांच की शुरुआत की अधिसूचना का भाग नहीं था और आवेदक ने पहली बार मौखिक सुनवाई के स्तर पर यह दावा किया है।²⁵⁸

छ.V.झ.॥. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

221. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों पर पिछली रक्षोपाय जांच में 25% के अनंतिम शुल्क की सिफारिश की थी और अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से 10% के निश्चयात्मक शुल्क की सिफारिश की गई थी। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। विवादित जांच में कई हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया था कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पाटनरोधी उपाय अधिक उपयुक्त थे।²⁵⁹
- ख. आवेदक और साथ ही समर्थक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण काफी कीमत और मात्रात्मक क्षति हो रही है।²⁶⁰
- ग. प्राधिकारी को क्षति विश्लेषण के लिए कॉर्निंग इंडिया के आंकड़ों पर भी विचार करना चाहिए।²⁶¹
- घ. जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध सामानों के आयातों में काफी वृद्धि हुई है और यहां तक कि जांच की अवधि के स्तर को भी पार कर गया है।²⁶²
- ङ. संबद्ध देशों में उनकी घरेलू मांग की तुलना में अत्यधिक क्षमता विद्यमान है।²⁶³
- च. यूरोपीय संघ ने चीन जन. गण. से ऑप्टिकल फाइबर केबल के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है जिसे ऑप्टिकल फाइबर अर्थात् विचाराधीन उत्पाद से विनिर्मित किया जाता है जिसके कारण चीन जन. गण. के उत्पादकों के पास विचाराधीन उत्पाद के स्टॉक में काफी वृद्धि हुई है।

99. यह जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध सामानों के लिए भारत में अच्छी मांग है। भले ही घरेलू उद्योग का बाजार में एक बड़ा हिस्सा है, उनका दावा है कि आयात कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। तथापि, यह तथ्य कि एक अन्य भारतीय उत्पादक, जिसके पास एक प्रमुख बाजार हिस्सा है, भी संबद्ध सामानों की बाजार कीमतों को प्रभावित करने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपनी है। प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (गैर याचिकाकर्ता उत्पादक) की कीमतें आयात कीमतों से लगातार अधिक हैं और फिर भी उनके पास भारतीय मांग का अधिकतर हिस्सा है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास / किया है जिससे उन्हें वित्तीय हानियां हुई हैं। संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात मात्रा में मामूली हैं और घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन देशों द्वारा पेश की गई कीमतें काफी अधिक हैं। उत्पाद की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और इसीलिए घरेलू उद्योग द्वारा झेले जा रहे कीमतों न्यूनीकरण और ह्रास के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकता है। इसके मद्देनजर, अन्य उत्पादक (गैर) याचिकाकर्ता उत्पादक के आयात और आपूर्तियां भारत में घरेलू उद्योग के संबद्ध सामानों की कीमत संरचना को आकार दे रही हैं।"

²⁵⁴ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 7; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 18।

²⁵⁵ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 20।

²⁵⁶ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 16

²⁵⁷ एचएफसीएल के लिखित अनुरोध का पैरा 24।

²⁵⁸ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 5, 7; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 47।

²⁵⁹ बीएफएल के लिखित अनुरोध के पैरा 23 - 27।

²⁶⁰ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 28।

²⁶¹ कॉर्निंग इंडिया के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 12।

²⁶² बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 54। (बीएफएल के लिखित अनुरोध के पैरा 54 में चार्ट भी देखें।)

²⁶³ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 56। (बीएफएल के लिखित अनुरोध के पैरा 57 के नीचे चार्ट भी देखें।)

छ. परिणामस्वरूप, चीन के उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादन का 30% भारत में निर्यात किया है।²⁶⁴

छ.V.झ.III प्राधिकारी द्वारा जांच

222. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को अनुबंध-II में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार सभी घरेलू उत्पादकों पर पाटित संबद्ध सामानों के प्रभाव की जांच करनी चाहिए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि अक्ष ऑप्टिफाइबर और फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है क्योंकि वे अच्छा निष्पादन कर रहे हैं। आवेदक ने क्षति विश्लेषण में कॉर्निंग इंडिया के आंकड़ों पर विचार करने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर सहित जांच की शुरुआत के स्तर पर अन्य घरेलू उत्पादकों को परिचालित की गई थी। इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान, अक्ष ऑप्टिफाइबर और फिनोलेक्स टेक्नोलॉजीज को सूचित किया गया था और उनसे क्षति मानदंडों के बारे में आंकड़े मांगे गये थे। तथापि, दोनों उत्पादकों में से किसी ने भी संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी, जांच में भाग न लेने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि वे उत्पादक अच्छा निष्पादन कर रहे हैं अथवा उन्हें क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कॉर्निंग इंडिया और स्टर्लाइट इंडिया ने आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र का समर्थन किया है। स्टर्लाइट इंडिया द्वारा किए गए आयात की काफी मात्रा के कारण, स्टर्लाइट इंडिया को एक अपात्र उत्पादक के रूप में माना गया है। तदनुसार, क्षति विश्लेषण पात्र भारतीय उत्पादकों अर्थात् आवेदक और कॉर्निंग इंडिया द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित है।
223. फास्टन ग्रुप और एचएफसीएल दोनों ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र में 'क्षति के खतरे' से संबंधित आरोप निहित नहीं थे। यह नोट किया जाता है कि 'क्षति के खतरे' से संबंधित आवेदक के आरोप उसके आवेदन पत्र का हिस्सा नहीं थे। तदनुसार, प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया है।
224. एचएफसीएल ने जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के विश्लेषण का अनुरोध किया है। यह नोट किया जाए कि मूल जांच में क्षति विश्लेषण जांच की अवधि के आंकड़ों पर आधारित है। अतः जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है।

छ.V.I.IV अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

225. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी को उस तरीके का उल्लेख करना चाहिए जिसमें क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए रेंज निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है।²⁶⁵

छ.V.I.V घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

226. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाए जाने का अनुरोध करता है और कार्यालय ज्ञापन फा. संख्या 4/15/2018-डीजीटीआर (भाग-III) दिनांक 18 जून, 2019²⁶⁶ पर विश्वास करता है, जिसमें यह नोट किया गया था कि प्राधिकारी, मामले के तथ्य, निर्धारित शुल्क, यथामूल्य शुल्क अथवा संदर्भ कीमतों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।²⁶⁷

ख. विचाराधीन उत्पाद पर लागू सीमा प्रशुल्क शीर्ष 9001 1000, एक समर्पित प्रशुल्क शीर्ष नहीं है और ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर बंडल आदि सहित अन्य उत्पादों पर भी लागू होता है। उक्त शीर्ष के लिए निर्दिष्ट माप की इकाई किलोग्राम²⁶⁸ में है। एफकेएम में संबद्ध सामानों के लिए मात्रा घोषित करने के लिए लागू सीमा प्रशुल्क शीर्ष के अंतर्गत

²⁶⁴ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 59। (बीएफएल के गोपनीय लिखित अनुरोध का चित्र 6 भी देखें।)

²⁶⁵ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पैरा 26

²⁶⁶ <https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Methodology%20regarding%20various%20forms%20of%20ADDCVD.pdf>

²⁶⁷ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 19

²⁶⁸ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 16

कोई अपेक्षा नहीं है, प्रति एफकेएम आयात की मॉनीटरिंग करना मुश्किल होगा, प्रशासनिक असुविधा होगी और इसके परिणामस्वरूप प्रवंचना होगी।²⁶⁹

ग. विचाराधीन उत्पाद को हमेशा वाणिज्यिक रूप से एफकेएम में बेचा जाता है न कि भारत के भारतीय दूरसंचार बाजार तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में किलोग्राम में। व्यावहारिक रूप से, सभी लेनदेनों के लिए, उद्योग एफकेएम/केएमई का उपयोग आयात/निर्यात सहित यूओएम के रूप में करता है न कि किलोग्राम (कि.ग्रा.) का। कोई स्वीकृत अथवा सार्वभौमिक एफकेएम से कि.ग्रा. रूपांतरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसी एफकेएम के लिए, कि.ग्रा. में भार कई कारणों जैसे कि पैकेजिंग का आकार अथवा गुणवत्ता (अर्थात्, स्पूल) से पूरी तरह से भिन्न हो सकता है।²⁷⁰

घ. इस तथ्य को देखते हुए कि सीमा प्रशुल्क (अर्थात् किलोग्राम) के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के लिए यूओएम यूओएम (अर्थात् एफकेएम) से अलग है, जिस पर व्यापार होता है, यह अनुरोध किया जाता है कि यह यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाए जाने का यह उपयुक्त मामला है।²⁷¹

ड. चूंकि पाटन और क्षति एफकेएम में निर्धारित की जाती है, जबकि सीमा प्रशुल्क अधिनियम किसी भी कार्यान्वयन के मुद्दों को दूर करने के लिए माप की एक अलग इकाई का उपयोग करता है, कॉर्निंग इंडिया प्राधिकारी से सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में यथामूल्य आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध करता है। निर्धारित दर में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोजन पूरा नहीं होगा और यह घरेलू उद्योग के हित में नहीं होगा।²⁷²

च. ऑप्टिकल फाइबर केबल के आयातों पर यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में की गई जांच में यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाया गया है। इसी प्रकार, चीन जन. गण. ने यथामूल्य आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाये हैं।²⁷³

छ.V.I.VI प्राधिकारी द्वारा जांच

227. फास्टन ग्रुप ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि प्रवृत्तियां निकालने और रेंज का निर्धारण करने की पद्धति का प्रकटन करें। प्रवृत्ति के आंकड़े किसी विशेष क्षेत्र के मूल्यों को आधार वर्ष से विभाजित करके और फिर उसी को 100 से गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं। रेंज को वास्तविक आंकड़े से एक आंकड़े ± 10 के आधार पर चुना जाता है।

228. आवेदक के साथ-साथ समर्थक ने इस आधार पर मूल्यानुसार डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है कि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत माप की इकाई और पीयूसी के वाणिज्यिक रूप से कारोबार करने के तरीके में अंतर है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि यथामूल्य आधार पर पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करने से शुल्कों की चोरी और कम चालान हो सकता है।

छ.VI क्षति मार्जिन

229. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। समान वस्तु की एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के संबंध में समान व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) की पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

²⁶⁹ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 22

²⁷⁰ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 17

²⁷¹ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 20

²⁷² बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 23

²⁷³ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 21

230. चीन जन. गण. के लिए पहुँच मूल्य उन संबद्ध सामानों के सीआईएफ मूल्य पर 15% मूल सीमा शुल्क जोड़कर निर्धारित किया गया है, जिन पर उस शुल्क का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 125-126 में बताया गया है, अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयात के मामले में पहुँच मूल्य, मूल सीमा शुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार का परिकलन शून्य के रूप में किया गया है। कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के लिए पहुँच मूल्य ऐसे संबद्ध सामानों का सीआईएफ मूल्य है। चूंकि इन दो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर कोई मूल सीमा शुल्क लागू नहीं है, इसीलिए कोई अतिरिक्त शुल्क अथवा अधिभार नहीं जोड़ा गया है।
231. क्षति मार्जिन का परिकलन संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान वस्तु की क्षति रहित कीमत के बीच के अंतर के रूप में किया गया है और नीचे दी गई तालिका में इसका उल्लेख किया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक के नाम	पहुँच मूल्य (रू./एफकेएम)	क्षति रहित कीमत (रू./एफकेएम)	क्षति मार्जिन (रू./एफकेएम)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन.गण.						
1.	हांगझोऊ फुटोंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	10-20
2.	जियांग्सु फास्टन फोटोनिक्स कं. लि.	***	***	***	***	0-10
3.	जियांग्सु स्टर्लाइट टोंगुआंग फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	0-10
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20
कोरिया गणराज्य						
1.	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	30-40
इंडोनेशिया						
2.	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	20-30

तालिका छ 14

छ.VII कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

छ.VII.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

232. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- क. आवेदक के वर्ष 2020-21 वित्तीय विवरण में यह उल्लेख है कि यह लागत प्रभावी 'प्रीफॉर्म' आपूर्ति व्यवस्था द्वारा समर्थित नहीं है जो ऑप्टिकल फाइबर की मौजूदा कीमतों के अनुरूप हो।²⁷⁴
- ख. फास्टन ग्रुप ने अप्रैल, 2021 में भारत को अपना निर्यात शुरू किया और इसीलिए, इसने घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है।²⁷⁵

²⁷⁴ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 59; फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 49।

- ग. आवेदक को घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की मांग में कमी के कारण परेशानी हो रही है।²⁷⁶
- घ. मांग²⁷⁷ में गिरावट के कारण वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में कई कारकों²⁷⁸ के कारण आवेदक का निष्पादन प्रभावित हुआ था। मांग²⁷⁹ में सुधार के कारण कई कारकों²⁸⁰ के कारण वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में ऑप्टिकल फाइबर उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है।
- ङ. अन्य संबद्ध देशों की तुलना में चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की उच्च कीमतों, चीन जन. गण. से नकारात्मक कीमत कटौती और स्टर्लाइट इंडिया द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आयातों के आलोक में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए चीन जन. गण. को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।²⁸¹
- च. अमेरिका में अपीलीय निकाय - हॉट रोलड स्टील ने निर्णय²⁸² दिया है कि "प्रावधान²⁸³ में गैर-आरोप्य भाषा का अनुपालन करने के लिए, जांच प्राधिकारियों को अन्य ज्ञात कारकों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उचित आकलन करना चाहिए, और उन्हें अवश्य ही पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को उन कारकों के क्षतिकारक प्रभावों से अलग करना चाहिए। इसके लिए अन्य कारकों के क्षतिकारक प्रभावों की प्रकृति और सीमा की एक संतोषजनक व्याख्या की आवश्यकता है, जैसा कि पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों से अलग किया गया है।"^{284 285}
- छ. आवेदन पत्र कई महत्वपूर्ण कारकों को हल करने में विफल है, जिसने घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुई तथाकथित क्षति से स्वतंत्र रूप से प्रभावित किया है। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं, ह्रासमान बाजार स्थितियां, आवेदक के उत्पाद की कमजोर मांग और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित कोविड-19 का प्रभाव शामिल हैं।²⁸⁶

छ.VII.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

233. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. निम्नलिखित कारक²⁸⁷ यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को केवल संबंधित आयातों के कारण क्षति हो रही है:
- संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा का 93 प्रतिशत है।
 - संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है और इसीलिए मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है।
 - खपत का पैटर्न अपरिवर्तित रहता है।
 - कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं।
 - उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन हुए हैं।

²⁷⁵ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 63।

²⁷⁶ फास्टन ग्रुप के लिखित अनुरोध का पैरा 66।

²⁷⁷ 5जी का रोलआउट, धीमा डिजिटलीकरण, कठिनाईयुक्त दूरसंचार क्षेत्र, महामारी और बंदी, सार्वजनिक क्षेत्र के सामना आ रही अत्यधिक भारी मानसून की अस्थिरता की कठिनाई, भारतनेट परियोजनाओं की घोषणा में देरी और फाइबर को गृहएफटीटीएच)) में लगाने में उम्मीद से धीमी गति

²⁷⁸ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 37।

²⁷⁹ केंद्र सरकार द्वारा घोषित टेलीकॉम राहत पैकेज, 5जी के रोलआउट और स्मार्टफोन की अधिक पैठ की उम्मीद।

²⁸⁰ फास्टन ग्रुप के प्रत्युत्तर अनुरोधों के पैरा 36, 51।

²⁸¹ फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 8।

²⁸² पैरा 223-226, अपीलीय निकाय रिपोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान से कुछ हॉट-रोलड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय, डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर (23 अगस्त, 2001 को अपनाया गया)।

²⁸³ पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3.5।

²⁸⁴ अपीलीय निकाय रिपोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान से कुछ हॉट-रोलड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय, डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर (23 अगस्त, 2001 को अपनाया गया)।

²⁸⁵ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 10।

²⁸⁶ फुटोंग के लिखित अनुरोध का पैरा 10; फुटोंग के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 9।

²⁸⁷ वीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 63।

- (vi) आवेदक विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर किसी अन्य सामान का उत्पादन नहीं करता है।
- ख. निम्नलिखित कारक²⁸⁸ संबद्ध देश से संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क दर्शाते हैं:
- (i) पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से और साथ ही सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
 - (ii) जांच की अवधि में पाटित संबद्ध सामानों की मात्रा में वृद्धि भारतीय मांग से काफी अधिक है।
 - (iii) जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि और आवेदक के पास क्षमता की उपलब्धता के बावजूद वह अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।
 - (iv) संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग पर नकारात्मक कीमत प्रभाव डाला है और आवेदक द्वारा अपनी उत्पादन लागत को कम करने के प्रयासों के बावजूद काफी कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास है।
- ग. वर्ष 2019-2020 के लिए आवेदक की वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में दिए गए तर्कों के संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 2020-21 महामारी के कारण प्रभावित हुआ था। इस अवधि से पहले अर्थात् वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही से, विचाराधीन उत्पाद का बाजार कई कारकों के कारण अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेकिन जांच की अवधि में, बाजार सामान्य हो गया है और मांग में भी वृद्धि हुई है।²⁸⁹

छ.VII.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

234. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (v) में प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। साथ ही, प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर सकते थे ताकि अन्य ज्ञात कारकों के कारण होने वाली क्षति संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में पाटित कीमतों पर न बेचे गए संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। उपर्युक्त कारकों की जांच नीचे की गई है:
- (i) **पाटित कीमतों पर न बेचे गए संबद्ध सामानों की मात्रा**
235. स्ट्रलाइट इंडिया द्वारा किए गए आयातों सहित संबद्ध देशों से आयातों की पूरी मात्रा पाटित कीमतों पर बेची गई पाई गई है। इसके अतिरिक्त, गैर-संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा संबद्ध सामानों के आयातों की कुल मात्रा का बहुत ही कम प्रतिशत है और यह संबद्ध देशों से पाटित आयातों की तुलना में अधिक कीमतों पर है।
- (ii) **मांग में संकुचन**
236. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के बाद संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई है। फुटोंग और फास्टन ग्रुप ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों की मांग में वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में गिरावट आई थी जिसके कारण आवेदक को क्षति हुई थी। तथापि, स्थिति यह है कि संबद्ध सामानों की मांग जांच की अवधि में सामान्य हो गई है और लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है। न तो फास्टन ग्रुप और न ही फुटोंग ने इस बात का विरोध किया है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बाहरी कारकों के कारण प्रभावित हुई थी। वास्तव में फास्टन ग्रुप ने स्वयं यह दावा किया है कि जांच की अवधि में मांग सामान्य हो गई है।
- (iii) **खपत के पैटर्न में परिवर्तन**
237. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है अथवा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जो खपत के पैटर्न में परिवर्तन को सिद्ध करता हो जो घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर सकता हो।
- (iv) **व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी**
238. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी की मौजूदगी के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है अथवा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जो घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर सकता हो।

²⁸⁸ बीएफएल के लिखित अनुरोध का पैरा 62।

²⁸⁹ बीएफएल के प्रत्युत्तर अनुरोध का पैरा 9।

(v) प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास

239. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में प्रौद्योगिकी में प्रगति को दर्शाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया है अथवा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जो घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर सकता हो। जांच दल ने चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों तथा आवेदक की उत्पादन प्रक्रिया को समान पाया है।

(vi) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

240. आवेदक के निर्यात निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सुधार हुआ है और इसीलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक का निष्पादन उसके निर्यात निष्पादन में गिरावट के कारण प्रभावित हो रहा है।

(vii) घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन

241. यह नोट किया जाता है कि आवेदक केवल विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करता है जैसा कि वर्तमान जांच में परिभाषित किया गया है। वर्तमान जांच में ऐसे उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य उत्पादों के संबंध में आवेदक के निष्पादन ने आवेदक द्वारा विनिर्मित समान वस्तु के उत्पादन अथवा बिक्री को प्रभावित किया है।

(viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

242. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग की उत्पादकता के आंकड़े दर्शाती है:

उत्पादकता						
1	उत्पादकता प्रति दिन – आवेदक	केएफकेएम/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	36	53	109
2	प्रति कर्मचारी उत्पादकता- आवेदक	केएफकेएम/कर्मचारियों की सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	83	96	110
3	उत्पादन – आवेदक	केएफकेएम	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	36	53	109

तालिका छ 15

243. यह देखा जाता है कि प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता उत्पादन के साथ-साथ आगे बढ़ी है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक की उत्पादकता में गिरावट ने उसके निष्पादन को प्रभावित किया है।
244. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कारकों की जांच की है:

(ix) लागत - प्रभावी 'निष्पादन आपूर्ति व्यवस्था' का अभाव

245. फास्टन ग्रुप ने दावा किया है कि आवेदक के निष्पादन में गिरावट आई है क्योंकि इसमें लागत प्रभावी प्रीफॉर्म आपूर्ति व्यवस्था का अभाव है। फास्टन ग्रुप ने यह दावा करने के लिए आवेदक के वर्ष 2020-2021 के वित्तीय विवरण पर विश्वास किया है। प्राधिकारी ने विवादित वित्तीय विवरण का अवलोकन किया है जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

“भारतीय बाजार चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आदि जैसे देशों से कम कीमत पर है, जो कम कीमतों पर भारतीय ग्राहकों को ऑप्टिकल फाइबर की आपूर्ति करना जारी रखता है, सभी स्टैंडअलोन ऑप्टिकल फाइबर विनिर्माताओं के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो लागत प्रभावी प्रीफॉर्म आपूर्ति व्यवस्थाओं द्वारा समर्थित नहीं हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर की मौजूदा कीमत के अनुरूप है। घरेलू ऑप्टिकल फाइबर विनिर्माताओं ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से संपर्क किया, जो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके।”

246. यह नोट किया जाता है कि आवेदक का वित्तीय विवरण केवल भारतीय उत्पादकों के बारे में बयान दे रहा है और विशेष रूप से इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने स्पष्ट किया है कि यह विवरण केवल ऐसे भारतीय उत्पादकों के लिए सही है जिनमें लागत प्रभावी प्रीफॉर्म आपूर्ति व्यवस्था का अभाव है। बयान से पता चलता है कि भारतीय

विनिर्माता संबद्ध देशों के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनके द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों की कीमतें भारतीय विनिर्माताओं द्वारा प्रीफॉर्म की खरीद की लागत से भी कम थीं। किसी भी मामले में, वित्तीय विवरण जांच की अवधि से संबंधित नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान प्रीफॉर्म की लागत में कमी आई है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक तथा समर्थक के पास उनके संयुक्त उद्यम भागीदार/ मूल कंपनी के साथ दीर्घकालिक संविदाओं के माध्यम से लागत प्रभावी प्रीफॉर्म आपूर्ति व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, प्रीफॉर्म आयात आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि जिस कीमत पर आवेदक ने प्रीफॉर्म खरीदा है, वह भारत में सबसे कम कीमतों में से एक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रतिभागी निर्यातकों की सामग्री की लागत आवेदक की तुलना में काफी अधिक है। अतः, यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक के पास लागत प्रभावी प्रीफॉर्म आपूर्ति व्यवस्था का अभाव है जिसके कारण उसका निष्पादन खराब हो गया है।

(x) हासमान वैश्विक बाजार की स्थिति और कोविड-19 का प्रभाव

247. फुटोंग ने तर्क दिया है कि वैश्विक बाजार की स्थितियों तथा कोविड-19 के प्रभाव के कारण आवेदक के निष्पादन में गिरावट आई है। इसने यह दावा करने के लिए आवेदक की वर्ष 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास किया है। आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में संबद्ध सामानों की मांग क्रमशः वैश्विक बाजार स्थितियों में गिरावट और कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई थी। तथापि, भारत और विश्व में संबद्ध सामान की मांग में जांच की अवधि में काफी सुधार हुआ है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि वैश्विक बाजार स्थितियों अथवा कोविड-19 ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है।

(xi) चीन जन. गण. से उच्च आयात कीमतें

248. फुटोंग ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध सामान की आयात कीमतें अन्य संबद्ध देशों से आयात कीमतों से अधिक है और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चीन जन. गण. से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। उपर्युक्त कारणों से प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन किया है और उन्हें पाटित तथा क्षतिकारक कीमत पर पाया है। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से सहयोगी उत्पादकों के लिए अलग पाटन और क्षति मार्जिन का भी निर्धारण किया है तथा उन्हें पाटित और क्षतिकारक कीमत पर पाया है।

छ.VII.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

249. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। आवेदक को खराब बाजार स्थितियों और ऑप्टिकल फाइबर की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता के कारण क्षति हुई है।²⁹⁰

छ.VII.5 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

250. घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवादित अनुरोध अथवा मुद्दे नहीं उठाए गए हैं।

छ.VII.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

251. फास्टन ग्रुप ने दावा किया है कि बाजार की मंदी की स्थिति के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में मांग लगभग आधार वर्ष के स्तर पर है और इसीलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को बाजार की मंदी की स्थिति के कारण क्षति हुई है।

छ.VIII कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

252. प्राधिकारी ने ऊपर बताए गए कारकों की जांच करने के बाद यह माना है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के कारण हुई है:

क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में क्षति अवधि की तुलना में जांच की अवधि में समग्र रूप से तथा भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। कम कीमत वाले पाटित संबद्ध सामानों की मात्रा में इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में काफी मात्रा में विनिर्मित समान वस्तु को बेचने में सक्षम नहीं हो पाया है।

²⁹⁰ फास्टन ग्रुप की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 40

- ख. पाटित संबद्ध सामानों की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
- ग. इसके अतिरिक्त, पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आवेदक जांच की अवधि में संबद्ध सामान के अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।
- घ. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के कम कीमत वाले आयातों के कारण आवेदक उसके द्वारा विनिर्मित समान वस्तु को अपनी बिक्री लागत से कम कीमत पर बेच रहा है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- ङ. कम कीमत वाले संबद्ध आयातों ने आवेदक द्वारा विनिर्मित समान वस्तु की कीमतों का न्यूनीकरण कर दिया है।
- च. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण काफी हानियां हुई हैं, नकद लाभ में गिरावट आई है और नियोजित पूंजी पर आय में काफी कमी आई है।
- छ. कई आर्थिक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है।
- ज. जांच की अवधि में संबद्ध सामानों के लिए वृद्धिशील मांग पर पूरी तरह से संबद्ध देशों से आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिसके कारण आवेदक भारतीय खपत में वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाया है।

ज. भारतीय उद्योग के मुद्दे

ज.। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

253. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. ऑप्टिकल फाइबर की मांग में वृद्धि के साथ, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाएगी क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में तेजी से वृद्धि को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है।²⁹¹
- ख. ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ऑप्टिकल फाइबर केबल का आयात होगा, जिससे केबल विनिर्माण इकाइयां बंद हो जाएंगी जो आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगी।²⁹²
- ग. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को विफल कर देगा और यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा।²⁹³
- घ. चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयात पर मूल सीमा शुल्क 15% तक बढ़ गया है जबकि इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया से संबद्ध आयात पर कोई मूल सीमा शुल्क नहीं है।²⁹⁴
- ङ. आवेदक ने दावा किया है कि दूरसंचार परियोजनाओं पर 10% पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव लगभग 3% होगा। तथापि, इसने उसी के संबंध में परिकलन का प्रकटन नहीं किया है।²⁹⁵
- च. ऑप्टिकल फाइबर केबल की भारी कमी है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद के बाजार पर घरेलू उद्योग का एकाधिकार हो जाएगा।²⁹⁶

ज.।। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

254. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार ग्राहकों और 82.9 करोड़ इंटरनेट ग्राहकों के साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े डिजिटल संचार बाजारों में से एक बनाता है।

²⁹¹ पैरा 37 फास्टर्न ग्रुप के लिखित अनुरोध

²⁹² पैरा 71 फास्टर्न ग्रुप के लिखित अनुरोध

²⁹³ पैरा 72 फास्टर्न ग्रुप के लिखित अनुरोध

²⁹⁴ पैरा 73 फास्टर्न ग्रुप के लिखित अनुरोध

²⁹⁵ पैरा 25 फास्टर्न ग्रुप के लिखित अनुरोध

²⁹⁶ पैरा 21 एचएफसीएल के लिखित अनुरोध

- ख. दक्षिण कोरिया में 70% और अमेरिका, जापान और चीन में 80%-90% की तुलना में वर्तमान में भारत में केवल 33% टावर फाइबरयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, जापान में 1.35 एफकेएम, अमेरिका में 1.34 एफकेएम और चीन में 1.3 एफकेएम की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति फाइबर खपत केवल 0.09 एफकेएम है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारतीय जनता के व्यापक हित में है, क्योंकि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण होने के नाते, यदि एसएमओएफ के लिए घरेलू उद्योग का सफाया हो जाता है, तो अकेले आयातित फाइबर पर निर्भरता देश के हित में नहीं होगी।
- घ. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम प्रयोक्ताओं पर नगण्य होगा।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसे भारतीय उद्योगों को पाटन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के प्रयोजन से सार्वजनिक हित में कानून में शामिल किया गया है। ऐसे में पाटन को बेअसर करना और भारतीय उद्योगों को पर्याप्त सुरक्षा देना जनहित में है।
- च. ऑप्टिकल फाइबर देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। अतः, इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के लिए एक सक्रिय विनिर्माण स्थापना आवश्यक है। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर-भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।²⁹⁷
- छ. भारतीय विनिर्माताओं ने ऑप्टिकल फाइबर उद्योग के निर्माण के लिए पिछले दस वर्षों के दौरान 5000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जो भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।²⁹⁸
- ज. घरेलू विनिर्माता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/दूरसंचार उद्योग संघ की आवश्यकताओं और अंडरराइटर्स प्रयोगशालाओं के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हैं जो यह दर्शाता है कि भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन वैश्विक मानकों के अनुरूप है।²⁹⁹
- झ. सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर 300 का एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना जनहित में है। ओएफसी विनिर्माताओं की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अन्य गैर-संबद्ध देशों से आयात करने का विकल्प प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार, भारत में एसएमओएफ के लिए घरेलू प्रयोक्ता उद्योग के पास अपने प्रचालनों को जोखिम मुक्त करने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं।³⁰¹
- ञ. दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता को लेकर चिंताएं रही हैं। यह आर्थिक और सुरक्षा दोनों कारणों से है।³⁰²
- ट. ट्राई की रिपोर्ट इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वर्तमान में देश में स्थानीय विनिर्माण सस्ते आयात से सुरक्षा की कमी के कारण गंभीर रूप से हानि उठा रहा है, जो कि बाजार की मांग का एक बड़ा हिस्सा है। यह बताते हैं कि पाटन शुल्क लगाए जाने से पाटन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और यह भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाभप्रद होगा।³⁰³
- ठ. डिजिटल अवसंरचना किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे कई देशों ने चीन जन. गण. में उत्पादित फाइबर के उपयोग को रोकने के लिए बाधाओं और प्रमाणन अपेक्षाओं

²⁹⁷ कॉर्निंग इंडिया की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 18

²⁹⁸ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 14(क)

²⁹⁹ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 14(ख)

³⁰⁰ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 14(घ)

³⁰¹ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 14(च)

³⁰² https://prsindia.org/files/budget/budget_parliament/2023/Telecom_DFG_Analysis_2023-24.pdf

³⁰³ कॉर्निंग इंडिया की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 120

को लागू किया है। टेलीकॉम इन्फ्रामेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सुरक्षा-कार्व आउट के उपयोग की सिफारिश³⁰⁴ की है।³⁰⁵

ज.III प्राधिकारी द्वारा जांच

255. व्यापार उपचारात्मक उपायों का प्रयोजन संबद्ध सामानों के अनुचित आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों को बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाने से देश के भीतर प्रतिस्पर्धा के मुद्दे भी पैदा हो सकते हैं।
256. फास्टन ग्रुप ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों की आपूर्ति बाधित होगी और यह कि घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों की बढ़ती मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान जांच के तथ्यों को देखते हुए फास्टन ग्रुप के तर्कों को मान्य नहीं पाया गया है। यह नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के अनेक उत्पादक हैं। ऐसे उत्पादकों की उत्पादन क्षमता भारत में संबद्ध सामानों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं के पास गैर-संबद्ध देशों तथा संबद्ध देशों से भी संबद्ध सामानों का आयात करने का विकल्प होगा। उपर्युक्त के मद्देनजर, आवेदक द्वारा घरेलू बाजार के एकाधिकार से संबंधित एचएफसीएल के तर्क भी संधारणीय नहीं पाए गए हैं।
257. फास्टन ग्रुप ने यह भी अनुरोध किया है कि ऑप्टिकल फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ऑप्टिकल फाइबर केबल का आयात होगा, जिससे केबल विनिर्माण इकाइयां बंद हो जाएंगी। फास्टन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार पाया गया है। इस प्राधिकारी की भूमिका किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने की नहीं है। भले ही यह स्वीकार कर लिया गया हो कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद अर्थात् ऑप्टिकल फाइबर केबल के आयात में वृद्धि हो सकती है, यह स्पष्ट नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के आयातों से ये यूनिटें कैसे बंद हो जाएंगी, जब तक कि ये आयात घातक कीमतों पर न हों। यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारतीय बाजार में आते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह के आयात से घरेलू केबल विनिर्माण इकाइयां बंद हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू केबल विनिर्माताओं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वे प्रभावी उपाय के लिए इस प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
258. फास्टन ग्रुप ने यह भी तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में बाधा आएगी। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भरता भारत के हितों के प्रतिकूल होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह नोट किया जाता है कि भारतीय विनिर्माताओं के पास भारत की ऑप्टिकल फाइबर की मांग को पूरा करने के लिए काफी उत्पादन क्षमता है।
259. प्रकटन के स्तर पर, प्राधिकारी ने दो रिपोर्टों का प्रकटन किया था जिन पर भारतीय उद्योग के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए विचार किया जाना था। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
260. प्राधिकारी भारत में एनएटीई (नेटवर्किंग और टेलीकॉम उपकरण) उत्पादों के विनिर्माण के संबंध में "भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने"³⁰⁶ संबंधी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (जिसे यहां आगे ट्राई कहा

³⁰⁴ "भारत सरकार ने ऐतिहासिक रूप से दूरसंचार क्षेत्र में एक उदार व्यापार नीति का पालन किया है जिसको कई देशों द्वारा लिया गया है। उदाहरण के लिए, विदेशी विक्रेताओं, विशेष रूप से चीन के विक्रेताओं ने देश में अपने दूरसंचार उपस्करों को अंधाधुंध रूप से पाटित करने के लिए सक्रिय रूप से अपने सरकारी समर्थन और बड़ी वित्तीय ताकत का लाभ उठाया है। दूरसंचार उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी और प्रवंचनारोधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे सामानों के विदेशी निर्यातक और घरेलू आयातक दोनों को एक बार इस तरह की शुल्क चोरी साबित होने पर दंडित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एफटीए अधिनियम ऐसी कंपनियों के लाइसेंस/निलंबन का प्रावधान करता है जिनका कभी उपयोग नहीं किया जाता है। दूरसंचार और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उपस्करों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए हमें सक्रिय रूप से सुरक्षा कॉर्व-आउट (डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत अनुमत और यूएसए द्वारा प्रयुक्त) का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में, हमारे अधिकतर दूरसंचार उपकरण चीन से आते हैं, जबकि अमेरिका ने पिछले कई वर्षों से चीनी उपस्करों पर प्रतिबंध लगा दिया है।" (स्रोत: https://www.trai.gov.in/sites/default/files/TEPC_22012018.pdf).

³⁰⁵ बीएफएल की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों का पैरा 14(ड)।

गया है) के परामर्श पत्र पर भी ध्यान देता है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है। ट्राई ने स्वीकार किया है कि एनएटीई उत्पादों के पाटित किए गए आयातों के कारण, कई घरेलू विनिर्माण इकाइयां क्षमता के स्तर से कम पर प्रचालन कर रही हैं और कुछ मामलों में ऐसे उद्योग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ट्राई ने यह भी माना है कि "देश में स्थानीय विनिर्माण वर्तमान में सस्ते आयात से सुरक्षा की कमी के कारण गंभीर रूप से हानि उठा रहे हैं, जो कि बाजार मांग³⁰⁷ का एक बड़ा हिस्सा है" और भारत में ऐसे सामानों³⁰⁸ के पाटन के प्रभाव को दूर करने और ऐसे सामानों के विनिर्माण का संवर्धन करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का तर्क दिया है। ट्राई ने ऐसे उदाहरणों का भी उल्लेख किया है जिनमें भारत के साथ एफटीए वाले देशों के माध्यम से आपूर्ति के पाटित किए गए स्रोतों से आयात को फिर से भेजा जा रहा है।³⁰⁹

261. प्राधिकारी "त्वरित डिजिटल आत्मनिर्भरता: ऑप्टिकल फाइबर विनिर्माण में भारत को विश्व की राजधानी बनाने के लिए अपेक्षित उपचारात्मक कदमों पर रिपोर्ट"³¹⁰ डिजिटल अर्थव्यवस्था नीति अनुसंधान केंद्र (जिसे यहां आगे "सी-डीईपी" कहा गया है) की रिपोर्ट को भी नोट करते हैं जिसमें स्वतंत्र थिंक टैंक ने यह पाया है कि चीन जन. गण. से ऑप्टिकल फाइबर के विनिर्माता भारत में विचाराधीन उत्पाद के भारी पाटन में लगे हुए हैं। सी-डीईपी ने यह पाया है कि चीन जन. गण. से ऑप्टिकल फाइबर का आयात "वर्ष 2019-20 में केवल 2203 मिलियन एफकेएम से बढ़कर वर्ष 2022-23 (जनवरी, 2023 तक) में 13980 मिलियन एफकेएम हो गया है, जो कि मात्र 3 वर्ष से कम की अवधि में 5 गुना से अधिक है। इस तरह के अवैध घातक कीमत निर्धारण ने भारतीय विनिर्माताओं को भारतीय बाजार में ही उचित रूप से प्रवेश करने से वंचित कर दिया है।³¹¹ यह भी देखा जाता है कि "इस तरह के आयात भारतीय विनिर्माताओं को उत्पादन लागत से कम पर संकट में बिक्री करने के लिए धकेल रहे हैं।"³¹²
262. भारतीय ऑप्टिकल फाइबर उद्योग पर इस तरह के अनुचित व्यापार परिपाटी के प्रभाव के बारे में, सी-डीईपी ने पाया है कि "भले ही भारतीय ऑप्टिकल फाइबर/ ऑप्टिकल फाइबर केवल विनिर्माता बेहद प्रतिस्पर्धी हैं, और अपार अनुभव रखते हैं, तथापि वैश्विक निर्धारक गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी जानकारी और कुशल कार्मिकों की उपलब्धता के कारण, भारत चीनी विनिर्माताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी जमीन खो रहा है।³¹³ सी-डीईपी ने यह भी उल्लेख किया है कि चीन के उत्पाद आवश्यक रूप से स्वीकार्य वैश्विक मानकों का पालन नहीं करते हैं। संयोग से, अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी यूरोपीय दूरसंचार ऑपरेटरों ने चीनी कंपनियों से ऑप्टिकल फाइबर के लिए गुणवत्ता अनुमोदन वापस ले लिया है।
263. फास्टन ग्रुप ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों का विरोध किया है। यह नोट किया जाता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर पाटनरोधी शुल्कों के मात्रात्मक प्रभाव का आकलन किया जा सके। फिर भी, यह माना जाता है कि उचित पाटनरोधी शुल्क के परिकलन में कमतर शुल्क नियम लागू करना, जो अपने आप में एक नरम सार्वजनिक हित खंड है, कुछ हद तक उस दबाव को कम करता है जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर बन सकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
264. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्ष 2018-19 में संबद्ध आयातों का एक बड़ा हिस्सा गैर-संबद्ध देशों से आ रहा था, जो बाद में मांग में गिरावट के कारण क्षति अवधि में कम हुआ है। तथापि, जांच की अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद यह नोट किया जाता है कि केवल संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। अतः, यह नोट किया जाता है कि भले ही पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों के आयात में गिरावट आ सकती है, लेकिन गैर-संबद्ध देशों से आयात ऐसे पाटित आयातों को प्रतिस्थापित कर देगा और इस तरह प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, को कम कर देगा। यह भी प्रयोक्ता

³⁰⁶ परामर्श पत्र, भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देना यहां उपलब्ध है :

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_11022022.pdf

³⁰⁷ वही पृष्ठ पर। 70

³⁰⁸ वही पृष्ठ पर। 70

³⁰⁹ वही पृष्ठ पर। 71

³¹⁰ डिजिटल अर्थव्यवस्था नीति अनुसंधान केंद्र, त्वरित डिजिटल आत्मनिर्भरता: ऑप्टिकल फाइबर विनिर्माण में भारत को विश्व की राजधानी बनाने के लिए अपेक्षित उपचारात्मक कदमों पर रिपोर्ट, 27 मार्च 2023 यहां उपलब्ध है:

³¹¹ वही पृष्ठ पर। 4

³¹² वही पृष्ठ पर। 5

³¹³ वही

उद्योग के हित में है कि संबद्ध सामानों की त्वरित और अल्पावधि सुपुर्दगी के लिए भारतीय क्षेत्र के भीतर संबद्ध सामानों की आपूर्ति के स्रोत हों। आपूर्ति के कई स्रोतों को बनाए रखना प्रयोक्ता उद्योग के दीर्घकालिक हित में भी है।

265. आवेदक और समर्थक ने अनुरोध किया है कि ऑप्टिकल फाइबर भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटक है और इसीलिए, एक मजबूत प्रतिस्पर्धी उद्योग होना आवश्यक है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि अनिवार्य सुरक्षा चिंताओं के कारण कई देशों ने चीन जन. गण. में उत्पादित ऑप्टिकल फाइबर पर गैर-प्रशुल्क अवरोध लगाए हैं। यह नोट किया जाता है कि ऐसी चिंताओं का निवारण इस प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। आवेदक और समर्थक उपयुक्त प्राधिकारी अथवा मंच के समक्ष ऐसी चिंताओं को उठा सकते हैं।

झ. निष्कर्ष

266. किए गए निवेदनों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों में रिकॉर्ड किया गया है और उनकी जांच की गई है और पाटन के निर्धारण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:
- I. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (डी) के अनुसार एक दूसरे के लिए 'समान वस्तु' हैं।
 - II. आवेदक पात्र घरेलू उत्पादन का 27% हिस्सा है और समर्थक के साथ पात्र घरेलू उत्पादन का 90% हिस्सा है। आवेदक एडी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवेदन एडी नियम, 1995 के नियम 5(3) के तहत स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - III. एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदन में प्रासंगिक सभी जानकारी और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(2) के तहत वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराए जाने के संदर्भ में आवश्यक सबूत शामिल हैं, ताकि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की डंपिंग और भौतिक क्षति का निर्धारण किया जा सके।
 - IV. गोपनीयता से संबंधित दावों को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया गया था और यदि ऐसे गोपनीयता के दावे अत्यधिक पाए गए, तो इच्छुक पार्टियों को इसका खुलासा करने या एडी नियमों के नियम 7 1995 के संदर्भ में उचित गैर-गोपनीय सारांश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
 - V. पाटन मार्जिन : चीन जनवादी गणराज्य के तीन उत्पादकों नामतः फूटोंग, फास्टन ग्रुप और स्टर्लाइट चाइना ने जांच में भाग लिया था। ऐसे निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर, फूटोंग और फास्टन समूह के निर्यात के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक निर्धारित किया गया था जबकि स्टर्लाइट चीन के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक निर्धारित किया गया था। कोरिया आरपी और इंडोनेशिया से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद इन संबद्ध देशों से आयात भी पाटित कीमतों पर पाए गए।
 - VI. मात्रा प्रभाव: संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया।
 - VII. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के पैरा (ii) के अंतर्गत यथा अपेक्षित घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में यह पाया गया कि इस तरह के आयातों में भारत में पीयूसी का उत्पादन और खपत के सापेक्ष संदर्भ में निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। आगे यह पाया गया कि मांग में वृद्धि ऐसे पाटित आयातों द्वारा लगभग पूरी तरह से समाहित कर ली गई थी। हालांकि, घरेलू उद्योग 'समान वस्तु' को घाटे में बेचकर अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम था, पाटित आयातों के परिणामस्वरूप समर्थक के बाजार हिस्से में काफी गिरावट आई।

- VIII. कीमत प्रभाव: जहां तक ऐसे पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है, यह पाया गया कि सभी तीन संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक थी। आगे यह पाया गया कि ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में उनके न्यूनतम स्तर पर पाया गया था।
- IX. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस तरह के पाट के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:
- क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी: आवेदक के उत्पादन के साथ-साथ क्षमता में वृद्धि पाई गई। तथापि, पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण यह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं था। आवेदक समान वस्तु को घाटे पर बेचकर अपनी बिक्री और बाजार हिस्सेदारी को आधार वर्ष के बराबर बनाए रखने में सक्षम था। फिर भी, मांग में काफी वृद्धि हुई थी, जिसे बड़े पैमाने पर पाटित आयातों द्वारा समाहित कर लिया गया था। यह भी पाया गया कि समर्थकों की बिक्री के साथ-साथ बाजार हिस्सेदारी में भी काफी गिरावट आई है।
- ख. बिक्री की लागत, बिक्री मूल्य, लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल: आवेदक की प्रति इकाई बिक्री लागत और बिक्री मूल्य में गिरावट आई है। आवेदक का विक्रय मूल्य विक्रय की इकाई लागत से कम पाया गया। इसके अलावा, बिक्री मूल्य में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट के अनुरूप नहीं पाई गई। आधार वर्ष की तुलना में आवेदक के नकद लाभ, व्याज और कर से पहले लाभ, साथ ही नियोजित पूंजी पर रिटर्न में काफी गिरावट आई है। यहां तक कि जांच की अवधि के दौरान मांग की बहाली के बाद भी आवेदक लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।
- ग. मालसूची: जांच की अवधि के दौरान आवेदक की 'समान वस्तु' की मालसूची में वृद्धि पाई गई।
- घ. कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और वेतन: कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और वेतन में भी कमी आई है। तथापि, आवेदक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है जिसका श्रेय उत्पादन में वृद्धि को दिया जा सकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि पीयूसी एक तकनीकी उत्पाद है, उत्पादन प्रक्रिया स्वचालित है और इसलिए कर्मचारियों की संख्या में मामूली कमी आवेदक की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करेगी।
- ङ. विकास: उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ, नियोजित पूंजी पर रिटर्न, माल सूची और बाजार हिस्सेदारी के मामले में आवेदक की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता: यह पाया गया कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि के बावजूद, आवेदक का प्रदर्शन खराब हो गया था, जिसने पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया है।
- X. क्षति मार्जिन: पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- III के अनुसार निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत और संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना पर, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 (3) (बी) के तहत आवश्यक है। फुटोंग और फास्टन ग्रुप के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक पाया गया, जबकि स्टर्लाइट चीन के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया। उपरोक्त तीन उत्पादकों के अलावा चीन जन. गण. के किसी अन्य उत्पादक ने भाग नहीं लिया। कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद इन संबद्ध देशों से आयातों के लिए क्षति मार्जिन भी सकारात्मक पाया गया।
- XI. कारणात्मक संबंध: यह पाया गया कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है और कोई अन्य ज्ञात कारक क्षति का कारण नहीं पाया गया। जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति ने आवेदक को अपनी समान वस्तु को बिक्री की लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे नुकसान हुआ और घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं के लिए वृद्धिशील मांग को बड़े

पैमाने पर संबद्ध देशों से आयातों द्वारा समाहित किया गया था जिसके कारण आवेदक भारतीय खपत में वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था।

- XII. भारतीय उद्योग के मुद्दे: किसी भी हितबद्ध पक्ष ने कोई मात्रात्मक डेटा दायर नहीं किया है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन किया जा सके। हालांकि, प्राधिकरण ने भारत में एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी ऑप्टिकल फाइबर उद्योग के संरक्षण और अस्तित्व के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की टिप्पणियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर केंद्र की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इसके अलावा, भारत में समान वस्तु के कई उत्पादकों को देखते हुए, एकाधिकार के निर्माण के बारे में आशंकाएं भी असंभावित पाई गईं।

ब. सिफारिशें

267. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अन्य इच्छुक पक्ष पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सूचना प्रदान करें। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत कार्रवाई शुरू करने और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अनुसार पाटन, क्षति और पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 (1) (ए) के तहत अपेक्षित कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच की गई 1994 और संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकरण संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 17 (1)(बी) में उल्लिखित कम शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकरण पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन के कम के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई 'शुल्क तालिका' के कॉलम (7) में दी गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से मूल या निर्यात किए गए संबद्ध देशों से सभी संबद्ध आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	सीटीएच शीर्षक	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	ड्यूटी*** (यूएसडी/केएफकेएम)
कॉलम (1)	कॉलम (2)	कॉलम (3)	कॉलम (4)	कॉलम (5)	कॉलम (6)	कॉलम (7)
1.	9001 10 00	सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर **	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. समेत कोई भी देश	जियांगसू स्टरलाइट फाइबर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	122.41
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. समेत कोई भी देश	जियांगसू फास्टन फोटोनिक्स कं, लिमिटेड	254.91
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. समेत कोई भी देश	हेंगज्हाऊ फुतोंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	464.08
4.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. समेत कोई भी देश	क्रम सं. 1 से 3 के अलावा कोई भी उत्पादक	537.30

5.	-वही-	-वही-	विषयाधीन देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	537.30
6.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	807.88
7.	-वही-	-वही-	विषयाधीन देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	807.88
8.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	857.23
9.	-वही-	-वही-	विषयाधीन देशों के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी उत्पादक	857.23

** विचाराधीन उत्पाद "डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल - मोड ऑप्टिकल फाइबर" ("SMOF") है। उत्पाद के दायरे में डिस्पर्सन अनशिफ्टेड फाइबर (G.652) और बेंड असंवेदनशील सिंगल मोड फाइबर (G.657) शामिल हैं। डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (G.653), कट-ऑफ़ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (G.654), और नॉन-ज़ीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (G.655 और G.656) को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

*** इस कमोडिटी का व्यापार FKM (फाइबर किलोमीटर)/KFKM (1 KFKM = 1000 FKM) में होता है। इस इकाई में अनुशंसित एडीडी एकत्र किया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

ट. आगे की प्रक्रिया

269. प्राधिकारी की सिफारिश के खिलाफ एक अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट पदाधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS
New Delhi, the 5th May 2023
Case No. A.D (OI)-01/2022

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fiber" (SMOF") originating in or exported from China, Indonesia and Korea RP.

F. No. 6/1/2022-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the AD Rules, 1995;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Birla Furukawa Fiber Optics Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the “CTA , 1975”) and the Anti-dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the “**Dispersion Un-shifted Single – Mode Optical Fiber**” (hereinafter also referred to as the “product under consideration”, or the “subject goods”) from China PR, Indonesia and Korea RP (hereinafter also referred to as the “ subject countries”).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/1/2022-DGTR dated 6th May 2022, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9 of the CTA, 1975 Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duties, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.
 - b. The Authority issued a public notice dated 6th May 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 6th May 2022, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users of the subject imports and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notifications and make their submissions known in writing within the time limits prescribed by the initiation notification.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995 through its email dated 30th May 2022.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification. The Embassies of the subject countries were also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers /exporters from their respective countries.
 - f. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.

- g. In response to the above notification, the following producers/ exporters from the subject countries have submitted the exporter questionnaire response:

Subject country	Producer/Exporter
China PR	Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd.
	Fasten Group IMP. & EXP. Co. Ltd.
	Jiangsu Fasten Photonics Co. Ltd.
	Jiangsu Fasten Optical Cable Co. Ltd.
	Potevio Fasten Optical Communication Co. Ltd.
	Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co. Ltd.
Indonesia	None
Korea RP	None

Table B 1

- h. The producers/exporters from the subject countries who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non – cooperative in the investigation.
- i. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.
- j. The following importers/users submitted the importer/user questionnaire responses:

S. No.	Details of user/importers
1.	HFCL Ltd.

Table B 2

- k. Additionally, an association from China PR, namely, China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products participated in the investigation.
- l. Upon the request of the exporters, the Authority granted an extension of one week to file the questionnaire responses.
- m. The Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past injury investigation period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation. Later on, a request was also made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this final findings.
- n. **In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held via video conferencing on 10th October 2022. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.**
- o. The non-injurious price (hereinafter referred to as the ‘NIP’) has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. The information submitted by the applicant has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings. The information submitted

by the supporter, Corning India Technologies Ltd., regarding injury parameters has been examined and verified through desk verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.

- q. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries¹ were also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present final findings.
- r. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January, 2021 - 31st December 2021. The injury period for the present investigation is 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and the POI.
- s. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied concerning the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.
- t. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 21st April 2023. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 28th April 2023.
- u. The Authority has examined all post – disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- w. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of AD Rules, 1995.
- x. The exchange rate for the POI (January 2021 - December 2021) adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 74.78.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation was as follows:

“3. The product under consideration is "Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fiber" ("SMOF") originating in or exported from China, Indonesia and South Korea. SMOF facilitates transmission of a single spatial mode of light as a carrier and is used for signal transmissions within certain bands. The product scope covers Dispersion Unshifted Fiber (G.652) as well as Bend insensitive single mode Fiber (G.657) - as defined by International Telecommunication Union (ITU-T), which is a global standardization body for telecommunication systems and vendors. Dispersion shifted Fiber (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fiber (G.654), and Non Zero Dispersion Shifted Fibers (G.655 & G.656) are specifically excluded from the scope of Product.

4. The product under consideration is used for manufacture of Optical Fiber Cables, including Uni-tube and Multi tube stranded cables, tight buffer cables, Armoured and Unarmored cables, ADSS & Fig-8 cables, Ribbon cables, Wet core and Dry core cables and others. Single-mode Optical Fiber is mainly applied to high-data rate, long distance and access network transportation, therefore, is mainly used in long-haul, metro area network, CATV, optical access network (for example FTTH) and even over short distance networks as applicable. Major

¹ Refer Table B1 for list of cooperating producers/exporters from the subject countries.

consumption is driven by 3G/4G/5G rollout by Telco's, Connectivity of Gram Panchayat and Defence (NFS Project).

5. The PUC is being imported under Customs Tariff Heading 90011000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on scope of the product.”

C.1 SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

5. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:
 - a. There are negligible imports of G.657 fibers and the demand for G.657 fibers is also negligible. Therefore, G.657 fibers should be excluded from the scope of the PUC.²
 - b. The imports of G.652 fibers constitute the maximum share of the imports of the subject goods into India and all other kinds of optical fiber constitute an insignificant percentage of imports into India³.
 - c. G.652 fibers and G.657 fibers are not comparable in terms of price and therefore, G.657 fibers should be excluded from the scope of the investigation.⁴
 - d. The applicant has not provided details or bifurcation (grade wise) of their production, sales, exports, injury margin, dumping margin, price undercutting etc. of the PUC which is required to be examined by the Authority.⁵
 - e. The scope of the products under subheading 9001 1000 is too broad and is not specific, which covers all categories of fiber optics and fiber optic cables.⁶

C.2 SUBMISSIONS MADE ON BEHALF OF THE DOMESTIC INDUSTRY

6. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the product under consideration:
 - a. The PUC is classified under customs tariff heading 9001 10 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.⁷
 - b. The PUC is “dispersion unshifted single – mode optical fiber” and covers only non – dispersion shifted fiber (G.652) and bend-insensitive single – mode fiber (G.657) categories of optical fiber.⁸
 - c. The goods manufactured by the applicant (G.652 fibers and G.657 fibers) are like article to the subject imports. The applicant’s goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, function and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable with the subject goods. There are no known differences in the technology employed by the domestic industry and the producers in the subject countries.⁹
 - d. Corning India Technologies Ltd. primarily manufactures G.652, G.657 and a small volume of G.655 category of single – mode optical fiber.¹⁰
 - e. Dispersion – shifted fiber (G.653), cut-off shifted single mode optical fiber (G.654), and non – zero dispersion – shifted fibers (G.655 & G.656) can be specifically excluded from the scope of the PUC¹¹.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder:

² Para 5 of HFCL's Written Submissions.

³ Para 7 of HFCL's Written Submission.

⁴ Para 9 of HFCL's Written Submissions.

⁵ Para 11 of Fasten Group's Written Submissions.

⁶ Page 2 of Government of Indonesia's Response.

⁷ Para 6 of BFL's Written Submissions.

⁸ Para 6 of BFL's Written Submissions.

⁹ Para 9 of BFL's Written Submissions.

¹⁰ Para 6 of Corning India's Written Submissions.

¹¹ Para 8 of BFL's Written Submissions.

8. Optical fibers are used to transmit data in the form of light pulses. All optical fibers use a core of hair-like transparent silicon covered with less refractive indexed cladding to avoid light leakage to the surroundings. The standard process for drawing of optical fiber from preform is as below¹²:

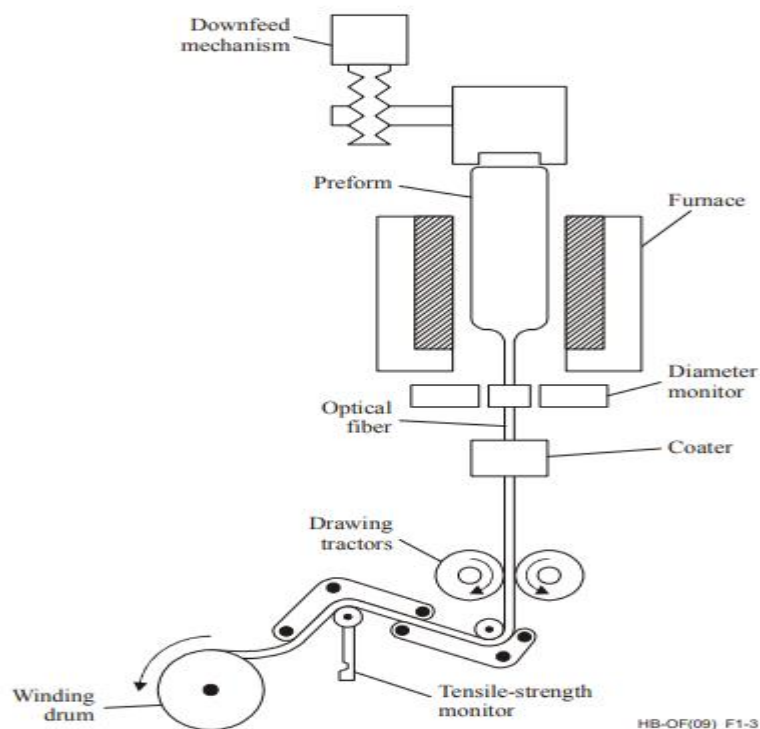


Figure 1 Optical fiber production process

9. The primary raw material used in the manufacturing of optical fiber is preform which is a cylindrical form of optical glass made from silica, from which optical fiber is drawn in a fiber drawing tower. In a drawing tower, preform is fed into a furnace in controlled manner, where it is heated to a temperature of about 2000° C. The melted preform is drawn into a fiber by using a precision-feed mechanism. The fiber diameter is monitored optically by dedicated measurement equipment. The fiber diameter can be kept constant to within 0.1%. A polymer coating is applied to the fiber during the drawing step. The coating provides mechanical protection as well as preserves the transmission properties of the fiber. The diameter of the coated fiber is typically 245 μm , although it can be as large as 900 μm when multiple coatings are applied.
10. Optical fibers are bundled together to make optical fiber cables, which are used to transfer digital data signals in the form of light up to distances of hundreds of miles, with higher throughput rates than those achievable via electrical communication cables. The following figure shows optical fiber and optical fiber cables:



Figure 2 Optical and Optical fiber cables

11. Optical fibers can be of multiple types such as single – mode optical fiber (“SMOF”) or multi – mode optical fiber. Single – mode optical fibers use a single transmission mode and the light signals are propagated along the stretched medium without dispersion. Due to zero dispersion characteristics, they are used for establishing communication over long distances. Multi – mode optical fibers are designed to propagate multiple light signals simultaneously. They are primarily used to establish communication over

¹² https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/T-HDB-OUT.10-2009-1-PDF-E.pdf

short distances.

12. Single – mode optical fibers can be of several types. The International Telecommunication Union (ITU – T) which established standards for optical fibers has divided single – mode optical fibers into the following categories:
 - a. G.652: Single mode optical fiber.
 - b. G.653: Dispersion – shifted SMOF.
 - c. G.654: Cut-off shifted SMOF.
 - d. G.655: Non – zero dispersion-shifted SMOF.
 - e. G.656: Non – zero dispersion SMOF.
 - f. G.657: Bending loss insensitive SMOF.
13. The product under consideration for the present investigation is “Dispersion Un-shifted Single – Mode Optical Fiber”, which covers SMOF (G.652) as well as bending – loss insensitive SMOF (G.657). Dispersion shifted SMOF (G.653), cut-off shifted SMOF (G.654), and non – zero dispersion SMOF (G.655 and G.656) are excluded from the scope of the PUC.
14. The other interested parties and the domestic industry have raised the following issues:
 - a. Exclusion of G. 657 grade of optical fiber from the scope of the PUC on ground of low demand and price incomparability.
15. Additionally, the Authority has examined the following points:
 - b. Whether the goods manufactured by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject countries?
 - c. What is the scope of the PUC?
 - i. Exclusion of G. 657 grade from the scope of the PUC**
16. HFCL has sought the exclusion of G. 657 grade of the PUC on the ground of its negligible demand in India and low import volumes. It is noted that the applicant as well as the supporter are producing G.657 grade of the PUC. While the import volume, as well as the demand of G.657 fibers, are low in comparison to G.652 fibers, the same cannot be a ground for the exclusion of G.657 grade. The applicant has sold G.657 fibers in commercial quantities i.e., around *** KFKM in the POI. The applicant has submitted that the demand for G.657 fibers is around *** % of total demand of the PUC in India which considering the total demand of the PUC in the POI is around *** KFKM. On the basis of the sales made by the applicant, it is noted that the applicant has sold commercial volumes of the PUC in the domestic market. While the G. 652 fibers are usually used to transmit data over long distances such as between two cities, the G.657 fibers are used in providing the last mile connectivity¹³ i.e., inside the buildings because of their ability to retain transmissions even in a bent state. In essence, G.657 grade is used along with G.652 grade fibers to transmit information. Given the fact that G.657 fibers are used to provide last-mile connectivity, it is understood that the consumption of the same would be low in comparison to G.652 fibers.
17. HFCL has also sought exclusion of the G.657 grade on the ground of its incomparable prices with G.652 grade of the PUC. As noted above, the applicant as well as the supporter manufacture G.657 grade of the PUC. Mere price difference cannot be a ground for the exclusion of a product from the scope of the PUC. It is further noted that neither HFCL nor any other interested parties had proposed PCNs for separate examination of G.657 and G.652 grades of the PUC.
 - ii. Product under consideration and like article**
18. The applicant and the supporter have claimed that the article manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. None of the other interested parties has raised objections with respect to the goods manufactured by the domestic industry not being a 'like article' to the subject goods. The Authority, therefore, holds that the goods produced by the domestic industry are 'like

¹³ The last mile or last kilometer is a phrase widely used in the telecommunications, cable television and internet industries to refer to the final leg of the telecommunications networks that deliver telecommunication services to retail end-users (customers). More specifically, the last mile describes the portion of the telecommunications network chain that physically reaches the end-user's premises.

article' to the subject goods imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.

iii. Scope of the PUC

19. Government of Indonesia has submitted that the scope of the PUC in the present investigation is too wide and covers all kinds of optical fibers and optical fiber cables. It is clarified that only two types of optical fibers are covered within the scope of the PUC i.e., G.652 and G. 657. Other categories of optical fiber have not been included within the scope of the PUC. It is further clarified that optical fiber cables have not been covered within the scope of the PUC. In view of the above, the Authority confirms the scope of the PUC as defined at the stage of initiation.

C.4 POST – DISCLOSURE COMMENTS

20. No contesting submissions were made by any of the interesting parties and therefore, the Authority has not examined the same.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
 - a. The application was not supported by other non – importing domestic producers at the stage of initiation and therefore, the percentage of domestic producers supporting the application was less than 50 % as required under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.¹⁴
 - b. The related parties of the applicant have made imports of the PUC during the POI.¹⁵ The Authority must verify and take evidence on record whether the applicant's related party Birla Cables Limited has made minuscule imports of the PUC as claimed by the applicant under advance authorization during the POI.¹⁶ Further, the applicant has claimed the quantum of imports made by Birla Cables Limited as confidential which is preventing the other interested parties from verifying such claims.
 - c. The applicant's claim that it is not related to Birla Cable Limited should be rejected by the Authority¹⁷. According to the definition of "control"¹⁸ and "related party"¹⁹ under Companies Act, 2013, control can be exercised not only by virtue of shareholding but it can be exercised by any person who controls the management or policy decisions directly or indirectly, by virtue of management rights or in any other manner.²⁰
 - d. The applicant is related to Birla Cable Limited through common directors and are therefore directly or indirectly controlled by third persons.²¹
 - e. Vindhya Telelinks Ltd. And Universal Cables Ltd. are related parties of the applicant²² and may have imported the subject goods from the subject countries.²³
 - f. The Authority has in several previous investigations²⁴ excluded domestic producers from the scope

¹⁴ Para 13 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁵ Para 14 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁶ Para 16 of Fasten Group's Written Submissions; Para 24 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁷ Para 20 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁸ S.2(27) of the Companies Act, 2013 defines control as: "control shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner."

¹⁹ S. 2(76) of the Companies Act, 2013 defines related party as: "(76) —related party||, with reference to a company, means— (i) a director or his relative; (ii) a key managerial personnel or his relative; (iii) a firm, in which a director, manager or his relative is a partner; (iv) a private company in which a director or manager is a member or director; (v) a public company in which a director or manager is a director or holds along with his relatives, more than two per cent. of its paid-up share capital; (vi) any body corporate whose Board of Directors, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director or manager; (vii) any person on whose advice, directions or instructions a director or manager is accustomed to act: Provided that nothing in sub-clauses (vi) and (vii) shall apply to the advice, directions or instructions given in a professional capacity; (viii) any company which is— (A) a holding, subsidiary or an associate company of such company; or (B) a subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary; (ix) such other person as may be prescribed".

²⁰ Para 23 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²¹ Paras 22 of Fasten Group's Rejoinder Submissions; Para 23 of HFCL's Written Submissions.

²² Para 17 of Fasten Group's Written Submissions.

²³ Paras 24 – 28 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²⁴ Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of "Acrylic Fiber" originating in or exported from Belarus, European Union, Peru and Ukraine, Final Findings dated 1st September 2020, Case No. (OI) 18/2019 ; Final Findings in the Anti-dumping duty investigation against imports of "Aluminium Foil" originating in or exported from China PR, Final Findings dated 10th March, 2017, Case No. 14/06/2015-DGAD ; Anti-Dumping Investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from China PR and Sweden. Case No.14/16/2004-DGAD, Final Findings dated 2nd February, 2006;

of the domestic industry on account of imports made by their related parties.²⁵

- g. The applicant and the supporter i.e., Sterlite India Technologies Ltd. have imported the PUC in significant quantities and therefore, the injury to the domestic producer is self – inflicted.²⁶
- h. Sterlite India Technologies Ltd. cannot be considered a supporter in the present investigation as it has acted as an importer.²⁷ Sterlite Limited India has made 26 – 86 % of the subject imports from China PR during the injury period and 30 %²⁸ during the POI.²⁹
- i. Sterlite India Technologies Ltd. should not be considered as part of the domestic industry as the applicant has itself argued for its exclusion from the scope of the domestic industry.³⁰
- j. The applicant has not provided any evidence that Sterlite India Technologies Ltd. has made imports under advance authorisation scheme.³¹

D.2 SUBMISSIONS MADE ON BEHALF OF THE DOMESTIC INDUSTRY

22. The following submissions have been made by the applicant with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
 - a. The present anti – dumping application has been filed by Birla Furukawa Fiber Optics Ltd. (applicant) and has been supported by Sterlite India Technologies Ltd. and Corning India Technologies Ltd.³². The three producers cumulatively account for more than ninety per cent of the total Indian production of the PUC.³³
 - b. The information pertaining to Indian producers of the PUC is not available in public domain. As per the information available in CRU International Ltd.'s³⁴ (hereinafter referred to as CRU) Report on Indian production data, the following producers manufacture the PUC in India.

Indian Producers during POI	Status	Whether imported subject goods during the POI	Whether eligible as domestic producer ³⁵
Birla Furukawa Fiber Optics Ltd.	Applicant	No	Yes
Corning India Technologies Ltd.	Supporter	No	Yes
Sterlite India Technologies Ltd.	Supporter	Yes	No
ZTT	Neutral	Yes	No
Aksh Optifiber Limited	Neutral	No	Yes
Finolex Technologies	Neutral	No	Yes

Table D 1

- c. The applicant accounts for the major share (***) of the total eligible domestic production of the

²⁵ Para 19 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁶ Para 15 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁷ Para 22 of Fasten Group's Written Submissions; Para 4 of Futong's Written Submissions; Para 1 of Futong's Rejoinder Submissions. (It is clarified here that the Consultants representing Futong in this investigation are also representing the China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products. The China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products has made similar submissions as that of Futong. Therefore, for the sake of brevity, the name of China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products has not been repeated in the footnotes.)

²⁸ As per page 25 of NCV application.

²⁹ Para 6, 14, 20, 21 and 22 of Fasten Group's Written Submissions; Para 16 of Fastens Group's Rejoinder Submissions.

³⁰ Para 14 of Fastens Group's Written Submissions.

³¹ Para 41 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

³² Para 10 of Corning India's Written Submissions.

³³ Para 11 of BFL's Written Submissions.

³⁴ Para 12 of BFL's Written Submissions.

³⁵ Para 12 of BFL's Written Submissions.

- like article in India.³⁶ The applicant and Corning India Technologies Ltd. together account of 90 – 95 % of the total Indian eligible domestic production.³⁷
- d. With respect to non – fulfilment of the “fifty per cent of total production” condition laid down in Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995, it is submitted that the other interested party has forwarded an erroneous interpretation of law. In the present investigation, none of other producers of the like article have opposed the application and therefore, it can be concluded that 100 % of the domestic producers, who have expressed “either support or opposition”, have supported the application.³⁸
 - e. With respect to the requirement of 50 % of support of the domestic producers at the time of initiation, it is submitted that the Authority has consistently in several past investigations³⁹ considered the production of the supporting producers even when such support has been filed post-initiation of the investigations⁴⁰.
 - f. The applicant has never imported the subject goods. However, one of its group companies i.e., Birla Cable Limited⁴¹ has imported a total of *** KFKM of the subject goods from two of the subject countries⁴² during the POI under advance authorisation scheme. The imports made by Birla Cable Limited are *** % of the total imports from the subject countries and represents less than *** % of the total Indian demand.⁴³
 - g. The applicant has also furnished copies of all bills of entry vide which the said imports were made by Birla Cable Limited, which clearly show that the same have been made against advance authorisation.
 - h. The applicant company is a joint venture between the Birla Group and Furukawa Electric Co. Ltd., Japan in which Furukawa holds ***% of the equity shareholding in the applicant.⁴⁴ The applicant has 6 Directors, 3 each from the Birla Group and Furukawa Electric Co.⁴⁵
 - i. Birla Cables Limited and the applicant are separate legal entities and do not exercise any kind of control over each other and are not related parties either under the Companies Act, the Income Tax Act and Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. The applicant company does not have equity stake in Birla Cables Limited nor does Birla Cables Limited has any equity stake in BFL.⁴⁶
 - j. Birla Cables Limited and the applicant have common shareholders which accounts for *** % of the applicant’s shareholding and *** % of Birla Cables Limited’s shareholding. However, the majority shareholding of the applicant i.e., *** % of the shareholding rests with independent parties of which the majority part rests with Furukawa Electric Co., Japan.⁴⁷
 - k. Birla Cables Limited has made imports under specific export contracts, against advance authorization. The judgement of Hon’ble High Court of Calcutta in *Gujarat Fertilisers & Chemicals Ltd. v. Additional Secretary and Designated Authority*⁴⁸ that the term “importer” for exclusion from the definition of the domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules, 1995 means a person who is carrying on the business of import exclusively for trading purpose. Further, the Authority in the sunset review investigation of ‘2 Methyl (5) Nitro Imidazole’⁴⁹ has held that imports made under duty exemption schemes would not disqualify a domestic producer from being considered as domestic industry.⁵⁰

³⁶ Para 13 of BFL’s Written Submissions.

³⁷ Para 13 of BFL’s Written Submissions; Para 9 of Corning India’s Rejoinder Submissions.

³⁸ Para 23 of BFL’s Written Submissions.

³⁹ Para 7 of Corning India’s Rejoinder Submissions

⁴⁰ Anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Filament yarn originating in or exported from China PR and Ukraine. Final Findings. - No. 14/23/2004-DGAD. Anti-dumping investigation on import of PVC Suspension Resin from European Union (EU) and Mexico – Final findings - No.14/1012/2012-DGAD - Sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of "Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified Tiles in polished or unpolished finish with less than 37% water absorption" originating in or exported from China PR - 8. No.7/39/2020-DGTR.

⁴¹ Birla Cable Limited

⁴² BCL has imported from China PR and Korea RP.

⁴³ Para 15 of BFL’s Written Submissions.

⁴⁴ Para 17 of BFL’s Written Submissions.

⁴⁵ Para 18 of BFL’s Written Submissions.

⁴⁶ Para 18 of BFL’s Written Submissions.

⁴⁷ Para 18 of BFL’s written submissions.

⁴⁸ 2012 (286) E.L.T. 348 (Cal.).

⁴⁹ Para 11, Final Findings in Anti- dumping investigation (Sunset Review) involving import of 2 Methyl (5) Nitro Imidazole - originating in or exported from China PR dated 29th June 2007 available at: https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_2MNI_ssr_0.pdf.

⁵⁰ “11. In this regard, the Authority notes that M/s Aarti Drugs Ltd., Mumbai had imported subject goods under duty exemption scheme which constitute approximately 32% of the total imports of India. The goods imported under duty exemption scheme necessarily need to be exported after use of imported inputs in the final product and its price impact may be insignificant in the merchant market. The Authority, therefore, holds that the imports made under duty exemption scheme would not disqualify the producer from being considered as domestic industry.”

⁵⁰ Para 20 of BFL’s Written Submissions.

- l. The applicant is a committed producer of the subject goods in India and the minuscule imports made by Birla Cables Limited under duty exemption schemes should not change the status of the applicant from being a domestic producer of the subject goods to an importer.⁵¹
- m. Corning India Technologies Ltd. has not imported the subject goods from the subject countries⁵².
- n. Sterlite India Technologies Ltd. has imported substantial quantity of the PUC from China PR and therefore, it may be treated as ineligible producer.⁵³ The Authority had clarified the same in the initiation notification.⁵⁴
- o. Sterlite India Technologies Ltd. has also submitted all the bills of entry filed during the POI for importing the subject goods, to substantiate its claim that the said imports have been made against advance authorization.
- p. With respect to arguments pertaining to rejection of Sterlite India Technologies Ltd. as a supporter to the investigation, it is submitted that the Rule 2(b) lays down the definition of domestic industry and should not be applied to determine the eligibility of a supporter.⁵⁵
- q. Sterlite India Technologies Ltd.'s data has not been relied upon for claiming standing or injury assessment and therefore, the filing of Sterlite India Technologies Ltd.'s data is inconsequential for the present application.⁵⁶

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

23. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder:
24. The following issues have been raised by the other interested parties and the domestic industry with respect to the domestic industry's standing:
 - a. Whether in view of the imports made by related parties of the applicant, the applicant constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b)?
 - b. Whether Sterlite India Technologies Ltd. (hereinafter referred to as "Sterlite India") can be considered a supporter for the purpose of the present investigation?
 - c. Whether the requirements under Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995 have been fulfilled by the applicant?

i. Whether applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995?

25. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 defines domestic industry as under:

*"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article **except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers**".*

26. Fasten Group and HFCL have argued that the applicant does not constitute domestic industry as one of its related entities, Birla Cable Limited (hereinafter referred to as "BCL"), has imported the subject goods from China PR, one of the subject countries during the POI. They have also argued that BCL is a related company of the applicant as they have common directors. Fasten Group has relied on this Authority's final findings in *Acrylic Fiber*⁵⁷, *Aluminum Foil*⁵⁸ and *Pentaerythritol*⁵⁹ for exclusion of the applicant from the scope of the domestic industry. It has further relied upon the definition of control and related party under Companies Act, 2013 to reject the applicant's claim that BCL is not its related company.
27. With respect to the same, the applicant has contended that the applicant and BCL are separate legal entities and are not related parties either under the Companies Act, 2013 or Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. The

⁵¹ Para 19 of BFL's Written Submissions.

⁵² Para 14 of Corning India's Written Submissions.

⁵³ Para 14 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁵⁴ Para 26 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁵⁵ Paras 12 and 13 of Corning India's Written Submissions.

⁵⁶ Para 14 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁵⁷ See *supra* note 24.

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.*

applicant has further submitted that the two companies have common shareholders accounting for 38% of the applicant's shareholding. However, the majority shareholding rests with Furukawa Electric Co., Japan, an independent party. Additionally, the applicant has submitted that BCL has made imports under the advance authorization scheme, which accounts for *** % of total imports of the subject goods from the subject countries and less than *** % of the Indian demand of the subject goods. The applicant has further relied on the judgement of High Court of Calcutta in *Gujarat Fertilisers & Chemicals Ltd. v. Additional Secretary and Designated Authority*⁶⁰ and this Authority's final findings in *2 Methyl (5) Nitro Imidazole*⁶¹ for considering the applicant as an eligible domestic producer under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.

28. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 lays down that in situations wherein a domestic producer or its related party has made imports of the subject goods from the subject countries, the Authority may not consider such a producer as an eligible domestic producer.
29. In the present investigation, the Authority notes that even though BCL does not directly hold any shareholding in the applicant company, they have common shareholders. The Authority, therefore, considers Birla Cables Limited as a related party of the applicant.
30. However, not every act of import of subject goods by a domestic producer or its related entity can lead to exclusion of such domestic producer from the ambit of domestic industry. The Gauhati High Court in the decision of *Century Plyboards v. Union of India*⁶² has also observed that the Authority enjoys certain discretion with respect to inclusion/exclusion of such importing domestic producers⁶³. In this regard, the decision of Calcutta High Court in *Gujarat Fertilisers & Chemicals Ltd. v. Additional Secretary and Designated Authority*⁶⁴ assumes importance wherein the Hon'ble High Court had observed that the ultimate test for exclusion/inclusion of an importing domestic producer from/within the scope of the domestic industry, was to ascertain the nature of such producer.
31. The imports made by BCL accounts for ***% of total imports of the subject goods from the subject countries and less than *** % of the demand of the subject goods in India during the POI. It is further noted that BCL is engaged in the manufacturing of optical fiber cables whereas the applicant is engaged in the production of the like article. Therefore, the quantum of imports made by the BCL does not have any impact on the nature of the applicant as an eligible domestic producer.
32. Vindhya Telelinks Ltd. and Universal Cables Ltd. are also related parties of the applicant. However, they have not indulged in importation of the subject goods from the subject countries during the POI. In view of the above, the Authority holds the applicant as an eligible domestic producer under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.

ii. Whether Sterlite India can be considered as a supporter in the present investigation?

33. Fasten Group, Futong and HFCL have argued that Sterlite India cannot be considered as a supporter to the present anti-dumping application as it has imported substantial quantities of the subject goods from its related entity in China PR, one of the subject countries. Corning India Technologies Ltd. (hereinafter referred to as "Corning India") has argued that the requirements of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 cannot be applied to determine whether an importer can be considered as supporter. The applicant has submitted that given the large quantum of imports made by Sterlite India, the same may not be considered as a supporter to the present investigation.
34. While Rule 2(b) of AD Rules, 1995 does not lay down the criteria for the determination of a supporter, it is noted that the same serves as guidance in determining the nature of a supporter. The Authority cannot allow unbridled participation of every importing domestic producer in support of anti – dumping applications as it would be antithetical to the principles of AD Rules, 1995. The eligibility of a supporter, therefore, is to be decided on a case – to – case basis, just as it is determined for domestic producers. As per the facts of the

⁶⁰ 2012 (286) E.L.T. 348 (Cal.).

⁶¹ See *supra* note 49.

⁶² 2022 SCC OnLine Gau 643.

⁶³ "54. In view of the above, it is the considered view of the Court that the amendment brought in to the definition of 'domestic industry' by the notification dated 01.12.2011 in Rule 2(b) of the ADR 1995 do bring in a discretion upon the authorities to include the producers related to the exporters or importers of the dumped article or the importers themselves in the concept of 'domestic industry'. But again because of the nature and implications of the successive amendments, we have to understand that such discretion may not be an absolute discretion but would be a circumstantial discretion to be determined on case-to-case basis."

⁶⁴ See *supra* note 60.

present investigation, Sterlite India has imported significant quantities of subject goods from one of the subject countries through the injury period including the POI. These imports constitute considerable share of the demand of the subject goods in India. Therefore, the Authority has not considered Sterlite India as a supporter to the present anti – dumping application.

35. Sterlite India has made imports of the subject goods not only from its related party in China PR but also from other exporters from China PR. It has imported 2521 FKM of the subject goods from China PR. The Authority had at the stage of initiation itself, considered Sterlite India as an ineligible domestic producer due to the huge quantum of imports of subject goods. Further, the applicant has also argued for exclusion of Sterlite India from the ambit of eligible domestic producers. The Authority, therefore, in accordance with the initiation notification, has not considered Sterlite India as an ineligible domestic producer. Accordingly, the Authority has not considered Sterlite India as a supporter to the anti – dumping application.

iii. Fulfilment of requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

36. Fasten Group has alleged that the application has failed to fulfil the 50 % requirement envisaged in Rule 5(3) of the AD Rules, 1995 because non – importing domestic producers of the like article did not support the application at the initiation stage. With respect to the same, the applicant has submitted that none of the domestic producers opposed its application and therefore, it can be concluded that 100 % of the domestic producers have supported its application.

37. Rule 5(3) (a) of the AD Rules, 1995 lays down the following:

“(3) The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless –

(a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry:

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty-five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

.
.
.

Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.”

38. As noted above, Rule 5(3) (a) read with explanation postulates a two – fold requirement:

- The applicant (s) must represent twenty-five percent of the total production of the like article in India; and
- The application must be supported by domestic producers representing at least 50 % of such producers who have either expressed their support or opposition to the application.

39. The following table enumerates the production figures of the domestic producers of the like article as considered at the stage of initiation:

Domestic producer	Production during POI (KFKM)	Production of Eligible Indian producers	Share of applicant in eligible domestic production
Birla Furukawa Fiber Optics Pvt. Ltd.*	***	***	
Corning India Technologies Ltd.	***	***	
Sterlite India Technologies Ltd.	***	Importer	
ZTT	***	Importer	

Aksh Optifiber Limited	***	***	
Finolex Technologies	***	***	
Total	***	***	34%

Table D 2

40. It is seen that the applicant's share in total domestic production was more than 25% of the eligible domestic production. Thus, the first limb of the requirement laid down in Rule 5 (3) (a) is fulfilled.
41. With respect to the second condition, it is noted that the volume of only such domestic producers is to be taken into account who have either expressed support or opposition to the application. As none of the other eligible producers has expressed opposition to the application at the stage of initiation, it can be concluded that the application was supported by 100 % of the domestic producers who have either "expressed support or opposition" to the application. Thus, the requirement of the second limb of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995 was also fulfilled. It is also noted that subsequently, the application has also been supported by Corning India.
42. The applicant has submitted that it does not have access to the production data of other domestic manufacturers. The applicant has further submitted that other than Sterlite India, none of the other Indian producers has preform (the primary raw material used in the production of the subject goods) manufacturing facility in India and therefore all domestic manufacturers, other than Sterlite India, produce the PUC from imported preform (which cannot be used for any other known purpose). Accordingly, an estimate of total industry production has been made by them adopting the standard industry norm that 1 kg of preform will yield around 33.3 FKM of optical fiber. Accordingly, in the absence of the actual production figures of Aksh Optifiber and Finolex Technologies, the total Indian production has been corroborated with the derived production based on the preform imports of the Indian producers of SMOF:

	POI		Eligible Production
Indian Manufacturers	Preform ('000 Kg)	Derived SMOF (KFKM)	Preform imports (KFKM)
Aksh Optifibre	***	***	***
Birla Furukawa Limited	***	***	***#
Corning India	***	***	***#
Finolex Technologies	***	***	***
HFCI Ltd.	***	***	##
Sterlite India	-	-	##
ZTT	***	***	##
Grand Total	***	***	***
	Applicant's Share		27%

Table D 3

#Actual

##Importers- ineligible producers

43. It is seen that applicant constitutes more than 25 % of the total eligible domestic production. It is also to be noted that Corning India has supported the anti – dumping application by the applicant and after considering the same, the application has support of 90% of eligible domestic producers in India. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

D.4 POST – DISCLOSURE COMMENTS BY OTHER INTERESTED PARTIES

44. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope and standing of

the domestic industry:

- a. The Authority has failed to address the argument that domestic producers whose related producers are importers should be excluded from the scope of the domestic industry. Such exclusion is necessary to accurately assess the injury caused to the domestic industry and to ensure that imposition of anti – dumping duties would not accrue any undue benefits to the related producer.⁶⁵
- b. Due to confidentiality of the information concerning determination of standing of the domestic industry, the interested parties cannot offer their comments on the same.⁶⁶

D.5POST – DISCLOSURE COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

45. The domestic industry has made the following submissions with respect to the scope and standing of the domestic industry:
 - a. Sterlite India cannot be excluded from scope of the domestic industry on the basis of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 in the absence of any jurisprudence providing for recognition of an entity as a ‘supporter’. Sterlite India has imported 2,692 FKM of the subject goods during the POI which constitutes around 8 – 9 % of the total Indian demand.⁶⁷
 - b. Sterlite India has produced 35,220 FKM of the ‘like article’ during the POI and is thus, the biggest manufacturer of the subject goods in India. Accordingly, Sterlite India should have been considered as a supporter in the present investigation.⁶⁸
 - c. BCL has no direct or indirect control over the applicant nor does the applicant exercise such control. Mere common shareholding cannot be held as indicative of the fact that the two companies are related parties.⁶⁹

D.6 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

46. Fasten Group has alleged that non – exclusion of domestic producers whose related parties have made imports of the subject goods from the subject countries would lead to an inaccurate picture of injury analysis. As mentioned above, BCL one of the related parties of the applicant has made imports equivalent to *** % of total demand in India. Such imports constitute an insignificant portion of the Indian demand. Further, as stated above in paragraph 30, as per the decision of the Calcutta High Court in *Gujarat Fertilisers & Chemicals Ltd. v. Additional Secretary and Designated Authority*⁷⁰ the ultimate test for exclusion/inclusion of an importing domestic producer from/within the scope of the domestic industry, was to ascertain the nature of such producer. In the factual matrix of the present case, even though a related party of the applicant has imported the subject goods, the applicant continues to remain a manufacturer. Therefore, the Authority confirms the applicant as an eligible domestic producer under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.
47. Fasten Group has also alleged that due to confidentiality regarding the information on the basis of which the domestic industry’s standing has been determined, the interested parties are not able to offer their comments. The Authority has clarified the basis on which standing of the domestic industry has been determined. However, the disclosure of the exact volume of preform imports would lead to the disclosure of the quantum of production of the individual manufacturers as the conversion factor of preform to optical fiber is known. Production figures of individual manufacturers, whether domestic or foreign, is considered as confidential data. Therefore, such information cannot be disclosed.
48. The applicant has contended Sterlite India should have been considered as a supporter to the investigation and that the Authority should not rely on the definition provided under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 to disregard it. It has further submitted that Sterlite India has made only *** % of the total demand in India and it has produced *** FKM in the POI which makes Sterlite India, the largest producer in India. In this regard, it is noted that Sterlite India has imported significant quantities of the PUC throughout the injury period. Its share in imports from the subject countries constituted around *** % in the base year, *** % in 2019 -20, *** % in 2020 – 2021 and *** % in the POI. Further, such imports have not been necessitated by a demand

⁶⁵ Paras 11 – 13 of Fasten Group’s Post – Disclosure Comments.

⁶⁶ Para 15 of Fasten Group’s Post – Disclosure Comments.

⁶⁷ Paras 2 – 3 of BFL’s Post – Disclosure Comments.

⁶⁸ Para 4 of BFL’s Post – Disclosure Comments.

⁶⁹ Para 6 of BFL’s Post – Disclosure Comments.

⁷⁰ See *supra* note 60.

supply gap in India but rather have been imported from related as well as non – related parties for captive consumption and manufacturing of optical fiber cables. Therefore, Sterlite India cannot be considered a supporter in the present investigation.

49. The applicant has contested the Authority's determination of Birla Cable Limited as a related party of the applicant. In this regard, it is noted that the MP Birla Group holds *** % share in Birla Cable Limited and *** % of the shareholding in the applicant. These two entities have a common chairman who is also on the board of the MP Birla Group is in a decisive position to exert control over the affairs of both the entities. This clearly establishes that the two entities are related to each other. Accordingly, the applicant's claim has not been accepted.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

- a. As per the Supreme Court's judgement in *Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority*⁷¹, the Designated Authority cannot automatically assume confidentiality under Rule 7 of the AD Rules, 1995.⁷²
- b. The non – confidential information provided by the domestic industry is grossly deficient as the information provided by Sterlite India is not in conformity with Trade Notice No. 13/2018. In the event of any special dispensation or concession made in this case, it is requested that the Authority may clarify the reasons for doing so.⁷³
- c. The non – confidential version of the application does not contain an authorization letter issued by the applicant in favour of M/s TLC Legal. The application also does not contain Format X (certificate by Chief Executive of the Company/ Directors/Partners or proprietor of the firm) and Format Y (declaration by authorised legal representative) as per Trade Notice 05/2021⁷⁴.
- d. The applicant has claimed excessive confidentiality in relation to Section – VI (costing information) without giving any justifiable reasons and the application does not conform with Trade Notice No. 01/2013.⁷⁵
- e. The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to information pertaining to annual accounts and balance sheets of the applicant. As per para (viii) 76 of Trade Notice No. 01/2013, under no circumstances, a party can claim confidentiality on annual accounts and balance sheets if such information is either already in the public domain or can be accessed upon payment of fees. As the public account and balance sheets are available in the public domain, the same cannot be claimed confidential under any circumstance.⁷⁶
- f. As per para 4 (iv)⁷⁸ of Trade Notice 01/2013, the applicant cannot claim the Cybex/CRU data which has been used to determine demand, as confidential given the fact that the same is available in the public domain. The CRU Report cannot be claimed confidential without sufficient justification⁷⁹.
- g. The WTO panel in EU – Footwear (China) had held that EU authorities had violated Art. 6.5.1 of the WTO Agreement on Anti – dumping as it had failed to ensure that its producers supplied an adequate non – confidential summary of the claims or provided a cause statement explaining why

⁷¹ (2006) 10 SCC 386.

⁷² Para 25 of Fasten Group's Written Submissions.

⁷³ Para 4 of Futong's Written Submissions; Para 1 of Futong's Rejoinder Submissions.

⁷⁴ Para 3 of Futong's Written Submissions.

⁷⁵ Para 5 of Futong's Written Submissions.

⁷⁶ (viii) In case the Annual Accounts and the Balance Sheet of a participating interested party is in the public domain, in accordance with the relevant law/ rules of the subject country or can be obtained by the public from the prescribed authorities, the same shall not be allowed by the authority to be treated as confidential under any circumstances".

⁷⁷ Para 5 of Futong's Written Submissions.

⁷⁸ " (iv) A claim of confidentiality shall not be accepted by the authority on the grounds of commercial restrictions, for example, in case, the information is available in public domain and can be obtained by any party after payment of fee, etc. information / data procured from a private source as IBIS shall not be treated as confidential and the party submitting the same should submit a letter of permission for its disclosure from the party supplying the same before being accepted"

⁷⁹ Para 15 of Fasten Group's Written Submissions, Para 13 of Fasten Group's Written Submissions.

summarization was not possible⁸⁰.

- h. The applicant has not disclosed its production percentage, total Indian production, market share and details of quantities of imports by related parties in the non – confidential version of its application.⁸¹
- i. The applicant has not provided the following information as per Trade Notice 10/2018:
 - a) Names of major raw materials used in production of the PUC.
 - b) Average industry norms for capacity utilisation.
 - c) R & D Expenses
 - d) Funds raised: (a) equity (b) loans and advances (c) working capital (d) others, if any.
 - e) Non – injurious price calculation.⁸²
- j. The applicant has not disclosed the calculation of the duty impact.⁸³
- k. The CESTAT in the case of *Exotic Décor Pvt. Ltd. v. Designated Authority*⁸⁴ had observed that Designated Authority should provide the data to the interested parties in the form and manner it was received on record.

E.2 SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

51. The following submissions have been made by the applicant with regard to confidentiality:

- a. **The participating producers from the subject countries as well as the importers have claimed excessive confidentiality. The following information has not been provided by them in accordance with Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018:**
 - a) **Information related to related parties involved in production, sales and purchase of the subject goods.**
 - b) **Information relates to export volume, value of the subject goods, production process and domestic sales.**
- b. The participating producers have also not disclosed the related parties through which the participating producers have exported the subject goods into India.⁸⁵
- c. With regards to the claim that the applicant has not submitted authorisation in favour of their legal consultants along with Format X and Y, it is submitted that the same has been submitted by the applicant during the course of preliminary scrutiny of the application and was found as per the prescribed format.⁸⁶
- d. With respect to excessive claims on confidentiality made by the applicant, it is submitted that all relevant information has been disclosed in the non – confidential version. Information pertaining to cost of production, profitability etc. has been claimed confidential as such information is business sensitive.⁸⁷
- e. The exporters may procure the financial information of the applicant company from the registrar of companies on payment of the applicable fee.⁸⁸
- f. As far as disclosure of data procured from CRU International Ltd. and Cybex is concerned, it is submitted that the applicant has procured the same upon payment of fee and as per the purchase agreement with CRU and Cybex, the applicant is prohibited from sharing such data in the public domain. The other interested parties are at liberty to procure the same.⁸⁹
- g. The applicant has provided country – wise summary of import data, demand and production data of India as part of its non – confidential application.⁹⁰

⁸⁰ Para 7.708, Panel Report, European Union – Anti – dumping Measures on Certain Footwear from China WT/DS405/R. (Para __ Fasten Group's Written Submissions; Para 56 of Fasten Group's Rejoinder Submissions).

⁸¹ Paras 13,24 of Fasten Group's Written Submissions, Para 53 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

⁸² Para 26 of Fasten Group's Written Submissions, Para 54 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

⁸³ Para 24 of Fasten Group's Written Submissions.

⁸⁴ 2020 SCC OnLine CESTAT 119.

⁸⁵ Para 64 of BFL's Written Submissions.

⁸⁶ Para 13 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁸⁷ Para 18 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁸⁸ Para 18 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁸⁹ Para 19 of BFL's Rejoinder Submissions.

⁹⁰ Para 19 of BFL's Rejoinder Submissions.

- h. None of the other interested parties have brought any factual information on record contesting the claims based on data submitted by the applicant.⁹¹

E.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

52. **The submission made by the other interested parties and the domestic industry have been addressed hereinunder.**

53. **The following issues have been raised by the other interested parties and the domestic industry in their submissions:**

- a) **Non - disclosure of information in the anti – dumping application / questionnaire responses as per Trade Notice 10/2018.**
- b) **Non – disclosure of information procured from Cybex and CRU by the applicant.**

54. **With regard to confidentiality of information submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules, 1995 provides as follows:**

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

- i. **Non - disclosure of information in the anti – dumping application / questionnaire response as per Trade Notice 10/2018.**
55. **Futong has submitted that the applicant has not disclosed the authorization letter issued in the favour of its representatives in the non-confidential version of the applicant. Futong has also alleged that the applicant has claimed excessive confidentiality with respect to annual accounts and financial statements even though such information is in the public domain. the applicant has also shared the non – confidential version of its financial statements pertaining to financial years 2019 – 20 and 2021 – 22.**
56. **Fasten has further alleged that the applicant has not disclosed its production percentage, Indian production and details of the quantum of imports made by the applicant’s related parties. With respect to the same, the applicant has claimed that it has disclosed all relevant information in the non – confidential version of the application.**
57. **The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed information pertaining to return on investment, costs and information contained in Section-VI. The Authority notes that such information is confidential by nature, and has accepted the confidentiality claimed by the domestic industry. Further, the applicant has also shared Formats X and Y and the names of major raw materials involved in the production of the PUC.**
58. **With respect to the submissions made by the other interested parties regarding the average industry norms for capacity utilization, R & D expenses, funds raised etc., it is noted that such information no**

⁹¹ Para 19 of BFL’s Rejoinder Submissions.

longer forms part of Proforma IV – B of the application. Therefore, the question of providing non – confidential version of the same does not arise.

59. With respect to the details of imports made by the applicant's related party, it is noted that the quantum of imports carried out by a company is commercial and business-sensitive information. The disclosure of such information may lead to the revelation of a company's strategy to its competitors. It is also noted that the individual quantum of imports sent by exporters into India is also accorded confidentiality on the same footing. The Authority, therefore, confirms the same as confidential information.
60. The applicant has also alleged that Fasten Group has not disclosed the sales channel of the export and domestic transactions made by it. It is noted that prior to the issuance of the disclosure statement, Fasten Group has circulated the details of its sales channel.
61. The applicant has also alleged that Futong has not disclosed information pertaining to its related parties in its questionnaire response. The Authority notes that Futong has circulated the list of its related parties with the other interested parties.
- ii. Non – disclosure of information procured from Cybex and CRU by the applicant.
62. Futong and Fasten Group have submitted that the applicant has not disclosed the import data and production figures submitted by it as part of its application. A specific query in this regard was posed to the applicant regarding the confidentiality of such data. The applicant has submitted the terms of the purchase agreement. It is noted that CRU supplies the data on a confidential basis to the purchasers. The terms of the agreement specifically stipulate that the contents of such data cannot be disclosed to any other party. It is further noted that a non – confidential version of such data has already been circulated by the applicant with the other interested parties. Thus, the submissions made by the Fasten Group and Futong in this context are not found to be meritorious. The other interested parties are at liberty to procure the said data by entering into similar separate agreements.
63. Futong and Fasten Group have also made similar submissions with respect to the Cybex data submitted by the applicant. The applicant's purchase agreement with Cybex also specifically mentions that such data has been supplied to the applicant on a confidential basis and therefore, the applicant cannot share the same in the public domain. Thus, the submission made by the Fasten Group and Futong in this context cannot be accepted. The other interested parties are at liberty to procure the same.
64. With respect to the other information/ data submitted by the interested parties and the domestic industry on a confidential basis, the same was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the information/ data submitted by all interested parties by directing such parties to share the non-confidential version of their submissions through e-mails.

E.4 POST – DISCLOSURE COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

65. The other interested parties have made the following submissions:

- a. The applicant has claimed excessive confidentiality and not has not provided non – confidential summary and indexation which is in violation of Trade Notice No. 10/2018.⁹²

E.5 POST – DISCLOSURE COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

66. The domestic industry has made no post – disclosure comments concerning confidentiality of information.

E.6 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

67. Fasten Group has alleged that the applicant has not provided indexation and that the applicant has

⁹² Para 16 of Fasten Group's Post – Disclosure Comments.

claimed excessive confidentiality. It is noted that the Authority has undertaken specific examination of the issues raised by Fasten Group and the other interested parties through their post – hearing written and rejoinder submissions in paragraphs 54 – 63 of these final findings. The comment made by Fasten Group is general in nature and does not point out any specific issue with respect to confidentiality of a particular information. In view of the same, the Authority is not able to examine the claims regarding inconsistency with Trade Notice 10/2018. As far as indexation of information in the anti – dumping application is concerned, it is noted that the same was provided by the applicant.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submissions By The Other Interested Parties

68. The following submissions have been made by the other interested parties:

- a. China PR should be treated as market economy in the present investigation.⁹³
- b. Paragraph 15 (d) of China PR's Accession Protocol to WTO was set to expire 15 years subsequent to China's accession to WTO i.e., 11th December 2016 and thereafter, WTO member states are under an obligation to accord market economy status to China PR. Post the aforementioned date, the WTO member nations irrespective of the status under their domestic laws, has to determine the normal value of the producers from China PR based on their prices and costs. This interpretation has also been upheld by the Appellate Body in *EC – Fasteners*^{94 95}.
- c. The applicant has not provided justifications for disregarding methodologies available under para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995 before calculating normal value based on its own cost of production.⁹⁶
- d. The Authority should compute the normal value of exporters from China PR based on the cost of the production of other subject market economy countries. While doing the same, the Authority should factor in international prices of the raw material to have a fair comparison of normal value and export price.⁹⁷
- e. The adjustments claimed by the applicant in the computation of the export price are inappropriate and the Authority is requested to verify the same.⁹⁸
- f. The export price and landed price of the Fastens Group should be calculated based on the prices and data submitted on record.⁹⁹
- g. The applicant has not provided any evidence to support its claims of post-import discounts or longer credit periods to customers. The applicant has also not provided evidence for its allegation pertaining to the overvaluation of the subject goods.¹⁰⁰

F.2 Submissions Made by the Domestic Industry

69. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. It is submitted that significant price distortion exists in China PR due to government intervention. None of the participating producers from China has provided evidence that they are operating in market economy conditions.¹⁰¹
- b. In a recently concluded investigation in respect of optical fiber cables, which is a downstream product of the PUC, the European Commission has stated that the market of optical fiber cables in China PR is affected by substantial government intervention.¹⁰²

⁹³ Para 31 of Fasten Group's Written Submissions.

⁹⁴ Para 289, Appellate Body Report, *European Communities - Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China* WT/DS/AB/R (adopted on 12th February 2016).

⁹⁵ Para 13 of Futong's Written Submissions.

⁹⁶ Para 31 of Fasten Group's Written Submissions.

⁹⁷ Para 32 of Fasten Group's Written Submissions.

⁹⁸ Para 7 of Futong's Written Submissions.

⁹⁹ Paras 4, 33 Fasten Group's Written Submissions.

¹⁰⁰ Para 41 Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁰¹ Para 20 of BFL's Rejoinder Submissions.

¹⁰² Paras 20 - 21 of BFL's Rejoinder Submissions.

- c. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries¹⁰³ during the POI due to which the domestic industry has been facing significant injury and consequently, it has not been able to make profitable sales.¹⁰⁴
- d. It is submitted that during the oral hearing, the applicant had claimed that only imports made by Sterlite India through its joint venture Sterlite China in China PR were at non - injurious prices. It did not indicate that imports made by Sterlite through other exporters were at fair prices and should the Authority determine that Sterlite China has also dumped exports into India, it should take appropriate action.¹⁰⁵
- e. It is submitted that export price from each of the subject countries is significantly lower than the domestic industry's cost of sales.¹⁰⁶
- f. Futong's related parties¹⁰⁷ have not filed their questionnaire response and information pertaining to its complete supply chain has not been provided.¹⁰⁸ The Authority should ascertain whether such entities have exported during the POI.¹⁰⁹

F.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

70. The examination of the submissions made by the domestic industry and the other interested parties have been made hereinunder.
71. The following issues have been raised by the interested parties and the domestic industry as part of their submissions:
 - a. Market economy treatment of China
 - b. Computation of normal value based on the domestic industry's cost of production.
 - c. Determination of normal value and export price for Futong, China PR.
 - d. Determination of normal value and export price for Fasten Group, China PR.
 - e. Determination of normal value and export price for Sterlite China, China PR.
 - f. Determination of normal value and export price for residual category of producers, China PR
 - g. Determination of normal value and export price for residual category of producers Korea RP.
 - h. Determination of normal value and export price for residual category of producers Indonesia.

i. Market economy treatment of China

72. It is noted that both Futong and Fasten Group have argued for treatment for China PR as a market economy country. The argument is based on the premise that with the expiration of Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol on 11 December 2016, WTO members, including India are under an obligation to treat China PR as a market economy country. Futong has placed reliance on the WTO's Appellate Body Report in *EC – Fasteners*¹¹⁰ to substantiate the same.
73. The Authority notes that Futong's reliance on the Appellate Body's Report in *EC – Fastener* is misconceived. The question before the Appellate Body in that dispute did not pertain to the computation of normal value but rather related to the computation of export price¹¹¹.

¹⁰³ Para 16 of Corning India's Written Submissions.

¹⁰⁴ Para 33 of BFL's Written Submissions.

¹⁰⁵ Para 3 of BFL's Rejoinder Submissions.

¹⁰⁶ Para 5 of BFL's Rejoinder Submissions.

¹⁰⁷ The name of the entities are as below-

- a. Futong Sumitomo (Jiashan) Jiaxing
- b. Xinmao Tianjin
- c. Sumitomo-Futong SFF (Hangzhou)
- d. Futong Xinmao (Chengdu)
- e. Xinmao Jinan
- f. Futong-Chengdu

¹⁰⁸ Para 25 of Corning India's Written Submissions; Para 14 of Corning India's Rejoinder Submissions.

¹⁰⁹ Para 26 of Corning India's Written Submissions.

¹¹⁰ See *supra* note 90.

¹¹¹ "288. We do not consider that the references in paragraph 15(a)(i) and (ii) to producers having to show that "market economy conditions prevail ... with regard to the manufacture, production and sale" of a product means that paragraph 15(a) permits any derogations also with respect to the determination of export prices. We reach this conclusion because, when producers are not able to show that market economy conditions prevail (including with regard to the sale of the product), paragraph 15(a) makes it clear that all an

74. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- "(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

75. The treatment of China PR as a non – market economy does not solely stem from Article 15 (a) (ii) which Futong has claimed to have expired on 11th December 2016 but also flows from the remaining text of Article 15 i.e., subparagraph (a), as well as the broader rules set forth in Article VI of GATT 1994 and Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti – dumping. The application of these provisions makes it amply clear that responding producers from China PR have to supply additional information/ data by submitting the market economy questionnaire. In the absence of the same, the Authority would resort to provisions of para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995 for computation of the normal value of producers from China PR.

76. In the present investigation, three producers from China PR – Futong, Fasten Group and Sterlite China have participated in the investigation. None of the producers have claimed market economy treatment.¹¹² Accordingly, the normal value for producers from China PR has been computed in terms of para 7 of

importing WTO Member is allowed to do as a consequence is to "use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China". (emphasis supplied).

¹¹² See Part III Section I Question 1 of Futong's and Fasten Group's Questionnaire response.

Annexure I to the AD Rules, 1995.

ii. Computation of normal value based on the domestic industry's cost of production.

77. The applicant has computed the normal value of the subject goods from China PR based on its cost of production plus selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. Fasten Group has argued that the applicant has not provided justifications for disregarding the other methodologies available under para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995. During the course of verification, the question was put before the applicant. The applicant explained that constructed normal value has been used as information regarding the price of the subject goods in any other market economy is not available in the public domain. Moreover, owing to the low volume of subject imports from other countries, export prices from other countries to India can also not be considered representative.
78. Fasten Group has argued for using cost of production of producers from other subject countries for calculation of normal value. It is noted that none of the producers from the other subject countries have participated in the investigation. Therefore, the Authority does not have data pertaining to cost or prices in a market economy third country. Thus, the Authority cannot consider computation of normal value on this basis. Further, given the fact that the PUC does not have a dedicated customs classification export price from third country could not be considered for computation of normal value. Moreover, the import volume from non – subject countries is also below the *de – minimis* level. Therefore, such export price from third countries to India price could also not be considered for computation of normal value.

iii. Determination of normal value and export price for Futong, China PR

79. The domestic industry as well as the supporter has submitted that Futong's related parties who are engaged in the production of the PUC have not submitted the questionnaire response.
80. In its initial questionnaire response, Futong had only provided the names of 18 of its related parties. The investigating team through an email dated 27th January 2023 sought the list of activities carried out by the related parties of Futong. In its response, Futong provided a revised list of its related parties which increased to 51 in number. It is noted that the names of certain entities namely, Chendu Futong Optical Communication Technology Co.,Ltd., Futong Group (Jiashan) Communication Technology Co., Ltd., Hangzhou SEI-Futong Optical Fiber Co.,Ltd., Tianjin SEI-Futong Optical Fiber Co.,Ltd., Transtech Optical Communication Company Limited, Futong Optical Fiber & Cable (Chengdu) Co., Ltd., Futong Sumitomo (Jiashan) Jiaying Co., Ltd. and Jiaying Futong Group Co., Ltd., which were involved in the production of the PUC or the sales of the PUC did not form part of the original questionnaire response.
81. The justification provided by Futong during the verification regarding the revision of the list was that the subsequent parties that were added to the list by Futong were indirectly related to it and therefore, their names were not submitted at the stage of filing the questionnaire response.
82. Futong had also not clarified about its joint ventures or procurement of raw materials from its related parties in its questionnaire response.
83. However, the Authority notes that the aforementioned issues highlighted by the domestic industry only affects the normal value of Futong. Futong is a producer based out of China PR and for all producers from China PR, the Authority constructs normal value in terms of para 7 of Annexure I to the AD Rules 1995, unless the specific exporter or producer provides evidence to establish that it has been operating on market economy principles. In the present investigation, it is noted that Futong has not requested for market economy treatment. Therefore, the Authority has not adopted the normal value claimed by Futong and has instead computed the normal value in accordance with para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995.

Computation of normal value

84. The normal value has been determined as per the “price actually paid or payable in India” as stipulated in para VII of Annexure – I to the AD Rules, 1995. The normal value has been computed on the basis of the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

Computation of export price

85. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that Futong is a producer and exporter of the subject goods from China PR. Futong has exported *** KFKM of the subject goods directly to its unrelated customers in India during the POI. Futong has provided the relevant

information in the form and manner required and has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges, port and other expenses and credit cost. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by Futong and examined Futong's claims and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Futong has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

iv. Determination of normal value and export price for Fasten Group, China PR

Computation of normal value

86. The normal value has been determined as per the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para VII of Annexure – I to the AD Rules, 1995. The normal value has been computed on the basis of the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

Computation of export price

87. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that the Fasten Group comprises of five companies which include one producer Jiangsu Fasten Photonics Co., Ltd., and one exporter, Fasten Group IMP. & EXP. CO., Ltd. The rest of the entities, namely Jiangsu Fasten Optical Cable Co., Ltd., Potevio Fasten Optical Communication Co., Ltd. and Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd. involved in domestic as well as export sales of the subject goods are traders. Fasten group has exported the subject goods to India under two different sales processes – general trade and processing trade.
88. Under the processing trade Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd. only processes the raw material (preform) procured from Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd. into the PUC for Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd. Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd. further sells the PUC to Fasten Group IMP. & EXP. CO., Ltd. which then exports the subject goods to unrelated customers in India.
89. Under the general trade Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd. manufactures the subject goods and further sells them through Potevio Fasten Optical Communication Co., Ltd. and Jiangsu Fasten Optical Cable Co. Ltd. to Fasten Group IMP. & EXP. CO. Ltd., which then exports the subject goods to unrelated customers in India.
90. Fasten Group has exported *** KFKM, to unrelated customers in India. Fasten Group has provided the relevant information in the form and manner required, and has claimed adjustments on account of ocean freight, air freight (in certain transactions), marine insurance, inland transportation, bank charges, packing cost and credit cost. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by Fasten Group and examined Fasten Group's claims and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Fasten Group has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

v. Determination of normal value and export price for Sterlite China, China PR

Computation of normal value

91. The normal value has been determined as per the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed on the basis of the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

Computation of export price

92. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that Sterlite China has exported *** KFKM, to its related entity, Sterlite India, in India. They have provided the relevant information in the form and manner required, and has claimed adjustments on account of ocean freight (port and other expenses included), insurance, inland transportation, and packing cost. The Authority has verified the claims made during desk verification of the information submitted by Sterlite China and have allowed them accordingly. The dumping margin for Sterlite China has been redetermined after considering the comments received at the post – disclosure stage which has been explained in paragraphs 104 – 108 below. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Sterlite China has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

vi. Determination of normal value and export price for all other producers from China PR

93. The normal value and export price for all producers from China PR have been determined on the basis of available facts and the same is mentioned in the dumping margin table below.

vii. Determination of normal value and export price for all producers from Korea RP

94. The Authority notes that none of the producers/exporters from Korea RP has participated in the present investigation or filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in Korea RP, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of normal value and export price for all non-cooperative producers/exporters from Korea RP.

95. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all non-cooperative producers/exporters from Korea RP on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, plus a reasonable profit. The constructed normal value so determined for producers/exporters from Korea RP is stated in the below – mentioned dumping margin table.

96. The Authority has determined the export price after considering the volume and value of imports for the POI as per DGCI&S data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The export price so determined is stated in the below – mentioned dumping margin table.

viii. Determination of normal value and export price for all producers from Indonesia

97. The Authority notes that none of the producers/exporters from Indonesia has participated in the present investigation or filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in Indonesia, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of normal value and export price for all non-cooperative producers/exporters from Indonesia.

98. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all non-cooperative producers/exporters from Indonesia on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, plus reasonable profits. The constructed normal value so determined for producers/exporters from Indonesia is stated in the below – mentioned dumping margin table.

99. The Authority has determined the export price after considering the volume and value of imports for the POI as per DGCI&S data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The export price so determined is stated in the below – mentioned dumping margin table.

F.3.2 Dumping Margin

100. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins are as follows:

DUMPING MARGIN TABLE						
SN	Producer	Normal Value (₹/FKM)	Net Export Price (₹/FKM)	Dumping Margin (₹/FKM)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range
China PR						
1.	Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	10 – 20
2.	Jiangsu Fasten Photonics Co., Ltd	***	***	***	***	20 – 30

3.	Jiangsu Sterlite Fiber Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
4.	Any other producer	***	***	***	***	20 – 30
Korea RP						
1.	Any producer	***	***	***	***	20 -30
Indonesia						
2.	Any producer	***	***	***	***	20 -30

Table F 1

F.4 Post – Disclosure Comments by the other Interested Parties

101. The following submissions were made by the other interested parties:

- a. Sterlite China has become wholly owned subsidiary of Sterlite India and accordingly its name has been changed from Jiangsu Sterlite Tongguang Fiber Co. Ltd. to Jiangsu Sterlite Fiber Technology Co., Ltd. The company is now a limited liability company registered in China PR.¹¹³ This change has no bearing on the determination of dumping and computation of margins by the Authority. Accordingly, the Authority is requested to consider the same for all future purposes in the investigation.¹¹⁴
- b. Sterlite China should not be granted an individual rate of duty¹¹⁵ because of the following reasons:
 - i. Sterlite China is a related company of Sterlite India and is wholly owned by Sterlite India. Sterlite India has not filed the questionnaire response before the Authority.¹¹⁶ Sterlite India is a user and should have filed the user questionnaire response. However, Sterlite India has merely filed supporter letter and no detailed information has been filed by Sterlite India as is discernible from the information mentioned in Table B2 of the disclosure statement.¹¹⁷
 - ii. Sterlite India has imported more than 30% of total imports into India and therefore, it should have provided information pertaining to imports so that Authority could have assess information related to export price, landed value etc.¹¹⁸
 - iii. It has been the consistent practice of DGTR to analyse complete information regarding the value chain and it had done the same¹¹⁹ in the anti – dumping investigation concerning imports of electrogalvanized steel¹²⁰. In that case, Authority had undertaken verification of the end-user and determined that finished products were sold at losses and export price of the exporter was computed after taking into account such losses.¹²¹
 - iv. In the present investigation, the Authority has not undertaken such verification.¹²² Further, as per the available information in the Annual Report of Sterlite India, it is amply clear that Sterlite India has suffered losses in the POI which raises doubt regarding the veracity of the information pertaining to Sterlite India.
 - v. Section 9A (b) of the Customs Tariff Act, 1975 requires that in case of unreliable export price due to related party transaction because of compensatory arrangement, the Authority should construct export price based on the price on which the imported articles are first resold to independent buyer.¹²³ In the present case, the export price of Sterlite China to Sterlite India is at a much higher price as compared to other exporters which indicates that there is a compensatory arrangement between Sterlite India and Sterlite China.¹²⁴

¹¹³ Page 2 of Sterlite China's Post – Disclosure Comments.

¹¹⁴ Page 2 of Sterlite China's Post – Disclosure Comments.

¹¹⁵ Page 6 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹¹⁶ Pages 1- 2 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹¹⁷ Page 3 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹¹⁸ Page 4 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹¹⁹ Page 4 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹²⁰ Case No AD (OI) – 07/21: Anti-dumping investigation concerning imports of "Electrogalvanized Steel" from Korea RP, Japan and Singapore.

¹²¹ Page 5 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹²² Page 4 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹²³ Page 2 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹²⁴ Page 5 of Futong's Post – Disclosure Comments.

- vi. The Authority should not consider the response submitted by Sterlite China on behalf of Sterlite India as Sterlite China is not authorised to do so. No certificate as required under Appendices – A/B/C has been filed by the end user as required under the Trade Notice.¹²⁵
- vii. The Authority should construct normal value based on the cost of production of other subject market economy countries instead of simply taking the cost of production of the domestic industry. Further, the Authority should consider international prices of raw materials for computation of normal value and not simply accept the computations provided by the applicant.¹²⁶

F.5 Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

102. The following submissions were made by the domestic industry:
- a. The disclosure statement notes that Futong had not disclosed the name of 51 related entities which were engaged in production of the PUC. This cannot be considered an inadvertent error and the same were willfully suppressed by Futong and would not have been disclosed had the Authority not pointed out the same.¹²⁷
 - b. As per the disclosure statement, Futong has explained that the names of all such companies were not disclosed as these were indirectly related. In this regard, it is submitted that AD Rules, 1995 makes no such distinction regarding “directly” or “indirectly” related companies. If related companies are engaged in production/ export of the PUC, the names of such entities must be disclosed. The applicant, therefore, requests the Authority to reject Futong’s questionnaire response and declare it as non – cooperative in the present investigation.¹²⁸
 - c. The exporter’s questionnaire response clearly prescribes for providing the details of all affiliated entities that are involved in the production of the subject goods or the sales of the subject goods irrespective of the fact whether the exporter is claiming market economy treatment or not. Therefore, the non-disclosure of all facts by Futong in its questionnaire response makes the response deficient and accordingly, the Authority should reject the said response.¹²⁹

F.6 Examination by the Authority

103. The interested parties have raised the following issues:
- i. Rejection of Sterlite China’s questionnaire response.
 - ii. Rejection of Futong’s questionnaire response.
 - iii. Construction of normal value on the basis of cost of production information from other market economy subject countries.
104. Futong has opposed the Authority’s proposed determination of granting individual duty to Sterlite China on the ground that Sterlite China’s related party in India, Sterlite India, has not filed the appropriate information as required under Part IV of the questionnaire response. In this regard, it is noted that Sterlite China, the related party of Sterlite India has provided the information, as required under Part IV from Sterlite India, as a part of its questionnaire response. The information provided by Sterlite China in Part IV of its questionnaire response has been verified by the investigating team and Sterlite India has presented all documents required for verification of the information provided in Part IV of Sterlite China’s questionnaire response.
105. It is noted that as long as the Authority is in receipt of the relevant information and such information can be subsequently verified through appropriate documents of the relevant entity, rejection of questionnaire response would be antithetical to the principle enshrined under the AD Rules, 1995. The Part IV information provided by Sterlite China which was subsequently verified through bills of entry submitted by Sterlite India was sufficient for determination of export price and landed value. Therefore, the same cannot be a ground for rejection of Sterlite China’s questionnaire response.
106. Futong has further opposed the Authority’s determination regarding granting of individual duty to Sterlite China on the ground that Sterlite India should have filed the user questionnaire response instead of the

¹²⁵ Para 6 of Futong’s Post – Disclosure Comments.

¹²⁶ Paras 19 – 20 of Fasten Group’s Rejoinder Submissions.

¹²⁷ Para 7 of BFL’s Post – Disclosure Comments.

¹²⁸ Para 8 of BFL’s Post – Disclosure Comments.

¹²⁹ Para 17 of Corning India’s Post – Disclosure Comments.

information as required under Part IV of the questionnaire response (which was filed by Sterlite China on behalf of Sterlite India). Futong has further submitted that the high export price of related party imports between Sterlite China and Sterlite India are indicative of the fact that there is some compensatory arrangement between the two entities. In this regard, the Authority notes that Sterlite China and Sterlite India were directed to file the profitability statement and information pertaining to utilization of the PUC in the end product i.e., optical fiber cables as Sterlite India does not resale the PUC. The same has been provided to the Authority and therefore, the questionnaire response of Sterlite India cannot be rejected merely on this ground.

107. Futong has further argued that as per Sterlite India's Annual Report, Sterlite India has been operating at losses. Accordingly, it has submitted that appropriate adjustments should have been carried out to reflect such losses as was done in a previous investigation.¹³⁰ In this regard, it is noted that investigation team has verified the profitability of the end product and has found that Sterlite India has *** overall profitability in the POI in the optical fiber cable segment. Therefore, no adjustments on account of losses be made to the net export price.
108. Futong has also questioned the reliability of the export price of Sterlite China and has argued that a compensatory arrangement exists between Sterlite China and Sterlite India. The Authority has compared the CIF price of imports made Sterlite India and it was found that there exists significant difference in the CIF price of the PUC sold through related party imports and other unrelated parties, which makes the CIF price of the related party transactions suspect. Therefore, the Authority has not considered the same for computation of net export price. In view of the same, the Authority has constructed the net export price as well as the landed value based on the weighted average CIF price of imports from China PR made through unrelated parties by Sterlite India. All adjustments as claimed by Sterlite India have been accordingly adjusted. Accordingly, Sterlite China's dumping margin and injury margin have been revised.
109. The applicant as well as supporter have requested the rejection of Futong's questionnaire response on the ground of non – disclosure of information pertaining to its related parties in terms of Rule 6 (8) of the AD Rules, 1995. It is noted that neither the WTO Agreement on Anti – dumping nor AD Rules, 1995 posit that each and every act of non - disclosure would lead to the rejection of the entire questionnaire response of an interested party. In fact, what needs to be evaluated in each and every situation is the effect of such non-disclosure on the remainder of the information i.e., whether the non-submission or non-cooperation pertaining to the information under question would render the rest of the information filed by the interested party futile. Where the information whose veracity is under question is proved to be incorrect or such information is not disclosed and such information is so critical to the response which would make the rest of the submission meaningless, then in such a scenario, the questionnaire response should be rejected in its entirety. In other circumstances, non-cooperation or non – disclosure of information is to be dealt proportionately.
110. As noted in the disclosure statement, the initial non – disclosure of information pertaining to certain related parties involved in the production of the PUC it is noted that none of such parties have exported the PUC into India during the POI. The Authority has verified the same through DG systems data. Therefore, rejection of entire questionnaire response merely on this ground would be disproportionate. Accordingly, the contention raised by the applicant and supporter are not accepted.
111. Fasten Group has submitted that the Authority should construct normal value on the basis of information regarding other market economy subject countries. As elaborate in paragraph 78 above, no producers from such market economy subject countries have participated in the investigation. Therefore, the Authority could not construct the normal value by resorting to such methodology.

G. METHODOLOGY OF INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

112. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary

¹³⁰ *Supra* note 120.

to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

113. The Authority has examined the effect of dumped imports on the state of the domestic industry in the paragraphs below.

G.I CUMULATIVE ASSESSMENT

G.I.1 Submissions Made by the other Interested Parties

114. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to cumulative assessment of imports from the subject countries:
- Given the fact that the landed value of subject imports from China PR is higher than that of Indonesia and Korea RP, the injury to the domestic industry due to subject imports from China PR should be assessed individually.¹³¹
 - The imports from China PR should not be cumulated with imports from Korea RP and Indonesia as the conditions of competition are not appropriate.¹³² The volume of imports from China PR increased by 16 % whereas imports from Indonesia increased by 86488 % and Korea RP by 75 %.¹³³
 - Since, 1 July 2019, the applicable basic customs duty on the imports of the PUC from China PR has been raised to 15 % whereas in the case of Indonesia and Korea RP, the basic customs duty is nil due to their respective free trade agreements.¹³⁴
 - Price undercutting from China PR is negative as per the application and the landed value of China PR is higher than Korea RP and Indonesia.¹³⁵
 - The rate of increase of imports from other subject countries is much higher than China PR.¹³⁶

G.I.2 Submissions Made by the Domestic Industry

115. The following submissions have been made on behalf on the domestic industry by the applicant and the supporter with respect to cumulative analysis of imports from the subject countries:
- The subject imports from the subject countries are identical to each other and the article produced by the applicant. The said imports compete *inter se* as well as with the goods produced by the applicant. Therefore, the Authority should cumulatively assess the impact of such imports to have an accurate picture of the injury faced by the domestic industry.¹³⁷
 - There is nothing in Art. 3.3 of the WTO Agreement on Anti – dumping or para (iii) of Annexure II to the AD Rules, 1995 that obliges the Authority to carry out a country-specific import volume or price analysis before undertaking a cumulative assessment.¹³⁸ The same has been explained by the Appellate Body in its report in *EC – Tube or Pipe Fittings*.¹³⁹
 - The other interested parties' claims that imports from China PR should not be cumulated with imports from other object countries only on the ground of higher prices of subject goods from China PR is unfounded in law.¹⁴⁰
 - Further, the price effect examination i.e., injury margin, price undercutting as well as underselling analysis is conducted for each country individually.¹⁴¹

¹³¹ Para 11 of Futong's Written Submissions; Para 6 of Futong's Rejoinder Submissions.

¹³² Para 39 of Fasten Group's Written Submissions, Para 33 of Fasten Group's Rejoinder Submissions

¹³³ Para 39 of Fasten Group's Written Submissions.

¹³⁴ Para 40 of Fasten Group's Written Submissions; Para 33 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹³⁵ Para 33 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹³⁶ Para 34 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹³⁷ Para 30 of BFL's Written Submissions; Para 11 of BFL's Rejoinder Submissions; Para 19 of Corning India's Written Submissions.

¹³⁸ Para 30 of BFL's Written Submissions; Para 12 of BFL's Rejoinder Submissions.

¹³⁹ Appellate Body Report, *European Communities — Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil*, WT/DS219/AB/R (adopted on 18 August 2003).

Paras 109 – 110: "We find no basis in the text of Article 3.3 for Brazil's assertion that a country-specific analysis of the potential negative effects of volumes and prices of dumped imports is a pre-condition for a cumulative assessment of the effects of all dumped imports. Article 3.3 sets out expressly the conditions that must be fulfilled before the investigating authorities may cumulatively assess the effects of dumped imports from more than one country. ***There is no reference to the country-by-country volume and price analyses that Brazil contends are pre-conditions to cumulation.*** In fact, Article 3.3 expressly requires an investigating authority to examine country-specific volumes, not in the manner suggested by Brazil, but for purposes of determining whether the 'volume of imports from each country is not negligible.'" (emphasis as supplied in the submissions).

¹⁴⁰ Para 11 of BFL's Rejoinder Submissions.

¹⁴¹ Para 11 of BFL's Rejoinder Submissions.

G.I.3 Examination by the Authority

116. Para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 states that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the imports from individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
117. Further, in order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have to be examined:
- Whether the product supplied by different parties are like articles and are comparable in properties?
 - Whether domestically produced subject goods and the imported products are interchangeable?
 - Whether there is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported products?
 - Whether the consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporters and the domestic industry have sold the same product to same set of customers?
 - Whether the import price from subject countries have moved in tandem?
118. The domestic industry and the other interested parties have raised the following issues before the Authority with respect to cumulative assessment of the dumped imports from the subject countries:
- Whether cumulative assessment is appropriate in view of the difference in the landed value of the subject goods from the subject countries?
 - Whether cumulative assessment is appropriate in view of the difference in conditions of competition between the subject imports from the subject countries?

I. Difference In The Landed Value of the Subject Goods From the Subject Countries

119. Futong has argued that given the difference in the landed value of the subject goods from the subject countries, the Authority should not cumulatively examine the impact of dumped imports from China PR along with the dumped imports from Indonesia and Korea RP. Fasten Group has submitted that a basic customs duty of 15 % is applicable on subject imports from China PR while the same is NIL for subject imports from the other subject countries. It has further been submitted that price undercutting from China PR is negative as per the application and therefore, cumulative analysis is not warranted.
120. In this regard, the domestic industry has submitted that higher prices of subject goods from one of the subject countries cannot be a ground for rejecting cumulative assessment of imports from the subject countries as a whole. It has further submitted that neither Article 3.3 of the WTO Agreement on Anti – dumping, 1994 nor para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 lay down an obligation to carry out a country – specific volume or price analysis.
121. The Authority notes that neither para (iii) to Annexure II to the AD Rules, 1995 nor Article 3.3 of the WTO Agreement on Anti – dumping, 1994 lay down, the difference in price of the subject imports as a factor for rejection of cumulative analysis of subject imports. It is noted that the volume of subject goods from the subject countries is above the *de – minimis* requirement. Thus, the first limb of the cumulative analysis requirement as specified under AD Rules, 1995 is satisfied.

II. Difference in Conditions of Competition Between the Subject Imports From the Subject Countries

122. Fasten Group has argued that since the volume of imports from the subject countries has grown at an uneven rate, the conditions of competition between the subject imports from China PR and other subject countries differ.

123. With respect to the same, the Authority has examined the parameters explained in paragraph 115 and has reached the following conclusions:
- It is noted that subject goods imported from the subject countries are 'like article' to each other as all such goods adhere to the same ITU – T classification. Further, the user industry has imported the subject goods from one or more subject countries.
 - It is noted that subject goods imported from the subject countries and the goods produced by the domestic industry are like article to each other for reasons mentioned in paragraph 18 and are, therefore, interchangeable.
 - It is noted that users of the PUC have used the like article manufactured by the domestic industry as well as the subject goods interchangeably. It is also noted that the same grades of the PUC have been imported by users from two or more of the subject countries. Thus, there exists competition not only between the like article produced by the domestic industry but also between the subject imports from the subject countries.
 - It is further noted that the price of the subject goods from all the subject countries have significantly declined in relation to the base year and prices of the subject goods from all subject countries are below the price and cost of production of the domestic industry.
 - There is significant market presence of the subject goods from all subject countries in the Indian market, in absolute as well as relative terms during the POI.
124. In view of the above, the second limb of the cumulative analysis requirement as specified under AD Rules, 1995 is satisfied. The Authority has, therefore, cumulatively assessed the impact of the subject goods from the subject countries on the economic and financial parameters of the domestic industry.

G.I.4 Post – Disclosure Comments by other Interested Parties

125. The following submissions have been made by the other interested parties:
- The Authority's proposal to cumulatively assess imports is incorrect. The major portion of the increase in volume of subject imports has been from Indonesia and Korea PR. The price undercutting of imports from China PR is negative as per the application. Further, the basic customs duty applicable to imports from China PR and other subject countries also differ.¹⁴²

G.I.5 Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

126. No contesting claims or submissions have been made by the domestic industry on this issue.

G.I.6 Examination by the Authority

127. Fasten Group has disputed the cumulative analysis by contending that the volume of increase in imports from other subject countries is more than China PR. The Authority notes that as explained above the rate of increase in volume of imports differ due to low base year volume of imports from subject countries other than China PR. It is also noted that as opposed to the claims of the Fasten Group, the Authority has determined that price undercutting of the subject imports from China PR as positive. The Authority further notes that the requirements for cumulative assessment have already been examined in detail in paragraphs 117 – 122 above. In view of the same, the Authority does not accept Fasten Group's claim for decumulation of imports from the subject countries.

G.II Volume Effect of the Dumped Imports

G.II.1 Submissions Made by the other Interested Parties

128. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to the volume effect of the dumped imports:
- The applicant has relied upon import data for the first three years of the injury period and has relied on CYBEX data for the POI. It is submitted that data should be collected from a single source for appropriate and adequate injury examination.¹⁴³
 - The domestic industry has conceded that a significant volume of subject imports from China PR has

¹⁴² Para 22 – 23 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁴³ Para 2 of Futong's Written Submissions.

- occurred at fair value¹⁴⁴. Therefore, China PR should be excluded as a subject country.¹⁴⁵
- c. The domestic industry has claimed that Sterlite Industries has made imports from China PR at non – dumped prices, therefore, such imports should be excluded from injury analysis.¹⁴⁶
 - d. The volume of imports from China PR has increased only by 16 points in the POI in comparison to the base year. During the same period, imports from Indonesia have steeply increased. Thus, injury if any is being caused due to the subject imports from Indonesia only.¹⁴⁷
 - e. The share of subject imports in the POI is merely 36 %.¹⁴⁸
 - f. The increase in the volume of imports from the subject countries is attributable to the sudden increase in demand for the subject goods. A large number of fiber expansion projects could not be materialized in 2019 – 2020 and 2020 – 2021 and have caused a steep increase in demand for the subject goods.¹⁴⁹ There was a decline in demand for the subject goods globally and the applicant has accepted the same in its financial statement.¹⁵⁰
 - g. The applicant's injury is self-inflicted¹⁵¹ as its related party, Birla Cables Limited¹⁵², as well as the supporter, Sterlite India, have imported very large quantities of the subject goods¹⁵³.

G.II.2 Submissions Made by the Domestic Industry

129. The following submissions have been made on behalf on the domestic industry by the applicant and the supporter with respect to volume effect of the dumped imports:

- a. The volume of subject imports from each of the subject countries is above 3 % and the estimated dumping margin from each of the subject countries is above 2 %.¹⁵⁴
- b. The volume of subject imports has increased significantly in the POI not only in absolute terms but also relative to the production of the applicant¹⁵⁵ as well as consumption¹⁵⁶ of the subject goods in India.¹⁵⁷
- c. The volume of subject goods from the subject countries has increased significantly during the entire injury period¹⁵⁸. The volume of imports in the POI is in excess of and at higher levels than the base year which was also the period of 'recent increase' in the safeguard investigation.¹⁵⁹
- d. There has been a decline in the volume of subject goods in the second half of 2019 – 20 and 2020 – 21 primarily due to the COVID – 19 pandemic. However, the demand has recovered in the POI and is almost at the 2018 – 19 level. At the same time, the volume of imports has increased significantly as compared to the base year.¹⁶⁰
- e. The demand for the subject goods has increased in the POI. However, such an increase in demand has been met exclusively by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.¹⁶¹
- f. As regards the claims of the interested parties that there is no volume injury from China PR, it is submitted that imports from China PR have increased by 6,777 FKM as compared to 2020 – 21 and on the other hand, imports from Korea PR and Indonesia have increased by 971 FKM and 5 FKM.¹⁶²

G.II.3 Examination by the Authority

130. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The transaction – wise import data of DGCI&S has been considered for the purpose of injury assessment.

¹⁴⁴ Para 15 of HFCL's Written Submissions.

¹⁴⁵ Para 25 of HFCL's Written Submissions.

¹⁴⁶ Paras 4 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁴⁷ Para 3 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁴⁸ Para 49 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁴⁹ Para 43 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁵⁰ Para 34 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁵¹ Para 44 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁵² Para 44 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁵³ Para 46, 47 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁵⁴ Para 30 of BFL's Written Submissions.

¹⁵⁵ See graph 2 in BFL's Written Submissions.

¹⁵⁶ See graph 3 in BFL's Written Submissions.

¹⁵⁷ Paras 38, 39 of BFL's Written Submissions.

¹⁵⁸ Para 36 of BFL's Written Submissions; Para 10 of Corning India's Written Submissions.

¹⁵⁹ Para 36 of BFL's Written Submissions.

¹⁶⁰ Para 37 of BFL's Written Submissions.

¹⁶¹ Para 39 of BFL's Written Submissions.

¹⁶² Para 4 of BFL's Rejoinder Submissions.

131. The Authority notes that exports made by Sterlite China to its related entity into India have been made at non – dumped prices. Therefore, the volume of such imports has been removed from the volume of dumped imports. Apart from such imports, all other imports of the subject goods into India are at dumped prices. Accordingly, rest of the subject imports have been included in the injury assessment.
132. The following issues have been raised by the domestic industry and the other interested parties in their submissions:
- Whether the subject goods from the subject countries have injured the domestic industry?
 - Whether the domestic industry is suffering from self – inflicted injury?
133. The import volumes of the subject goods from the subject countries are as follows:

S.N.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI	POI (Dumped Imports)
1.	Sales – Applicant	KFKM	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	41	58	99	99
2.	Sales – Supporter	KFKM	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	74	114	38	38
3.	Sales - Applicant + Supporter	KFKM	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	59	88	66	66
3.	Sales - Other Producers	KFKM	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	142	81	102	102
4.	Subject Countries' Imports	KFKM	8,294	3,307	3,583	10,214	9,856
	Trend	Index	100	40	43	123	119
5.	Other Countries' Imports	KFKM	1,761	672	644	661	661
	Trend	Index	100	38	37	38	38
6.	Total imports	KFKM	10,055	3,980	4,227	10,875	10,875
	Trend	Index	100	40	42	108	108
7.	Total Demand	KFKM	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	72	90	90

Table G 1

134. From the above, it is seen that the imports from the subject countries have increased from 8,294 FFKM in 2018-19 to 10,214 KFKM in the POI, i.e., an increase of 1,920 KFKM, despite there being a dip in the demand. Even if only dumped imports from the subject countries in the POI are considered, the volume of imports from the subject countries has increased to 9,856 FKM i.e., an increase of 1,562 KFKM as compared to the base year. The quantum of such imports in the POI has even surpassed 2018-19 level. Further, as compared to the previous year 2019-20, the subject imports have increased by 6,631 KFKM, as against increase in demand by *** KFKM. Thus, the subject imports have not only captured the entire incremental demand, but have also captured share of the Indian producers. As regards the relative increase in subject imports, it is noted as under:

S N	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI	POI (Dumped Imports)
Import Volume							
1.	China PR	KFKM	7,794	3,064	2,242	8,253	7,895
2.	Indonesia	KFK	2	52	937	1,601	1,601

		M					
3.	Korea RP	KFK M	498	192	404	360	360
4.	Subject Countries - Dumped Imports	KFK M	8,294	3,307	3,583	10,214	9,856
5.	Subject countries – Non – dumped Imports	KFK M					358
6.	Other Countries	KFK M	1,761	672	644	661	661
7.	Total Imports	KFK M	10,055	3,980	4,227	10,875	10,875
8.	Total Demand	KFK M	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	72	90	90
Subject imports in relation to							
9.	Indian Production	%	***	***	***	***	***
	Range	%	30 – 40	20 – 30	10 – 20	40 – 50	40 – 50
10.	Total Demand	%	***	***	***	***	***
	Range	%	20 – 30	10 – 20	10 – 20	30 – 40	30 – 40
11.	Total Imports	%	***	***	***	***	***
	Range	%	80 – 90	80 – 90	80 – 90	90 – 100	90 – 100

Table G 2

135. From the above, it is evident that the imports from the subject countries have increased by about *** % in relation to Indian production and by *** % relative to Indian demand as compared to the base year. The dumped imports have increased about *** % in relation to Indian production and *** % relative to Indian demand. In the intervening years of the injury period, the relative share of imports in relation to Indian consumption and production had declined as compared to the base year. However, the imports from the subject countries have continued to maintain a strong relative share in relation to total imports of the subject goods throughout the injury period and are at their highest level of relative share in the POI. Thus, based on the above analysis, the Authority concludes that the imports of subject goods have increased in absolute as well as relative terms to production and consumption.

i. Impact of Subject Goods on the State of the Domestic Industry

136. Futong has submitted that the domestic industry is suffering injury only due to the imports from Indonesia whose import share has risen steeply in the POI as compared to the base year. Within the same period, imports from China PR have increased only marginally. Fasten Group has argued that the rise in the volume of imports from the subject countries is due to the sudden increase in demand. It has also stated that in the years 2019 – 2020 and 2020 – 2021 there was a global decline in demand for the subject goods. Fasten Group has also submitted that the share of subject imports in the POI is merely 36 %. With respect to the same, the domestic industry has submitted that the volume of subject imports has increased significantly in the POI not only in absolute terms but also relative to the production and demand of the subject goods. It has further contended that the demand slumped in 2019 – 20 and 2020 – 21 primarily on account of the COVID – 19 pandemic. However, the demand has recovered and is now almost at the base year level. Nevertheless, the increase in demand is being exclusively catered by low-priced imports from the subject countries.
137. It is noted that:
- The total demand for the subject goods had declined between the base year and the POI which the applicant as well as other interested parties have attributed to the pandemic as well as the global decline in demand for the subject goods. It is, however, noted that the demand level in the POI period is almost at the level of the base year.
 - It is further noted that the volume of dumped imports from the subject countries has significantly increased in the POI as compared to the base year. The volume of the dumped subject goods from the subject countries has also significantly increased in relation to the total Indian production, demand as well as total imports in the POI as compared to the base year.

- c. It is noted that sales of the applicant have only marginally declined in the POI as compared to the base year. The applicant has explained that it has tried to retain its market share by selling below its cost. The applicant also undertook capacity expansion with a view to increase its market share. Nevertheless, despite selling below its cost and despite increasing its capacity, it has not been able to increase its sales. It is also noted that the applicant is largely focused towards the Indian market, with historically, more than *** % of its sales being to Indian customers. It has been claimed by the applicant that it does not undertake many export contracts as it already has existing related entities catering to the main export markets. However, due to dumping in the POI, to remain viable, it has increased its export sales to some extent.
- d. The sales of the supporter have registered a steep decline. The supported has claimed that given the current market situation, its domestic sales had become unviable and so it has opted to export the subject goods on account of the price distortion caused by dumped imports.
- e. It is further noted that in the year 2020-21 when the imports of the PUC had significantly declined due to COVID – 19 pandemic, the sales of the applicant had significantly improved. However, soon after the restoration of normal conditions, the imports of the PUC from the subject countries sharply increased. While the increase in the volume of the PUC from the subject countries in the POI could be attributed to the increase in demand, it is noted that this increase in demand was entirely encapsulated by the imports from the subject countries, thereby leading to volume injury to the applicant.
- f. Futong has argued that the volume injury to the domestic industry is primarily due to imports from Indonesia. It is noted that the volume of imports from Indonesia in the base year was quite low and the same has increased significantly throughout the injury period. While the rate of increase in dumped imports from Indonesia is sharper than China PR, the dumped imports from China PR nonetheless remain at a significantly higher level as compared to Indonesia. At the same time, the volume of dumped subject imports from China PR has also increased significantly, even though the demand for the subject goods has declined in the POI as compared to the base year. The rate of increase is sharp due to the low base year level. Thus, the applicant has suffered injury not only due to the dumped imports from Indonesia but also due to the dumped imports from China PR and Korea RP. In any case, the Authority has already held in para 104 to cumulatively assess the effect of subject imports from the three subject countries.

ii. Imports made by BCL and Sterlite India

138. Fasten Group has also submitted that the domestic industry is suffering from self – inflicted injury because of the large quantity of imports made by BCL, the applicant's related party and Sterlite India. HFCL has also submitted that in view of the domestic industry's arguments regarding Sterlite India's fair priced imports from China PR, it has been established that imports from China PR have not been injuring the domestic industry. The applicant has argued for exclusion of Sterlite India from the ambit of domestic industry.
139. It is noted that the Authority has already considered Sterlite India as an ineligible domestic producer as well as an ineligible supporter. Sterlite India is not part of the domestic industry and therefore, imports made by Sterlite India cannot be a ground to hold that injury to the domestic industry is self - inflicted. It is further noted that the applicant has not made any imports of the PUC. BCL is engaged in the manufacturing of optical fiber cables, a downstream business, in which the PUC is used as a raw material. It is noted that BCL has imported a small quantity of PUC during the POI. It has been submitted by the applicant that BCL is an independent legal entity, whose decision regarding procurement of raw material, i.e., PUC, is based on its own evaluation of market factors and impact on its profitability. Moreover, such imports as stated in para 30 above constitute around *** % of imports from the subject countries and around *** % of the total demand in India. Thus, the Authority holds that the imports made by the applicant's related party has not resulted into any self – inflicted injury.

G.II.4 Post – Disclosure Comments by the tther Interested Parties

140. The following submissions have been filed by the other interested parties:

- a. There is renewed demand for subject goods since second half of the POI. Any injury suffered by the applicant is not due to dumping but rather due to overall depressed demand of the PUC globally.¹⁶³
- b. The increase in imports from subject countries can be attributed to the significant demand and supply gap in the country. The demand was subdued due to overall depressed state of the industry prior to the POI.¹⁶⁴
- c. The share of subject imports in demand is merely 36 % which indicates that the domestic industry is fulfilling the major share of the demand. The applicant is nearly operating at 70 % which indicates

¹⁶³ Paras 24 – 25 and 28 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁶⁴ Para 27 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

that it is performing at optimal levels.

- d. Fasten Group's exports to India constitutes less than 2 % of total imports into India and further, the volume is less than 5 % of its total production. Such insignificant portion of sales to India could not injure the domestic industry.¹⁶⁵

G.II.5 Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

141. No contesting claims or submissions have been filed by the domestic industry with respect to the volume effect of the imports.

G.II.6 Examination by the Authority

142. With respect to the volume effect of the dumped imports from the subject countries, Fasten Group has commented that the increase in volume of subject imports from the subject countries is attributable to the demand – supply gap in the domestic market. The Authority does not find any merit in the claim of Fasten Group. There is no demand – supply gap for the PUC in India. It is noted that the capacities of the applicant and supporter are significant enough in itself to cater more than ninety per cent of the demand for the PUC in India. Furthermore, there are several other domestic producers of the PUC which cater to the domestic market.
143. Fasten Group has also claimed that the applicant has suffered injury to the overall depressed demand for the PUC globally. The claim made by Fasten Group is not backed up by information available on record. It is noted that the demand of the PUC has grown significantly in the POI as compared to 2019 – 2020 when such conditions existed and is almost at the base year level. Therefore, it cannot be considered that depressed market conditions were responsible for injury to the domestic industry.
144. Fasten Group has also submitted that the applicant's domestic as well as export sales have improved in the POI. It has also claimed that applicant is more inclined to export its production. It is noted that the applicant's sales have increased in the POI and is almost at the base year level. However, this increase in domestic sales have been achieved at the cost of price injury. As far as the growth in export sales is concerned, it is noted that the export sales of the applicant have increased only in the POI as the applicant was forced to export due to the low-priced imports. It is also noted that despite an increase in export sales, the applicant has made around *** % of its total sales in the domestic market.
145. Fasten Group has claimed that its share in the volume of total imports is around *** % of total imports into India and the exported volume of the subject goods constitutes less than *** % of its production. Therefore, it cannot be considered that imports from Fasten Group could have injured the domestic industry. Fasten Group's imports constitute around *** % of the total subject imports from the subject countries and total imports from China PR are above the *de minimis* level. The volume threshold under para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 as well as under Art. 5.8 of the WTO Agreement on Anti – dumping is to be seen at country-wide level and not at the level of an individual exporter. Thus, *de minimis* requirements in terms of para (iii) of Annexure II to the AD Rules, 1995 are fulfilled. Further, such imports have been found to be entering into India at dumped prices and the margin of dumping for Fasten Group is also above the *de minimis* level. Therefore, it cannot be accepted that Fasten Group's imports have not injured the domestic industry.

G.III Volume Effect of the Dumped Imports on the Market share of the Domestic Industry

G.III.1 Submission by the other Interested Parties

146. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to the volume effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry:
 - a. The impact of global decline in demand for the subject goods has impacted the applicant's production, sales as well as export sales in 2019 – 2020 and 2020 - 2021.¹⁶⁶
 - b. The applicant's sales have improved in the second half of 2020 – 21.¹⁶⁷
 - c. The applicant is heavily inclined towards exporting its production. The applicant's export sales have increased twice in comparison to the base year whereas the domestic sales have declined.¹⁶⁸ This would lead to an increase in prices of the subject goods post-imposition of the anti – dumping duties.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Para 42 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁶⁶ Para 35 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁶⁷ Para 50 of Fasten Group's Written Submissions

¹⁶⁸ Para 8 (B) (c) of Futong's Written Submissions.

¹⁶⁹ Para 50 of Fasten Group's Written Submissions; Para 44 of Fastens Group's Rejoinder Submissions.

G.III.2 Submissions Made by the Domestic Industry

147. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to the volume effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry:

- a. The demand of the subject goods increased in the POI and is almost at 2018-19 level.¹⁷⁰
- b. Despite selling at prices below its cost of production, the applicant has not been able to increase its market share, with incremental demand being met exclusively by the dumped imports from the subject countries¹⁷¹.

G.III.3 Examination by the Authority

148. The following table shows the market share of the domestic industry and the subject countries in the total Indian demand:

Market Share						
Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI	POI (Dumped Imports)
Applicant's sales	%	***	***	***	***	***
Range		15 – 25	5 – 15	5 – 15	15 – 25	15 – 25
Supporter	%	***	***	***	***	***
Range		15 – 25	15 – 25	25 – 35	5 – 15	5 – 15
Applicant + Supporter	%	***	***	***	***	***
Range		35 – 45	25 – 35	45 – 55	25 – 35	25 – 35
Sale of Other Indian Producers	%	***	***	***	***	***
Range		25 – 35	55 – 65	35 – 45	35 – 45	35 – 45
Subject Countries – Dumped Imports	%	24%	12%	14%	33%	31%
Range		15 – 25	5 – 15	5 – 15	25 – 35	25 – 35
Subject Countries Non – Dumped Imports	%					1%
Range						0-10
Other Countries	%	5%	2%	3%	2%	2%
Range		0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%	100%

Table G 3

149. Fasten Group has argued that the global decline in demand is responsible for the reduction in domestic as well as export sales of the applicant. With the restoration of normalcy in the post-pandemic period, applicant's sales have increased. Fasten Group and Futong have also argued that the applicant's focus is more on the export market rather than the domestic market. With respect to the same, the domestic industry has submitted that even after the increase in demand for the subject goods in the POI, it has not been able to increase its market share. In fact, the incremental demand has been entirely captured by the imports from the subject countries.

150. It is noted that:

- a. The applicant's market share has marginally increased i.e., by *** % in the POI as compared to the base year whereas the market share of the supporter has significantly declined. The domestic industry has claimed that it has been able to retain its market share only by selling below its cost of sales.
- b. The market share of dumped imports from the subject countries has significantly increased in the POI as compared to the base year.
- c. During the year 2020 – 21, the market share of imports from the subject countries was at 14 %. The

¹⁷⁰ Para 39 of BFL's Written Submissions.

¹⁷¹ Para 49 of BFL's Written Submissions.

domestic industry as well as the other interested parties have accepted that the optical fiber market was facing disruptions due to the pandemic. However, it is noted that with the restoration of normal conditions in the POI, the market share of dumped imports from the subject countries has grown by almost 17 %. During the same period, the growth in market share of the applicant was merely *** %, and the supporter's market share significantly declined. The reason behind decline in the market share of the supporter has been explained in para 114 above. It is also to be noted here that the market share of other Indian producers has remained at the same level in the POI as in the previous year. Thus, the growth in market share due to the increase in demand was entirely subsumed by the dumped imports from the subject countries. Neither the applicant nor the Indian industry was able to take full advantage of this growth in demand.

G.IV PRICE EFFECT

G.IV.1 Submissions by the other Interested Parties

151. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to the price effect of the dumped imports on the domestic industry:
- Price undercutting is one of the most important parameters to establish a causal relationship.¹⁷² There is no price undercutting effect of the subject imports including those from China PR¹⁷³ on the price of the applicant's goods.¹⁷⁴
 - With the increase in the volume of the subject goods, the import price of subject imports from Indonesia has declined.¹⁷⁵
 - The import price of subject imports from Indonesia and Korea RP is significantly below the import price of subject goods from China PR which clearly establishes that subject imports from Indonesia and Korea RP are causing injury to the domestic industry.¹⁷⁶
 - The application did not disclose the price undercutting of the subject imports from China PR was negative.
 - The landed value of subject goods exported by Fastens Group is higher than the landed value of subject goods imported by Sterlite India.¹⁷⁷
 - Imports landing at price greater than the imports made by Sterlite India should not be considered as injuring the domestic industry.¹⁷⁸
 - The landed value of imports is higher than the price charged by the domestic industry. Therefore, imports do not have any price depressing effect on the domestic industry.¹⁷⁹
 - The Authority should examine the variations in the periodic cost of production due to fluctuations in the prices of raw materials for the purpose of ensuring proper determination of price undercutting¹⁸⁰.

G.IV.2 Submissions by the domestic industry

152. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to the price effect of the dumped imports on the state of the domestic industry:
- The price undercutting of the subject goods from Korea RP and Indonesia is positive whereas for China PR is negative on account of the high landed value of the subject goods.¹⁸¹
 - The high landed value of the subject goods is on account of the imports made by Sterlite India from its joint venture company in China PR under the advance authorization scheme upon which no duty has been paid. Moreover, such imports have been made at higher prices as compared to exports from other producers from China PR.¹⁸²
 - The applicant requests that for landed value determination, the duty element should be added only to such imports upon which duty has been paid. That is, to the extent evidence is submitted by the concerned importer showing imports being made without payment of customs duty (i.e., under duty exemption), the addition of a notional customs duty is not warranted, as the same artificially inflates

¹⁷² Para 3 of Futong's Rejoinder Submissions.

¹⁷³ Para 25 of HFCL's Written Submissions.

¹⁷⁴ Para 9 (B) of Futong's Written Submissions; Para 54 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

¹⁷⁵ Para 8 of Futong's Written Submissions.

¹⁷⁶ Para 8 (B) of Futong's Written Submissions.

¹⁷⁷ Para 4 of Fasten Group's Written Submissions; Paras 7, 40 of Fasten Group's Rejoinder Submissions;

¹⁷⁸ Paragraph 8 of Futong's Written Submissions.

¹⁷⁹ Para 66 of Fasten Group's Written Submissions; Para 50 of Fastens Group's Rejoinder Submissions.

¹⁸⁰ Para 60 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁸¹ Para 44 of BFL's Written Submissions.

¹⁸² Para 45 of BFL's Written Submissions.

the price at which goods have actually landed in India.¹⁸³

- d. The applicant submits that producers from China PR have been offering significant post – import discounts or longer credit periods to customers. Therefore, the import prices of the subject goods from China PR are overvalued and therefore, not accurate. The Authority is requested to verify the same.¹⁸⁴
- e. The subject imports have caused negative price effects on the domestic industry and there is significant price suppression and depression, despite the applicant's efforts to reduce its cost of production.¹⁸⁵

G.IV.3 Examination by the Authority

153. The domestic industry and the other interested parties have raised the following issues:

- a. Calculation of appropriate landed value
- b. Whether price undercutting effect exists from the subject countries?

i. Calculation of Landed value

154. The applicant has argued for the removal of the notional duty element included in advance authorization transactions. It has alleged that the addition of basic customs duty and other elements to the CIF value of imports made under advance authorisation artificially increases the landed value of such imports. The applicant has also filed the bill of entries for all imports made under advance authorization by Sterlite India and M/s Birla Cables Limited.
155. The Authority notes that under the advance authorization scheme, the importer is allowed to import the goods without payment of customs duty or other taxes and charges. It is noted that the addition of basic customs duty, social welfare surcharge and other applicable elements in transactions where such amount has not been paid would artificially inflate the landed value of imports. Thus, the Authority has calculated the landed value by adding the duty element to only such import transactions where such duty has been incurred. The landed value so computed has been mentioned in the 'price undercutting' table below.

Price undercutting effect

156. The Authority has analyzed the impact of the subject imports on the prices of the domestic industry with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.
157. The applicant has also alleged producers from China PR offer post – import discounts and longer credit periods to customers. However, no corroborative evidence in this regard has been produced. Accordingly, the Authority has not been able to examine the impact of the alleged post -import discounts or longer credit period arguments forwarded by the applicant due to lack of evidence.
158. Fasten Group and Futong have argued that imports of the subject goods from the subject countries are not undercutting the prices of the domestic industry. Specifically, the price undercutting from China PR is negative. Futong has further submitted that the import prices of the subject goods from Indonesia and Korea are significantly below that of China PR and therefore, imports from countries other than China PR are injuring the domestic industry. The applicant has submitted that price undercutting from China PR is negative due to the high landed value of subject goods as a result of imports made by Sterlite India under advance authorisation.
159. With regards to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the price or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The same has been examined in the table below:

PRICE UNDERCUTTING (PU) (POI – Dumped Imports)							
Subject Country	Quantity FKM	CIF ₹/FKM	LV ₹/FKM	NSR ₹/FKM	PU ₹/FKM	PU (%)	PU Range
China PR	7,895	255	280	***	***	***	0 – 10
Indonesia	1,601	235	235	***	***	***	20 – 30
Korea RP	360	251	251	***	***	***	10 – 20
Subject Countries	9,856	251	272	***	***	***	0 – 10

Table G 4

¹⁸³ Para 45 of BFL's Written Submissions.

¹⁸⁴ Para 46 of BFL's Written Submissions.

¹⁸⁵ Para 62 of BFL's Written Submissions.

160. It is noted that the landed value of imports from the subject countries is below the selling price of the domestic industry and is therefore, undercutting the prices of the domestic industry. It is further clarified that price undercutting from the imports of the subject goods from all three subject countries is positive.

Price suppression / depression effect

PRICE SUPPRESSION / DEPRESSION						
S.N.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020 -21	POI (dumped imports)
1	Cost of sales	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	105	68	60
2	Selling Price (NSR)	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	65	56	54
3	Landed Price	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	51	56	40

Table G 5

161. Fasten Group has argued that imports from China PR are not depressing the domestic industry's prices as their landed price is higher than the domestic industry's selling price. With respect to the same, the applicant has argued that even after its effort to reduce its cost of production, there is significant prices suppression and depression effect of the imports from the subject countries. It is noted that the landed value of exports from China PR, excluding non – dumped imports, is lower than the domestic industry's cost of production as well as its selling price.
162. It is seen that the cost of sales and net sales realization of the domestic industry, and the landed price of the imports from the subject countries have declined throughout the injury period. The domestic industry has submitted that the decline in cost of sales is primarily due to the decline in the price of the raw material globally i.e., preform. It is, however, noted that the decline in cost of sales has not been commensurate with the decline in the selling price of the domestic industry, i.e., whereas the cost of sales in the POI has declined by Rs. ***/FKM (as compared to 2018-19), the selling price has declined by Rs. ***/FKM. At the same time, the landed price of the subject imports has declined by Rs. ***/FKM. It is, therefore, noted that the imports are depressing the price of the domestic industry, as the rate of decline of the domestic industry's selling price is significantly higher than the rate of decline in its cost of sales.

G.IV.4 Post – disclosure comments by the other interested parties

163. The following submissions have been made by the other interested parties:
- The landed value computation by the Authority by imputing 'NIL' duties to imports made under advance authorization is incorrect. The Authority has in its past investigations¹⁸⁶ never segregated advance and non – advance authorization imports for computation of landed value.¹⁸⁷
 - The Authority should compute landed value of imports by treating them at par with normal imports in which basic customs duty is added for computation of normal value.¹⁸⁸
 - Advance Authorisation Scheme allows duty free import of inputs for export products. The goods imported under advance authorisation scheme do not compete with the goods sold in the domestic market as the

¹⁸⁶ Anti-dumping investigation concerning imports of 'Acrylic Fibre', originating in or exported from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru; Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "Diocetyl Phthalate (DOP)" originating in or exported from Chinese Taipei and Korea RP; 3rd Sunset Review Investigation (SSR) concerning imports of Paracetamol originating in or exported from China PR; Sunset review Investigation concerning imports of "Acetone" originating in or exported from the Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan; Sunset Review of Anti-Dumping Investigation concerning imports of 'Phenol' originating in or exported from South Africa; Anti-dumping duty investigation on the imports of 'Phthalic Anhydride' from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand; Anti-dumping investigation concerning imports of Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds also known as Arylides from China PR; 4th Sunset Review Investigation concerning imports of „Polytetrafluoroethylene" (PTFE) originating in or exported from Russia; Anti-Dumping investigation concerning imports of (Ceftriaxone Sodium Sterile) originating in or exported from China PR; Anti-Dumping investigation concerning imports of Melamine from European Union, Japan, Qatar and United Arab Emirates; Anti-dumping investigations concerning imports of „Low Density polyethylene (LDPE)" from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America; Sunset Review Investigation concerning imports of "Styrene Butadiene Rubber" originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand; Sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of Monoisopropylamine originating in or exported from China PR; anti-dumping investigation concerning imports of "Ursodeoxycholic Acid (UDCA)" originating in or exported from China PR and Korea RP; Sunset review of anti-dumping duties levied on imports of "High Tenacity Polyester Yarn" originating in or exported from China PR.

¹⁸⁷ Page 8 – 9 of Futong's Post – Disclosure Comments.

¹⁸⁸ Page 10 Futong's Post – Disclosure Comments.

price of goods sold in the domestic market includes basic customs duty and other charges. Thus, while computation of weighted average landed value of the subject goods exported from China PR under advance authorisation scheme should be excluded.¹⁸⁹

G.IV.5 Post – disclosure comments made by the domestic industry

164. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The Authority has observed that the addition of a notional customs duty is not warranted as the addition of basic customs duty, social welfare surcharge and other applicable elements in transactions where such amount has not been paid would artificially inflate the landed value of imports. It is requested that the Authority may confirm the same in the final findings.¹⁹⁰
- b. Addition of notional customs duty would distort the entire injury analysis. For example, if 100 units of goods have in fact landed in Indian market at Rs. XX, then considering Rs. XX+ 15%, would artificially increase the landed price and thus, distort injury examination.¹⁹¹
- c. This approach is consistent with the approach adopted by Authority wherein imports made under various duty exemption schemes are considered at as such values and not at an inflated notional value.¹⁹²

G.IV.6 Examination by the Authority

165. Futong has disputed the landed value computation. It has argued that the landed value computation by imputing 'NIL' basic customs duty to imports made under advance authorization is incorrect. Futong has further argued that imports made under advance authorization do not compete with goods sold in the domestic market as such goods include basic customs duty and other charges. With respect to the same, the domestic industry has argued addition of notional customs duty to transactions occurring under advance authorization would distort the entire injury analysis. It has further been argued that the same approach has been adopted by the Authority in case of other duty exemption schemes.

166. The reason behind inclusion of imports made under advance authorization for volume and injury analysis can be understood through the following example. Imports in the Indian domestic market can enter through either under advance authorization or through the general route. In case of advance authorization, basic customs duty need not be paid due to exemption of such duties under the scheme. A domestic manufacturer of an end product 'Y' whose raw material is 'X' has the option to either import raw material 'X' under advance authorization or source it from the domestic producers of raw material 'X'. In both these scenarios there is no additional tariff element such as basic customs duty and other border-based customs charges. Thus, if imports of raw material 'X' under advance authorization enter into the domestic market at dumped prices, the manufacturer of end product 'Y' would not prefer to procure raw material 'X' from domestic suppliers unless such domestic suppliers supply their product at a price less or equivalent to the price of dumped product 'X'. Given the absence of additional tariff elements, there exists direct competition between the imports made under advance authorization and domestically produced goods. The low price of imports of raw material 'X' thus effects the market share of the domestic producer of raw material 'X' as well as creates a benchmark effect on the price of the domestic producer and thereby, leading to price injury, in case the domestic producer of raw material 'X' decides to sell its goods to the producer of end product 'Y'. The benchmark effect so created, as explained above, occurs at the price at which such imports land into India (CIF or export price) and not at a notional price (landed value plus basic customs duty and other charges). Therefore, non – inclusion of advance authorization volumes would distort the injury analysis.

167. A concern that may arise here is that such imports may be resold in the domestic market and therefore, basic customs duty on such resale would have to be paid at a later point of time. It is, however, noted here that such imports cannot be resold into the domestic market due to the stringent stipulations such as actual user condition, bank guarantee, confiscation of goods, payment of penalties etc. governing the resale of imports made under advance authorization. Further, there is a robust mechanism for monitoring the usage of such imports. Therefore, addition of notional basic customs duty to the CIF value of such imports on the apprehension of resale into the domestic market does not have sufficient justification. Accordingly, the calculation of landed value of such imports must be done at the CIF price. In view of the above, Futong's claims regarding error in computation of landed value are not accepted.

G.V Economic Parameters Pertaining to the Domestic Industry

G.V.A Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales

G.V.A.I Submissions made by the other Interested Parties

168. The following submissions have been made by the other interested parties:

¹⁸⁹ Page 10 Futong's Post – Disclosure Comments.

¹⁹⁰ Para 13 of Corning India's Post – Disclosure Comments.

¹⁹¹ Para 9 of BFL's Post – Disclosure Comments.

¹⁹² Para 10 of BFL's Post – Disclosure Comments.

- a. The applicant's economic factors such as its capacity, production and capacity are in good condition.¹⁹³
- b. The domestic industry was operating well before the expansion of capacities. However, with the expansion of capacity, the economic parameters have shown a downward trend. Therefore, the Authority should consider 2019 – 2020 as the base year.¹⁹⁴
- c. THE APPLICANT'S PRODUCTION AND CAPACITY UTILISATION HAVE ABRUPTLY DECLINED DUE TO THE INCREASE IN ITS INSTALLED CAPACITY¹⁹⁵. IF THE APPLICANT HAD NOT UNDERTAKEN CAPACITY EXPANSION, THE PRODUCTION AND CAPACITY UTILISATION WOULD HAVE INCREASED.¹⁹⁶
- d. The applicant is already operating at a capacity of 70 % and does not have the capacity to cater to the increasing demand of the PUC.¹⁹⁷
- e. The imports of subject goods from the subject countries are not responsible for the applicant's low – capacity utilisation as the whole optical fiber industry has been witnessing depressing marketing conditions.¹⁹⁸
- f. The applicant's production has improved in the second half of 2020 – 21.¹⁹⁹
- g. The applicant's claims regarding the inability to increase its capacity utilisation are contrary to the fact on record as it has significantly improved its capacity utilisation by 36 index points in the POI since FY 2020 – 21²⁰⁰.
- h. The non-availability of the imported subject goods during the pandemic restrictions gave the domestic industry an opportunity to increase their sales.²⁰¹
- i. The applicant has focused on export sales more than its domestic sales. The applicant's export sales have increased twice in comparison to the base year whereas the domestic sales have declined.²⁰²
- j. The downstream products manufactured by using the PUC other than G.652 fiber have negligible demand in India and are primarily exported out of India.²⁰³
- k. G.657 fibers have negligible share in sales of the PUC as compared to G.652 fibers.²⁰⁴
- l. Almost 80 % of the anti – dumping applications are filed by the domestic industry after the industry takes capacity expansion either in the injury period or in the POI which shows that the purported injury is primarily due to the unjustified increase in capacities. The injury examination should be carried out by splitting injury parameters into two categories – pre – expansion of capacity and post – expansion of capacity.²⁰⁵

G.V.A.II Submissions Made by the Domestic Industry

169. The following submissions have been made by the domestic industry:

- A. GIVEN THE FACT THAT ONLY 33% OF THE TOWERS IN INDIA ARE FIBERIZED AND A LOW PER CAPITA FIBER CONSUMPTION OF 0.09 FKM, THE APPLICANT PLANNED CAPACITY EXPANSION IN 2017 – 2018 WHICH WAS CAPITALISED IN EARLY 2019 – 2021 FROM *** FKM TO *** FKM.²⁰⁶
- b. However, there was a contraction in demand in the intermittent years due to the onset of COVID – 19 pandemic, the slow roll out of Bharat-net and the financial troubles of telecom operators such as Vodafone and Airtel. Due to these reasons, the numerous cable laying projects were kept on hold.²⁰⁷

¹⁹³ Page 3 Government of Indonesia's Response.

¹⁹⁴ Para 8 of (B) (a) of Futong's Written Submissions; Para 3 of Futong's Rejoinder Submissions.

¹⁹⁵ Para 22 of HFCL's Written Submissions.

¹⁹⁶ Para 8 (C) (a) of Futong's Written Submissions.

¹⁹⁷ Para 49 of Fasten Group's Written Submissions.

¹⁹⁸ Para 51 of Fasten Group's Written Submissions; Para 16 of HFCL's Written Submissions.

¹⁹⁹ Para 50 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁰⁰ Para 52 of Fasten Group's Written Submissions; Para 43 of Fasten Group's Rejoinder Submissions; Para 12 of HFCL's Written Submissions.

²⁰¹ Para 10 of HFCL's Written submissions.

²⁰² Para 8 (B) (c) of Futong's Written Submissions.

²⁰³ Para 6 HFCL's of Written Submissions.

²⁰⁴ Para 8 of HFCL's Written Submissions.

²⁰⁵ Para 8 (B) (a) of Futong's Written Submissions; Para 3 of Futong's Rejoinder Submissions.

²⁰⁶ Para 47 of BFL's Written Submissions.

²⁰⁷ Para 47 of BFL's Written Submissions.

- c. As a consequence of the reasons stated above, the applicant had to close down its production intermittently in the years 2019 – 2020 and 2020 – 21 because of which its capacity utilisation significantly declined.²⁰⁸
- d. However, in the POI, with a renewed focus on digital connectivity, the demand has increased significantly despite which the applicant has not been able to increase its capacity utilisation which has fallen to 59 % in the POI from 85 % in the base year.²⁰⁹
- e. The applicant's production declined in the years subsequent to the base year for the reasons mentioned above but has increased in the POI due to an increase in demand for the subject goods in the POI.²¹⁰
- f. With respect to the other interested parties' submissions that the applicant has suffered injury due to capacity addition, it is submitted that even Corning India's injury parameters also exhibit a negative trend.²¹¹
- g. The argument that capacity addition has led to decline in production is devoid of any logic. Further, for injury margin analysis, the impact of increased capacity in the cost of production would be neutralised through normation.²¹²

G.V.A.III Examination by the Authority

170. The following table shows the capacity, production, and sales parameters of the applicant as well as the supporter:

S N	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	CAPACITY					
1	Capacity – Applicant	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	156	156	156
2	Capacity – Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
3	Capacity – Applicant + Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	100	100
B	PRODUCTION					
4	Production – Applicant	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	36	53	109
5.	Production - Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	82	115	113
6	Production DI + Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	68	120	131
C	CAPACITY UTILISATION					
7	Capacity Utilization – Applicant	%	***	***	***	***
	Range		80 – 90	20 – 30	20 – 30	50 – 60
8	Capacity Utilization – Supporter	%	***	***	***	***
	Range		80 – 90	70 – 80	80 – 90	90 - 100
9	Capacity Utilization – Applicant + Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Range		80 – 90	50 – 60	60 – 70	80 - 90
D	SALES					

²⁰⁸ Para 47 of BFL's Written Submissions.

²⁰⁹ Para 47 of BFL's Written Submissions.

²¹⁰ Para 47 of BFL's Written Submissions.

²¹¹ Para 6 of BFL's Written Submissions.

²¹² Para 8 of BFL's Rejoinder Submissions.

10	Domestic Sales – Applicant	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	41	58	99
11	Domestic Sales – Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	74	154	34
12	Domestic Sales - Applicant + Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	68	120	131
13	Export Sales – Applicant	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	11	6	204
14	Export Sales – Selling Price – Applicant	Rs./KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	75	71	113
15	Export Sales – Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	94	90	181
16	Export Sales – Supporter	Rs./KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	68	120	131
17	Export Sales – Selling Price – Applicant + Supporter	Rs./KFKM	***	***	***	***

Table G 6

171. It is noted that:

- HFCL has submitted G.657 fibers should be excluded from the purview of injury analysis as they have negligible share sales and the upstream product manufactured using G.657 fibers are mostly exported out of India. As stated above, G.657 fibers are covered within the scope of the PUC and therefore, sales of G.657 fibers have been considered in the injury analysis.
- The applicant increased its capacity in the year subsequent to the base year and it has remained stable thereafter. Corning India's capacity has remained stable throughout the injury period.
- The applicant's capacity utilisation has declined post - capacity expansion. Futong has argued that the applicant's injury is solely due to the capacity expansion undertaken by it. It has alleged that the applicant's capacity utilisation has declined only after the capacity expansion. Futong has suggested a revision of the base year to 2019 – 2020. It has further requested separate pre-expansion and post-expansion examination of injury parameters. Fasten group has submitted that applicant's capacity utilisation has improved in the POI as compared to the previous year. In this regard, the domestic industry has explained that it had increased its capacity in view of the existing demand and the projected increase in demand, which however was delayed due to a multitude of factors such as the slow roll out of the BHARATNET program and financial troubles of telecom operators such as Vodafone and Airtel and the impending pandemic.
- It is noted that the applicant's production has increased in absolute terms in the POI as compared to the base year and therefore, the decline in capacity utilisation in the POI must be examined in that context. If the applicant's capacity utilisation is calculated on the basis of its production in the POI with reference to its capacity in the base year, its capacity utilisation would be around *** %. However, the applicant had increased its capacity in the year 2019 – 2020 keeping in mind future growth in demand which was however delayed due to factors mentioned above. This increase in capacity has led to a decline in capacity utilisation.
- It is, however, noted that even after the increase in capacity, the installed capacity of the domestic industry is *** KFKM as compared to the Indian demand of more than *** KFKM. Considering the data on record, it is seen that the capacity set up by the applicant has primarily been used to meet Indian demand (i.e., more than 85% of production), as against the capacities of the other two main players, i.e. Sterlite India and Corning India which are mainly (about *** %) catering to captive and export markets. Further, for NIP computation, all fixed costs of the applicant are normated at best capacity utilization. Thus, impact of low- capacity utilization on NIP is created out by dividing the total fixed cost of the applicant by the normated production i.e., derived production at best capacity utilization. It is therefore noted that the capacity increase carried out by the applicant cannot be said to be disproportionate to the Indian demand and therefore, the argument that the injury to the

domestic industry is on account of increase in its installed capacity lacks substance. In view of the above, Futong's request for a segregated pre-expansion and post-expansion injury analysis is not warranted.

- f. It is further noted that there was considerable growth in demand in the POI as compared to the previous year (2020 – 2021). However, this growth in demand was largely consumed by the dumped imports from the subject countries. There was a small increase in the market share of the applicant. However, the market share of the supporter significantly declined.
- g. With respect to the contention of Fasten group, it is noted that a comparison of the domestic industry's capacity utilisation in the POI with 2020 – 2021 would be inappropriate as there was a global decline in demand of the subject goods in 2020 – 2021 due to COVID – 19, due to which significant capacities of the applicant remained underutilised. In fact, Fasten group has itself made submissions that the optical fiber market was marred with depressing conditions in the period between the base year and the POI.
- h. Further, upon analysis of the production numbers of the domestic industry, it is noted that the production of the domestic industry has increased in absolute terms in the POI as compared to the base year. The production of the domestic industry declined in 2019 – 2020 and 2020 – 2021 due to the global decline in demand and subsequently, COVID – 19 pandemic. However, it has improved in the POI as compared to the base year. Corning India's capacity utilization has also fluctuated during the injury period and has remained at high levels during the POI. It is noted that Corning India has been able to maintain the same because of the significant export sales it has made to its related parties.
- i. However, despite increased production, there has not been any commensurate increase in domestic sales of the said companies, which has remained below base year levels. The combined capacity, production, domestic sales and capacity utilization of the applicant and Corning India are as below:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1.	Combined Domestic Sales	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	59	88	66
2.	Capacity Utilization towards domestic sales	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	50	75	56

Table G 7

- j. From the above, it can be seen that the capacity utilized towards domestic sales has declined significantly in the POI as compared to the base year as well as the previous year. It has been submitted that since these are continuous plants, the optimum capacity utilization for this industry is around *** %, as the cost associated with reducing production or restarting the plant is very high and therefore, the same is not a viable option. The applicant has explained that it had, therefore, taken a conscious call of selling below cost to optimise its capacity utilization to the extent possible and to remain afloat in the market. Similarly, owing to the significant price pressure in the Indian market, Corning India has diverted its production towards more remunerative export sales (i.e., the average export price of Rs. ***/FKM as against the average domestic selling price of Rs. ***/FKM), which has resulted in steep decline in its domestic sales. It is also noted that a very significant portion of such sales was made to Corning India's related parties. Therefore, the mere absence of a decline in the production of the applicant or supporter in the POI cannot be considered indicative of a lack of injury due to dumped imports.
- k. Fasten group has submitted that the applicant's production has improved in the second half of 2020 – 2021. Futong has argued that the applicant is focused more on export sales as compared to the domestic market. It is noted that the applicant's production has increased in the POI as compared to the previous years including the base year. The applicant has explained that the same is due to an increase in demand for the subject goods. Corning India's data also exhibit a similar trend. Applicant's domestic sales are marginally below the figures in the base year and Corning India's domestic sales have drastically declined in the POI as compared to the previous years as well as the base year. As noted above, the pressure and depressing effects of prices of subject imports have led the applicant and the supporter to divert their sales towards export markets where the prices fetched are more remunerative and which explains the rise in export sales of the subject goods.
- l. Fasten Group has submitted that the applicant lacks the capacity to cater to the Indian demand. It is noted that the applicant and supporter have significant capacity to cater to a substantial part of the Indian demand. Further, the Indian demand can also be fulfilled through other Indian producers as well as the fair imports of the subject goods. In fact, the installed capacity of the three Indian

producers, i.e., the applicant, Corning India and Sterlite India is higher than the Indian demand. Nonetheless, it is noted that the inability of a domestic producer to fulfil Indian demand cannot be a reason to allow unperturbed entry of injurious imports into the Indian market.

G.V.A.IV Post – Disclosure Comments by the other Interested Parties

172. The other interested parties have made the following submissions:

- a. The applicant's production as well as domestic and export sales have improved in the POI. Further, it is evident from the facts on record that the applicant is more inclined to export its production rather than catering to the domestic market. Imposition of duty would lead to hike in domestic prices.²¹³
- b. The applicant's low-capacity utilisation in the POI is due to depressed market conditions for the PUC globally during the POI. Thus, low – capacity utilisation of the applicant cannot be solely attributed to imports from the subject countries.²¹⁴

G.V.A.V Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

173. No contesting claims or submissions have been made by the domestic industry.

G.V.A.VI Examination by the Authority

174. Fasten Group has submitted that the applicant's domestic as well as export sales have improved in the POI. It has also claimed that applicant is more inclined to export its production. It is noted that the applicant's sales have increased in the POI due to growth in demand and is almost at base year level. However, this increase in domestic sales have been achieved at the cost of suffering price injury. As far as the growth in export sales is concerned, it is noted that the export sales of the applicant have increased only in the POI due to the low-priced imports.
175. Nevertheless, such export sales constitute less than ten per cent of the applicant's production and the major part of the production have been sold in the domestic market. Further, for reasons mentioned in paragraph 178 below, it is unlikely that the applicant would increase its export sales post – imposition of anti – dumping duties. Moreover, with respect to Fasten Group's submissions regarding increase in domestic prices of the subject goods post imposition of anti – dumping duties, it is noted that there are multiple producers of the 'like article' in India. In view of the ensuing competition amongst such producers, it is unlikely that imposition of anti – dumping duties would lead to a hike in prices above the fair value.
176. Fasten Group has commented that applicant's low – capacity utilization is due to depressed market conditions globally in the POI. It is noted that this fact is contrary to the claims made by Fasten Group in its written and rejoinder submissions, wherein Fasten Group has submitted that FY 2019 – 2020 was affected due to depressed market conditions. It is further noted that as per the figures pertaining to demand on record, it is noted that the demand is almost the base year level.

G.V.B Market Share

G.V.B.I Submissions Made by the other Interested Parties

177. The other interested parties have made the following submissions:

- a. The domestic industry's market share has increased upwards in 2019 – 20 as well as in the POI and therefore, there is no injury to the domestic industry.²¹⁵ Domestic sales relative to demand shows the applicant occupies 64% of the market demand in India.²¹⁶

G.V.B.II Submissions Made by the Domestic Industry

178. The domestic industry has made the following submissions:

- a. The market share of the subject goods from the subject countries has increased steeply from 24 % in the base year to 36 % in the POI and is at the highest level, whereas the share of the article produced by the applicant is still at 19%.²¹⁷
- b. The applicant has been able to retain its market share only by taking a conscious decision to sell the article produced by it below the cost.²¹⁸

G.V.B.III Examination by the Authority

179. The following table shows the market share of the domestic industry, other domestic producers, and subject

²¹³ Paras 30 – 31 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²¹⁴ Paras 32 – 33 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²¹⁵ Para 11 of HFCL's Written Submissions.

²¹⁶ Para 13 of HFCL's Written Submissions.

²¹⁷ Para 41 of BFL's Written Submissions.

²¹⁸ Para 41 of BFL's Written Submissions.

imports:

Market Share					
Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Applicant's sales	%	***	***	***	***
Range		15 – 25	5 – 15	5 – 15	15 – 25
Supporter	%	***	***	***	***
Range		15 – 25	15 – 25	25 – 35	5 – 15
Applicant + Supporter	%	***	***	***	***
Range		35 – 45	25 – 35	45 – 55	25 – 35
Sale of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Range		25 – 35	55 – 65	35 – 45	35 – 45
Subject Countries	%	24	12	14	33
Range		15 – 25	5 – 15	5 – 15	25 – 35
Other Countries	%	5	2	3	2
Range		0-5	0-5	0-5	0-5
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

Table G 8

180. HFCL has argued that the applicant's market share has moved upwards as compared to 2019 – 2020 in the POI and therefore, there is no injury to the applicant. It is noted that the applicant's sales have marginally increased in the POI as compared to the base year and have increased in comparison to the injury period years. It is also noted that Corning India's domestic sales have significantly declined. It is further noted that there has been a significant increase in the market share of the dumped subject goods from the subject countries in the POI even though the demand for the subject goods has declined in the POI as compared to the base year. Thus, the applicant was not able to take full advantage of the increase in Indian consumption.
181. It is noted that the dumped imports invoked distinctive responses from the applicant and supporter. While the applicant lowered its selling price to maintain its market share, the supporter's domestic sales have declined and its export sales have increased. Further, the capacity utilisation of the supporter has also increased in the POI. The applicant suffered price injury to maintain its market share. At the same time, Corning India, the supporter, suffered volume losses to as it was not able to adjust to the price pressure. In this regard, it is noted that more than *** % of export sales of Corning India have been to its related parties which are optical fiber cable manufacturers. The applicant has submitted that its plant was established to specifically cater to the Indian demand. Unlike Corning India, it did not have the option to export a significant chunk of its production as there are several joint venture units of its related party, Furukawa Electric Co., in those markets which were already catering to demand in such markets.

G.V.B.IV Post – Disclosure Comments by the other Interested Parties

182. No contesting submissions or issues have been raised by any of the interested parties.

G.V.C Profitability, Return on Capital Employed and Cash Profits

G.V.C.I Submissions Made by the other Interested Parties

183. The other interested parties have made the following submissions:
- The Authority should analyse the long-term and short-term loans of the applicant as they impact the profitability of the organisation.²¹⁹
 - The applicant's figures pertaining to the commission, discount rebates and freight have increased by 794 %. The Authority should verify the same.²²⁰ Such a high increase in the figures indicates poor business decisions and the injury is, therefore, self – inflicted.²²¹
 - The reason behind the negative cash profits has been explained by the applicant in its financial

²¹⁹ Para 15 of HFCL's Written Submissions.

²²⁰ Para 54 of Fasten Group's Written Submissions.

²²¹ Para 55 of Fasten Group's Written Submissions.

statement²²².

- d. The imports cannot be faulted for a low return on investment. Due to depressed market conditions, the applicant was not able to earn an adequate return on its investment. During the POI, the applicant's return on investment has improved.
- e. The country -wise import data provided by the applicant also establishes that there was a decline in global prices of the subject goods in years subsequent to the base year and has thereafter increased in the POI.²²³
- f. A 22% return on capital employed is not proper in light of the CESTAT judgement in *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority*²²⁴ and *Hyosung Corporation vs. Designated Authority*²²⁵.
- g. It is submitted that the Authority should consider the applicant's past return from a period when there was no dumping and adopt the same as a reasonable return to arrive at non – injurious price.²²⁶
- h. The Authority should follow the European Union's practice and judgement of the European Court in *European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) v. Council*²²⁷ for allowing reasonable return in the computation of non – injurious price.²²⁸
- i. The Authority should rely on the annual report of the applicant as it has been producing 100 % optical fibers.²²⁹ As per the annual reports of the applicant, it was earning reasonable profits prior to 2019 – 20 and for unknown reasons, the applicant's profits declined in the year 2019 – 2020. The applicant's performance improved in 2020 – 21.²³⁰
- j. The Authority should examine the abrupt increase (100 to 305) in the applicant's interest cost in 2019 – 2020. Though interest cost has declined subsequently, it remains above the base year level.²³¹
- k. The average capital employed has declined with the increase in the installed capacity which is not proper.²³²

G.V.C.II Submissions by the Domestic Industry

184. The domestic industry has made the following submissions:

- a. Despite making several efforts at reducing its cost of production, the applicant has not been able to make profitable sales in the POI due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries.²³³
- b. The applicant has not been able to earn returns on its investment.²³⁴

²²² Para 56 of Fasten Group's Written Submissions.

" "During the year under review, revenue from operations of the Company stood at Rs. 1162.47 Millions as against the revenue of operations of Rs. 925.33 Millions for the previous year. This reflects an approximate increase of around 26% since previous financial year. Your Company has suffered a net loss of Rs. 104.65 Millions during the financial year under review as against loss of Rs. 302.62 Million during the previous financial year, which also shows significant improvement since the previous fiscal year, despite the challenging business conditions. **The loss during the year under report as witnessed by the Company can be attributed to the depressed market conditions globally and subdued demand for Company's product which has led to a detrimental effect on the profitability of the Company, besides drastic effects of Covid-19 on the economy/markets as a whole.**

The financial year 2020-21 can be termed as an unprecedented year since the detection of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), declared a global pandemic by the World Health Organisation in March 2020, has been tormenting the individuals and businesses alike as it continues its effect globally. Most of the countries have imposed complete or partial lockdowns which brought about an overall slowdown in the global economy, India has been no different. This situation led to an extremely subdued demand for your Company's products during the year under review. The second half of the year saw slight improvement in conditions wherein the economy opened up gradually, resulting in the revival of demand. However, the strong resurgence of new strains of Covid-19 virus in several parts of the world including India and second/third wave since early 2021 has once again dampened the overall economic spirit and momentum which has started impacting in last quarter of the year. **Therefore, owing to renewed restrictions and lockdowns in place in a several geographies, market continues to be uncertain disrupting operations, planning, financing, supply chains of optical fiber and optical fiber cable manufacturers."**

²²³ Para 19 of HFCL's Written Submissions.

²²⁴ 2011 SCC OnLine CESTAT 3694 (Para 28).

²²⁵ Anti – dumping Appeal No. 06 of 2007 (Paras 2 and 3).

²²⁶ Para 12 of Futong's Written Submissions.

²²⁷ [1999] ECR II – 3291. The Court held that: "It follows that the profit margin to be used by the Council when calculating the target price that will remove the injury in question must be limited to the profit margin which the Community industry could reasonably count on under normal conditions of competition, in the absence of the dumped imports. It would not be consistent with Articles 4(1) and 13(3) of the basic regulation to allow the Community industry a profit margin that it could not have expected if there were no dumping."

²²⁸ Para 12 of Futong's Written Submissions.

²²⁹ Para 8 (C) (c) of Futong's Written Submissions.

²³⁰ Para 8 (C) (c) of Futong's Written Submissions.

²³¹ Para 8 (C) (d) of Futong's Written Submissions.

²³² Para 8(C) (f) of Futong's Written Submissions.

²³³ Para 50 of BFL's Written Submissions.

²³⁴ Para 53 of BFL's Written Submissions.

- c. With respect to the claim that 22 % ROCE is inappropriate because of the low rate of interest on debt, it is submitted that cost is incurred on both debts as well as equity, and the cost on equity element is much higher. Considering this, a return of 22 % on ROCE is not appropriate for the computation of non – injurious price.
- d. The Hon'ble Tribunal in several of its decisions²³⁵ has upheld the practice of granting a return of 22 % on the capital employed²³⁶.
- e. None of the other interested parties have brought any fact on record that warrants justification for deviation from the Authority's consistent practice.²³⁷

G.V.C.III Examination by the Authority

185. The following table lays down the figures pertaining to the financial parameters of the domestic industry and the supporter:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	COST OF SALES					
1	Cost of sales – Applicant	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	105	68	60
2	Cost of Sales – Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	65	65
3	Cost of sales - Applicant + Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	87	65	63
B	SELLING PRICE					
1	Selling Price – Applicant	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	65	56	54
2	Selling Price- Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	72	56	55
3	Selling Price - Applicant + Supporter	Rs./FKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	69	55	56
C	PROFIT/(LOSS)					
1	Profit/(Loss) – Applicant	Rs./FKM	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(25)	(69)	(67)
2	Profit/(Loss) – Supporter	Rs./FKM	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(25)	(69)	(85)
3	Profit/(Loss) - Applicant + Supporter	Rs./FKM	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(25)	(69)	(73)
4	Profit/(Loss) – Applicant	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(167)	(50)	(13)
5	Profit/(Loss) – Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(19)	(79)	(32)
6	Profit/(Loss) - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(95)	(64)	(22)
D	PBIT					
1	PBIT – Applicant	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	***

²³⁵ Qingdao Doublestar Tire Industrial & Co. Ltd. v. Union of India (2018 (364) E.L.T. 852 (Tri. - Del.) ; Perstorp Chemicals Gmbh & Ors. vs Designated Authority (2017 (357) E.L.T. 397 (Tri. - Del.) ; Gujarat Fluorochemicals Ltd. vs Designated Authority 2017 (345) E.L.T. 144 (Tri. - Del.); Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd. vs Union of India.

²³⁶ Para 16 of BFL's Rejoinder Submissions.

²³⁷ Para 17 of BFL's Rejoinder Submissions.

	Trend	Index	100	(118)	(26)	16
2	PBIT – Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(18)	(77)	(32)
3	PBIT - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(73)	(49)	(5)
E	Cash Profits					
1	Cash Profits – Applicant	Rs. Lacs	***	(***)	***	***
	Trend	Index	100	(63)	0	29
2	Cash Profits – Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	0	(42)	(11)
3	Cash Profits - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	***
	Trend	Index	100	(40)	(15)	10
F	ROCE					
1	ROCE – Applicant	%	***	(***)	(***)	***
	Trend	Index	100	(134)	(32)	4
2	ROCE – Supporter	%	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(20)	(68)	(60)
3	ROCE - Applicant + Supporter	%	***	(***)	(***)	(***)
	Trend	Index	100	(83)	(49)	(8)

Table G 9

186. It is seen that applicant's unit cost of sales as well as unit selling price has declined over the years and are at its lowest values in the POI. The decline in cost of sales is primarily on account of the decline in prices of the raw material i.e., preform. A similar trend is visible in the figures of Corning India.
187. The unit selling price of the applicant went below the unit cost of sales in 2019 – 2020 but marginally improved in 2020 – 2021, when the volume of imports from the subject countries had significantly declined. However, with the increase in the volume of low – priced dumped imports from the subject countries, the applicant's unit selling price has fallen below the unit cost of sales in the POI. A similar trend is visible in Corning India's figures. It is also noted that the decline in the unit selling price of the subject goods is not commensurate with the decline in the unit cost of sales. It is further noted that the landed value of dumped imports from the subject countries was also at the lowest level in the POI. The domestic industry has explained that to retain its market share, the domestic industry has sold the like article below the cost of sales which has impacted its profitability. It is also noted that the unit selling price has remained below the unit cost of production.
188. As mentioned above, Futong has argued that the applicant has been facing injury due to its decision of increasing its installed capacity. In this regard, it is noted that the supporter, Corning India has not made any additions to its installed capacity and yet, it has registered losses in the POI.
189. It is noted that the applicant's cash profits, PBIT, as well as ROCE, have significantly declined since the base year. Even with the restoration of demand in the POI, the applicant has not been able to achieve profits.
190. With respect to the negative cash profits, the Authority notes that the cash profit during the POI, though significantly inadequate, was not negative. The reference made to negative cash profit due to subdued demand in the financial statement for FY 2019-20 and FY 2020 – 2021, relates to the market situation in FY 2019-20 and FY 2020 - 2021 and not the POI.
191. Fasten Group has submitted that the applicant's figures pertaining to discounts, freights and commissions have been high. The Authority has verified the discount/rebate and freight expenses. It has been submitted by the domestic industry that it had to lower its selling price by giving discounts/rebates, to match the low-priced subject imports from the subject countries. The price pressure from the subject imports is evident from the fact that the import price during the POI (i.e., Rs. ***/FKM) was even significantly lower than the discounted selling price (i.e., Rs. ***/FKM) of the domestic industry. It is, therefore, noted that the discounts/rebates provided by the domestic industry are on account of low-priced imports and not any poor financial decision by the domestic industry.
192. With respect to the abrupt increase in the applicant's interest cost in 2019 – 2020, the Authority has examined the interest being claimed by the applicant, and only such interest cost, as found reasonable, has

been taken into consideration for the determination of the non – injurious price (NIP). The Authority notes that NIP has been determined as per the provision of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995.

193. Fasten Group has argued that the applicant has not been able to earn an adequate return on its investment due to the depressed market conditions and not because of the imports. It has also asserted that the applicant's return has improved in the POI.

F	ROCE					
1	ROCE – Applicant	%	***	(***)	(***)	***
	Trend	Index	100	(134)	(32)	4

Table G 10

194. It is noted that the applicant's return on capital employed has declined over the years and has registered a negative return in 2019 – 2020 and 2020 – 2021. The applicant as well as the other interested parties, as stated above, have accepted that the aforesaid period was impacted due to the depressed market conditions and the impact of COVID– 19. However, the applicant's ROCE in the POI is significantly low as compared to the base year. The POI was not impacted by the global decline in demand. Even in the Indian market, the demand for the subject goods has almost reached the base year level. Thus, it cannot be said that the applicant's ROCE in the POI is impacted by the depressed market conditions.
195. Futong has submitted that the decline in average capital employed even after the increase in the installed capacity is improper. It is noted that the decline in capital employed even after the increase in the installed capacity is on account of change in the useful life of the assets carried by the domestic industry in its books.
196. As far as HFCL's submissions regarding the impact of short and long - term loans are concerned, it is noted that all loans and advances have been examined and have been allowed to the extent appropriate.

G.V.C.IV Post – Disclosure Comments by the other Interested Parties

197. The other interested parties have made the following submissions:
- The Authority has provided vague reasons for high increase in commissions, rebates, freight, and discounts of the applicant which indicate poor commercial decisions on part of the applicant and therefore, injury, if any, is self – inflicted.²³⁸
 - The applicant's low return on investment is due to depressed market conditions and imports are not responsible for the same.²³⁹

G.V.C.V Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

198. No contesting issues or submissions have been raised by the domestic industry.

G.V.C.VI Examination by the Authority

199. Fasten has contended that the disclosure statement does not clarify the reason behind the high increase in rebates, freight and discount of the applicant. Fasten Group has argued that such high increase in rebates, freight and discounts are reflective of the applicant's poor commercial decision and therefore, injury, if any, is self – inflicted. As stated in paragraph 188 above, it is noted that the applicant has explained that it had to offer discounts to its customers to match the low-priced dumped imports of the PUC from the subject countries in order to retain its market share.
200. As regards the contention that applicant's low return of investment is due to depressed market conditions, it is noted that demand for the subject goods in the POI had increased and was almost at base year level and therefore, it cannot be considered depressed market conditions were responsible for the low return on investment of the applicant.

G.V.D Inventories

G.V.D.I Submissions Made by the other Interested Parties

201. The other interested parties have made the following submissions:
- Piling up of inventory is not in itself an indicator of injury and poor economic performance²⁴⁰ as has been held by CESTAT in *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority*²⁴¹.

G.V.D.II Submissions Made by the Domestic Industry

²³⁸ Para 34 of Fasten Group's Post – disclosure Comments.

²³⁹ Para 38 of Fasten Group's Post – disclosure Comments.

²⁴⁰ Para 51 of Fasten Group's Written Submissions; Para 45 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁴¹ 2011 SCC OnLine CESTAT 3694 (para 28).

202. The domestic industry has made the following submissions:

- a. The inventory of the applicant has considerably increased during the POI.²⁴²

G.V.D.III Examination by the Authority

203. The following table shows the inventory figures of the applicant and the supporter:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Average Stock – Applicant	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	137	133	228
2	Average Stock – Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	141	149	78
3	Average Stock - Applicant + Supporter	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	141	146	104

Table G 11

204. It is noted that the average stock of the applicant has increased significantly in the POI even though there was sufficient demand for the subject goods in the POI. The applicant has explained that due to the significant volume of low-priced imports of the subject goods from the subject countries, it has not been able to sell the 'like article' even after offering them at prices less than its cost of sales. The growth in Indian demand for the subject goods during the POI was entirely absorbed by the dumped imports from the subject countries due to which the inventories have grown. Corning India's inventories had steadily grown but have declined in the POI. However, it is noted that Corning India has made significant export sales in the POI due to which its inventories have significantly reduced.

205. Fasten Group has submitted that the mere piling up of inventory cannot be an indicator of injury. The Authority notes that injury examination and injury to the domestic industry are peculiar to the facts of every investigation. Neither the absence nor presence of injury on one of the parameters or several parameters can be considered dispositive or determinative of injury to the domestic industry.

G.V.D.IV Post – Disclosure Comments

206. No contesting issues or submissions have been raised by any of the interested parties.

G.V.E Employment, Productivity and Wages

G.V.E.I Submissions Made by the other Interested Parties

207. The other interested parties have made the following submissions:

- a. The productivity of the applicant has increased sharply during the POI as compared to the base year. The trend of productivity is even better than the average industry norm as provided in the application.²⁴³
- b. There has been an improvement in productivity per employee. The improvement in productivity despite a decline in employment shows that a reduction in employment is not an indicator of injury.²⁴⁴

G.V.E.II Submissions made by the Domestic Industry

208. The domestic industry has made the following submissions:

- a. There is no significant decline in the levels of employment as it is not appropriate to vary the workforce in the short run. However, given the injury being faced by the applicant on account of the dumped imports from the subject countries, it would eventually lead to the closure of the production facilities impacting the livelihood of thousands of individuals.²⁴⁵

G.V.E.III Examination by the Authority

209. The following tables shows the figures pertaining to wages, employment, and productivity of the applicant:

²⁴² Para 51 of BFL's Written Submissions.

²⁴³ Para 8 (C) (e) Futong's Written Submissions.

²⁴⁴ Para 61 Fasten Group's Written Submissions.

²⁴⁵ Para 52 BFL's Written Submissions.

Employment, Wages and Productivity						
Sl No	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	Wages					
1	Wages – Applicant	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	96	83	94
2	Wages - Supporter	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	99	110	116
3	Wages - Applicant + Supporter	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	98	104	111
B	EMPLOYMENT					
1	Employment – Applicant	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	80	79
2	Employment – Supporter	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	99	98
3	Employment - Applicant + Supporter	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	93	92
C	PRODUCTIVITY					
1	Productivity per day – Applicant	KFKM/day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	36	53	109
2	Productivity per day – Supporter	KFKM/day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	83	95	108
3	Productivity per day - Applicant + Supporter	KFKM/day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	68	82	108
4	Productivity per employee – Applicant	KFKM/no employees	***	***	***	***
	Trend	Index	100	83	96	110
5	Productivity per employee – Supporter	KFKM/no employees	***	***	***	***
	Trend	Index	100	83	96	110
6	Productivity per employee - Applicant + Supporter	KFKM/no employees	***	***	***	***
	Trend	Index	100	70	88	117

210. It is seen employment in the domestic industry has continuously declined and is at its lowest level in the POI. The number of employees involved in the production of the subject goods in the domestic industry has declined by *** %. The level of employment has also reduced for the Indian industry. The amount of wages paid by the domestic industry has also declined in the POI which might be attributable to the decline in the number of employees. The amount of wages paid by Corning India has increased in the POI due to remunerative export sales made by it.
211. Productivity per day of the applicant declined during 2019-2020 as compared to the base year due to the decline in production of the subject goods consequent to a decline in demand for the subject goods. However, with the subsequent growth in demand, the productivity has improved since 2020 – 2021 and is above the base year level in the POI.

G.V.E.IV Post – Disclosure Comments by the other Interested Parties

212. The other interested parties have made the following submissions:
- Slight reduction in employment is not an indicator of injury given the fact that there has been a positive

improvement in productivity per employee.²⁴⁶ The improvement in productivity establishes that the applicant has been able to achieve more with fewer resources.²⁴⁷

G.V.E.V Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

213. No contesting submissions or issues have been raised by the domestic industry.

G.V.E.VI Examination by the Authority

214. Fasten Group has argued that there has been an increase in productivity per employee of the applicant despite reduction in number of employees which establishes improvement in the performance of the domestic industry. It is noted that optical fiber industry is a capital-intensive industry and therefore, slight reduction in employment would not affect the productivity of the industry. Nevertheless, it is noted that there has been a positive growth in productivity parameters of the applicant. However, this growth is due to the increase in production of the ‘like article’ by the applicant. Further, this must be seen in correlation with the increase in the inventory of the applicant. Thus, even though the applicant increased its production due to which its productivity has enhanced, the applicant was not able to sell its ‘like article’ in the market due to presence of low -priced dumped imports of the subject goods.

G.V.F Growth

215. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table:

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	POI	POI compared to the base year
A	PRODUCTION					
1	Production- Applicant	%	(***)	***	***	***
2	Production- Supporter	%	(***)	***	***	***
3	Production- Combined	%	(***)	***	***	***
B	DOMESTIC SALES					
1	Domestic Sales- Applicant	%	(***)	***	***	(***)
2	Domestic Sales – Supporter	%	(***)	***	(***)	(***)
3	Domestic Sales – Combined	%	(***)	***	(***)	(***)
C	PROFIT/LOSS (RS. LACS)					
1	Profit/Loss- Applicant	%	(***)	(***)	(***)	(***)
2	Profit/Loss-Supporter	%	(***)	(***)	(***)	(***)
3	Profit/(Loss)-Combined	%	(***)	(***)	(***)	(***)
D	ROCE					
1	ROCE- Applicant	%	(***)	***	***	(***)
2	ROCE –Supporter	%	(***)	***	***	(***)
3	ROCE -Combined	%	(***)	***	***	(***)
D	INVENTORY					
1	Inventory- Applicant	%	***	(***)	***	***
2	Inventory- Supporter	%	***	***	(***)	(***)
3	Inventory- Combined	%	***	***	(***)	■■■■■■■■
E	MARKET SHARE					
1	Market Share- Applicant	%	(***)	***	***	***
2	Market Share- Supporter	%	(***)	***	(***)	(***)

²⁴⁶ Para 36 of Fasten Group’s Rejoinder Submissions.

²⁴⁷ Para 37 of Fasten Group’s Rejoinder Submissions.

3	Market Share- Combined	%	(***)	***	(***)	(***)
---	------------------------	---	-------	-----	-------	-------

Table G 13

216. From the above, it is seen that most of the parameters have shown growth in the POI as compared to the previous year. As has been noted above, the market in the previous year was distorted due to COVID - 19 pandemic. However, as compared to the base year wherein the demand for the subject goods was almost at the same level as in the POI, almost all parameters have registered negative growth in POI. Furthermore, the domestic industry has not been able to realise the full potential of the improvement in the market in the POI since incremental growth in demand has been entirely subsumed by dumped imports from the subject countries.

G.V.G Magnitude of Dumping

217. As noted above in Table F 1, the dumping margin of the subject goods from the subject countries is above the *de minimis* limit and is significant. It is further noted that the dumping margin of the cooperating producers from China PR is also above the *de minimis* limit and is significant.

G.V.H Ability to Raise Capital Investment

218. The applicant has submitted that all Indian producers except Sterlite India are importing preform for producing optical fibre. These producers are in process of making plans to set up preform manufacturing plants and ancillary plans. However, the operationalisation of such plans has become increasingly difficult and rather impractical as the production of the resulting product (optical fibre) itself has become unviable due to the increased quantities of dumped subject goods from the subject countries. The Indian industry is not able to fetch adequate prices due to which its ability to raise capital investment has been severely impacted.²⁴⁸
219. It is noted that with the continuous losses being suffered by the domestic industry, its ability to raise capital has been adversely affected. The Authority notes that given the rising demand for the PUC in the country, the applicant had made significant investments in plant and machinery in 2019-20. However, despite an increase in demand for the subject goods in the POI, the applicant's performance has deteriorated considerably, and thereby its ability to raise capital investments in the future has diminished.

G.V.I Miscellaneous Submissions on Injury

G.V.I.I Submissions Made by the other Interested Parties

220. The other interested parties have made the following submissions:
- The Authority should analyse the injury parameters of all domestic producers of the like article in India.²⁴⁹ Para (i) of Annexure II to the Rules requires the Authority to determine injury based on an objective examination of the impact of subject imports on all domestic producers of like articles²⁵⁰.
 - Aksh Optic Fiber and Finolex Technologies have been performing well and have, therefore, not participated in the present investigation²⁵¹. Aksh and Finolex have not suffered injury as they are not able to sell in the domestic market at higher prices than the present domestic industry.²⁵²
 - The Authority in *Anti – dumping investigation Polyester Staple Fiber from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand* had recommended non - imposition of anti-dumping duties as it had found that the imports and supplies of other domestic producers were shaping the price structure²⁵³ in the market.²⁵⁴
 - The CRU Report of September 2022 shows that the prices of optical fiber are already at elevated

²⁴⁸ Para 13 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁴⁹ Para 6 of Fasten Group's Written Submissions; Para 17 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²⁵⁰ Para 7 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁵¹ Para 6 of Fastens Group's Written Submissions; Para 17 of Fastens Group's Rejoinder Submissions.

²⁵² Para 6 of Fasten Group's Written Submissions; Para 17 Fastens Group's Rejoinder Submissions.

²⁵³ Para 99 of Anti – dumping investigation concerning imports of Polyester Staple Fiber from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand F.No. 14/49/2016 – DGAD.

²⁵⁴ "j. Factors affecting Domestic Price

99. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. Even though Domestic Industry holds a major share of the market, they claim that import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. However, the fact that the other Indian producer, who holds a major market share, is also an extremely important player impacting the market prices of the subject goods. The information given by the user industry shows that the prices of M/s Reliance Industries Ltd. (non petitioner producer) are consistently higher than the import prices and still they hold majority share of Indian demand. It is noted that the landed value of subject goods from subject countries are below non-injurious price of the domestic industry. Further, landed value of PUC from subject countries had suppressed / depressed the prices of the Domestic Industry causing financial losses to them. The imports of the product under consideration from countries other than subject countries are minor in quantities and not injuring the domestic industry as the prices offered by these countries are significantly higher. Demand for the product is showing an increase trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the domestic industry. In view thereof, the imports and supplies of the other producer (non-petitioner producer), are shaping the price structure of the subject goods of domestic industry in India."

²⁵⁴ Para 7 of Fasten Group's Written Submissions; Para 18 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

levels and can further increase. The domestic prices are at parity to import prices.²⁵⁵

- e. The Authority should analyse post – POI data which would establish that there has been considerable improvement in the parameters of the domestic industry.²⁵⁶
- f. The Authority should reject the applicant's submissions concerning the threat of material injury.²⁵⁷ The threat of material injury did not form part of the initiation notification and the applicant has raised this claim at the stage of oral hearing for the first time.²⁵⁸

G.V.II Submissions Made by the Domestic Industry

221. The following submissions have been made the domestic industry:

- a. The Authority had recommended a provisional duty of 25 % in the previous safeguard investigation on the subject goods and further definitive duty of 10 % was recommended through the final findings. However, the recommendations were not accepted by the Central Government. Several interested parties in the impugned investigation had asserted that anti – dumping was the more appropriate measure considering the facts of the case.²⁵⁹
- b. The information submitted by the applicant as well as the supporter clearly demonstrates that the domestic industry has been suffering significant price and volume injury on account of the increase in dumped imports of the subject goods from the subject countries.²⁶⁰
- c. The Authority should also consider Corning India's data for injury analysis²⁶¹.
- d. The imports of the subject goods in the post – POI period has increased significantly and has even surpassed the POI levels.²⁶²
- e. There exist significant overcapacities in the subject countries as compared to their domestic demand.²⁶³
- f. The European Union has imposed anti – dumping duty on the imports of optical fiber cable from China PR which is manufactured from optical fiber i.e., the PUC which has led to a considerable increase in the stock of the PUC with the producers from China PR.
- g. Consequently, producers from China have exported 30% of their production of the PUC into India.²⁶⁴

G.V.III Examination by the Authority

222. Fasten Group has submitted that the Authority should examine the impact of the dumped subject goods on all domestic producers as per the requirement laid down in Annexure - II. It has also been submitted that Aksh Optifiber and Finolex Technologies have not participated in the present investigation as they have been performing well. The applicant has also requested for considering Corning India's data in the injury analysis. In this regard, it is noted that the initiation notification along with non – confidential version of the application was circulated to other domestic producers at the stage of initiation. Further, during the investigation, Aksh Optifiber and Finolex Technologies were informed and data regarding injury parameters was sought from them. However, neither of the two producers has submitted the pertinent information. Nevertheless, non – participation in investigation cannot be construed to mean that those producers have been performing well or that they are not facing injury. Corning India and Sterlite India have supported the application filed by the applicant. Due to the significant volume of imports made by Sterlite India, Sterlite India has been treated as an ineligible producer. Accordingly, the injury analysis has been based on the information provided by eligible Indian producers i.e., the applicant and Corning India.
223. Both Fasten Group and HFCL have argued that the application filed by the applicant did not contain allegations pertaining to 'threat of injury'. It is noted that the applicant's allegations concerning 'threat of injury' did not form part of its application. Accordingly, the Authority has not considered the same.
224. HFCL has requested the analysis of post – POI data. It is to be noted that the injury analysis in the original investigation is based on the POI data. Therefore, post – POI data has not been considered.

G.V.IV Post – Disclosure Comments by the other Interested Parties

225. The other interested parties have made the following submissions:

²⁵⁵ Para 20 of HFCL's Written Submissions.

²⁵⁶ Para 16 of HFCL's Written Submissions

²⁵⁷ Para 24 of HFCL's Written Submissions.

²⁵⁸ Para 5, 7 of Fasten Group's Written Submissions; Para 47 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²⁵⁹ Paras 23 – 27 of BFL's Written Submissions.

²⁶⁰ Para 28 of BFL's Written Submissions.

²⁶¹ Para 12 of Corning India's Rejoinder Submissions.

²⁶² Para 54 of BFL's Written Submissions. (Also See Chart in para 54 of BFL's Written Submissions.)

²⁶³ Para 56 of BFL's Written Submissions. (Also see Chart below para 57 of BFL's Written Submissions.)

²⁶⁴ Para 59 of BFL's Written Submissions. (Also see figure 6 of BFL's Confidential Written Submissions.)

- a. The Authority must specify the manner in which trends have been mentioned and the methodology used for determining ranges for injury period and the POI.²⁶⁵

G.V.I.V Post – Disclosure Comments by the Domestic Industry

226. The domestic industry has made the following submissions:

- a. The applicant requests for imposition of duty on *ad valorem* basis and relies on Office Memorandum F. No. 4/15/2018-DGTR (part-III) dated 18th June, 2019²⁶⁶, wherein it was noted that the Authority may, depending on the facts of the case, recommend imposition of anti-dumping duties as fixed duty, *ad – valorem* duty or on a reference prices basis²⁶⁷.
- b. The Customs Tariff Heading 9001 1000 applicable to PUC, is not a dedicated tariff heading and applies to other products, including optical fibre cable, fibre bundles etc. as well. The unit of measurement specified for the said heading is in kilograms.²⁶⁸ There is no requirement under the applicable customs tariff heading to declare the quantity for the subject goods in FKM (fiber kilometer), monitoring of imports per FKM would be difficult, cause administrative inconvenience and consequently lead to circumvention.²⁶⁹
- c. The PUC is always sold commercially in FKM and not in kilograms in the Indian telecommunication market of India as well as in international market. Practically, for all transactions, the industry uses FKM/KME as the unit of measurement including imports / exports and not kilogram. There is no accepted or universal FKM to kilogram conversion available, as for the same FKM, weight in kilogram could be entirely different for multiple reasons such as size or quality of packaging (i.e., spool).²⁷⁰
- d. Given the fact that the unit of measurement for the PUC under Customs Tariff (i.e., kilogram) is different from the unit of measurement (i.e., FKM) at which trade happens, it is requested that this is a fit case of imposition of duty on *ad-valorem* basis.²⁷¹
- e. Since the dumping and injury are determined in FKM while the Customs Tariff Act uses a different unit of measurement, to overcome any implementation issues, Corning India requests the Authority to recommend the anti-dumping duty on *ad-valorem* basis as a percentage of the CIF value. The imposition of anti-dumping duty in fixed rate would not serve the purpose and not be in the interest of the domestic industry.²⁷²
- f. In the recent investigation conducted by the European Union on imports of optical fiber cables, countervailing duties have been imposed on an *ad - valorem* basis. Similarly, China PR has imposed anti – dumping duties on the subject goods on an *ad - valorem* basis.²⁷³

G.V.I.VI Examination by the Authority

227. Fasten Group has requested the Authority to disclose the methodology of arriving at trends and determination of ranges. The trend figures are arrived at by dividing the values of a particular field by the base year and then multiplying the same by 100. The ranges are chosen on the basis of a figure +/- 10 from the actual figure.
228. The applicant as well as the supporter have requested imposition of anti – dumping duties on an *ad - valorem* basis on the ground that there is a difference in the unit of measurement under the Customs Tariff Act, 1975 and the manner in which the PUC is commercially traded. The Authority notes that recommendation of anti – dumping duties on *ad valorem* basis may lead to under invoicing and evasion of duties, thereof.

G.VI Injury Margin

229. The Authority has determined non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in Annexure III to the AD Rules, 1995, as amended. The NIP of the like article has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. For the determination of the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with respect to utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III to the AD Rules, 1995.
230. The landed value for China PR has been determined by adding a 15 % basic customs duty to the CIF value of

²⁶⁵ Para 26 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²⁶⁶ <https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Methodology%20regarding%20various%20forms%20of%20ADDCVD.pdf>

²⁶⁷ Para 19 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁶⁸ Para 16 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁶⁹ Para 22 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁷⁰ Para 17 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁷¹ Para 20 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁷² Para 23 of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁷³ Para 21 of BFL's Post – Disclosure Comments.

the subject goods on which such duty has been paid. Further, as explained in paras 154 – 155 and 165 – 166 above, the landed value in case of imports made under the advance authorization, the basic customs duty and social welfare surcharge has been computed as zero. The landed value for the subject goods from Korea RP and Indonesia is the CIF value of such subject goods. As no basic customs duty is applicable on the imports of the subject goods from these two subject countries, no additional duties or surcharges have been added.

231. The injury margin has been computed as the difference between the landed value of the subject goods and the non – injurious price of the like article manufactured by the domestic industry and has been mentioned in the table below:

INJURY MARGIN TABLE						
S.No.	Name of the Producer	Landed Value (₹/FKM)	NIP (₹/FKM)	Injury Margin (₹/FKM)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range
China PR						
1.	Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	10 – 20
2.	Jiangsu Fasten Photonics Co., Ltd.	***	***	***	***	0 – 10
3.	Jiangsu Sterlite Fiber Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
4.	Any other producer	***	***	***	***	10 – 20
Korea RP						
1.	Any producer	***	***	***	***	30 - 40
Indonesia						
2.	Any producer	***	***	***	***	20 - 30

G.VII CAUSAL LINK AND NON – ATTRIBUTION ANALYSIS

G.VII.1 Submissions by the other interested parties

232. The other interested parties have made the following submissions with respect to the causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry:
- The applicant's 2020 – 21 financial statement states that it is not backed by cost-effective 'preform' supply arrangements which are commensurate with the prevailing price of optical fiber.²⁷⁴
 - Fastens group commenced their exports to India in April 2021 and therefore, it has not caused injury to the domestic industry.²⁷⁵
 - The applicant is suffering due to depressed demand for the subject goods in the domestic market.²⁷⁶
 - The applicant's performance was impacted in the year 2019 – 2020 and 2020 – 2021 due to a decline in demand²⁷⁷ on account of several factors²⁷⁸. The optical fiber industry's conditions have improved in second half of 2021 because of improvement in demand²⁷⁹ on account of several factors.²⁸⁰
 - The injury to the domestic industry cannot be attributed to China PR in light of the higher prices of the subject imports from China PR in comparison to other subject countries, negative price

²⁷⁴ Para 59 of Fasten Group's Written Submissions; Para 49 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²⁷⁵ Para 63 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁷⁶ Para 66 of Fasten Group's Written Submissions.

²⁷⁷ Rollout of 5G, slower digitization, troubled telecom sector, pandemic and shut down, exceptionally heavy monsoons liquidity crunch being faced by public sector units, delay in announcement of BHARATNET projects and slower than expected fiber to the home (FTTH) deployment

²⁷⁸ Para 37 of Fasten Group's Rejoinder Submissions.

²⁷⁹ Telecom relief packages announced by the Central government, expected rollout of 5G and higher penetration of smartphones.

²⁸⁰ Paras 36,51 of Fastens Group's Rejoinder Submissions.

undercutting from China PR and significant imports made by Sterlite India.²⁸¹

- f. The Appellate Body in *US – Hot Rolled Steel* has ruled²⁸² that “in order to comply with the non – attribution language in the provision²⁸³, investigating authorities must make an appropriate assessment of the injury caused to the domestic industry by other known factors, and they must separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those factors. This requires a satisfactory explanation of the nature and extent of the injurious effects of other factors, as distinguished from the injurious effects of the dumped imports.”²⁸⁴²⁸⁵
- g. The application fails to address a number of critical factors which has impacted the domestic industry independently from the alleged injury faced from the subject counties. Such reasons include internal problems, depressed market conditions, subdued demand for the applicant’s product and the impact of COVID – 19 as mentioned in the applicant’s annual report.²⁸⁶

G.VII.2 Submissions made by the domestic industry

233. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The following factors²⁸⁷ establish that the domestic industry has been suffering injury only due to the subject imports:
 - i. The volume of imports from the subject countries constitutes 93 % of the total volume of imports.
 - ii. The demand for the subject goods has increased and therefore, there is no contraction in demand.
 - iii. The pattern of consumption remains unchanged.
 - iv. There are no trade restrictive practices.
 - v. There are change in the technologies of production of the product.
 - vi. The applicant does not produce any other goods than the PUC.
- b. The following factors²⁸⁸ demonstrate causal link between the subject imports from the subject country and injury faced by the domestic industry:
 - i. The volume of dumped imports has increase in absolute as well as relative terms.
 - ii. The increase in volume of the dumped subject goods in the POI is significantly in excess of the Indian demand.
 - iii. Despite an increase in demand for the subject goods in the POI, and availability of capacity with the applicant, it has not been able to increase its market share.
 - iv. The subject imports have caused negative price effects on the domestic industry and there is significant price suppression and depression, despite the applicant’s efforts to reduce its cost of production.
- c. With reference to the arguments made regarding the applicant’s financial report for 2019 – 2020, it is submitted that the year 2020 -21 was affected due to the pandemic. Prior to this period i.e., from Q3 of 2019 – 20, the market of the PUC was temporarily affected due to several factors as stated above but, in the POI, the market has normalized and demand has also increased.²⁸⁹

G.VII.3 Examination by the Authority

234. Para (v) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 requires the Authority to establish that the domestic industry is suffering injury due to the dumped imports. At the same, the Authority is required to examine other known factors other than the dumped imports that could have impacted the performance of the domestic industry so that the injury caused by other known factors is not attributable to the dumped imports of the subject goods. The relevant factors in this respect include the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry. The aforementioned factors have been examined below:

²⁸¹ Para 8 of Futong’s Rejoinder Submissions.

²⁸² Paras 223 – 226, Appellate Body Report, *United States — Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan*, WT/DS184/AB/R (adopted on 23rd August 2001).

²⁸³ Article 3.5 of the WTO Agreement on Anti- dumping.

²⁸⁴ Appellate Body Report, *United States — Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan*, WT/DS184/AB/R (adopted on 23rd August 2001).

²⁸⁵ Para 10 of Futong’s Written Submissions.

²⁸⁶ Para 10 of Futong’s Written Submissions; Para 9 of Futong’s Rejoinder Submissions.

²⁸⁷ Para 63 of BFL’s Written Submissions.

²⁸⁸ Para 62 of BFL’s Written Submissions.

²⁸⁹ Para 9 of BFL’s Rejoinder Submissions.

i. Volume of subject goods not sold at dumped prices

235. The entire volume of imports from the subject countries, including the imports made by Sterlite India have been found to be sold at dumped prices. Further, the volume of imports from the non – subject countries constitute a very insignificant percentage of the total volume of imports of the subject goods and are at prices higher than the dumped imports from the subject countries.

ii. Contraction in demand

236. It is noted that the demand for the subject goods declined after the base year. Futong and Fasten Group have submitted that the demand for the subject goods had declined in 2019 – 2020 and 2020 - 2021 due to which the applicant suffered injury. It is, however, that the demand for the subject goods has normalised in the POI and is almost at the base year level. Neither Fasten Group nor Futong has contested that the demand for the subject goods in the POI was affected due to external factors. In fact, Fasten Group has itself asserted that the demand in the POI has normalised.

iii. Change in pattern of consumption

237. None of the interested parties has argued or brought forth any evidence which establishes a change in the pattern of consumption which could have impacted the performance of the domestic industry.

iv. Trade restrictive practices

238. None of the interested parties have argued or brought forth any evidence regarding the existence of any trade restrictive practices which could have impacted the performance of the domestic industry.

v. Development in technology

239. None of the interested parties have argued or brought forth any evidence to demonstrate advancement in technology in the manufacturing of the PUC which could have impacted the performance of the domestic industry. The investigating team has found the production process of the cooperative producers from China PR as well as the applicant to be similar.

vi. Export performance of the domestic industry

240. The applicant's export performance has improved in the POI as compared to the base year and therefore, it cannot be said that the applicant has been suffering due to a decline in its export performance.

vii. Performance of other products of the domestic industry

241. It is noted that the applicant only manufactures the PUC as has been defined in the present investigation. The data pertaining to such products have been used in the present investigation. Therefore, it cannot be said that the applicant's performance with respect to other products has impacted the production or sales of the like article manufactured by the applicant.

viii. Productivity of the domestic industry

242. The following table shows the productivity figures of the domestic industry:

PRODUCTIVITY						
1	Productivity per day – Applicant	KFKM/day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	36	53	109
2	Productivity per employee – Applicant	KFKM/no employees	***	***	***	***
	Trend	Index	100	83	96	110
3	Production – Applicant	KFKM	***	***	***	***
	Trend	Index	100	36	53	109

Table G 16

243. It is seen that the productivity per day as well as productivity per employee has moved in tandem with the production. Therefore, it cannot be said that the decline in the productivity of the applicant has impacted its performance.

244. Additionally, the Authority has examined the following factors raised by the other interested parties:

ix. Lack of cost – effective 'preform supply arrangement'

245. Fasten Group has asserted that the applicant's performance has declined as it lacks cost – effective preform supply arrangement. Fasten Group has relied on the applicant's 2020 -2021 financial statement for making this claim. The Authority has perused the impugned financial statement which states the following:

“Indian market continues to witness lower pricing from countries like China, South Korea, Indonesia, etc. which continued to supply optical fiber to Indian customers at low prices, adversely impacting operations of all standalone optical fiber manufacturers which are not backed by cost effective Preform supply arrangements which commensurate with prevailing price of optical fiber. The Domestic optical fiber manufacturers also approached Government of India for implementation of necessary measures to safeguard their interest, which could not achieve the desired results.”

246. It is noted that the applicant’s financial statement is merely making a statement about the Indian producers and not specifically about its production capability. Furthermore, the applicant has explained that this statement stands true only for such Indian producers which lack cost-effective preform supply arrangement. The statement suggests that the Indian manufacturers were not able to compete with producers from the subject countries as the prices of subject goods exported by them were even less than the cost of procurement of preform by Indian manufacturers. In any case, the financial statement does not pertain to the POI. It is also noted that the cost of preform has reduced over the injury period. It is noted that the applicant as well as the supporter have cost-effective preform supply arrangements through long terms contracts with their joint venture partner/ parent company. Further, from the preform import data it is noted that the price at which the applicant has procured preform is one of the lowest in India. The Authority also notes that the cost of material of the participating exporters is much higher than the applicant. Therefore, it cannot be considered that the applicant lacks cost-effective preform supply arrangement due to which its performance has deteriorated.

x. Depressed global market conditions and impact of COVID – 19

247. Futong has argued that the applicant’s performance has declined due to depressed global market conditions as well as the impact of COVID – 19. It has relied on the applicant’s 2020 – 2021 Annual Report for making this claim. The applicant has also accepted that the demand for the subject goods in 2019 – 2020 and 2020 – 2021 was impacted due to the decline in the global market conditions and COVID – 19 respectively. However, the demand of the subject goods in India as well as the world has improved significantly in the POI. Therefore, it cannot be said be that global market conditions or COVID – 19 has impacted the performance of the domestic industry during the POI.

xi. Higher import prices from China PR

248. Futong has submitted that the import price of the subject goods from China PR is higher than the import price from the other subject countries and therefore, it cannot be said that imports from China PR are injuring the domestic industry. For reasons stated above, the Authority has cumulatively assessed the impact of the subject goods from the subject countries and has found them to be at dumped as well as injurious price. The Authority has also determined the individual dumping and injury margin for the cooperative producers from China PR and has found them to be at dumped and injurious price.

G.VII.4 Post – disclosure comments by the other interested parties

249. The other interested parties have made the following submissions:
- a. The domestic industry is not suffering injury due to imports. The applicant has suffered injury due to depressed market conditions and inability to meet the increasing demand for optical fiber.²⁹⁰

G.VII.5 Post – disclosure comments by the domestic industry

250. No contesting submissions or issues have been raised by the domestic industry.

G.VII.6 Examination by the Authority

251. Fasten Group has claimed that the domestic industry is suffering injury due to depressed market conditions. It is noted that the demand in the POI is almost at the base year level and therefore, it cannot be accepted that the domestic industry has suffered injury due to depressed market conditions.

G.VIII FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

252. The Authority after examining the factors enumerated above holds that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to subject imports:
- a. The volume of dumped imports from the subject countries has increased in the POI as compared to the injury period in absolute terms as well as in relation to the production and consumption of the subject goods in India. As a consequence of such an increase in the volume of low-priced dumped subject goods, the domestic industry has not been able to sell the like article manufactured in significant quantities in the domestic market.

²⁹⁰ Para 40 of Fasten Group’s Post – disclosure Comments.

- b. As a consequence of the increase in the volume of dumped subject goods, the inventories of the domestic industry have piled up.
- c. Further, despite having significant capacity, the applicant has not been able to increase its market share of the subject goods in the POI.
- d. Due to the low-priced imports of the subject goods from the subject countries, the applicant has been selling the like article manufactured by it below its cost of sales. As a result, the domestic industry has been forced to sell at losses.
- e. The low-priced subject imports have depressed the prices of the like article manufactured by the applicant.
- f. The adverse impact of the dumped imports on the selling price of the domestic industry has led to a significant loss, decline in cash profit and a significant reduction in the return on capital employed.
- g. The growth of the domestic industry has become negative in respect of several economic parameters.
- h. The incremental demand for the subject goods in the POI has been largely captured by the imports from the subject countries due to which the applicant has not been able to take advantage of the growth in Indian consumption.

H. INDIAN INDUSTRY ISSUES

H.I Submissions Made by the other Interested Parties

253. The following submissions have been made by the other interested parties:

- a. With the growth in demand of optical fibers, the imposition of anti – duties will restrict the supply of the PUC as the domestic industry is not equipped to cater to the steep increase in demand.²⁹¹
- b. Imposition of anti – dumping duties on the imports optical fiber would lead to imports of optical fiber cables, leading to closure of cable manufacturing units which would not be able to compete with imports.²⁹²
- c. Imposition of anti – dumping duties would frustrate India's digital infrastructure development and would be against national interest.²⁹³
- d. The basic customs duty on the imports of subject goods from China PR has increased to 15 % whereas there is no basic customs duty on the subject imports from Indonesia and South Korea²⁹⁴.
- e. The applicant has claimed that impact of 10 % of anti -dumping duties on telecom projects would be approximately 3%. However, it has not disclosed calculations regarding the same.²⁹⁵
- f. There is severe shortage of optical fiber cables. Imposition of anti – dumping duties would lead to monopolisation of the PUC's market by the domestic industry.²⁹⁶

H.II Submissions Made by the Domestic Industry

254. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

- a. India is one of the fastest-growing markets for digital consumers with over 117 crore telecom subscribers and 82.9 crore internet subscribers, making it one of the largest digital communications markets in the world.
- b. Currently only 33% of the towers in India are fiberised, compared to the 70% in South Korea and 80%-90% in the U.S., Japan, and China. Moreover, India's per capita fibre consumption is only 0.09 FKM, as compared to 1.35 FKM in Japan, 1.34 FKM in the U.S. and 1.3 FKM in China.
- c. The imposition of anti-dumping duties is in the larger interest of Indian public, as being critical to nation's digital infrastructure, if the domestic industry for SMOF is wiped out, the dependence on imported fibre alone would not be in the nation's interest.
- d. The impact of anti – dumping duties would be negligible on the ultimate users.
- e. The anti – dumping duties are imposed under Section 9A of Customs Tariff Act, 1975, which itself has been incorporated in law in public interest, with a view to protect Indian industries from the adverse effects of dumping. As such, neutralization of dumping and granting adequate protection to the Indian industries is in public interest.

²⁹¹ Para 37 Fasten Group's Written Submissions.

²⁹² Para 71 Fasten Group's Written Submissions.

²⁹³ Para 72 Fasten Group's Written Submissions.

²⁹⁴ Para 73 Fasten Group's Written Submissions.

²⁹⁵ Para 25 Fasten Group's Written Submissions.

²⁹⁶ Para 21 HFCL's Written Submissions.

- f. Optical fiber is critical component for development of the digital infrastructure of the country. Therefore, it is necessary for India to have an active manufacturing setup to meet the requirement of the sector. This is also in alignment with Government of India's vision of an Atmanirbhar-Bharat.²⁹⁷
- g. Indian manufacturers have invested more 5000 crores during the last ten years to build the optical fiber industry, which is sufficient to cater to the Indian demand.²⁹⁸
- h. The domestic manufacturers can produce high quality products which comply with international standards as required under Environmental Impact Assessment/ Telecommunications Industry Association Requirements and the Underwriters Laboratories guidelines which shows that production of subject goods in India is at par with global standards.²⁹⁹
- i. It is in public interest to have a strong, competitive domestic production of single mode optical fibre.³⁰⁰ The domestic supply is very well placed to cater to the domestic demand of OFC manufacturers. Moreover, the imposition of anti-dumping duties would not affect the option of importing from other non-subject countries. Thus, domestic user industry for SMOF in India has sufficient alternatives to de-risk their operations.³⁰¹
- j. There has been concerns around continuing dependence on import for telecommunication and networking equipment. This is for both economic and security reasons.³⁰²
- k. The TRAI Report acknowledges the fact that the local manufacturing in the country at present is suffering severely due to lack of protection from cheaper imports which accounts for a vast majority of the market demand. It suggests that imposition of dumping duty would offset the effect of dumping and would be beneficial for promoting manufacturing in India.³⁰³
- l. Digital infrastructure is critical asset for any nation. Several countries such as the United States of America, Australia and European Union have imposed barriers and certification requirements to block usage of fiber produced in China PR. The Telecom Equipment and Services Export Promotion Council has recommended³⁰⁴ usage of security – carve outs³⁰⁵.

H.III Examination by the Authority

255. Trade remedial measures are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring level playing field to domestic producers through imposition of appropriate duties against unfair imports of the subject goods. At the same time, the Authority is cognizant of the fact that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users as well as consumers of the PUC. Further, imposition of duties may also lead to competition issues within the country.
256. Fasten Group has submitted that imposition of anti – dumping duties would inhibit the supply of the subject goods and that the domestic industry is not in a position of catering to the increasing demand of the subject goods. The arguments of the Fasten Group are not found to be tenable in view of the facts of the present investigation. It is noted that there are multiple producers of the PUC in India. The production capacity of such producers is enough to cater to increased demand of the subject goods in India. It is also noted that the users of the subject goods shall also have the option to import subject goods from non – subject countries as well as subject countries. In view of the above, HFCL's arguments pertaining to monopolisation of domestic market by the applicant is also not found to be sustainable.
257. Fasten Group has also submitted that imposition of anti – dumping duties on the imports of optical fibers would lead to imports of optical fiber cables, thereby leading to closure of cable manufacturing units. The argument put forward by Fasten Group is found to be without any basis. The role of this Authority is not to restrict competition in any manner. Even if it is accepted that imposition of anti – dumping duties on the subject goods may lead to an increase in the imports of a downstream product i.e., optical fiber cables, it is unclear as to how the imports of optical fiber cable would lead to closure of such units, unless such imports

²⁹⁷ Para 18 of Corning India's Post – Disclosure Comments.

²⁹⁸ Para 14 (a) of BFL's Post – Disclosure Comments.

²⁹⁹ Para 14 (b) of BFL's Post – Disclosure Comments.

³⁰⁰ Para 14 (d) of BFL's Post – Disclosure Comments.

³⁰¹ Para 14 (f) of BFL's Post – Disclosure Comments.

³⁰² https://prsindia.org/files/budget/budget_parliament/2023/Telecom_DFG_Analysis_2023-24.pdf .

³⁰³ Para 20 of Corning India's Post – Disclosure Comments.

³⁰⁴ "Government of India has historically followed a liberal trade policy in the telecom sector that has been exploited by many countries. For example, foreign vendors, especially those from China, have actively leveraged their government support and larger financial muscle to indiscriminately dump their telecom equipment in the country. There should be stricter enforcement of anti-dumping and anti-circumvention rules with regard to telecom product imports. Both the foreign exporter and domestic importer of such goods should be penalized once such duty evasion is established. E.g., FTA act provides for license/suspension of such players which is never used. We should actively use security carve-outs (allowed under WTO and used by USA) for restricting import of equipment in telecom and other sensitive sectors. Currently, majority of our telecom equipment comes from China, while US has banned Chinese equipment for past many years."
(source: https://www.trai.gov.in/sites/default/files/TEPC_22012018.pdf).

³⁰⁵ Para 14 (e) of BFL's Post – Disclosure Comments.

- are at predatory prices. If the optical fiber cables enter Indian market at competitive prices, there is no reason as to why such imports would lead to closure of domestic cable manufacturing units. Further, if the domestic cable manufactures are faced with such a situation, they may approach this Authority for effective remedy.
258. Fasten Group has also argued that imposition of anti – dumping duties would hamper India’s digital infrastructure. In this regard, the domestic industry has argued that reliance on imported optical fiber for creation of India’s digital infrastructure would be adverse to India’s interests. As stated above, it is noted that the Indian manufacturers have significant production capability to cater to India’s optical fiber demand.
259. At the stage of disclosure, the Authority had disclosed two reports which were to be considered to analyse the Indian industry’s issues. However, none of the other interested parties have made any comment on the same.
260. The Authority takes note of the Telecom Regulatory Authority of India’s (hereinafter referred to as TRAI) Consultation Paper on “Promoting Networking and Telecom Equipment Manufacturing in India”³⁰⁶ concerning manufacturing of NATE (networking and telecom equipment) products in India, which also includes the PUC. TRAI has acknowledged that due to dumped imports of the NATE products, several domestic manufacturing units are operating at below capacity levels and in some cases such industries have shut down completely. TRAI has also recognised that “local manufacturing in the country at present is suffering severely due to lack of protection from cheaper imports which accounts for a vast majority of the market demand”³⁰⁷ and has argued for imposition of anti – dumping duties to offset the effect of dumping of such goods in India and promotion of manufacturing of such goods³⁰⁸. TRAI has also pointed out instances wherein imports from dumped sources of supply are being re-routed through countries having FTAs with India.³⁰⁹
261. The Authority also takes note of the Centre for Digital Economy Policy Research’s (hereinafter referred to as “C-DEP”) Report on “Accelerating Digital Atmanirbhar: Report on remedial steps required for making India the World’s capital in optical fibre manufacturing”³¹⁰ wherein the independent think tank has observed that manufacturers of optical fiber from China PR have indulged in rampant dumping of the PUC in India. C-DEP has observed that imports of optical fiber from China PR have grown from “merely 2203 Mn FKM in 2019-20 to a whopping 13980 Mn FKM in 2022-23 (till January 2023), an over 5 times increase in a mere span of less than 3 years. Such illegal predatory pricing has deprived Indian manufacturers from being able to fairly access the Indian market itself.”³¹¹ It has also observed that “such imports are pushing Indian manufacturers into distress sale at below production cost”³¹².
262. Regarding the impact of such unfair trade practice on the Indian optical fiber industry, C-DEP has observed that “Even though Indian optical fibre/optical fibre cable manufacturers are extremely competitive, and have immense experience, global benchmark quality, technology know-how and availability of skilled manpower, India is losing ground in international trade to Chinese manufacturers.”³¹³ C-DEP has also pointed out that the products from China do not necessarily adhere to acceptable global standards. Incidentally, the US and several other West European telecom operators have held back quality approvals for optical fibre from Chinese companies.”
263. Fasten Group has contested the domestic industry’s claims regarding impact of the anti – dumping duties on the end product. It is noted that neither the domestic industry nor any other interested party has put forth any evidence based on which quantitative impact of the anti – dumping duties could be assessed. Nevertheless, it is recognized that the application of lesser duty rule in calculation of appropriate anti – dumping duties, which is in itself a soft public interest clause, alleviates to some extent the pressure that may build on users and consumers of the product under consideration as a consequence of imposition of anti – dumping duties. Further, as stated above, none of the interested parties have provided any evidence for assessing the impact of anti - dumping duties.
264. The Authority also notes that in 2018 -19 a considerable share of subject imports was coming from non - subject countries which has subsequently declined over the injury period due to decline in demand. However, even with the growth of demand in the POI, it is noted that only the volume of imports from the subject countries has increased. Therefore, it is noted that even though imports of subject goods may decline as a consequence of the imposition of anti – dumping duties, imports from non – subject countries would replace

³⁰⁶ Consultation Paper, Promoting Networking and Telecom Equipment Manufacturing in India available at: https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_11022022.pdf

³⁰⁷ *Id.* at p.70.

³⁰⁸ *Id.* at p.70.

³⁰⁹ *Id.* at p.71.

³¹⁰ Centre for Digital Economy Policy Research, Accelerating Digital Atmanirbhar: Report on remedial steps required for making India the World’s capital in optical fibre manufacturing, 27th March 2023 available at:

³¹¹ *Id.* at p.4.

³¹² *Id.* at p.5.

³¹³ *Id.*

such dumped imports and thereby, mitigate the adverse effects, if any. It is also in the interest of the user industry to have sources of supply of subject goods within the Indian territory for a prompt and short-term delivery of the subject goods. It is also in the long-term interest of the user industry to maintain multiple sources of supply.

265. The applicant and supporter have submitted that optical fiber is a critical component in the digital infrastructure of India and therefore, it is necessary to have a strong competitive industry. The applicant has further claimed that several countries have imposed non – tariff barriers upon the optical fiber produced in China PR due to essential security concerns. It is noted that redressal of such concerns is not within the purview of this Authority. The applicant and the supporter may raise such concerns before the appropriate authority or forum.

I. CONCLUSION

266. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
- i. The subject goods exported from the subject countries and the article manufactured by the domestic industry are ‘like article’ to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
 - ii. The applicant accounts for 27 % of the eligible domestic production and along with the supporter, accounts for 90 % of the eligible domestic production. The applicant satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 and application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
 - iii. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti – dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the AD Rules, 1995 to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995.
 - iv. The claims regarding confidentiality were accepted wherever warranted and in case, where such confidentiality claims were found to be excessive, the interested parties were directed to disclose the same or provide appropriate non – confidential summary of the same in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995.
 - v. **Dumping margin:** Three producers from China PR namely Futong, Fasten Group and Sterlite China had participated in the investigation. Based on the information provided by such exporters and the constructed normal value, the dumping margin for exports of Futong and Fasten Group was determined to be positive whereas dumping margin for Sterlite China was determined to be negative. None of the producers from Korea RP and Indonesia participated in the investigation and after considering the facts available on record in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995, imports from these subject countries were also found to be at dumped prices.
 - vi. **Volume effect:** The volume of imports and the dumping margin of the subject goods from the subject countries were found to be above *de minimis* thresholds as stipulated under para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995.
 - vii. With respect to the volume effect of the dumped imports on the state of the domestic industry as required to be assessed under para (ii) of the AD Rules, 1995, it was found that such imports have increased in absolute as well as relative terms to the production and consumption of the PUC in India. It was further found that the growth in demand was almost entirely subsumed by such dumped imports. Although, the domestic industry was able to retain its market share by selling the ‘like article’ at losses, the market share of the supporter significantly declined as a result of the dumped imports.
 - viii. **Price effect:** As regards the price effect of such dumped imports, it was found that price undercutting from all three subject countries was positive. It was further found that such dumped imports were depressing the prices of the domestic industry. The landed value of the subject imports was found to be at their lowest level in the POI.
 - ix. As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:
 - a. **Production, capacity, capacity utilisation, sales, and market share:** The applicant’s production as well as capacity were found to be increased. However, due to presence of dumped imports it was not able to fully utilise its capacities. The applicant was able to maintain its sales and market share at par with the base year by selling the like article at losses. Nevertheless, there was considerable growth in demand which was largely subsumed by dumped imports. It was also found that supporter’s sales as well as market share has significantly declined.
 - b. **Cost of sales, selling price, profitability, and return on capital employed:** The applicant’s per

unit cost of sales and selling price have declined. The selling price of the applicant was found to be below the unit cost of sales. Further, the decline in selling price was not found to be commensurate with the decline in the cost of sales. The applicant's cash profits, profit before interest and tax, as well as return on capital employed have significantly declined as compared to the base year. Even with restoration of demand during the POI, the applicant was not able to achieve profits.

- c. **Inventories:** The applicant's inventories of the 'like article' were found to be increased during the POI.
 - d. **No. of employees, productivity, and wages:** There has been a decline in the number of employees and wages have also declined. However, the productivity of the applicant has increased which can be attributed to the increase in production. Given the fact that the PUC is a technological product, the production process is automated and therefore, slight reduction in number of employees would not affect the productivity of the applicant.
 - e. **Growth:** The applicant's growth in terms of production, domestic sales, profits, return on capital employed, inventories and market share were found to be adversely impacted.
 - f. **Ability to raise capital investment:** It was found that despite an increase in demand of the subject goods, the applicant's performance had deteriorated which has impacted its ability to raise capital investments.
- x. **Injury Margin:** Upon comparison of the non – injurious price determined as per Annexure – III to the AD Rules, 1995 and the landed value of subject imports from the subject countries as required under Rule 17 (3) (b) to the AD Rules, the injury margin for Futong and Fasten Group were found to be positive, whereas the injury margin for Sterlite China, the injury margin was found to be negative. Apart from the above three producers, no other producer from China PR participated. None of the producers from Korea RP and Indonesia participated in the investigation and after considering the facts available on record in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995, the injury margin for imports from these subject countries were also found to be positive.
 - xi. **Causal link:** It was found that domestic industry has suffered material injury due to the dumped imports and no other known factors were found to be the cause of the injury. There has been an increase in the volume of the dumped imports during the POI due to which the inventories of the domestic industry have piled up. The presence of dumped imports in the Indian market forced the applicant to sell its like article at prices below its cost of sales, thereby incurred losses and adversely affected the profitability parameters of the domestic industry. Further, the incremental demand for the subject goods in the POI was largely subsumed by the imports from the subject countries due to which the applicant was not able take advantage of the growth in Indian consumption.
 - xii. **Indian industry issues:** None of the interested parties filed any quantitative data through which the impact of anti – dumping duties could be assessed on the user industry. However, the Authority has relied upon the observations of the Telecom Regulatory Authority of India and Report of the Centre on Digital Economy with respect to preservation and existence of a vibrant and competitive optical fiber industry in India. Further, given the multiple producers of the like article in India, aspersions regarding creation of monopoly were also found to be unlikely.

J. RECOMMENDATIONS

267. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was provided to the domestic industry, other domestic producers, Embassies of the subject countries, producers/exporters of the subject goods from the subject countries, importers, users, and other interested parties to provide information with regards to dumping, injury, and causal link. Having initiated under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995 and conducted investigation in accordance with Rule 6 of the AD Rules, 1995 regarding dumping, injury and causal link as required under Rule 17 (1) (a) of the AD Rules, 1994 and established material injury to the domestic industry due to subject imports from the subject countries, the Authority recommends imposition of anti – dumping duties on the subject imports from the subject countries
268. Further, having regard to the lesser duty rule as enunciated in Rule 17 (1)(b) of the AD Rules, 1995, the Authority recommends imposition of definitive anti – dumping duties equal to the lesser of margin of dumping or margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti – dumping duties equal to the amount indicated in Col. (7) of the 'duty table' below is recommended to be imposed on all subject imports from the subject countries originating or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

SN	CTH Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty*** (USD/KFKM)
Col. (1)	Col. (2)	Col. (3)	Col. (4)	Col. (5)	Col. (6)	Col. (7)
1.	9001 10 00	Single – Mode Optical Fiber**	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Sterlite Fiber Technology Co., Ltd.	122.41
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Fasten Photonics Co., Ltd.	254.91
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd.	464.08
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.No. 1 to 3 above	537.30
5.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	China PR	Any producer	537.30
6.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer	807.88
7.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Korea RP	Any producer	807.88
8.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer	857.23
9.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Indonesia	Any producer	857.23

** The product under consideration is "Dispersion Unshifted Single – Mode Optical Fiber" ("SMOF"). The product scope covers Dispersion Unshifted Fiber (G.652) and Bend insensitive single mode Fiber (G.657). Dispersion Shifted Fiber (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fiber (G.654), and Non-Zero Dispersion Shifted Fiber (G.655 & G.656) are specifically excluded from the scope of the PUC.

*** The trading of this commodity occurs in FKM (fibre kilometre)/KFKM (1KFKM = 1000 FKM). The recommended ADD should be collected in this unit. Accordingly, steps may be taken to ensure the same.

K. FURTHER PROCEDURE

269. An appeal against the recommendation of the Authority shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority